CONTENTS

	Page
Board of Directors	4
Directors' Report	6
Management Discussion and Analysis Report	22
Ten years at a Glance	29
Annual Accounts	31
Cash Flow Statement	33
Schedules	36
Auditors' Report	69
Comments of C&AG	73
Corporate Governance Report	83
Corporate Governance Certificate	87
Business Responsibility Report	88
Statement under Section 212 of the Companies Act, 1956	94
Consolidated Financial Statements	95
Principal Executives	123
Notice	124
Proxy Form	131
Green Initiative & E-Communication Registration Form	132

शेयरधारकों को पत्र

प्रिय शेयरधारकों,

केंद्र में नई सरकार चुने जाने के साथ वर्ष 2014, विश्वास, बदलाव और उम्मीद के नए युग की शुरूआत है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए नए क्षेत्र खोलने, विनिर्माण में वृद्धि को तेज करने और निवेश सुगम बनाने के लिए योजनाएं, बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने जैसी पहल की घोषणाओं के साथ सरकार की ओर से पेश आम बजट में इसकी पूरी झलक मिलती है। ये पहल भारतीय इस्पात उद्योग के भविष्य के लिए बहुत अच्छी हैं और उम्मीद है कि जल्द ही घरेलू इस्पात उपभोग में शानदार वृद्धि होगी जिससे स्थिर मांग का परिदृश्य समाप्त होगा।

आपकी कंपनी इस कैलेंडर वर्ष में अपनी उत्पादन क्षमता में मात्रात्मक वृद्धि के साथ देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। सेल अपने विज़न–2025 को अंतिम रूप दे रही है जो कंपनी को अपनी संबंधित/समर्थक व्यावसाय गतिविधियों के साथ अपनी हॉट मेटल उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 50 मिलियन टन करने की प्रेरणा देगा। इससे न सिर्फ राष्ट्र निर्माण में सेल का योगदान बढ़ेगा बल्कि सेल को दुनिया भर में चोटी की इस्पात कंपनियों में पहुंचाएगा। अपनी क्षमता में इस स्तर तक विस्तार करने के लिए आपकी कंपनी के पास पहले ही भूमि बैंक है, कैप्टिव इस्तेमाल के लिए लौह अयस्क का भंडार है और अन्य आवश्यक साधन हैं।

जबकि कंपनी के विज़न– 2025 को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन इस रूपरेखा में कुछ प्रमुख परियोजनाओं पर कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इनमें राउरकेला इस्पात कारखाने में 3.0 एमटीपीए हॉट मेटल स्ट्रिप मिल के जरिए अत्याधुनिक 2250 एमएम का संस्थापन शामिल है। नए ब्लास्ट फर्नेस, आरएच डिगैसर और स्लैब कास्टर (वर्तमान आधुनिकीकरण एवं विस्तार योगना के तहत पहले ही संस्थापित) के साथ यह मिल उच्च गुणवत्ता वाली एचआर कॉयल्स के साथ उच्च शक्तिशाली एपीआई ग्रेड (एपीआई X 100 तक), ऑटो बॉडी ग्रेड्स और अन्य विशेष मूल्य वर्धित इस्पातों के निर्माण में समर्थ होगी। इसी तरह, बोकारो इस्पात (BSL) कारखाने में, नया बीओएफ कनर्वटर, लैडल फर्नेस और एसएमएस –1 में स्लैब कास्टर संस्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इन परियोजनाओं से बीएसएल में पुराने एसएमएस – 1 के इस्पात निर्माण प्रदर्शन में सुधार के साथ ऊर्जा और लागत प्रधान इन्गॉट कास्टिंग–स्लैबिंग मिल रूट का चरणबद्ध ढंग से बाहर करने में मदद मिलेगी।

आपकी कंपनी की वर्तमान में जारी आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना के संबंध में, मुझे अपने आदरणीय शेयरधारकों को यह सूचना देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वर्ष के दौरान, नए 4060 m^3 ब्लास्ट फर्नेस के साथ राउरकेला इस्पात कारखाने में देश का सबसे बड़ा फर्नेस संचालन अगस्त 2013 में शुरू हो गया है। यह कंपनी के आधुनिकीकरण और विस्तार में नया अध्याय है। इसके बाद, आरएचपी में अन्य आगामी फैसिलिटीज भी चालू हो गई। जून 2014 से, आरएसपी में समूचा समेकित प्रोसेस रूट चालू हो गया जिसमें नई प्लेट मिल में नई 7 मीटर लंबी कोक ओवन बैटरी, 4060 m^3 ब्लास्ट फर्नेस, तीसरा बीओएफ, 2500 मिमी स्लैब कास्टर और प्लेट रॉलिंग फैसिलिटी शामिल हैं।

इस कैलेंडर वर्ष के आखिर तक, आइआइएससीओ इस्पात कारखाना (आइएसपी), बर्नपुर में पूरी तरह नई 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) स्ट्रीम का समेकित ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। आइएसपी, बर्नपुर में समेकित ऑपरेशन के शुरू होने के साथ, सेल की हॉट मेटल क्षमता बढ़कर करीब 19.5 एमटीपीए हो जाएगी।

संचयी रूप से, सेल की वर्तमान आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना के तहत करीब 59,288 करोड़ रुपये के आदेश दिए गए हैं तथा मार्च 2014 तक 53,270 करोड़ रुपये का पूंजी व्यय किया गया है। करीब 22,000 करोड़ रुपये की फैसिलिटीज पहले ही चालू हो गई है।

मुझे यह सूचित करते हुए भी खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने 2013–14 के दौरान 51,866 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक सकल कारोबार हासिल किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत वृद्धि है। आपकी कंपनी का कर उपरांत लाभ 2,616 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वर्ष से 21 प्रतिशत अधिक है। कंपनी का कुल मूल्य बढ़कर 31 मार्च, 2014 को 42,666 करोड़ रुपये हो गया और इससे सेल की विस्तार योजनाओं के वित्त पोषण के लिए आंतरिक संसाधनों के सृजन में मदद मिली।

2013–14 के दौरान, सेल विभिन्न सरकारी एजेंसियों को करों एवं प्रशुल्कों के भुगतान के जरिए सरकार को 11,560 करोड़ रुपये का योगदान किया।

उत्पादन के मामले में, आपकी कंपनी ने 2013–14 में 12.9 मिलियन टन बिक्री योग्य इस्पात का लक्ष्य हासिल किया जो 2012–13 की तुलना में 4 प्रतिशत वृद्धि है। 14.5 मिलियन टन हॉट मेटल और 13.6 मिलियन टन अपरिष्कृत इस्पात का निर्माण पिछले वर्ष की तुलना में 1 प्रतिशत अधिक रहा। विशेष गुणवत्ता एवं मूल्य वर्धित उत्पादों का 5.42 मिलियन टन उत्पादन अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन रहा जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक है।

चुनौतीपूर्ण बाजार दशाओं के बावजूद, आपकी कंपनी ने 2013–14 के दौरान कुल 12.00 मिलियन टन मात्रा हासिल की जो 2012–13 की तुलना में 7.6 प्रतिशत वृद्धि है। घरेलू इस्पात उपभोग में सुस्ती के साथ, सेल ने जागरूकता के साथ निर्यात की मात्रा का लक्ष्य बढ़ाया और वर्ष 2013–14 के दौरान 0.47 मिलियन टन इस्पात का निर्यात किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत वृद्धि है।

छोटे ग्रामीण उपभोक्ताओं की इस्पात की मांग पूरी करने के मुख्य उद्देश्य के साथ 2011–12 में आरंभ की गई "सेल ग्रामीण डीलरशिप स्कीम" के तहत, देश भर में डीलर नेटवर्क को और व्यापक बनाया गया। इसके साथ ही 01.04.2014 को डीलरों की कुल संख्या 2,948 हो गई जो 01.04.2013 को 2,896 थी।

सेल के कारखानों ने परिचालनीय अनुशासन एवं न्यूनतम उत्सर्जन के जरिए पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को कम करने और परिचालनीय दक्षता बढ़ाने के लिए विविध प्रयास किए हैं। इससे पर्यावरणीय मापदंडों की उपलब्धि में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है जिससे हम पहले की तुलना में अधिक हरियाली बनाए रखते हुए और अधिक पर्यावरण अनुकूल इस्पात उत्पादन में समर्थ हुए हैं। समग्र पर्यावरण में बागानों की भूमिका का समझते हुए, वर्ष 2013–14 के दौरान सेल के कारखानों एवं खानों में और उनके आसपास करीब 2.05 लाख पौधे रोपे गए हैं।

नए उत्पाद विकसित करने की प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए, आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान अनेक नए उत्पाद विकसित किए। उनमें से कुछ हैं – हल्के सिलेंडर बनाने के लिए विशेषरूप से तैयार किए गए सुपर फॉर्मेबल/हाई स्ट्रेन्थ फॉर्मेबल

इस्पात, अधिक सख्ती एवं लंबाई बढ़ाने के लिए हाई टफनेस जंग रोधी पटरियां तथा भारतीय रेलवे को आपूर्ति करने के लिए पटरियों में बेहतर फ्रैक्चर टफनेस, भार कम करने और लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टावरों में हाई स्ट्रेन्थ स्टील के इस्तेमाल के हालिया रुझान की मांग पूरी करने के लिए एल्युमिनियम किल्ड आईएस 2062 ई 410 ब्लूम्स का उत्पादन इत्यादि।

कंपनी की कच्चे माल की सुरक्षा के मामले में, लौह अयस्क की कुल जरूरत कैप्टिव स्रोतों से पूरी की जा रही है। कंपनी की वर्तमान एमईपी के बाद लौह अयस्क की नियमित कैप्टिव आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लौह अयस्क की मौजूदा खानों की क्षमताओं में विस्तार किया जा रहा है तथा लौह अयस्क की नई खान विकसित की जा रही हैं और 10,264 करोड़ रुपये की राशि खानों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए रखी गई है। रौघाट और चिरिया लौह अयस्क खानों के विकास के लिए खान विकास करने वाले–सह–संचालक (एमडीओ) के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, लौह अयस्क के नए डिपॉजिट भी तलाशे जा रहे हैं। इस संबंध में, भारत सरकार के खान मंत्रालय ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में धूल खेड़ा गांव में 871.38 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लौह अयस्क संबंधी खनिज के लिए 30 वर्ष की अवधि के लिए सेल के पक्ष में खान लीज की अनुमति दे दी है। आपकी कंपनी की लौह अयस्क की गुणवत्ता सुधारने के लिए अपेक्षित बेनिफिकेशन फैसिलिटीज के साथ 10 एमटीपीए के लिए गुआ अयस्क खानों के विस्तार और 4 एमटीपीए पेलेट प्लांट के संस्थापन सहित अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। बेनिफिकेशन और पेलेटिसेशन फैसिलिटी के संस्थापन के लिए स्वीकृति पत्र जारी कर दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, मुझे आदरणीय शेयरधारकों को यह सूचना देते हुए भी अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि विशाल कोकिंग कोल खान और परिसंपत्तियों के ऐतिहासिक अधिग्रहण के लिए समझौते पर 28 जुलाई, 2014 को इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्रा. लि. (आइसीवीएल) ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता 2.6 अरब टन के अनुमानित कोयला संसाधन के साथ मोज़ाम्बिक में रियो टिंटो की संचालित कोयला खान और कोयला परिसंपत्तियों का अधिग्रहण के लिए किया गया। यह कोयला खान और परिसंपत्तियां रणनीतिक रूप से मोआतिज़ कोयला बेसिन के मुख्य कुकिंग कोयला धारण क्षेत्र में हैं जिसे आस्ट्रेलिया में ब्राउन बेसिन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कोयला बेसिन माना जाता है। परिचालन कोयला खान में अत्याधुनिक वॉश प्लांट और सर्फेस बुनियादी ढांचा है जिसमें वर्तमान 5 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से बढ़ाकर 12 एमटीपीए करने की क्षमता है। रियो टिंटो कोल मोज़ाम्बिक (आरटीसीएम) के अधिग्रहण की योजना पहले ही तैयार कर ली गई है ताकि अधिग्रहण सुगमता से किया जा सके।

आपकी कंपनी ने 2013–14 में 278 टीसीएस/आदमी/वर्ष की अब तक की सबसे अधिक श्रम उत्पादकता (एलपी) हासिल की। 31.03.2014 को, कंपनी में 97,897 लोग काम कर रहे थे। इसके साथ वर्ष के दौरान श्रमशक्ति तार्किकीकरण 3,981 रहा। तार्किक भर्ती, पुनःतैनाती रणनीतियों, दक्षता निर्माण एवं सर्वोत्तम देने के लिए कर्मचारियों में प्रतिबद्धता एवं जुनून की भावना पैदा करने के परिणामस्वरूप तार्किक श्रमशक्ति के साथ उत्पादकता में वृद्धि हासिल की जा सकी। चुनौतियों से प्रभावशाली ढंग से निपटने और नई भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, भविष्य के लिए कर्मचारियों को तैयार करने के उद्देश्य से, वर्ष के दौरान विविध समकालिक तकनीकी और प्रबंधकीय मॉड्यूलों के बारे में 47,187 कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए।

आपकी कंपनी को विभिन्न क्षेत्रों से प्रशंसा एवं सराहनाओं का मिलना जारी है जिनमें शामिल हैं, "लगातार 11वें वर्ष वर्ष 2012–13 के लिए उत्कृष्ट एमओयू का दर्जा, भिलाई स्टील प्लांट को रिकॉर्ड 11वीं बार (अब तक मिले 20 में से) प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री की ट्राफी प्रदान की गई है और वर्ष 2012–13 के लिए "पर्यावरण उत्कृष्टता एवं टिकाऊ विकास के लिए स्कोप सराहनीय पुरस्कार।"

आपकी कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी रचनात्मक एवं नूतन क्षमतओं के सम्मान में देश में प्रधानमंत्री के श्रम एवं विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार को अधिकतम संख्या में जीतने की परंपरा जारी रखी है। 2014 में घोषित 28 विश्वकर्मा पुरस्कारों में से 19 सेल ने जीते। कर्मचारियों की संख्या के मामले में, देश के 83 प्रतिशत पुरस्कृत कर्मचारी सेल के रहे। इसी प्रकार, 2014 में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए देश में घोषित 16 श्रम पुरस्कारों में से 3 सेल के कर्मचारियों ने जीते।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने नॉन–इग्जीक्यूटिव के लिए वेतन संशोधन को अंतिम रूप दिया। जो 1.1.2012 से देय था। ट्रेड यूनियनों के साथ वेतन संशोधन वार्ता बहुत सौहार्द्रपूर्ण माहौल में हुई।

सीएसआर के मामले में, आपकी कंपनी लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने के लिए समर्पित बनी रही। वर्ष के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आजीविका सृजन, समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने जैसे क्षेत्रों में नए प्रयास किए गए। जरूरतमंदों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कारखानों/इकाइयों के आसपास वित्त वर्ष 2013–14 में करीब 3,000 चिकित्सा शिविर लगाए गए जिनसे 2 लाख से अधिक लोगों ने फायदा उठाया। बीपीएल परिवारों को निःशुल्क ओपीडी सुविधाएं और दवाएं उपलब्ध कराने के लिए, कारखाना स्थलों पर स्थापित सात स्वास्थ्य केंद्रों (कल्याण चिकित्सालय) में 90,000 से अधिक लोगों का ईलाज किया गया। सेल ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से भिलाई और राउरकेला में एवं इनके आसपास के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जहां हर रोज 73,000 से अधिक विद्यार्थियों को खाना दिया गया। सारंदा विकास योजना के तहत, सेल ने क्षेत्र में बहुत से लोगों को बाइसिकल, ट्रांजिस्टर, सौर लाल्टेन वितरित कीं। सारदा में दीघा गांव में समेकित विकास केंद्र भी स्थापित किया गया जिसमें अस्पताल, आंगनवाड़ी केंद्र, बैंक, वन एवं कृषि कार्यालय, राशन की दुकान, समुदाय भवन, सिविल अधिकारियों के ठहरने का परिसर और सामुदायिक रसोई शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सेल की खान इस क्षेत्र में स्थित हैं जिसके मद्देनजर, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से सेल ने सारंदा वन क्षेत्र के निवासियों के लाभ के लिए विकास योजना पर काम शुरू किया है।

प्रिय शेयरधारकों, इस बात की बहुत उम्मीद है कि देश में इस्पात की मांग बढ़ने के मद्देनजर भारत आगामी वर्षों में, खासतौर से बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेज वृद्धि हासिल करेगा। अपनी वर्तमान आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के पूरा होने के साथ आपकी कंपनी आधुनिक प्रौद्योगिकी, ऑटोमेशन, उत्पाद गुणता में सुधार, समृद्ध उत्पाद बास्केट अपनाने और विजन – 2025 के तहत क्षमता संवर्धन एवं प्रौद्योगिकीय उत्कृष्टता के लिए उत्तम मंच उपलब्ध कराने वाले प्रोसेस दक्षता के जरिए किफायती ढंग से इस्पात की बढ़ी मांग पूरी करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी।

हम पर निरंतर विश्वास करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद !

(सी. एस. वर्मा)
अध्यक्ष

नई दिल्ली
दिनांक : 14 अगस्त, 2014

निदेशक मण्डल (7.7.2014 के अनुसार)

अध्यक्ष
श्री सी. एस. वर्मा

कार्यकारी निदेशकगण

वित्त
श्री अनिल कुमार चौधरी

तकनीकी
श्री एस. एस. मोहन्ती

कार्मिक
श्री एच. एस. पति

परियोजना एवं व्यापार आयोजन
श्री टी. एस. सुरेश

कच्चा माल एण्ड लॉजिस्टिक
श्री कल्याण माइति

वाणिज्य
श्री बिनोद कुमार

सरकारी निदेशकगण

श्री विनोद कुमार ठकराल
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह,
संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

स्वतंत्र निदेशकगण

डॉ. ईशर जज आहलुवालिया
श्री सुजीत बनर्जी
चार्टर्ड लेखाकार अरुण कुमार श्रीवास्तव
डॉ. आत्मानंद
श्री ज. मो. माउसकर
श्री आर. एस. शर्मा
श्री एन. सी. झा
श्री डी. के. मित्तल
श्रीमती परमिन्दर हीरा माथुर

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (स्थायी आमंत्रित)

राउरकेला इस्पात संयंत्र
श्री जी.एस. प्रसाद

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र
श्री पी. के. सिंह

बोकारो इस्पात संयंत्र
श्री अनुतोष मैत्रा

भिलाई इस्पात संयंत्र
श्री एस. चंद्रशेखरन

सचिव
श्री एम. सी. जैन

बैंकर्स
आस्ट्रेलिया एण्ड न्यूज़ीलैण्ड ग्रुप लिमिटेड
एक्सिस बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ बड़ौदा
बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ टोक्यो–मित्सुबिशी यूएफजे लिमिटेड
बाराक्लेस बैंक पीएलसी
बीएनपी पारीबस
केनरा बैंक
सिटी बैंक
कॉर्पोरेशन बैंक
ड्यूश बैंक
डेवलपमेण्ट बैंक ऑफ सिंगापुर
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई बैंक
इण्डसइंड बैंक लिमिटेड
जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड
जेपी मार्गन चेस बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
मिज़ूहो बैंक लिमिटेड
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैण्ड
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
सुमितोमो मितसुई बैंकिंग कॉरपोरेशन
यूनाइटेड ओवरसीज बैंक
विजया बैंक
यस बैंक लिमिटेड

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स एस. के. मित्तल एण्ड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार

मैसर्स ओ.पी. तोतला एंड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार

मैसर्स बी. एन. मिश्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार

पंजीकृत कार्यालय
इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
फोनः 24367481, फैक्स–24367015
इंटरनेटः www.sail.co.in
ई–मेलः secy.sail@sailex.com
CIN: L27109DL1973GOI006454

निदेशक मंडल

श्री सी.एस. वर्मा

श्री विनोद कुमार ठकराल

श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह

श्री अनिल कुमार चौधरी

श्री एस.एस. मोहन्ती

श्री एच.एस. पति

श्री टी.एस. सुरेश

श्री कल्याण माइति

श्री विनोद कुमार

डॉ. ईशर जज आहलुवालिया

श्री सुजीत बनर्जी

सीए अरुण कुमार श्रीवास्तव

डॉ. आत्मानंद

श्री जे.एम. माउसकर

श्री आर.एस. शर्मा

श्री एन.सी. झा

श्री डी.के. मित्तल

श्रीमती पी.एच. माथुर

निदेशक रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

निदेशकों को 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित खाते के साथ कंपनी की 42वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए हर्ष हो रहा है।

वित्तीय समीक्षा

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 में ₹ 51,866 करोड़ का कुल कारोबार किया है जो पिछले वित्त वर्ष के कुल कारोबार के मुकाबले 5 फीसदी अधिक है। कंपनी ने कर पश्चात लाभ (पैट) में 20.6 फीसदी की बढ़ोतरी हासिल की। वित्त वर्ष 14 में यह ₹ 2616 करोड़ रहा जो वित्त वर्ष 2012–13 में 2170 करोड़ रुपये था। कंपनी की निवल संपत्ति में खासी मजबूती आई है। 31 मार्च, 2013 को कंपनी की निवल संपत्ति ₹ 42,666 करोड़ थी जो 31 मार्च, 2014 को बढ़कर ₹ 42,666 करोड़ हो गई और इससे कंपनी की विस्तार योजना के लिए आंतरिक संसाधन जुटाने में सहयोग मिला।

आयातित कोयले की लागत में कमी के साथ उत्पादन व बिक्री में बढ़ोतरी से आधार रेखा को सुधारने में मदद मिली, गैर प्रबंधीय कर्मचारियों के वेतनमान में 1.1.2012 से हुए संशोधन की बदौलत 1000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वेतनभार को बराबर करने में मदद मिली। साल के मुनाफे में एम/एस वेल, आस्ट्रेलिया से मिली 1056 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है जो सेल के साथ एक व्यावसायिक विवाद में सेल के पक्ष में आए फैसले से प्राप्त हुई। वर्ष 2013–14 और वर्ष 2012–13 के प्रमुख वित्तीय मानकों का तुलानात्मक प्रदर्शन प्रबंधक चर्चा और समीक्षा रिपोर्ट में दिया गया है।

आपकी कंपनी अपनी पूंजी के इष्टतम उपयोग करने में विश्वास रखती है और इसे पूंजी के बेहतर प्रबंध के साथ जारी रखा है। इनमें छोटे अंतराल के ऊंची लागत वाले कर्ज को कम लागत में बदलना, समय पर लोन व ब्याज का भुगतान, अतिरिक्त पूंजी को अनुसूचित बैंकों में नीतिगत रूप से लगाना व आगे के लिए पूंजी की उगाही करना शामिल हैं ताकि हमारे विकास के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इसके अलावा कंपनी विदेशी मुद्रा का जोखिम खरीदार के खाते में डाल देती है और बाजार स्थिति के मुताबिक वाह्य व्यावसायिक ऋण (ईसीबी) का भुगतान करती है। 31 मार्च, 2014 को कंपनी की चल परिसंपत्ति उधार के ₹ 25,000 करोड़ के मुकाबले ₹ 25281 करोड़ की थी जिसे अनुसूचित बैंकों में छोटे अंतराल के लिए निवेश के रूप में जमा किया गया। 31 मार्च, 2014 को कंपनी का कर्ज हिस्सा अनुपात 31 मार्च, 2013 के 0.53:1 के मुकाबले 0.59:1 था जो इस साल के दौरान कंपनी के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए ली गई उधारी की वजह से हुआ। साल के दौरान ₹ 9,890 करोड़ का पूंजीगत व्यय रहा जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले अधिक है।

साल के दौरान कंपनी ने शेयरों के चुकता मूल्य पर 20.20 फीसदी की दर से अंतरिम लाभांश दिया जो वित्त वर्ष 13 में दिए गए 20 फीसदी के मुकाबले मामूली रूप से अधिक है। बोर्ड ने वर्ष 2013–14 के लिए इस अंतरिम लाभांश को कुल लाभांश मानने का फैसला किया है। साल के दौरान ₹ 264 करोड़ (पिछले साल ₹ 163 करोड़) की रकम सामान्य आरक्षित निधि को सौंप दी गई।

क्रेडिट रेटिंग

आरबीआई से मंजूरी प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां एम/एस इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड और एम/एस सीएआरई ने सेल के लिए एएए रेटिंग को कायम रखा है जो सेल के लंबे समय के ऋण कार्यक्रम के लिए सबसे अधिक सुरक्षा का संकेत देता है। कंपनी के अंतरराष्ट्रीय उधार कार्यक्रम को एम/एस फिच रेटिंग और एम/एस स्टैंडर्ड एंड पूअर ने बीबीबी से नवाजा है। ये भी देश की स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियां हैं।

उत्पादन समीक्षा

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 14 में 12.9 मिलियन टन (एमटी) बिक्री योग्य स्टील का उत्पादन किया जो वित्त वर्ष 13 के मुकाबले 4 फीसदी अधिक है। हाट मेटल का 14.5 मिलियन टन तो कच्चे स्टील का 13.6 एमटी उत्पादन रहा और दोनों का उत्पादन पिछले साल की तुलना में एक–एक फीसदी अधिक रहा। विशेष गुणवत्ता एवं मूल्यवर्धक उत्पाद का अब तक का सबसे अधिक 5.42 एमटी का उत्पादन किया गया जो वित्त वर्ष 13 के मुकाबले 6 फीसदी अधिक है। वर्ष 2013–14 के दौरान 699 मेगावाट के बिजली संयंत्र ने अब तक का सबसे बढ़िया बिजली का उत्पादन किया जो पिछले साल के मुकाबले 1 फीसदी अधिक है।

माननीय खान, इस्पात एवं श्रम व रोज़गार मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, सेल अध्यक्ष श्री सी. एस. वर्मा के नेतृत्व में इस्पात से संबद्ध सीआईआई राष्ट्रीय समिति की बैठक में

इस्पात सचिव, श्री जी. मोहन कुमार और सेल अध्यक्ष श्री सी. एस. वर्मा एवं सेल के अनय निदेशकों की उपस्थिति में सेल और इस्पात मंत्रालय के बीच सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर किये गये

साल के दौरान सेल ने राउरकेला स्टील प्लांट में 4060 एम^3 ब्लास्ट फर्नेश के साथ आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए एक बड़ा कदम उठाया जिसने अगस्त 2013 से संचालन शुरू कर दिया। कंपनी के आधुनिकीकरण और विस्तार में इसने एक नया अध्याय जोड़ा। इसके बाद आरएसपी में आने वाली अन्य सुविधाएं भी संचालन में आ चुकी हैं। जून, 2014 से आरएसपी में संपूर्ण एकीकृत प्रक्रिया के तहत ओर बेडिंग व ब्लेंडिंग प्लांट, 360 स्क्वायर मीटर सिंटर प्लांट, 7 एम लंबा कोक ओवन बैट्री नंबर 6, 4060 एम^3 ब्लास्ट फर्नेश नंबर 7, तीसरा बीओएफ, 2500 एमएम स्लैब कास्टर और प्लेट रोलिंग सुविधायुक्त एक मिलियन टन प्रतिवर्ष प्लेट उत्पादन करने की क्षमता वाली मिल काम कर रही है। प्लेट मिल की फिनिशिंग मिल का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। इन सुविधाओं से होने वाले उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। बीएसपी में 12 जून, 2014 को ब्लास्ट फर्नेश गैस क्लिनिंग प्लांट के पंप हाउस में गैस लिकेज की दुर्घटना से छह लोगों ने अपना बहुमूल्य जीवन खो दिया। बाद में इस घटना के कारणों की जांच की गई और इस प्रकार की घटनाओं को दोबार होने से रोकने के लिए उपाए किए गए। इस यूनिट में 7 दिन के भीतर फिर से काम शुरू हो गया था और इसे जल्द ही सामान्य कर दिया गया।

अनुसंधान व विकास (आर एंड डी)

सेल के आरएंडडी मास्टर प्लान को लागू करने के लिए कई शुरुआत की गई हैं। यह शुरुआत तीन बड़ी श्रेणियों के तहत हुई है जिनके नाम है सेंटर आफ एक्सलेंस प्रोजेक्ट्स (सीओई), हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स (एचआईपी) और टेक्नोलॉजी मिशन (टीएम) प्रोजेक्ट्स।

सीओई प्रोजेक्ट्स के तहत प्राप्त सफलता में बोकारो की हाट स्ट्रीप मिल में रोल बाइट लुब्रिकेशन सिस्टम को लागू करना, एसएमएस–2 में स्टील लैडल की औसत आयु में बढ़ोतरी, बोकारो स्टील प्लांट द्वारा एसआरयू (सेल रिफैक्ट्री यूनिट) ब्रिक्स में 80 से 89 हीट का इस्तेमाल शामिल हैं।

ऊंचे असर वाली परियोजनाओं के तहत जहां परियोजना के काम में प्रगति हुई है, उनमें लौह अयस्क फाइंस/स्लिम्स को गुणकारी बनाना, सीडीआई और कोक ओवन डोर सिस्टम में सुधार, स्लज का सूक्ष्म छर्रा बनाना और उसे सिंटर प्लांट में दोबारा इस्तेमाल शामिल है। सड़क निर्माण में बीएफ स्लैग के इस्तेमाल के लिए सीआरआरआई (सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट) के साथ मिलकर अध्ययन किया जा रहा है।

जिन तकनीकी मिशन को आपकी कंपनी पाने की कोशिश में जुटी है उनमें मुख्य रूप से थी न स्ट्रिप कास्टिंग और सीआरजीओ स्टील उत्पादन शामिल है जिसके लिए तकनीकी रुपात्मकता को हस्तान्तरित करने पर काम किया जा रहा है।

नए उत्पाद का विकास

आपकी कंपनी को भारतीय सुरक्षा के स्वदेशीकरण की पहल का हिस्सा होने पर गर्व है। कंपनी के भिलाई व राउरकेला स्थित स्टील प्लांट के संयुक्त प्रयास से विकसित डीएमआर–249 ग्रेड स्टील की आपूर्ति भारत के पहले स्वदेशीय एयरक्राफ्ट विक्रांत के लिए की गई। लगातार सुधार के लिए अपने इस उत्साह और जोश को कायम रखते हुए कंपनी ने इस साल कई नए उत्पाद विकसित किए जिससे कंपनी के वृहत उत्पाद समूह में बढ़ोतरी हुई। विभिन्न प्लांट में विकसित किए गए नए उत्पाद इस प्रकार है :

- बोकारो स्टील प्लांट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील (आरडीसीआईएस) ने संयुक्त रूप से एक सुपर फॉरमेबल/हाई स्ट्रेंथ फॉरमेबल स्टील विकसित किया है जो मुख्य रूप से निर्यात बाजार की सेवा के लिए विभिन्न आकार के सिलिंडर बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। इस नए ग्रेड के स्टील के इस्तेमाल से खाली सिलिंडर के वजन में 15 फीसदी तक की कमी आएगी इससे उनके निर्माण लागत में कमी के साथ उनकी ढुलाई पर होने वाले खर्च में भी गिरावट आएगी।
- भिलाई स्टील प्लांट ने हाई टफनेस कोरोसन रेसिसटेंट रेल्स का विकास किया है जिससे भारतीय रेलवे की रेल को विकसित कठोरता और दीर्घीकरण व बेहतर कठोर विभंजन की आपूर्ति की जा सके।
- दुर्गापुर स्टील प्लांट ने बिजली के ट्रांसमिशन टावर के वजन व उनकी लागत में कमी के लिए एल्युमीनियम किल्ड आईएस 2062 ई 410 का उत्पादन किया है ताकि ट्रांसमिशन टावर में नए ट्रेंड वाले स्टील का इस्तेमाल हो सके।
- सेल ने भूकंप प्रतिरोधी एफई 415 एस और एफई 500 एस ग्रेड टीएमटी रिबार्स पेश किया है जो IS 1786 स्टैंडर्ड के हैं जो साधारण टीएमटी के मुकाबले अधिक लोच व कठोरता वाली है।

कच्चे माल

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान लौह अयस्क की सभी जरूरतों की पूर्ति कैप्टिव संसाधन से की गई। कंपनी की कैप्टिव लौह अयस्क खदान ने 25.32 मिलियन टन का उत्पादन किया। कोकिंग कोल के मामले में 18 फीसदी जरूरतों की पूर्ति घरेलू माध्यम (कोल इंडिया लिमिटेड व कैप्टिव माध्यम) से की गई तो बाकी की पूर्ति आयात के जरिए (11.36 एमटी)। 2013–14 के दौरान कंपनी की कैप्टिव कोलरीज का उत्पादन 0.69 एमटी रहा। इनमें से 0.58 एमटी कच्चा कोकिंग कोयला था तो बाकी के 0.11 एमटी गैर कोकिंग कोयला। फ्लक्सेज के मामले में लाइमस्टोन का 1.13 एमटी तो डोलोमाइट का 1.05 एमटी घरेलू उत्पादन रहा।

इस प्रकार कैप्टिव माध्यम से फ्लेक्सेज का कुल उत्पादन 2.18 मिलियन टन रहा। थर्मल कोयला के मामले में आपकी कंपनी कैप्टिव खदान से उत्पन्न मामूली कोयले को छोड़ पूर्ण रूप से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से खरीदारी पर निर्भर करती है।

2013–14 के दौरान गुआ लौह अयस्क खदान को दो साल के अंतराल के बाद भारत सरकार के वन व पर्यावरण मंत्रालय से वन व पर्यावरण मंजूरी के बाद 12 अप्रैल, 2013 को फिर से शुरू कर दिया गया। बाद में 4 मार्च, 2014 को भारत सरकार के वन व पर्यावरण मंत्रालय ने गुआ की दुर्गईबुरु में अतिरिक्त 361.295 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन की मंजूरी दे दी। इस प्रकार 635.986 हेक्टेयर वन भूमि का विपथन हो चुका है। वन मंजूरी ने गुआ खदान के क्षमता विस्तार के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। वर्तमान में यह क्षमता प्रतिवर्ष 2.4 मिलियन टन की है जो प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन के स्तर तक जा सकती है। क्षमता विस्तार परियोजना के मुख्य पैकेज के लिए एलओए जारी कर दिया गया है।

ओडिशा सरकार द्वारा फरवरी, 14 में कारो–करमपदा एलीफैंट कोरिडोर से जुड़ी तकनीकी समिति की रिपोर्ट को मंजूरी मिलने से बोलनी खदान की 5.1 स्क्वायर माइल के पट्टे पर लौह अयस्क को निकालने का काम जारी रखा जा सका। इस मंजूरी से बोलनी खदान की क्षमता का प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन तक विस्तार किया जा सकेगा।

लौह अयस्क की नियमित आपूर्ति के लिए मौजूदा लौह अयस्क खदान की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है और नई खदान विकसित की जा रही है। रोघाट और चिरिया खदान को विकसित करने के लिए माइन डेवलपर कम आपरेटर के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक में लौह अयस्क के नए भंडार का पता लगाया जा रहा है। इस मामले में भारत सरकार के खान मंत्रालय ने 2.9.2013 को दिए अपने आदेश में सेल को राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के धुलखेड़ा गांव में 871.38 हेक्टेयर जमीन 30 साल के लिए लौह अयस्क के खनन के लिए पट्टे पर दी है।

सरकारी रूट के जरिए कोकिंग कोयला और थर्मल कोयला के नए ब्लाक को आवंटित करने का प्रयास किया जा रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने उड़ीसा में अवैध खनन से जुड़ी एक जनहित याचिका पर 16 मई, 2014 को दिए अपने फैसले में कहा कि जिन जगहों पर खनन से जुड़े दूसरे व अनुवर्ती नवीनीकरण का मामला राज्य सरकार के पास लंबित है, वहां एमएमडीआर कानून, 1957 के सेक्शन 8 (3) के तहत राज्य सरकार की अनुमति के बगैर खनन के काम की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस आदेश के तहत उड़ीसा सरकार ने 17 मई, 2014 से 31 मई, 2014 तक के लिए सेल की उड़ीसा स्थित बोलनी, बरसुआ और काल्टा खदान से खनन काम को एमसीआर 1960 के नियम 24 (ए) (6) के अधीन निलंबित कर दिया। यह निलंबन उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से आवश्यक आदेश के जारी होने तक के लिए किया गया।

बिजली उत्पादन और खपत

सेल 1050 मेगावाट बिजली की अपनी कुल जरूरतों का 67 फीसदी अपने कैप्टिव उत्पादन से प्राप्त करती है और बाकी की 33 फीसदी बिजली की खरीदारी बाहर से करती है। बिजली के मद की लागत को कम करने के उद्देश्य से पावर एक्सचेंज में उपलब्ध सस्ती बिजली को खरीदने का चलन शुरू किया गया है और सलेम स्टील प्लांट के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) से 19.7 एमयू बिजली की खरीदारी की गई। यह चलन आगे भी जारी रहेगा।

साल के दौरान एक प्लांट में उपलब्ध कैप्टिव बिजली को दूसरे प्लांट में भेजने का चलन भी जारी रखा गया ताकि लागत में कमी लाई जा सके। कर्नाटक के विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसएल) में छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) से 25 एमयू कैप्टिव बिजली भेजी गई।

जारी विस्तार कार्यक्रम के पूरा होने के बाद बिजली की बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी अपनी कैप्टिव उत्पादन क्षमता और ट्रांसमिशन व वितरण सुविधाओं को बढ़ाने की प्रक्रिया में है। इस साल राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) के सबस्टेशन को अपग्रेड कर 220 केवी जीआईएस का कर दिया गया और यही काम बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) और चंद्रपुर फेरो एलाय प्लांट (सीएफपी) के लिए किया जा रहा है। सेल के विभिन्न प्लांट में कैप्टिव उत्पाद क्षमता में 216 मेगावाट के

दुर्गापर स्टील प्लांट में स्थित कोक ओवंस बैटरी सं. 2

बोकारो स्टील प्लांट में लगायी जा रही कोल्ड रोलिंग मिल

विस्तार का काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त आरएसपी की क्षमता में 1X250 मेगावाट की एक यूनिट का विस्तार, दुर्गापुर स्टील प्लांट में 2X20 मेगावाट की दो यूनिट का विस्तार एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनएसपीसीएल) द्वारा किया जा रहा है जो एनटीपीसी और सेल की संयुक्त कंपनी है।

बिक्री और विपणन समीक्षा

बाजार के चुनौतीपूर्ण वातावरण की वजह से साल के दौरान देश के भीतर स्टील की मांग दबी रही। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान 12.07 मिलियन टन की कुल ब्रिक्री की जो पिछले वित्त वर्ष 2012–13 की तुलना में 8.6 फीसदी अधिक है। घरेलू बाजार में जिन उत्पादों की बिक्री में अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई उनमें प्लेट्स 12.7 फीसदी, एचआर क्वायल 7.8 फीसदी, जीपी–जीसी 23 फीसदी शामिल है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 14 में 0.47 मिलियन टन स्टील का निर्यात किया जो पिछले साल के मुकाबले 28 फीसदी अधिक है। ब्लूम्स के लिए सऊदी अरब, प्लेट्स के लिए कनाडा और स्लैब के लिए इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे नए बाजार निर्यात के लिए विकसित किए गए हैं।

कंपनी के ग्रामीण डीलर नेटवर्क का विकास हुआ है और 31 मार्च, 2014 तक ग्रामीण डीलरों की संख्या बढ़कर 1004 हो चुकी थी। इस संख्या के साथ एक अप्रैल, 2014 को सेल के कुल डीलरों की संख्या 2948 के स्तर पर पहुंच गई। खुदरा बिक्री 2012–13 की तुलना में 14 फीसदी अधिक रही और यह बिक्री 0.62 मिलियन टन रही।

संवृद्धि योजना

देश में स्टील की अनुमानित मांग को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी वर्तमान में हाट मेटल के उत्पादन में बढ़ोतरी योजना पर अमल में जुटी है। वित्त वर्ष 2013–14 में यह स्तर 14.4 मिलियन टन का है जो विस्तार के बाद 23.5 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। संवृद्धि योजना में उत्पादन के स्तर को बढ़ाने के अलावा तकनीकी रुकावटों को दूर करना, ऊर्जा की बचत करना, उत्पाद के मिश्रण को समृद्ध करना, प्रदूषण को कम करना, खदान व कोलरीज को विकसित करना, ग्राहक केंद्रित प्रक्रिया को लागू करना और जरूरत के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं का विकास शामिल हैं।

घरेलू बाजार में अपने वर्तमान दबदबा को कायम रखने और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए आपकी कंपनी लंबे समय की रणनीति योजना विजन 2025 पर काम कर रही है जो कंपनी को हाट मेटल के उत्पादन को 50 मिलियन टन तक ले जाने के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम बनाएगी। इस रणनीतिक उद्देश्य को हासिल करके भारतीय स्टील क्षेत्र में नेतृत्व पाने के साथ कंपनी विश्व की अग्रणी स्टील कंपनियों में अपना स्थान बना लेगी।

आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम परियोजना प्रबंध

आपकी कंपनी भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर के अपने पांच एकीकृत स्टील प्लांट में आधुनिकीकरण और विस्तार का काम कर रही है। आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम से कच्चे स्टील की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 14.4 मिलियन टन से बढ़कर 23.5 मिलियन टन हो सकती है।

सेल की वर्तमान आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के तहत 59, 288 करोड़ के आर्डर दिए जा चुके है (मार्च, 14) और इस कार्यक्रम के तहत मार्च, 14 तक 53,270 करोड़ का पूंजीगत व्यय हो चुका है। 20,000 करोड़ की सुविधाएं मार्च 14 तक पहले ही संचालन में आ चुकी हैं। इनमें एसएसपी में कच्चे माल का हैंडलिंग प्लांट, सिंटर प्लांट, सीओबी 11 कांप्लेक्स, आईएसपी में वायर रॉड मिल और आरएसपी में नया सिंटर प्लांट–3 शामिल हैं।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 14 में कई नई सुविधाओं से उत्पादन शुरू हो गया जैसे कि न्यू ओर बेडिंग व ब्लेंडिंग प्लांट, नया कोक ओवन बैट्री नं. 6, कांप्लेक्स से जुड़ा कोल हैंडलिंग प्लांट, आरएसपी में थर्ड सिंगल स्ट्रैंड कास्टर, डीएसपी कोक ओवन बैट्री नं. 2, बीएसपी में सेकेंड सिंटर मशीन। आरएसपी में नए 4060 एम^3 फर्नेश लगने से एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है जो अगस्त 13 से संचालन में आ गया। तब से फर्नेश का उत्पादन बढ़ गया है।

साल के दौरान सेल बोर्ड ने विभिन्न नई परियोजनाओं के लिए 7,862 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च को सैद्धांतिक रूप से अपनी मंजूरी दे दी है।

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान 9,890 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया इस मद में 2014–15 के लिए 9,000 करोड़ के पूंजीगत व्यय की योजना है।

प्रबंधन चर्चा और समीक्षा रिपोर्ट में एडीशन, मोडिफिकेशन और रिप्लेसमेंट (एएमआर) स्कीम के अमल की विस्तृत जानकारी दी गई है।

मानव संसाधन प्रबंधन समीक्षा

आपकी कंपनी प्रतियोगी सुअवसर मुहैया कराने में मानव संसाधन के योगदान का अधिकारिक रूप से प्रशंसा करती है। सेल ने अपने मानव संसाधन में निवेश कर अपने वर्तमान उत्कृष्ट स्तर को प्राप्त किया है जिनकी निपुणता और ज्ञान हर शुरूआत का आधार बनते हैं। सेल में मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) का मुख्य जोर दिए जाने वाले क्षेत्र में मानवीय उपयोगिता में सुधार और श्रमिक उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए कर्मचारियों की निपुणता और क्षमता में बढ़ोतरी करना शामिल है।

मानवशक्ति के पुनर्गठन के साथ उत्पादकता में बढ़ोतरी

आपकी कंपनी ने वर्ष 2013–14 में अब तक की सबसे अधिक श्रम उत्पादकता (एलपी) 278 टीसीएस/आदमी/वर्ष हासिल किया है। 31.03.14 तक कंपनी की मैनपावर 97,897 थी, साल के दौरान उद्योग के पुनर्गठन के साथ 3981 की संख्या हासिल कर ली गई थी। विवेकपूर्ण तरीके से की गई भर्ती, पुनर्नियोजन रणनीति, बहु निपुणता, प्रतिबद्धता और कर्मचारियों में जुनून की बदौलत श्रमिकों के पुनर्गठन के साथ बढ़ी हुई उत्पादकता को प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष 2003–04 से श्रमिकों के पुनर्गठन और बढ़ी हुई उत्पादकता के रुख को इस रेखाचित्र के जरिए देखा जा सकता है :

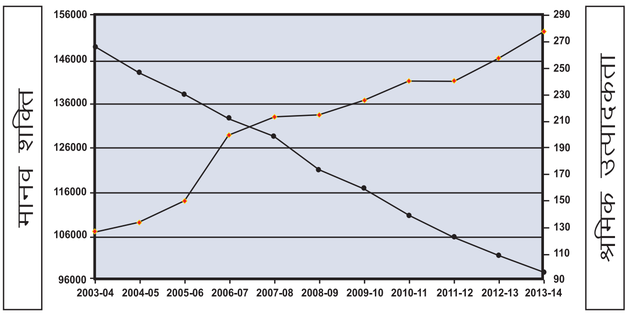

कर्मचारियों की क्षमता और सामर्थ्य का विकास

अपने मानव संसाधन के विकास के साथ उनके सामर्थ्य का इस्तेमाल करने और कर्मचारियों को अपने विकास का पर्याप्त अवसर देने के साथ संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी कंपनी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और विकास से जुड़ी गतिविधियों के जरिए अनवरत प्रयास कर रही है। इस काम के तहत निपुणता का संरक्षण, कुशलता व ज्ञान का हस्तांतरण, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम व प्रमुख संस्थाओं के साथ प्रबंधकीय क्षमता के विकास के लिए सहयोगी कार्यक्रम का आयोजन करना भी शामिल है।

इस बात पर भी मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है कि कर्मचारियों को कल के लिए तैयार किया जाए ताकि वे नई चुनौतियों को स्वीकार सके और नई भूमिका अदा कर सके। साल के दौरान 41340 के लक्ष्य के मुकाबले 47187 कर्मचारियों को समकालीन तकनीकी और प्रबंधकीय मापदंड के तहत प्रशिक्षित किया गया।

कर्मचारियों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध

- कर्मचारियों के साथ सहयोगात्मक और संतोषप्रद रिश्ता निभाने की आपकी कंपनी की शानदार परंपरा रही है। किसी भी मसले को ट्रेड यूनियन व कर्मचारियों के साथ बातचीत के जरिए सुलझाने के चलन से विभिन्न स्तर पर कर्मचारियों की सहभागिता बढ़ी है और इससे शांतिपूर्ण आईआर वातारवरण स्थापित हुआ है। कंपनी में विभिन्न स्तर पर कर्मचारियों की सहभागिता के लिए एक स्थापित व्यवस्था है और यह व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर से लेकर शॉप फ्लोर स्तर तक है। इनमें से कई फोरम सत्तर के दशक के आरंभ से काम कर रहा है और समय–समय पर उठने वाले वेतन, सुरक्षा और कर्मचारियों की भलाई से जुड़े मसले को सुलझाने के लिए इन्हें पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। इससे एक सहयोगात्मक कार्य प्रणाली स्थापित करने में मदद मिलती है।
- द्विपक्षी फोरम जैसे कि नेशनल ज्वाइंट कमेटी फार स्टील इंडस्ट्री (एनजेसीएसआई), ज्वाइंट कमेटी आन सेफ्टी, हेल्थ एंड इनवायरनमेंट इन स्टील इंडस्ट्री (जेसीएसएसआई) आदि के साथ अन्य प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियन व प्लांट एवं यूनिट की यूनियन समय–समय पर एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से अपनी कार्य योजना तैयार करती है जिससे यहां काम का एक सौहार्द्रपूर्ण और सुरक्षित माहौल बनता है जो सेल में

सेल अध्यक्ष, श्री सी. एस. वर्मा, निदेशक (तकनीकि), श्री एस. एस. मोहंती और निदेशक (परियोजनाएं एवं व्यापार योजना), श्री टी. एस. सुरेश हाल ही में इस्को स्टील प्लांट के दौरे पर, आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण योजना की समीक्षा करते हुए

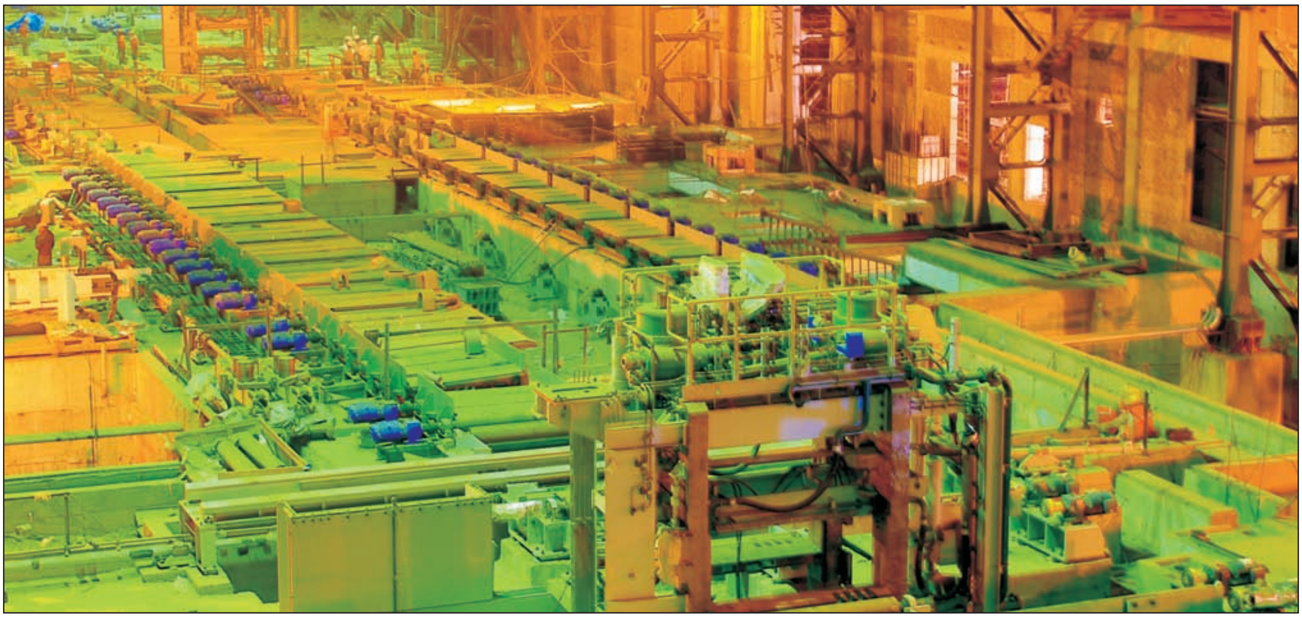

भिलाई स्टील प्लांट में नई यूनिवर्सल रेल मिल

कर्मचारियों के साथ वर्षों से चले आ रहे सामंजस्यपूर्ण वातावरण को सही साबित करता है।

- इसके अलावा, कर्मचारियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए क्वालिटी सर्किल, वैचारिक स्कीम, शाप स्पेसेफिक परफार्मेंस इंप्रूवमेंट वर्कशाप जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। कारोबार से जुड़े रणनीतिक फैसले में भी कर्मचारियों को साथ रखा जाता है और संवादात्मक वर्कशाप के जरिए उनके विचारों को जाना जाता है।

- ऐसे सभी मुद्दे जो कंपनी के प्रदर्शन पर असर डालते हों या कर्मचारियों के हित से जुड़े हों, के लिए कंपनी स्तर पर कर्मचारियों के साथ विभिन्न तरीकों से संवाद किया जाता है। जन संचार के माध्यम से प्लांट के सीईओ एवं वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के साथ कर्मचारियों के बड़े समूह की चर्चा कराई जाती है। इस संवाद सत्र के जरिए कर्मचारियों को कंपनी के लक्ष्य और उद्देश्य के अनुरूप अपने काम को करने में मदद मिलती है जिससे उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों की वचनवद्धता में बढ़ोतरी होती है।

शिकायत सुधार प्रक्रिया

- सेल प्लांट व यूनिट में गैर–प्रबंधकीय व प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए अलग–अलग असरदार आंतरिक शिकायत सुधार मशीनरी काम करती है। यह शिकायत पद्धति सेल में कर्मचारियों, ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन के साथ लगातार विचार–विमर्श और उनकी वचनबद्धता के बाद स्थापित हुई है। शिकायतों के निपटान के लिए प्लांट व यूनिट में संयुक्त शिकायत कमेटी की स्थापना की गई है।

- शिकायतों की सुनवाई तीन स्तर पर होती है और कर्मचारियों को हर स्तर पर वेतन से जुड़ी अनियमितता, कार्य की स्थिति, तबादला, अवकाश व अन्य मसलों पर अपनी शिकायत रखने का मौका दिया जाता है। स्टील प्लांट में सहभागितापूर्ण माहौल की वजह से अधिकतर शिकायतों का निपटान अनौपचारिक रूप से कर दिया जाता है। यह एक विस्तृत, साधारण और लचीली प्रणाली है जो कर्मचारी और प्रबंधन के बीच एक सौहार्द्रपूर्ण रिश्ता कायम करने में असरदार साबित हुई है।

- 31.03.2013 तक 44 शिकायतें लंबित थीं। 1.04.2013 से 31.03.2014 तक कुल 1127 शिकायतें प्राप्त हुईं। साल के दौरान 1157 शिकायतों का निपटान किया गया और 31.03.2014 तक 14 शिकायतें निपटान के लिए बची हुई थी।

अनुसूचित जाति–जनजाति एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास की पहल

आपकी कंपनी नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण को लेकर राष्ट्रपति की तरफ से जारी निर्देशों का पालन करती है। 31 मार्च, 2014 तक कुल 97,897 कर्मचारियों में से 15.95 फीसदी अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं तो 13.77 फीसदी अनुसूचित जनजाति श्रेणी के।

सेल के प्लांट, यूनिट व खदान देश के आर्थिक रूप से पिछड़े इलाके में है जहां अनुसूचित जाति व जनजातियों की संख्या अधिक है। सेल ने इन क्षेत्रों में नागरिक, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन एवं अन्य सुविधाओं के समग्र विकास में अपना योगदान दिया है।

सेल ने अनुसूचित जाति–जनजाति एवं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए कई पहल की है :

- कंपनी की तरफ से चलाए जा रहे स्कूल में अनुसूचित जाति–जनजाति के छात्रों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है चाहे वह बच्चा सेल के कर्मचारी का हो या गैर–सेल कर्मचारी का।

- भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर गुटगुटपारा में मुफ्त चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है जहां मुफ्त चिकित्सा सलाह के साथ मुफ्त दवाइयां उपलब्ध हैं यह सुविधा यहां बहुलता में रह रहे एससी–एसटी व कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए मुहैया कराई गई हैं।

- सेल प्लांट ने दुलर्भ बिर्होर जनजाति के 15 बच्चों को गोद लिया है। उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा, रहना, खाना और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

- किरिबुरु, गुआ, चिरिया खदान के पास स्थित सेल के अस्पतालों में आसपास के गांवों के मनकी व मुंडा (गांव का प्रधान) की सिफारिश पर ग्रामीणों को आंतरिक व वाह्य चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

आरक्षण नीति के बारे में जागरूकता फैलाने को लेकर की गई पहल

- सेल प्लांट के एससी–एसटी मामलों से जुड़े संपर्क अधिकारी एवं अन्य

संबंधित अधिकारियों को एससी–एसटी आरक्षण नीति व उनसे जुड़े अन्य मसलों के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक नियमित अंतराल पर वर्कशाप का आयोजन किया जाता है।

- राउरकेला में 18 जून, 2013 को निदेशक (कार्मिक) के नेतृत्व में सेल एससी–एसटी कर्मचारी संघ के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में संघ के सदस्यों को कंपनी की चुनौतियों से अवगत कराया गया। बैठक के बाद संघ सदस्यों के लिए आरक्षण मसले को लेकर दो दिनों का वर्कशाप भी आयोजित किया गया।
- राउरकेला में 20 व 21 जून, 2013 को एससी–एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण पर वर्कशाप का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सेल के विभिन्न प्लांट व यूनिट से 40 प्रबंधकीय कर्मचारियों ने भाग लिया और इस आयोजन से आरक्षण नीति को लागू करने में फैले हुए भेद को दूर करने में मदद मिली।
- अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष डा. रामेश्वर ओरांव ने 9–11 सितंबर 2013 के बीच आरएसपी का दौरा किया और उन्होंने एसटी के संदर्भ में आरक्षण नीति के अमल की समीक्षा की। उन्होंने सेल व आरएसपी की तरफ से आसपास के एससी–एसटी बहुल गांवों के विकास में दिए गए योगदान की प्रशंसा की।

आरटीआई कानून, 2005 का अमल

आपकी कंपनी सूचना के अधिकार कानून, 2005 को सच्चे भाव से लागू करने में अग्रणी रही है। कंपनी ने आरटीआई कानून के सेक्शन 5 व सेक्शन 19 (1) के तहत सभी प्लांट और यूनिट में इनसे जुड़े मामलों के निपटान के लिए सार्वजनिक सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी, अपील प्राधिकारी, पारदर्शिता अधिकारी बहाल किया है।

इस कानून के तहत दी गई व्यवस्था को सेल के सभी प्लांट व यूनिट में अमल में लाया जा रहा है। वार्षिक रिपोर्ट समेत सभी संवैधानिक रिपोर्ट स्टील मंत्रालय भेजी जाती हैं और सेल की वेबसाइट पर भी डाली जाती है। मांगी गई जानकारी को सही समय पर उपलब्ध कराने के लिए पीआईओ को सूचना देने वाले डीम्ड पीआईओ को भी आवेदक को समय पर सूचना मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

सेल की वेबसाइट पर सेल के सभी प्लांट व यूनिट के 17 मैन्यूल्स और मनोनीत अधिकारियों की विस्तृत जानकारी आरटीआई कानून के तहत दी गई है। आपकी कंपनी ने जागरूकता को और बेहतर बनाने व जानकारी को बांटने के उद्देश्य से अलग से आरटीआई पोर्टल बनवाया है। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान आरटीआई कानून के तहत सूचना मांगने के लिए कुल 4940 आवेदन और 942 अपील प्राप्त हुए और इन सभी का तय समय सीमा में निस्तारण कर दिया गया। आरटीआई को लेकर जागरूकता फैलाने का काम भी पीआईओ व डीम्ड पीआईओ के माध्यम से साल भर जारी रखा गया।

वर्ष के दौरान जीते गए पुरस्कार

- आपकी कंपनी को लगातार 11वीं बार वर्ष 2012–13 के दौरान 'एक्सीलेंट' एमओयू रेटिंग मिला।
- प्लाट्स द्वारा दिए गए 2014 प्लाट्स ग्लोबल मेटल अवार्ड में सेल के अध्यक्ष को 'सीईओ ऑफ दि ईयर' से सम्मानित किया गया।
- वर्ष 2013 में घोषित किये गए 28 विश्वकर्मा पुरस्कारों में से 18 पुरस्कार सेल के कर्मचारियों को मिले। सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी कंपनियों में भी देखें तो यह ऐसी अकेली कंपनी है जिसे इतनी संख्या में विश्वकर्मा पुरस्कार मिले। इसे कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से देखें तो 76 फीसदी पुरस्कार प्राप्त करने वाले सेल से थे।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वर्ष 2013 में घोषित किये गए 16 श्रम पुरस्कारों में से 6 पुरस्कार सेल के कर्मचारियों ने जीते। यह भी किसी संगठन में सर्वाधिक संख्या थी। कर्मचारियों के हिसाब से देखें तो 50 फीसदी पुरस्कार प्राप्त करने वाले सेल से थे।
- अक्टूबर 2013, के दौरान ताइवान के ताइपे में आयोजित इंटरनेशनल क्वालिटी मीट के दौरान सेल के 29 कर्मचारियों की 5 क्वालिटी सर्कल टीम ने गोल्ड मेडल जीता।
- बीएसपी/सेल को 2011–12 के दौरान बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री की ट्राफी मिली। सेल को यह ट्राफी 11वीं बार मिली थी। (अभी तक 20 बार यह ट्राफी दी जा चुकी है)।

नई दिल्ली में सितंबर 2013 में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में कार्य–निष्पादन वर्ष 2011 के लिए दिए गये 118 पुरस्कारों में से 88 पुरस्कार सेल कर्मचारियों ने प्राप्त किये

सेल अध्यक्ष, श्री सी. एस. वर्मा भिलाई स्टील प्लांट स्थिति लांग रेल कम्पलेक्स में भिलाई के कर्मचारियों के साथ

- हिन्दीं भाषी वाले 'ए' क्षेत्र में राजभाषा के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए सेल को केन्द्रीय गृह मंत्रालय का इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड मिला। हिन्दी दिवस (14 सितंबर, 2013) को राष्ट्रपति के हाथों यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
- सेल को वर्ष 2012–13 के लिए 'स्कोप मेरीटोरियस अवार्ड फोर इन्वायरमेंटल एक्सीलेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट' के लिए गोल्ड ट्राफी मिली।
- सेल को बेहतरीन औद्योगिक संबंध के लिए मुंबई में 25 अक्टूबर, 2013 को इम्पलायर फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल अवार्ड 2013 प्रदान किया गया।
- नई दिल्ली में 24 सितंबर, 2013 को आयोजित चौथे सीआईआई नेशनल एचआर एक्सीलेंस अवार्ड 2013 के दौरान सेल को 'कमेंडेशन सर्टिफिकेट फोर स्ट्रांग कमिटमेंट टू एचआर एक्सीलेंस' पुरस्कार मिला।
- बीएसपी में पिछले दो वर्षों के दौरान ऊर्जा के दक्ष उपयोग और ऊर्जा के संरक्षण के लिए 'नेशनल इनर्जी कंजनवेशन अवार्ड्स 2013' राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के हाथों 16 दिसंबर 2013 को मिला।
- सेल की अध्यक्षता में टाउन आफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमिटी (एनएआरएकेएएस), पीएसयू–दिल्ली ने उत्तरी क्षेत्र में राजभाषा को बेहतरीन ढंग से लागू करने के लिए आपकी कंपनी को प्रथम पुरस्कार मिला। 31 मार्च, 2014 को चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पंजाब के राज्य पाल श्री शिवराज पाटिल के हाथों यह पुरस्कार मिला।
- सेल में राजभाषा के इस्तेमाल के लिए लखनऊ में 24 फरवरी, 2014 को इस्पात मंत्री के हाथों इस्पात राजभाषा शील्डा (प्रथम पुरस्कार) मिला।
- सेल में राजभाषा के शानदार उपयोग के लिए नराकास राजभाषा शील्ड (द्वितीय पुरस्कार) भारत सरकार के राजभाषा सचिव के हाथों 21 फरवरी, 2014 को मिला।
- टाउन आफिशियल कमिटी, दिल्लीर द्वारा 29 जुलाई, 2013 को सेल की हिन्दी गृह पत्रिका इस्पात भाषा भारती वर्ष 2012–13 के दौरान सभी सरकारी कंपनियों में बेहतरीन पत्रिका चुनी गई।
- नई दिल्ली में 19 दिसंबर, 2013 को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के हाथों सेल को सार्वजनिक उपक्रमों के सीएसआर के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए इंडिया प्राइड अवार्ड 2013–14 मिला।
- एशियन सेंटर फोर कारपोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनिबिलिटी द्वारा 'कंपनी विद बेस्ट सीएसआर एंड सस्टेनिबिलिटी प्रैक्टिस अवार्ड– 2013' प्रदान किया गया।
- सेल ने महारत्न एवं नवरत्न पुरस्कार श्रेणी में कारपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी और सस्टेनिबिलिटी के लिए 'आईसीसी पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड 2013'जीता। यह पुरस्कर प्रधानमंत्री के सचिव एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सचिव द्वारा नई दिल्ली में 16 दिसंबर, 2013 को प्रदान किया गया।
- सेल अध्यक्ष को केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा 12 नवंबर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित स्काच समिट के दौरान 'स्काच कारपोरेट लीडरशिप ट्राफी' प्रदान किया गया।
- सेल को नई दिल्ली में 11 नवंबर, 2013 को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तीन श्रेणियों (एचआरडी, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट और सस्टेनिबिलिटी डेवलपमेंट) में 'स्काच आर्डर आफ मेरिट अवार्ड' मिला।
- गवर्नेंस नाउ पीएसयू अवार्ड–2013 के दौरान सेल अध्यक्ष को भारतीय अर्थव्यवस्था पर छाप छोड़ने के लिए ज्यूरी अवार्ड केन्द्रीय भारी उद्यम मंत्री श्री प्रफुल्ल पटेल के हाथों 24 जुलाई, 2013 को मिला।
- सेल को शिक्षा के क्षेत्र में 23 जुलाई 2013 को 'स्पेशल स्कूल्स फोर दि अंडर प्रीविलेज्ड' परियोजना चलाने के लिए 'ई इंडिया पीएस अवार्ड–2013' मिला।
- जून 2013 में वर्ल्ड सीएसआर डे द्वारा सीएसआर लीडरशिप अवार्ड श्रेणी में 'रिस्पांसिबल बिजनेस अवार्ड 2013' मिला।
- सेल के अध्यक्ष को बीटी स्टार पीएसयू एक्सीलेंस अवार्ड्स 2013 के दौरान महारत्न श्रेणी में स्टार पीएसयू सीएमडी ऑफ दि इयर अवार्ड्स से नवाजा गया।
- बैंगलोर में 18 अप्रैल, 2013 को 'सेल को रेंडस्टेड अवार्ड 2013' प्रदान किया गया।
- गृह मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ में 5 जून, 2013 को आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा के बेहतरीन उपयोग के लिए सेल को दो पुरस्कार मिले।

भिलाई स्टील प्लांट

- इंसान अवार्ड– 'एक्सीलेंस इन सजेशन स्कीम' में 2013 के लिए प्रथम पुरस्कार (थीम : इंस्टीच्यूशनलाइजिंग इनोवेशन)।
- वर्ष 2013 के दौरान भारत में बिजनेस एक्सीलेंस को बढावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बीएसपी, सेल को कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिला। सीआईआई के 21वें नेशनल क्वालिटी समिट के दौरान यह पुरस्कार मिला, जिसका आयोजन 8 नवंबर, 2013 को बेंगलुरू में हुआ था।
- मिनरल कंजर्वेशन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए बीएसपी के नंदिनी खदान को 5 पुरस्कार मिले।
- ग्रीनटेक फाउंडेशन की तरफ से वर्ष 2013–14 के लिए ग्रीनटेक इन्वायरनमेंट अवार्ड (गोल्ड)।
- भिलाई/दुर्ग टीओएलआईसी को 2012–13 के दौरान राजभाषा के शानदार ढंग से उपयोग के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार राजभाषा विभाग, केन्द्रीय क्षेत्र द्वारा प्रदान किया गया था।
- इंस्टीच्यूट आफ डाइरेक्टर्स– नई दिल्ली द्वारा 2012–13 के दौरान सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव लेने के लिए गोल्डन पीकाक सस्टेनेबिलिटी अवार्ड।
- इंडियन इंस्टीच्यूट आफ मेटल्स, कोलकाता द्वारा 2012–13 के लिए 'आईआईएम **बोकरो स्टील प्लांट** नेशनल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड'।
- सीआईआई–एक्जिम बैंक द्वारा बीएसएल को एक्सेल में स्ट्रांग कमिटमेंट के लिए पुरस्कार।
- सीआईआई के पूर्वी क्षेत्र द्वारा समूह सी में सीआईआई (ईआर) प्रोडक्टिविटी अवार्ड 2013–14.
- भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा पूर्वी क्षेत्र के डी श्रेणी के राज्यों में राजभाषा उपयोग के लिए मार्च, 2014 में दूसरा पुरस्कार।
- ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा 2012–13 के लिए ग्रीनटेक इन्वायरमेंट अवार्ड (गोल्ड) एवं ग्रीनटेक सीएसआर अवार्ड (सिल्वर)।

दुर्गापुर स्टील प्लांट

- सीआईआई–एक्जिम बैंक द्वारा एक्सेल में स्ट्रांग कमिटमेंट के लिए पुरस्कार।
- सीआईआई के पूर्वी क्षेत्र द्वारा ऊर्जा संरक्षण में सर्टिफिकेट आफ मेरिट।
- ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा 2012–13 के लिए ग्रीनटेक इन्वायरमेंट अवार्ड (गोल्ड) एवं ग्रीनटेक सीएसआर अवार्ड (सिल्वर)।
- ग्रीनटेक फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा 2012–13 के लिए ग्रीनटेक सेफ्टी अवार्ड (सिल्वर)।
- सृष्टि पब्लिकेशन, नई दिल्ली द्वारा 2012–13 के लिए पर्यावरण के लिए सृष्टि गुड ग्रीन गवर्नेंस अवार्ड 2012 (रनर अप)।
- नई दिल्ली में 26 अप्रैल को आयोजित एक कार्यक्रम में राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड, 2011 में बड़े स्तर पर निर्माण– धात्विक श्रेणी में 'कमेंडेशन सर्टिफिकेट'।
- ग्रीनटेक के तीसरे एचआर अवार्ड उत्सव, गोवा में प्रशिक्षण के लिए ग्रीनटेक एचआर अवार्ड 2013 (सिल्वर)।

राउरकेला स्टील प्लांट

- मुबई के 14 फरवरी को आयोजित वर्ल्ड सीएसआर कांग्रेस और वर्ल्ड सीएसआर दिवस के ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस एवं लीडरशिप अवार्ड प्रदान करने के अवसर पर आरएसपी को तीन श्रेणियों यथा बेस्ट सीएसआर प्रेक्टिसेज, वूमैन्स इंपावरमेंट और सपोर्ट एंड इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी आफ एजुकेशन में पुरस्कार।
- सीआईआई आईटीसी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2013 के दौरान आरएसपी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सर्टिफिकेट आफ कमेंडेशन मिला।
- ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा चंडीगढ़ में 29–30 जनवरी 2014 को 2012–13 के लिए ग्रीनटेक इन्वायरनमेंट अवार्ड (गोल्ड)।

सेल की राजभाषा पत्रिका ''इस्पात भाषा भारती'' को ''टॉलिक'' के एक समारोह में राजभाषा शील्ड दी गयी। इस अवसर पर सेल अध्यक्ष, सी. एस. वर्मा और राजभाषा सचिव (भारत सरकार), सुश्री नीता चौधरी ने वरिष्ठ हिन्दी लेखक एवं आलोचक, प्रो. केदारनाथ सिंह को ''नराकास'' साहित्य सम्मान से सम्मानित किया

सेल अध्यक्ष, श्री सी. एस वर्मा, निदेशक (तकनिकी), श्री एस. एस. मोहन्ती, निदेशक (परियोजनाएं एवं व्यापार योजना), श्री टी. एस. सुरेश एवं राउरकेला स्टील प्लांट के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोक ओवंस बैटरी 6 कम्लैक्स से उत्पादन की शुरुआत देखते हुए

- गोल्डन पीकाक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2012।
- सीआईआई–एक्जिम बैंक द्वारा 2012–13 के दौरान एक्सीलेंस में स्ट्रांग कमिटमेंट के लिए नवंबर, 2013 में पुरस्कार।
- टेल्फोज, टाइम्स आफ इंडिया और थिंक फाउंडेशन द्वारा अगस्त 2013 में सीएसआर लीडरशिप अवार्ड।
- इंसान द्वारा जून, 2013 में कर्मचारियों की सहभागिता के लिए चौम्पियन्स अवार्ड।
- जून 2013 में सृष्टि गुड ग्रीन गवर्नेंस अवार्ड 2011, यह पुरस्कार चौथी बार मिला।
- कोल, कोक और केमिकल जोन एवं ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग ग्रेनुलेशन प्लांट, सिंटर प्लांट और रॉ मैटेरियल विभाग जैसे क्षेत्र में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होने के कारण इस्पात सुरक्षा पुरस्कार–2010। यह पुरस्कार इस्पात मंत्रालय द्वारा जून 2013 में दिया गया।

कच्चे माल का प्रभाग

- ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा चंडीगढ़ में 29–30 जनवरी 2014 को 2012–13 के लिए आरएमडी को ग्रीनटेक सीएसआर अवार्ड (गोल्ड)।
- ताइपे, ताइवान में अक्टूबर 2013 में आयोजित कार्यक्रम में बोलानी ओर्स माइन्स को क्वालिटी सर्किल अवार्ड। यह पुरस्कार बोलानी ओर्स माइन्स के कन्वेयर एनसी2 पर ओवरलोडिंग संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए इनोवेशनल प्रयास के लिए दिया गया।
- माइन्स इन्वायरनमेंट एंड मिनरल कंजर्वेशन वीक 2013–14 के दौरान बर्सुआ आयरन माइन्स को मेकेनाइज्ड बेनिफिकेशन इक्विपमेंट के उपयोग के लिए दूसरा पुरस्कार और प्रचार के लिए तीसरा पुरस्कार मिला।

अलाय स्टील प्लांट

- ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा चंडीगढ़ में 29–30 जनवरी 2014 को 2012–13 के लिए एएसपी को ग्रीनटेक इन्वायरमेंट अवार्ड (सिल्वर)।

सेलम स्टील प्लांट

- तमिलनाडु सरकार के सुरक्षा, स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा घोषित राज्य श्रम पुरस्कार में से सेलम स्टील प्लांट के 26 कर्मचारियों को चुना गया। एसएसपी को 3 सुरक्षा संबंधी पुरस्कार भी मिले।
- इंडियन इंस्टीच्यूट आफ मेटल, कोलकाता द्वारा सेकेंडरी स्टील प्लांट/अलाय स्टील प्लांट श्रेणी में एसएसपी को वर्ष 2012–13 के लिए नेशनल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड (दूसरा पुरस्कार) के लिए चुना गया। जब से यह पुरस्कार शुरू हुआ है, तब से 17वीं बार और लगातार दसवीं बार यह पुरस्कार एसएसपी को मिला।

सेल रिफैक्ट्री यूनिट

- पूर्वी क्षेत्र में राजभाषा के उपयोग में दूसरा पुरस्कार।

निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और समावेशी विकास

महारत्न कंपनी सेल ने समन्वित विकास के लिए सामाजिक वातावरण के साथ एक संतुलित तरीका अपनाया हुआ है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2013–14 के दौरान समाज के दबे–कुचलों को सहायता पहुंचाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन यापन के लिए रोजगार के साधन आदि क्षेत्र में सीएसआर से संबंधित परियोजनाओं का संचालन किया।

सेल के प्लांटों/इकाइयों के आस–पास रहने वाले जरूरतमंद लोगों को 57 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 21 अस्पतालों, 7 जच्चा–बच्चा केन्द्रों और 7 सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के जरिये विशेषज्ञ और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं या तो पूरी तरह निःशुल्क या फिर बेहद मामूली कीमत पर उपलब्ध करायी जा रही है। सेल द्वारा उपलब्ध करायी जा रही इन सुविधाओं से अभी तक 38.61 मिलियन लोग लाभान्वित हो चुके हैं।

कंपनी के प्लांटों के आस–पास 7 स्वास्थ्य केन्द्रों (कल्याण चिकित्सालयों) की स्थापना की गई है जहां खास तौर पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को ओपीडी सुविधा तथा दवाईयां मिलती हैं। 2013–14 के दौरान कल्याण चिकित्सालयों में 90,000 लोगों से भी ज्यादा का उपचार किया गया।

प्लांट/इकाइयों के आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को सेल बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नियमित रूप से उपलब्ध कराने के लिए सेल काम कर रही हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान करीब 3,000 मेडिकल कैम्प लगाये गए, जिनमें दो लाख से भी ज्यादा लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गई।

ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में साफ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए 7625 से भी ज्यादा चापाकल स्थापित किए गए। सेल के इस प्रयासों से 42.70 लाख लोगों को वैसे इलाकों में पेय जल की सुविधा मिल पाई जहां पेय जल की भीषण कमी है।

आसपास के गांवों में साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए आरएसपी ने पास के 5 गावों– चुतियाटोला, डुमेरजोर, उशरा कालोनी, बानिगुनी

और जगदीशपुर में 'समन्वित जल एवं स्वच्छता सुविधाएं' उपलब्ध कराने के लिए एक परियोजना चलाई गई जिससे 621 परिवार लाभान्वित हुए।

आपकी कंपनी यह मानती है कि समाज के विकास में सिर्फ सजग और जानकार नागरिक ही सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। कंपनी अपने स्टील टाउनशिप में 129 विद्यालय चलाती है जिसका मालिकाना हक भी कंपनी के पास ही है। इन स्कूलों में आधुनिक ढंग से शिक्षा दी जाती है जहां 59,000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा 629 से भी ज्यादा स्कूलों को सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है, जहां 92,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। सात विशेष विद्यालय (कल्याण विद्यालय) भी चलाये जा रहे हैं जहां खास तौर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, जूते के साथ वर्दी, पुस्तकें, स्टेशनरी, स्कूल बैग, पानी के लिए बोतल और घर से स्कूल आने–जाने के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इस सुविधा से करीब 1600 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। स्नातक कक्षा से नीचे पढ़ने वाले तथा परास्नातक इंजीनियरिंग कक्षा में पढ़ने वाले जरूरतमंद विद्यार्थियों को वजीफा भी दिया जाता है। माओ प्रभाव क्षेत्र वाले इलाकों में रहने वाले जनजातीय बच्चों, विलुप्त। प्रायः बिरहोर जनजाति के बच्चों को गोद लेकर उनकी शिक्षा–दीक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण और नर्सिंग प्रशिक्षण दिलवाने का भी प्रबंध किया जाता है। गरीबों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति आदि की स्थिति सुधारने के लिए किरिबुरू में एक सारंदा सुवन छात्रावास बनाया गया है जहां आवासीय सुविधा के तहत माओवादी प्रभाव वाले इलाकों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है।

सेल अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ मिल कर भिलाई और राउरकेला के आसपास के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करती है। इस योजना के तहत हर रोज करीब 550 सरकारी स्कूलों के 73,000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों को स्वास्थ्यवर्द्धक और पोषक तत्वों से भरपूर खाना उपलब्ध कराया जा रहा है।

सेल ने 435 गावों में नई सड़कें/पहुंच पथ के निर्माण के साथ–साथ ग्रामीण इलाकों की टूट चुकी सड़कों के मरम्मत के लिए भी प्रयासरत है। इससे इन गांवों में हर मौसम में कनेक्टिविटी मिल रही है। इससे इन गांवों के 77.04 लाख लोगों को फायदा पहुंच रहा है।

ग्रामीण एवं शहरी इलाकों की खाई को पाटने के लिए सेल देश भर के 79 गावों में सामाजिक एवं भौतिक ढांचागत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है ताकि ये गांव मॉडल स्टील गांव के रूप में विकसित हो सकें। ये 79 गांव देश के आठ राज्यों में फैले हैं।

देश के विभिन्न हिस्सों में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सेल गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को सौर लालटेन और धुंआ रहित चुल्हा वितरित कर रही है। चुनिंदा गावों में कंपनी ने सौर ऊर्जा पर आधारित स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था की है।

दूर दराज के जंगली इलाकों में रहने वाले लोगों को बुनियादी ढांचागत सुविधाएं यथा–स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और अन्य जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। सेल की एक खदान सारंदा के घनघोर जंगलों में है। वहां आसपास रह रहे लोगों की कठित जिंदगी को देखते हुए सेल ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिल कर विकास की एक योजना बनाई है ताकि उस इलाके में भी विकास की किरण दिखाई दे।

सारंदा विकास योजना के तहत सेल ने इस इलाके में रहने वाले ग्रामीणों के बीच साईकिल, ट्रांजिस्टर, सौर लालटेन का वितरण किया है। सारंदा जंगल झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है जहां सेल ने एक अस्पताल, आंगनवाड़ी केन्द्र, बैंक, जंगल एवं कृषि विभाग के दफ्तर आदि खुलवाने में मदद की। सारंदा जंगल के दीघा गांव में एक समन्वित विकास केन्द्रे (आईडीसी) की भी स्थापना की गई है। वहां राशन की दुकान, सामुदायिक केन्द्र, असैनिक कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा तथा एक सामुदायिक रसोई का भी इंतजाम किया गया है।

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में सेल ने उत्तराखंड में पिछले साल आई भीषण त्रासदी के बाद प्रभावित लोगों के लिए 1 करोड़ रुपये की सहायता दी है। इसी तरह उड़ीसा में आए फायलिन तूफान के प्रभावितों के लिए भी 20 करोड़ रुपये दिए गए।

खेतीबारी के उन्नत तरीकों की जानकारी देने, मशरूम की खेती, बकरी पालन, मुर्गीपालन, मछली पालन, सूअर पालन, अंचार/पापड़/अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण, वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण, सिलाई–कढ़ाई का प्रशिक्षण, धूम्र रहित चूल्हा बनाने का प्रशिक्षण आदि के लिए सेल व्यवस्था करती है ताकि लोग सम्मानपूर्वक ढंग से जीवन बिता सकें। कंपनी ने ग्रामीण एवं बेरोजगार युवकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भिलाई में भिलाई इस्पात कौशल कुटीर और स्वयंसिद्धा जबकि दुर्गापुर में कौशल विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण

रॉ मैटिरियलस डिविजन की ओडिशा में स्थित बोलानी और माइन्स में उत्पादन बढ़ाने के लिए कुशल जनशक्ति एवं उच्चतर क्षमता युक्त एचईएमएम

सारण्डा सुवन छात्रावास–गरीब व निचले तबके के आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा एवं छात्रावास प्रदान करने के लिए सेल के रॉ मैटेरियलस डिविजन की एक सीएसआर पहल

संस्थावन (एसडीएसईटीआई), सेलम में परिधान तकनीकीविद प्रशिक्षण, बोकारो में झारक्राफ्ट केन्द्र और किरिबुरू में स्वरोजगार केन्द्र किरण की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों से आम आदमी को वित्तीय समावेशन/स्वयं सहायता समूह/व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता दी जाती है ताकि वे सशक्त हो कर मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन के अलावा सेल ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए अन्यन आईटीआई/आईटीसी/वीटीआई, आरएसपी, आईएसपी और आरएमडी को भी सहयोग देती है। वाम चरमपंथी प्रभाव क्षेत्र के युवकों के पुनर्वास/रक्षण के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रम के तहत बरगांव आईटीसी और राउरकेला आईटीसी में 700 से भी अधिक युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

स्थानीय कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव और ग्रामीण लोकोत्सव का हर वर्ष आयोजन किया जाता है। स्थानीय खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सेल द्वारा विभिन्न स्थानों पर साल भर ग्रामीण लोकोत्सव और ग्रामीण एथलेटिक्स प्रतिस्पिर्धा का भी आयोजन किया जाता है।

राष्ट्र निर्माण में एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में किये गए सेल के प्रयासों की सराहना विभिन्न मंचों से होती रही है। इसके लिए कंपनी को कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं।

सिटीजन चार्टर

सेल के सिटीजन चार्टर से कंपनी के हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता की झलक मिलती है। किस–किस तरह से कंपनी बेहतर उत्पादन एवं सेवाओं के जरिये उसे सशक्त बनाने में मदद कर रही है। सेल के सिटीजन चार्टर को मुख्यतः चार उद्देश्यों में विभक्त किया जा सकता है जो कि निम्नलिखित हैं–

- उत्पादन एवं सेवाओं में सुधार के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिद्धांत अपनाकर यह सुनिश्चित करना कि हर कार्य नागरिक को केन्द्र में रख कर हो।
- नागरिकों के संचार का प्रभावी तरीका सुनिश्चित करना।
- कारपोरेट वेबसाइट पर सिटीजन चार्टर की उपस्थिति के साथ ही कामकाज के दौरान पारदर्शिता और खुलेपन को प्रदर्शित करना।
- नागरिकों की खुशी के लिए विफल नहीं होने वाले तरीके से कार्य करना और अत्यावश्यक होने पर सर्विस रिकवरी प्रक्रिया, जैसे मसलों का समाधान, शिकायतों का निपटारा आदि पर अमल।

आपकी कंपनी का प्रबंधन सुशासन के जरिये लोक सेवा संपादन में उत्कर्षता के प्रति समर्पित है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम पहचान का तरीका निर्धारित करें, उनकी अपेक्षा पर खरे उतरें और उनसे संवाद कायम रखें। यही हमारी मुख्य नीति है ताकि सेवा प्रदान करने से प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी हो।

कंपनी की रणनीतिक पहल

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान आपकी कंपनी ने नए कारोबारी पहल करने पर जोर दिया जिनमें विलय और अधिग्रहण, नामी कंपनियों के साथ नई रणनीतिक साझीदारी बनाना और साथ ही दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में विविधिकरण करना शामिल है। आपकी कंपनी ने रणनीतिक संबंध बनाने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय तकनीक उपलब्ध कराने वाली कंपनियों से संपर्क स्थापित किया है जो अल्टरनेटिव आयरन एंड स्टील तकनीक के साथ–साथ सोफिस्टिकेटेड स्पेहयर्स और असेंबलिंग तकनीक से संबंधित है। संसाधनों के अधिकतम उपयोग के साथ ही कंपनी अधिकतम लाभ के लिए सरकारी/निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम बनाने की राह पर लगातार चल रही है।

आपकी कंपनी द्वारा लिए गए रणनीतिक निर्णयों में शामिल हैं–

विलय एवं अधिग्रहण (एम एंड ए):

आपकी कंपनी ने भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष जाजपुर, उड़ीसा के नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएमएल) में बहुमत की अंशधारिता हासिल करने के लिए बातचीत शुरू की है। सेल ने अपनी योजना में खुलासा किया है कि वह एनआईएनएल को प्रति वर्ष 5 मिलियन टन स्टील बनाने वाली कंपनी के रूप में विकसित करना चाहती है। इस कंपनी की वर्तमान उत्पादन क्षमता 0.9 मिलियन टन प्रति वर्ष है।

संयुक्त उपक्रम / सहमति ज्ञापन (एमओयू)

1. अफगानिस्तान में हाजीगाक लौह अयस्क भंडार का विकासः सेल की अगुवाई वाले कंसोर्टियम एएफआईएससीओ (अफगान आयरन एंड स्टील कंसोर्टियम), जिसमें सेल, एनएमडीसी, आरआईएनएल, जेएसडब्ल्यू लेख लिमिटेड, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू आय इस्पात लिमिटेड और मोनेट इस्पात एंड इनर्जी लिमिटेड शामिल है को हाजीगाक लौह अयस्क खदान के बी, सी और डी ब्लॉक के लिए 'प्रीफर्ड बिडर' के रूप में चुना गया है। उस खदान में उच्च गुणवत्ता वाले मेगनेटाइट लौह अयस्क (62–64 फीसदी लोहे का अंश) का 1.28 अरब टन का भंडार है। यह कंसोर्टियम अफगानिस्तान सरकार के खनिज एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है।

2. लोहा एवं इस्पात के निर्माण में वैकल्पिक तकनीक आपकी कंपनी जापान की कोबे स्टील के साथ मिल कर एएसपी, दुर्गापुर में आईटीएमके[3] तकनीक पर आधारित 0.5 एमटीपीए आयरन नगेट प्लांट लगाने के लिए संभावना तलाश रही है। इसके लिए एक संयुक्त उद्यम 'सेल–कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' का गठन हुआ है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

3. सेल एससीएल केरल लिमिटेड (एसएसकेएल), कोझिकोड को फिर से शुरू करने का प्रयासः बीआईएफआर के पास पंजीकृत इस कंपनी को सेल ने 2010 में अपने अधिकार में ले लिया है और इसे एक संयुक्त उपक्रम कंपनी में बदल दिया गया है। अब इसका नाम 'सेल–एससीएल केरल लिमिटेड' हो गया है जिसमें सेल और केरल सरकार की हिस्सेदारी है। संयुक्त उपक्रम कंपनी ने वहां 65000 टीपीए टीएमटी रोलिंग मिल लगाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं।

4. रेल मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम बर्न स्टेंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) के साथ एक संयुक्त उपक्रम समझौते पर हस्ताक्षर कर बीएसीएल के पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर जिले के जेलिंघाम में स्थित बीएससीएल के परिसर में एक माल डिब्बा के कलपुर्जे बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उपक्रम समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। नए उपक्रम का नाम 'सेल बंगाल अलाय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड' है जिसका गठन 12 फरवरी 2013 को हो गया है। उस कारखाने में एक साल में 10,000 बोगी और कपलर बनाये जाएंगे। इस समय कारखाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने का काम चल रहा है।

5. सेल ने राइट्स के साथ एक संयुक्त उपक्रम बनाया है जिसका नाम सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड (एसआरबीडब्ल्यू आईपीएल) है। कंपनी पश्चिम बंगाल के कुल्टी में हर साल मालगाड़ी के 1200 डिब्बे बनाएगी जबकि वहां साल में 300 माल डिब्बों का कायाकल्प होगा। इसके लिए परियोजना संबंधी कार्य चल रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक इस संयुक्त उद्यम में काम शुरू हो जाएगा।

6. आपकी कंपनी ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ ओडिशा लिमिटेड (आईडीसीओएल) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर उसकी अनुषंगी कंपनियों आईएफसीएल (आईडीसीओएल फेरो क्रोम अलाय लिमिटेड) और आईकेआईडब्ल्यूएल (आईडीसीओएल कलिंगा आयरन वर्क्स लिमिटेड) के अधिग्रहण या इसके साथ संयुक्त उपक्रम बनाने की संभावना तलाशनी शुरू कर दी है। आईकेआईडब्ल्यूएल में 100 फीसदी अंश के अधिग्रहण और आईएफसीएल में 51 फीसदी के लिए 30 अगस्त, 2013 को वित्तीय बोली जमा की जा चुकी है। इस समय ओडिशा सरकार के इंटर डिपार्टमेंटल कोर ग्रुप (आईडीसीजी) के साथ बातचीत चल रही है।

बिजनेस एक्सीलेंस के लिए पहल

इंटरप्राइज स्कोर कार्ड (ईएससी)

सेल का तीसरा इंटरप्राइज स्कोर कार्ड (ईएससी) वित्त वर्ष 2013–14 के लिए तैयार किया गया जिसमें 75 रणनीतिक उद्देश्य थे, जिनमें 17 वित्तीय, 9 ग्राहक से संबंधित, 29 इंटरनल बिजनेस प्रोसेस और 20 आर्गनाइजेशनल कैपेबिलिटी के थे। इंटरप्राइज स्कोर कार्ड से न सिर्फ भारत सरकार के साथ किये गए सहमति ज्ञापन (एमओयू) की वार्षिक कारोबारी योजना (एबीपी) के साथ समन्वय होता है बल्कि रणनीतिक उद्येश्यों और महत्वपूर्ण पहल के जरिये विभिन्न अग्रगामी के बीच कार्य का संपादन भी होता है। इंटरप्राइज स्कोर कार्ड को निचले स्तर पर यूनिट स्कोर कार्ड, फंक्शनल स्कोर कार्ड और डिपार्टमेंट स्कोर कार्ड के जरिये लागू किया जाता है ताकि दीर्घकालिक एवं लघु अवधि के मसलों का समाधान हो सके। वर्ष 2014–15 के लिए इंटरप्राइज स्कोर कार्ड पूरा किया जा चुका है।

एक्सीलेंस मॉडल

आपकी कंपनी ने गुणवत्ता प्रबंधन का यूरोपीय मॉडल (ईएफक्यूएम) अपनाया हुआ है जो कि भारत में सीआईआई–एक्जिम बैंक अवार्ड फोर एक्सीलेंस के जरिये लागू हो हुआ है। सेल के चार प्लांट यथाः बीएसपी, डीएसपी, बीएसएल और आरएसपी ने सीआईआई–एक्जिम बैंक अवार्ड फोर बिजनेस एक्सीफलेंस 2013 में भाग लिया। इन प्लांटों को निम्नलिखित पुरस्कार मिलेः–

बीएसपी– कमेंडेशन अवार्ड फोर स्ट्रांग अचीवमेंट।

डीएसपी– कमेंडेशन अवार्ड फोर स्ट्रांग कमिटमेंट टू एक्सेल।

आरएसपी– कमेंडेशन अवार्ड फोर स्ट्रांग कमिटमेंट टू एक्सेल।

बीएसएल– कमेंडेशन अवार्ड फोर स्ट्रांग कमिटमेंट टू एक्सेल।

आपकी कंपनी को सीआईआई का विशेष पुरस्कार 'सिगनिफिकेंट रोल प्लेड इन प्रोमोटिंग बिजनेस एक्सीलेंस इन इंडिया' भी मिल चुका है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय गुणवत्ता शिखर सम्मेलन के दौरान मिला था जिसका आयोजन सीआईआई ने किया था।

संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम)

हमारे अधिकतर प्लांट और यूनिट आईएसओ 9000, आईएसओ 14000, ओएचएसएएस 18000 और एसए 8000 प्रबंधन मानक पर प्रमाणित हैं। यह प्लांटों में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने में भी सहायक है।

आईटी से संबंधित पहल

आपकी कंपनी ने उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तथा परिचालन लागत में कमी लाने के लिए सभी प्लांटों एवं यूनिटों में सूचना तकनीक (आईटी) से संबंधित सेवाओं की व्यवस्था की है। इससे आंतरिक स्तर पर भी कामकाज में बेहतरी होती है जबकि बाह्य स्तर पर ग्राहकों की संतुष्टि में बढ़ोतरी होती है।

इसकी तरफ एक कदम बढ़ते हुए चार समन्वित स्टील प्लांटों यथा– भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला में इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। पांचवें समन्वित स्टील प्लांट, इस्को में भी ईआरपी लागू करने के लिए काम शुरू हो गया है। केन्द्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) में 100 प्रतिशत ईआरपी का कवरेज प्राथमिक घरेलू बिक्री के क्षेत्र में 2013 में ही हो गया था।

मैन्यूफैक्चरिंग एक्जीक्यूशन सिस्टम (एमईएस) तकनीक को भिलाई स्टील प्लांट में लागू किया गया है, साथ ही विपणन नेटवर्क में भी इसे लागू किया गया है जिससे ग्राहकों को गुणवत्ता, आकार और मात्रा के हिसाब से अधिकतम आर्डर प्लेस करने में मदद मिलती है।

आनलाइन पेमेंट प्राप्ति करने के लिए इलेक्ट्रानिक सुविधा शुरू कर दी गई है। सेल के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों से मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम अब इसी तरीके से लिया जा रहा है। इसका दायरा अन्य प्राप्ति की ओर भी बढ़ाया जा रहा है।

सेल के कारपोरेट पोर्टल के जरिये सभी बाहरी वेंडरों / सप्लायरों को किये जाने वाले पेमेंट का स्टेटस देखा जा सकता है।

आंकड़ों एवं सूचनाओं की सुरक्षा के लिए सेल के सभी प्लांटों / यूनिटों और दुर्गापुर स्टील प्लांट ने आईएसओ 27001 : 2005 इंफोर्मेशन सेक्युरिटी मैनेजमेंट

रॉ मैटेरियलस डिविजन के पूर्णापानी लाइमस्टोन एवं डॉलोमाइट माइन्स में पर्यावरण पुनः बहाली किया गया

सिस्टम (आईएसएमएस) प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

पर्यावरण प्रबंधन

आपकी कंपनी ने पर्यावरण से संबंधित सभी नियम–कानूनों को मानने की जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। इसके लिए आपकी कंपनी ने सभी प्लांटों/यूनिटों में अलग से पर्यावरण विभाग की स्थापना की है। निगम स्तर पर एक पर्यावरण प्रबंध विभाग भी है।

कंपनी वनों से संबंधित कानूनों के तहत चरण 1 एवं 2 की सभी शर्तों को पूरा करती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा निर्देशित नियमों का भी पालन किया जाता है।

कंपनी की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी के अलावा इसकी चल रही आधुनिकीकरण एवं विस्तार की नीति के तहत वैसी तकनीक पर ध्यान दिया जा रहा है जो कि ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण अनुकूल हो और जिसमें प्रदूषण नियंत्रण की आधुनिक तकनीक हो। कंपनी की इस समय चल रही आधुनिकीकरण एवं विस्तार की परियोजनाओं के तहत करीब 72,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है जिनमें करीब 5,000 करोड़ रुपये प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर खर्च होंगे। एमडीएंडए रिपोर्ट में दर्ज पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न उपायों का कंपनी पूर्णतः पालन करती है।

निगम संचार

वर्ष 2013–14 के लिए निगम संचार के पहल आपकी कंपनी के उद्येश्य के अनुरूप ही हैं। ब्रांड सेल के इमेज को मजबूत करने और विभिन्ने हितधारकों के बीच छवि को चमकाने के लिए कई नए कार्यकलाप शुरू किये गए हैं।

आपकी कंपनी की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए लक्षित मीडिया वर्ग से संबंध निरंतर मजबूत किया जाता है और उन्हें जानकारी देने के लिए समय–समय पर प्रेस रीलीज, संवाददाता सम्मेलन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के साथ वन टू वन इंटरएक्शन आदि का इंतजाम किया जाता है। वर्ष के दौरान कंपनी की उपलब्धियों, विस्तार कार्यक्रमों, आधुनिकीकरण, उत्पादन और बिक्री के उच्च कीर्तिमान, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का विकास, ग्राहकों की संतुष्टि आदि के बारे में मीडिया में कवरेज आते ही रहते हैं जिससे आपकी कंपनी की छवि निखरती है।

आपकी कंपनी हमारे प्लांटों/यूनिटों में काम करने वाले कर्मचारियों से भी बातचीत पर ध्यान देती है ताकि एक टिकाउ संगठन की अवधारणा पुष्ट हो। कर्मचारियों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने, उन तक प्रबंधन का संदेश पहुंचाने के लिए इन–हाउस टेलीविजन नेटवर्क, वीडियो कांफ्रेंसिंग, आमने–सामने का संवाद आदि का सहारा लिया जाता है। सभी कर्मचारियों के बीच कंपनी के प्रति गौरव का अहसास कराने के लिए एक नया प्रयास –माई सेल माई प्राइड– शुरू किया गया है।

आपकी कंपनी की विज्ञापन की रणनीति में वर्तमान और भविष्य के ग्राहकों को लक्ष्य कर योजना बनाई जाती है। इस तरह से विज्ञापनों और कमर्शियल का निर्माण किया जाता है कि इससे आपकी कंपनी की छवि निखरे।

आपकी कंपनी की छवि को निखारने की रणनीति के तहत इस वर्ष आपकी कंपनी द्वारा कई कार्यक्रमों के स्पांसरशिप की योजना को अमलीजामा पहनाया गया। भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिल कर सेल–एसबीआई ओपन 2014 का आयोजन किया गया जो कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अतुल्य भारत की प्रस्तुती थी। सेल ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के सहारे सेल ब्रांड को मजबूत करने में मदद मिली जो कि इंडियन ओपन के बाद दूसरा बड़ा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप बन कर उभरा। हमारे कारखानों के आसपास फुटबाल का खेल बड़ा ही लोकप्रिय है। हमने बाइचुंग भुटिया फुटबाल स्कूल के सहयोग से आपकी कंपनी के खिलाड़ियों के साथ–साथ कोच को भी प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है।

सतर्कता गतिविधियां

सेल का सतर्कता विभाग का जोर प्रीवेंटिव और प्रोएक्टिव सतर्कता गतिविधियों पर केन्द्रित है जिससे ऐसा वातावरण तैयार हो कि कर्मचारी पारदर्शी तरीके से काम कर सके और संस्थान में उच्च नैतिक मानक बने।

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां चलायी गईं :

- कर्मचारियों के बीच सतर्कता संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कारखानों और यूनिटों में नियमित रूप से सतर्कता जागरूकता सत्र और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। ब्हिसिल ब्लोअर नीति, खरीद/ठेके की प्रक्रिया, सूचना का अधिकार अधिनियम, आचरण एवं अनुशासन नियम, सेल में पालन किये जा रहे तंत्र एवं प्रक्रिया, आदि पर जागरूकता पैदा करने के लिए कुल 147 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें कुल 3179 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- कंपनी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समय समय पर औचक निरीक्षण किये गए जिनमें संयुक्त निरीक्षण भी शामिल हैं। विभिन्न कारखानों/इकाइयों में कुल 3296 आवधिक निरीक्षण किये गए जिनमें फाइल स्क्रूटिनी और संयुक्त निरीक्षण भी शामिल हैं। इन औचक निरीक्षणों के कारण ही सेल को करीब 23.22 करोड़ रुपये की बचत हुई।
- वर्तमान प्रणाली में ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए संचालन अधिकारियों को सतर्कता बेहतर इनपुट प्रदान करता है। इसी तरह विभिन्न कारखानों/इकाइयों में आठ बड़े सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्टा (एसआईपी) चलाये गए।
- विभिन्न कारखानों/इकाइयों में गहन परीक्षण के फलस्वरूप ऐसे 13 मामले पकड़े गए जो हाई वैल्यू प्रोक्युरमेंट या ठेके से संबंधित थे। इन मामलों को संबंधित विभागों के पास अग्रसारित कर दिया गया ताकि सुधार के लिए सुझावों पर अमल किया जा सके।
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्णय के मुताबिक सेल के सभी कारखानों/इकाइयों में 28.10.2013 से 02.11.2013 के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम 'प्रोमोटिंग गुड गवर्नेंस– पाजिटिव कंट्रीब्यूशन आफ विजिलेंस' था। इस सप्ताह के दौरान उपरोक्त थीम पर आधारित कई संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मचापरियों एवं उनके बच्चों के लिए वाद–विवाद प्रतिचयोगिता, निबंध प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, बड़ी हस्तियों के व्याख्या न आदि का भी आयोजन किया गया।
- सेल के सतर्कता विभाग के लिए चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनके ऊपर बल देना है:

i) ई आक्शन (रिवर्स आक्शन एवं फारवर्ड आक्शन) को बढ़ावा देना और समयबद्ध तरीके से शत प्रतिशत ई पेमेंट प्रणाली को लागू करना।

ii) सीवीसी के मुख्य तकनीकी परीक्षण के दिशा–निर्देश के मुताबिक विभिन्न कारखानों/इकाइयों के 21 हाई वैल्यू परियोजाओं की फाइलों की स्क्रूटिनी।

iii) सिंगल टेंडर इंक्वायरी (नामांकन के आधार पर) से दिए गए ठेके की स्क्रूटिनी।

iv) महंगे कच्चे माल की रिसीट, सैंपलिंग और जांच के क्षेत्र में छानबीन बढ़ाना और कच्चे माल की जांच एवं सैंपलिंग के लिए आटो एनालाइजर और आटो सैंपल की स्थापना।

- सेल के सतर्कता विभाग द्वारा सेल के कंवर्जन एजेंट/वेट लीजिंग एजेंट पर एक अध्ययन के दौरान पाया गया कि तंत्र में कुछ खामियां हैं। इस दिशा में सुधार के कई सुझाव दिए गए ताकि सेल के लोगो/ब्रांड का दुरुपयोग नहीं हो। साथ ही नियमित/आवधिक जांच कंवर्जन प्रक्रिया को भी स्ट्रीमलाइन किया जाए।
- सेल के सतर्कता विभाग द्वारा खरीद/ठेका प्रक्रिया (पीसीपी) 2009 जारी किया गया जिसे विभिन्न हितधारकों से मिले फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया था।
- सेल के सतर्कता विभाग का आंतरिक प्रकाशन 'इंस्पाइरेशन–प्रेरणा' को नियमित रूप से निकाला जा रहा है। इसमें केस स्टडीज, ख्यात लोगों के लेख, पालिसी मैटर पर क्विज आदि का समावेश रहता है। ऐसा इसलिए ताकि पाठकों में जागरूकता फैल सके।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद की नीति

भारत सरकार की जन खरीद नीति के अनुरूप, सेल द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान इन उद्यमों से की गई खरीद का आंकड़ा निम्नलिखित है।

(₹ करोड़)

विवरण	2013–14	2012–13
कुल खरीद	3862.69	4142.00
एमएसई से कुल खरीद	789.64	942.00
एमएसई का %	20.44	22.74

कंसलटेंसी सेवाएं

सेल के पास योग्य और अनुभवी इंजीनियरों, तकनीकिविद, वित्तीय मामलों के जानकार और मानव संसाधन से संबंधित विशेषज्ञों की सर्वाधिक उपस्थिति है। पिछले पांच दशकों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर सेल ने सेलकॉन के माध्यम से लोहा एवं इस्पात उद्योग से संबंधित डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रशिक्षण, तकनीकी और प्रबंधन से संबंधित सलाहकार सेवाएं देश विदेश की सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों को उपलब्ध करा रही है। इस दिशा में गतिविधियां बढ़ाने एवं ब्रांड सेल की छवि निखारने के लिए सिलिकॉन लगातार बाजार में संभावनाएं तलाश रही है।

सेलकॉन ने भारत के साथ–साथ विदेशों यथा– मिस्र, सउदी अरब, इरान, कतर, थाइलैंड, नेपाल, फिलिपीन्स आदि देशों में कार्य पूरा कर चुका है।

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान सेलकॉन ने कुछ अग्रणी संगठनों के स्टील प्लांट लगाने में तकनीकी सहलाहकार सेवाएं देने के साथ–साथ प्रशिक्षण संबंधी कार्य भी पूरा किया है। इसके साथ ही ब्लास्ट फर्नेस और नॉन रिकवरी प्रकार के कोक ओवन बैटरी से निकलने वाले फ्ल्यू गैस से बर्बाद हो जाने वाले ताप का उपयोग बिजली बनाने में करने के लिए कारखाने लगाने के लिए भी यह सलाहकार सेवाएं देता है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निबटने के लिए यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बेहतरीन कदम है।

प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विवेचना रिपोर्ट

कंपनी के कार्य निष्पादिन एवं आउटलुक से संबंधित प्रबंधन विचार– विमर्श एवं विवेचना रिपोर्ट भी संलग्न है।

लेखापरीक्षक रिपोर्ट

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन का जवाब अनुलग्नक 1 में है। 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी कानून, 1956 की धारा 619(4) के तहत कंपनी की लेखा पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट एवं उस पर प्रबंधन का जवाब अनुलग्नक 2 में दिया हुआ है।

कॉस्टर लेखा परीक्षक

केन्द्र सरकार के कॉस्ट लेखा परीक्षा के बारे में निर्देश को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने वर्ष 2013–14 के लिए मेसर्स संजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली को राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) और बोकार स्टील प्लांट (बीएसएल), मेसर्स के सी कोहली एंड कंपनी, दिल्ली को भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी), दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी) और इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी) तथा मेसर्स आर जे गोयल एंड कंपनी, नई दिल्ली को अलाय स्टील प्लांट (एएसपी), सलेम स्टील प्लांट (एसएसपी) और विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट (वीआईएसपी) का कॉस्ट लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीक के समावेशन आदि पर रिपोर्ट

कंपनी कानून 1956 की धारा 217 (1)(ई) के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी (डिस्लोजर आफ पर्टिकुलर्स इन दि रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) नियम 1998 के तहत ऊर्जा संरक्षण, तकनीक के समावेशन और विदेशी मुद्रा अर्जन और खर्च के बारे में जानकारी रिपोर्ट के अनुलग्नक 3 में दिया हुआ है।

निदेशकों की जवाबदेही का बयान

कंपनी कानून 1956 की धारा 217 (2ए ए) के अनुरूप यहां इस बात की पुष्टि की जाती है :

i) कि वार्षिक लेखा की तैयारी मान्य लेखा मानकों का पालन करते हुए किया गया है, इसके साथ ही जहां तक मटेरियल डिपार्चर का संबंध है वहां सही–सही कैफियत दी गई है।

ii) कि निदेशकों ने जो लेखा की नीति अपनायी है और उसे लगातार लागू किया है वह कंपनी की वित्तीय वर्ष (अवधि) के दौरान लाभ या हानि की सही स्थिति दर्शाती है।

iii) कि कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए निदेशकों ने कानून के मुताबिक लेखां संबंधी रिकार्ड रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है और जहां कहीं भी जालसाजी या अन्य अनियमितताएं हुई हैं, उसे पकड़ा गया है।

iv) कि निदेशकों ने वार्षिक लेखा को गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया है।

कारपोरेट गवर्नैंस

शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने के समझौते के मुताबिक कारपोरेट गवर्नैंस पर तैयार कंपलायेंस रिपोर्ट अनुलग्नक 4 में है। कंपनी के लेखापरीक्षकों का एक प्रमाण पत्र अनुलग्नोक 5 में है। सूचीबद्ध होने के समझौते के अनुरूप निदेशकमंडल ने सभी बोर्ड सदस्यों और प्रबंधन में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक आचार संहिता बनाई है, जिसका सख्ती से पालन किया जाता है। आचार संहिता कंपनी की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

कारोबार जवाबदेही रिपोर्ट

सेबी ने अपने सर्कुलर संख्या सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/8/2012, दिनांक 13 अगस्त, 2012 में स्पष्ट किया गया है कि बीएसई और एनएसई में बाजार पूंजीकरण के आधार पर 100 शीर्ष कंपनियों को पर्यावरण, सामाजिक ओर गवर्नैंस के क्षेत्र में किये गए कार्यों के आधार पर कारोबार जवाबदेही रिपोर्ट बनाना होगा।

इसी हिसाब से कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की अनुसूची VI में कारोबार जवाबदेही रिपोर्ट संलग्न की गई है।

कंसोलिडेटेड वित्तीय बयान

शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने के समझौते के अनुरूप लेखा परीक्षण के बाद कंसोलिडेटेड वित्तीय बयान अनुसूचि 7 में संलग्न है।

अनुषंगी इकाइयां

इस्को–उज्जैन पाईप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड, जो कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को) की पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी है, को बीआईएफआर ने बंद करने का आदेश दिया है। इसके लिए लिक्विडेटर की नियुक्ति हो गई है और इस समय लिक्विडेशन की प्रक्रिया चल रही है। कंपनी की परिसंपत्तियों को बेच कर दावों का निपटारा किया जा रहा है।

कंपनी की तीन अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाइयां हैं जिनके नाम सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड (एसआरसीएल), सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड और सिन्दरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। 16 दिसंबर, 2011 को बर्न स्टेंडर्ड की सेलम रिफ्रेक्टरी इकाई ने एसआरसीएल का परिचालन संभाल लिया है और इस समय उसी के प्रबंधन में है। सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड का गठन जगदीशपुर में गैस पर आधारित बिजली घर लगाने के लिए और सिन्दरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का गठन फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया की सिन्दरी इकाई के पुनरूद्धार के लिए हुआ है और कुछ अनुमोदन नहीं मिलने के कारण अभी तक इसका संचालन शुरू नहीं हआ है।

कंपनी कानून 1956 की धारा 212 के तहत एक बयान इस लेखा में जोड़ा गया है। कंपनी मामलों के मंत्रालय के सर्कुलर संख्या 5/12/2007–सीएल–3, दिनांक 08.02.2011 के मुताबिक मिली छूट के सिलसिले में लेखा परीक्षित तुलन पत्र, लाभ और हानि का खाता, निदेशकमंडल की रिपोर्ट और हमारी अनुषंगी इकाइयों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को कंपनी के तुलन–पत्र में जड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी सर्कुलर में दिए गए शर्तों से संतुष्ट नहीं है। हालांकि कंपनी मामलों के मंत्रालय के उपरोक्त वर्णित सर्कुलर में अनुषंगी कंपनियों के बारे में जो उल्लेख है, उसके मुताबिक बयान में जाहिर कर दिया गया है।

अनुषंगी कंपनियों की वार्षिक लेखा रिपोर्ट और संबंधित विस्तृत सूचना होल्डिंग और अनुषंगी कंपनियों के अंशधारकों को उपलब्ध करा दी जाएगी। अनुषंगी कंपनियों की वार्षिक लेखा रिपोर्ट किसी भी अंशधारक के निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध रहेगी जिसे सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक देखा जा सकता है। यदि कोई लिखित में अनुरोध करता है तो अनुषंगी इकाइयों के लेखा के बारे में विस्तृत सूचना की हार्ड कॉपी उपलब्ध करायी जाएगी।

निदेशकगण

डा. जगदीश खट्टर एवं प्रोफेसर सुब्रत चौधरी का निदेशक पद 20.08.2013 (अपराह्न) से समाप्त हुआ।

श्री बिनोद कुमार 02.12.2013 को सेल के निदेशक (वाणिज्यिक) नियुक्त किये गए और 03.12.2013 को कार्यभार ग्रहण किया।

श्री पी के सेनगुप्ता और श्री पी सी झा का निदेशक पद 12.01.2014 (अपराह्न) से समाप्त हुआ।

श्री आर एस शर्मा, श्री एन सी झा, श्री डी के मित्तल और श्रीमती परमिंदर हीरा माथुर 19.02.2014 से निदेशक नियुक्त किये गए।

आभारोक्ति

सेल का निदेशकमंडल कंपनी परिवार के हर सदस्य के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। निदेशकगण राज्यथ सरकारों, बिजली बोर्डों, रेलवे, बैंक, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक और हितधारकों को भी उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न विभागों, विशेष कर इस्पात मंत्रालय से मिले समर्थन और दिशा–निर्देश के लिए भी आभारी हैं।

निदेशकमंडल की तरफ से

सी. एस. वर्मा

(सी. एस. वर्मा)
अध्यक्ष

नई दिल्ली
दिनांक : 14 अगस्त, 2014

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण प्रतिवेदन

स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) कंपनी के प्रदर्शन और भावी परिदृश्य के बारे में अपना विश्लेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

क. औद्योगिक संरचना और घटनाक्रम

विश्व आर्थिक माहौल

दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक और वर्ष 2013 में भी सुस्त वृद्धि हुई। दुनिया की अर्थव्यवस्था का खराब प्रदर्शन प्रायः सभी क्षेत्रों और प्रमुख आर्थिक समूहों में देखा गया। अधिकतर विकसित अर्थव्यवस्थाएं वित्तीय संकट के ठहराव वाले प्रभावों से संघर्ष करती रहीं और खासतौर से समुचित राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति कार्रवाईयों की चुनौतियों से जूझती रहीं। अनेक उभरती अर्थव्यवस्थाओं को पिछले दो वर्ष में बहुत सुस्ती का सामना करना पड़ा था जो 2013 के दौरान भी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही मोर्चों पर नई बाधाओं का सामना करती दिखीं।

विश्व आर्थिक परिदृश्य के बारे में अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2014 के लिए 3.4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है। वैश्विक वृद्धि 2014 की दूसरी तिमाही से पटरी पर आने की उम्मीद है। अगले वर्ष कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कुछ हद तक मजबूत वृद्धि की उम्मीद के साथ, 2015 के लिए वैश्विक वृद्धि 4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। गिरावट का जोखिम चिंता का कारण बना हुआ है। बढ़े हुए भूराजनीतिक जोखिम तेल की कीमतों में तेजी ला सकते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में तेजी के अभाव के मद्देनजर, वैश्विक वृद्धि लंबे समय के लिए कमजोर रह सकती है।

विश्व इस्पात परिदृश्य

अपरिष्कृत इस्पात का वैश्विक उत्पादन वर्ष 2013 के लिए 1606 मिलियन टन तक पहुंच गया जो 2012 की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है। वृद्धि मुख्य रूप से एशिया से हुई जबकि अन्य सभी क्षेत्रों (अफ्रीका से भिन्न) में अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन 2012 की तुलना में घट गया। 2013 में चीन में अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन 779 मिलियन टन तक पहुंच गया जिसमें 2012 की तुलना में 6.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। यूरोपीय संघ में 2012 की तुलना में 1.8 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि हुई और उसने 2013 में 165.6 मिलियन टन अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन किया।

भय था कि यूरोजोन संकट जारी रहने और चीन में मुश्किल हालात के अनुमान के कारण 2013 में इस्पात की मांग कम रहेगी। हालांकि, वर्ष की दूसरी छमाही में विकसित दुनिया में प्रदर्शन उम्मीद से मजबूत रहा है। विश्व में 2013 में फिनिश्ड इस्पात का उपभोग 3.6 प्रतिशत बढ़कर 1.48 बिलियन टन हो गया। जबकि इस अवधि में इस्पात का उपभोग चीन में 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा, लेकिन भारत में वृद्धि बहुत कमजोर यानी 1.8 प्रतिशत रही। भारत में, निर्माण एवं विनिर्माण क्षेत्रों में सुधरे परिदृश्य के कारण इस्पात की मांग 3.3 प्रतिशत वृद्धि के साथ 76.2 मिलियन टन रहने की संभावना है फिर भी उच्च मुद्रास्फीति और संरचनात्मक समस्याओं के कारण इसमें बाधा उत्पन्न होगी (स्रोतः वर्ल्ड स्टील)।

भारतीय आर्थिक माहौल

वित्त वर्ष 2013–14 सकल घरेलू उत्पाद में एक और सुस्त 5 प्रतिशत की वृद्धि वाला वर्ष रहा और वित्त वर्ष 2013–14 के लिए सकल जीडीपी वृद्धि 4.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 2012–13 की 4.5 प्रतिशत वृद्धि से मामूली अधिक है। औद्योगिक वृद्धि पटरी पर आती आर्थिक वृद्धि में कमजोर कड़ी बनी रही जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.4 प्रतिशत रही।

खनन एवं खदान और विनिर्माण में क्रमशः (–) 1.4 प्रतिशत और (–) 0.7 प्रतिशत की नाकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। आठ प्रमुख उद्योगों – कोयला, उर्वरक, बिजली, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफायनरी उत्पाद, इस्पात एवं सीमेंट – में औसत वृद्धि दर रही और 2012–13 के दौरान 6.5 प्रतिशत से घटकर 2013–14 के दौरान 2.7 प्रतिशत रह गई। हालांकि, निर्माण क्षेत्र में मामूली सुधार हुआ जो क्षेत्र के लिए 1.6 प्रतिशत की संचित दर से बढ़ा। बिजली में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि पूंजी सामान और उपभोक्ता ड्यूरेबल्स में क्रमशः 3.6 प्रतिशत और 12.2 प्रतिशत के साथ गिरावट देखी गई।

हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट (जुलाई 2014) में बताया कि भारत में वृद्धि निचले स्तर से ऊपर उठ चुकी है तथा चुनाव के बाद बिजनस धारणा में सुधार होने और कृषि वृद्धि पर प्रतिकूल मॉनसून के असर को कम करते हुए गतिविधि धीरे–धीरे गति पकड़ने की उम्मीद है।

भारतीय इस्पात परिदृश्य

इस्पात उपभोग करने वाले बड़े देशों में शामिल, भारत में इस्पात उपभोग वृद्धि दूसरे स्थान पर पहुंच गई जो सिर्फ चीन से कम है। चीन में इस्पात उपभोग वृद्धि भविष्य में सामान्य से करीब 3 प्रतिशत रहने के अनुमान के साथ, भारत सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख इस्पात उपभोग करने वाले देश के रूप में उभरने जा रहा है।

वर्ष 2013–14 के दौरान, अपरिष्कृत इस्पात का घरेलू उत्पादन 81.5 मिलियन टन था और 2012–13 की तुलना में इसमें 4 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। कुल फिनिश्ड इस्पात 2013–14 के दौरान 85 मिलियन टन रहा और इसमें 4.1 प्रतिशत वृद्धि हुई। फिनिश्ड इस्पात का निर्यात 5.6 मिलियन टन रहा जो 5 वर्ष के अंतराल के बाद 5.4 मिलियन टन आयात से अधिक हो गया। रुपये की कीमत में अस्थिरता और पिछले वर्ष की तुलना में 2013–14 में मांग–आपूर्ति की स्थिति में तालमेल न होने का निर्यात पर असर पड़ा।

ख. सेल के लिए अवसर और खतरे

अवसरः

- भारतीय इस्पात उद्योग मध्यम अवधि में तेज वृद्धि के लिए अग्रसर है। तेजी से विस्तार कर रहे घरेलू बाज़ार के जरिए अवसर उपलब्ध होंगे।
- सेल की वर्तमान में जारी आधुनिकीकरण और विस्तार योजना पूरी होने के चरण में है। नई अत्याधुनिक इकाइयों के चालू होने से सेल बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में समर्थ होगी।
- बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर ध्यान जैसे औद्योगिक गलियारों, नए बंदरगाहों और माल गलियारों के साथ नए शहरों की योजना से इस्पात उपभोग में वृद्धि के लिए अवसर उपलब्ध होंगे।

खतरेः

- घरेलू के साथ–साथ विदेशी इस्पात निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा तेज होना। लौह अयस्क और कुकिंग कोल के लिए कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात की कीमतों में गिरावट।
- देश में इस्पात की अतिरिक्त क्षमता मार्जिन को कम करेगी।
- चीन में सुस्त वृद्धि के कारण सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा में संभावित वृद्धि।

ग. जोखिम एवं चिंताएं

- इस्पात की मांग में सुस्त वृद्धि जारी रहने से खासतौर पर फ्लैट उत्पादों में अतिरिक्त क्षमता की स्थिति पैदा हो सकती है।
- विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपये की मजबूती से निर्यात प्रतिस्पर्धा घट सकती है और आयातिक इस्पात की प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।
- अधिक इस्पात उत्पादन के लिए थोक माल के आवागमन से परिवहन एवं संभार–तंत्र के मामले में पर्याप्त समर्थन की मांग होगी जिसमें नाकाम होने पर उत्पादन पर असर पड़ सकता है।

घ. परिदृश्य

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान, स्मार्ट शहरों के विकास, बंदरगाहों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बिजलीघरों, पाइपलाइन ग्रिड दुगुनी करने के लिए योजना, दूसरी श्रेणी के शहरों के लिए मेट्रो, औद्योगिक गलियारे, आवास के लिए प्रोत्साहन और सेज का जीर्णोद्धार इत्यादि बुनियादी ढांचे पर फिर से बल देने से वृद्धि को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी और इससे इस्पात क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा जो मांग में स्थिरता का सामना कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, 2014–15 के आम बजट में, एफडीआई के लिए अधिक क्षेत्र खोलने, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को तेज करने और निवेश सुगम बनाने की योजनाओं जैसे अनेक उपायों से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। वित्त वर्ष 2014–15 के लिए जीडीपी वृद्धि 5.4 प्रतिशत से 5.7 प्रतिशत के दायरे में रहने की संभावना व्यक्त की गई है और उसके बाद अगले 3–4 वर्षों में 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल होने की उम्मीद है। जीडीपी वृद्धि में तेजी और खासतौर से निर्माण, बुनियादी ढांचे और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में इस्पात के इस्तेमाल से इस्पात उपभोग के लिए वृद्धि फिर से पटरी पर आने की संभावना है।

ङ. ताकतें और कमजोरियां

ताकतें

सेल की ताकतों में विविधिकृत उत्पादों का संगम, भली–भांति स्थापित राष्ट्रव्यापी विपणन नेटवर्क, कैप्टिव आयरन ऑर संसाधन, कुशल श्रमशक्ति, कैप्टिव पॉवर प्लांट, भविष्य में विस्तार के लिए भूमि बैंक, समर्पित अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ और मजबूत तुलन–पत्र शामिल हैं।

यही नहीं, वर्तमान में जारी आधुनिकीकरण सेल को आधुनिक प्रौद्योगिकी आत्मसात करने, ऑटोमेशन, उत्पाद गुणवत्ता, अधिक बड़ी उत्पाद बास्केट, दक्षता एवं विविधिकरण के अवसरों का लाभ उठाने के मामले में आगे ले जाने के लिए किया जा रहा है।

विविधिकृत उत्पादों का संगम और अनेक स्थानों पर उत्पादन इकाइयां कंपनी के लिए ताकत के क्षेत्र हैं। इकलौते स्रोत के रूप में, सेल किसी भी उपभोक्ता की इस्पात की सारी जरूरत को पूरा करने में समर्थ है। यही नहीं, इसके पास भारत में प्रत्येक जिले में उपस्थिति के साथ राष्ट्रव्यापी वितरण नेटवर्क है। यह देश के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट इस्पात उपलब्ध कराता है।

सेल के पास भारत में सबसे बडा कैप्टिव आयरन ऑर ऑपरेशन है जो इसकी समूची जरूरत पूरी करता है। खनन परिचालन के विस्तार की योजनाओं के साथ, कंपनी वर्तमान में जारी विस्तार के चरण के पूरा होने के बाद लौह अयस्क में आत्मनिर्भर होना जारी रखेगी।

सेल का विशाल कुशल श्रमशक्ति आधार ताकत का स्रोत है। कौशल आधारित और बहु–कौशल प्रशिक्षण पर निरंतर बल देने के साथ, सेल ने वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान 278 टन अपरिष्कृत इस्पात प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की श्रम उत्पादकता हासिल की है। आगामी फैसिलिटीज के खनन के लिए चुनिंदा कुशल भर्ती और सेवानिवृत्त श्रमशक्ति की प्रतिपूर्ति पर ध्यान देने के साथ, श्रम शक्ति प्रोफाइल के साथ–साथ श्रम उत्पादकता में आने वाले वर्षों में धीरे–धीरे सुधार होगा।

सेल के कैप्टिव पॉवर प्लांट बिजली की अपनी कुल जरूरत का करीब 70 प्रतिशत पूरा करते हैं। संयुक्त उपक्रम के रूप में परिचालित पॉवर प्लांट्स की क्षमताओं में वृद्धि के साथ, कंपनी भविष्य में इस प्रमुख क्षेत्र में प्रतिभूति करना जारी रखेगी।

कंपनी के पास एशिया में सबसे बड़े इन–हाउस अनुसंधान और विकास केंद्रों में से एक है। सेल का आरडीसीआइएस (लोहे एवं इस्पात के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र) नियमित उत्पाद और प्रोसेस नूतनता का स्रोत है।

कुल मिलाकर उधार ली गई भूमि कंपनी के तुलन पत्र की ताकत है क्योंकि यह प्रबंधन योग्य स्तरों पर संतुलित रखते हुए संसाधन जुटा सकती है।

कमजोरियां

प्रमुख साधन कुकिंग कोल के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कंपनी को बाज़ार के जोखिम में धकेलती है।

इन वर्षों में, बड़ी संख्या में नियमित सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप तकनीकी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर कौशल अवक्षय हुआ है। कौशल और ज्ञान के तबादले पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और आधुनिकीकरण कर्मचारियों के दक्षता विकास की दिशा में सतत प्रयासों का भी आह्वान करता है।

औसत आयु 47 वर्ष के साथ कर्मचारियों की आयु बेमेल होना गंभीर चिंता की बात है। अधिक अनुकूल श्रमशक्ति आयु प्रोफाइल के लिए कुशल और दक्ष श्रमशक्ति की जरूरत है।

उत्पादन के ओपन हार्थ और इनगॉट रूट जैसी ऊर्जा की अधिक खपत करने वाली प्रक्रियाएं अब भी कंपनी के परिचालन का अंग बनी हुई हैं जो वर्तमान में जारी विस्तार कार्यक्रम के पूरा होने के बाद ही दूर होंगी।

फिलहाल करीब 20 प्रतिशत उत्पाद सेमी–फिनिश्ड इस्पात के रूप में हैं जिसका परिणाम न्यून मूल्य वर्द्धन के रूप में सामने आता है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक वर्तमान विस्तार कार्यक्रम के तहत नियोजित नई रॉलिंग मिलें मूल्य वर्द्धन में योगदान न करने लगें क्योंकि प्रायः सभी सेमी–फिनिश्ड को फिनिश्ड इस्पात में बदला जाएगा।

च. वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा

1. सेल का वित्तीय परिदृश्य

सेल ने वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान रु. 51,866 करोड़ की बिक्री का सकल कारोबार किया जो ₹ 49,350 करोड़ के सीपीएलवाई सकल कारोबार से 5 प्रतिशत अधिक है। रु. 2,616 करोड़ का कर उपरांत लाभ पिछले वर्ष (₹ 2,170 करोड़) की तुलना में 21 प्रतिशत (₹ 446 करोड़) अधिक रहा। वित्त वर्ष 2013–14 और 2012–13 के दौरान प्रमुख वित्तीय मानदंडों का तुलनात्मक प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़)

विवरण	2013-14	2012-13
बिक्री सकल कारोबार	51865.99	49,349.69
ब्याज, अवमूल्यन, अपवाद स्वरूप मदों और कर (इबीआइडीटीए) से पहले लाभ	4949.76	5,620.62
घटाः ब्याज और वित्तीय प्रभार	967.64	747.66
घटारू अवमूल्यन	1716.69	1,402.98
अपवाद स्वरूप मदों से पहले कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	2265.43	3,469.98
अपवाद स्वरूप मदः नुकसान (–)/प्राप्ति (+)	959.12	-229.32
अपवाद स्वरूप मदों के बाद कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	3224.55	3,240.66
घटाः कराधान के लिए प्रावधान	608.07	1,070.31
कर बाद लाभ (पीएटी)	2616.48	2,170.35
लाभांश (इक्विटी के प्रतिशत के रूप में): अंतरिम लाभांश (प्रतिशत)	20.20	16.00
अंतिम लाभांश (प्रतिशत)	-	4.00
शुद्ध मूल्य	42,666	41,025
इबीआइडीटीए से शुद्ध बिक्री (%)	12.8	12.3
शुद्ध मूल्य (प्रतिशत) पर वापसी (पीएटी)	6.1	5.3
इबीआइडीटीए से औसत लगी पूंजी (%)	17.1	16.9
₹ 10/– प्रत्येक की कमाई प्रति शेयर	6.3	5.2
डेब्ट–इक्विटी अनुपात	0.59:1	0.53:1

अधिक उत्पादन और बिक्री के साथ आयातित कोयले की न्यून लागत से बॉटम लाइन में सुधार करने में मदद मिली और 1.1.2012 से लंबित अप्रबंधकीय वर्ग के वेतन/परिलब्धियों के संशोधन के मद्देनजर वर्ष के दौरान ₹ 1,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। सेल के साथ वाणिज्यिक विवाद के मामले में विवाचन/अदालत के अनुकूल फैसले के मद्देनजर वर्ष के लिए लाभ में मैसर्स वाले, आस्ट्रेलिया से ₹ 1,056 करोड़ की प्राप्ति शामिल है।

कंपनी के शुद्ध मूल्य में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और यह 31 मार्च, 2013 को ₹ 41,025 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2014 को ₹ 42,666 करोड़ हो गया तथा इससे सेल की विस्तार योजनाओं के लिए निधि जुटाने के लिए आंतरिक संसाधनों के सृजन में मदद मिली।

1.2 सेल प्रबंधन की ओर से की गई पहल

1.2.1 लागत नियंत्रण उपाय

- वर्ष के दौरान नई प्रौद्योगिकी के व्यवस्थित अनुप्रयोग के जरिए लागत में कमी और उत्पादकता में सुधार पर जोर तथा अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के जरिए प्रक्रिया में सुधार और ऑपरेशन के सभी स्तरों पर लागत नियंत्रित रखने के लिए सशक्त जागरूकता पर बल
- अधिक कीमत वाली मदों की खरीद की निरंतर निगरानी, इन–हाउस इंजीनियरिंग दुकानों के अधिकतम उपयोग और कीमत में कमी के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत सहित खरीद में अनुकूलन
- ऑपरेशन के प्रमुख क्षेत्रों में लागत नियंत्रण बचत हासिल करने के लिए अनेक रणनीतिक कार्रवाई की गई जैसे कोयला मिश्रण, उच्च उपज, उच्च सीसी उत्पादन का अनुकूलन तथा अधिकतम क्षेत्रों के राजस्व में सुधार

1.2.2 मार्केटिंग

2013 –14 के दौरान ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार और इस्पात बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अनेक प्रयास किए गए जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:–

- 2013 –14 में दुर्गापुर स्टील प्लांट से भारतीय रेल को कुल 55,613 व्हील प्रेषित किए गए जबकि पिछले वर्ष सिर्फ 47,649 व्हील प्रेषित किए गए थे। इस तरह इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 16.7 प्रतिशत वृद्धि हुई। भारतीय रेल को एक्सेल की आपूर्ति में भी पिछले वर्ष की तुलना में 52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- अनुप्रयोग की विस्तृत विविधता के लिए वर्ष के दौरान 24 नए उत्पादों को विकसित किया गया। विकसित किए गए कुछ उत्पाद इस प्रकार हैं:–
  - ✓ सुपर फॉर्मेबल एलपीजी ग्रेड हॉट रोल्ड कॉयल्स (EN 10120 P245 NB)
  - ✓ निर्माण क्षेत्र के लिए आइएस –1786 एफई 415 एस ग्रेड टीएमटी तार छड़ (10/ 12 mm)

- ✓ अर्थ मूविंग उपकरण के लिए सेल ईएमई ग्रेड अनुकूलित प्लेट्स
- ✓ टूल और स्पैनर्स क्षेत्र के लिए 41CrV3 ग्रेड बिलेट्स
- ✓ ऑटो सेक्टर के लिए HSFQ 350 HR कॉयल्स

- विशेष इस्पात संयंत्रों की मार्केटिंग 01–01–2014 से प्रभावी एसएपी – ईआरपी सिस्टम के तहत लाई गई। इस प्रकार कंपनी के पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों के विपणन के साथ एकीकरण हुआ।
- सेल के पास देश में सभी इस्पात उत्पादकों में सबसे बड़ा विपणन नेटवर्क है। पहली अप्रैल, 2014 को सेल के कार्यात्मक विपणन नेटवर्क में 37 शाखा बिक्री कार्यालय, 27 ग्राहक संपर्क कार्यालय, 25 विभागीय गोदाम और 24 कार्यात्मक कनसाइनमेंट एजेंसी यार्ड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, देश भर में फैले प्रायः 2950 डीलरों के सशक्त डीलर नेटवर्क के जरिए विपणन प्रयास पूरे किए जा रहे हैं।

सेल डीलरों की संख्या

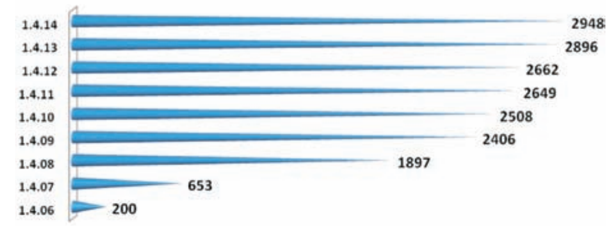

1.3 फंड मैनेजमेंट

वर्ष के दौरान कंपनी ने बेहतर धन प्रबंधन पर जोर जारी रखा। उच्च लागत अल्पकालिक ऋण को कम लागत ऋण के साथ बदल दिया गया। इसके अलावा, कंपनी ने साल के अंत में ₹ 25,281 करोड़ की उधारी की तुलना में ₹ 2,500 करोड़ बैंक के पास टर्म डिपॉजिट के रूप में रखे। चालू वर्ष के दौरान कुल ऋण बढ़कर ₹ 3,684 करोड़ हो गया। कंपनी ने वर्ष के दौरान हासिल खरीदारों के क्रेडिट पर विदेशी मुद्रा जोखिम को हेज किया। सेल के दीर्घावधि उधारी कार्यक्रम के लिए मैसर्स इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्रा. लि. (पूर्ववर्ती फिच) और मैसर्स केयर, आरबीआई अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने सर्वोच्च सुरक्षा इंगित करने वाली एएए रेटिंग बनाए रखी। कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय उधारी कार्यक्रम को मैसर्स फिच रेटिंग्स और मैसर्स स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बीबीबी रेटिंग दी है। उधारी, शुद्ध मूल्य और टर्म डिपॉजिट के रुझान नीचे दिए गए हैं:

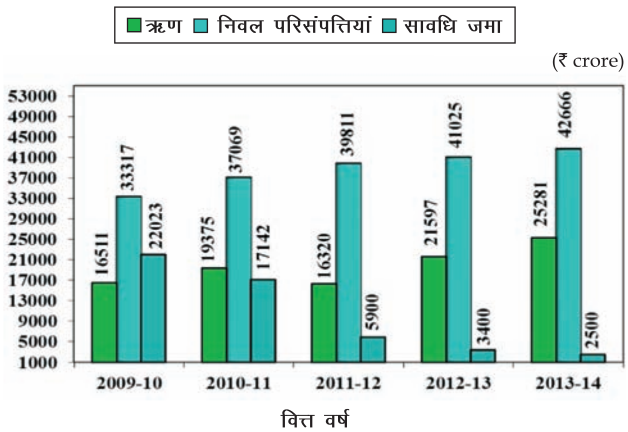

1.4 सेल ग्रेच्युटि ट्रस्ट में अंशदान

सेल ग्रेच्युटि ट्रस्ट में 31.03.2014 तक कंपनी द्वारा किया गया समग्र अंशदान ₹ 3349.09 करोड़ था। ग्रेच्युटि के भुगतान के लिए किए गए शुद्ध निर्धारण के साथ 31.03.2014 को यह निधि बढ़कर ₹ 4594.43 करोड़ हो गई।

1.5 पूंजी निवेश

कंपनी ने वर्तमान चरण में गरम धातु की उत्पादन क्षमता 13.8 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) (संस्थापित क्षमता) बढ़ा कर उत्तरोत्तर 23.5 एमटीपीए करने के लिए आधुनिकीकरण और विस्तार योजना शुरू की है।

वर्ष के दौरान ₹ 9,890 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया है जो पिछले वर्ष में ₹ 9731 करोड़ था। आंतरिक स्रोतों और उधारी के मिश्रण द्वारा उसका वित्त पोषण किया गया है।

2. कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण

2.1 आपरेशन से राजस्व

क) उत्पादों की बिक्री (₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2012-13	बदलाव %
बिक्री योग्य इस्पात उत्पादों की बिक्री	49660.42	47253.95	5%
अन्य उत्पादों की बिक्री	2205.57	2095.74	5%
कुल बिक्री कारोबार	51865.99	49349.69	5%
घटाः उत्पाद शुल्क	5677.29	5388.64	5%
शुद्ध बिक्री कारोबार	46188.70	43961.05	5%

ख) घरेलू बिक्री और निर्यात की प्रवृत्ति

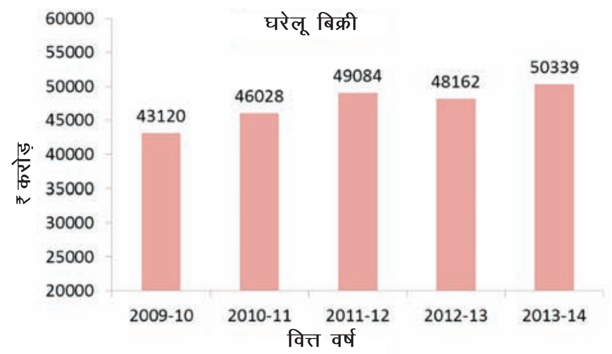

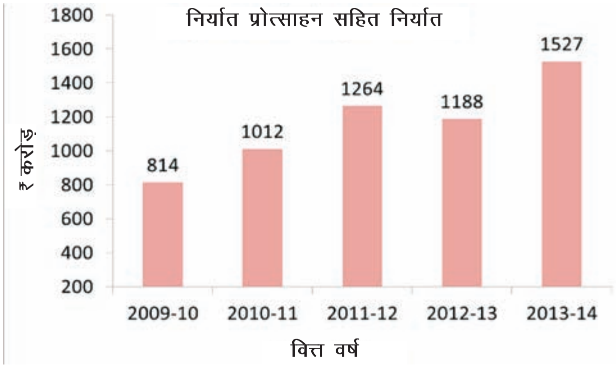

कंपनी ने हल्के स्टील व्यापार के लगभग सभी पहलुओं, अर्थात प्लेट के रूप में फ्लैट उत्पादों, एचआर कॉयल्स/चादर, सीआर कॉयल्स/चादरें, गैलवेनाइज्ड प्लेन/कोरुगेटिड चादरें और लंबे उत्पादों जैसे रेल, संरचनात्मक, वायर–रॉड और मर्चेंट उत्पादों की पूर्ति की।

इसके अलावा, बिजली प्रतिरोधी वेल्डेड पाइप, स्पाइरल वेल्डेड पाइप, इलेक्ट्रिक टिन प्लेट और सिलिकॉन स्टील प्लेट कंपनी के समृद्ध उत्पाद मिश्रण का अंग हैं। 2013–14 के दौरान उत्पाद श्रेणी के लिहाज से बिक्री का कारोबार इस प्रकार है:

उत्पाद श्रेणी:	बिक्री मूल्य का प्रतिशत
बिक्री योग्य स्टील:	
फ्लैट उत्पादों और पीईटी (पाइप, वैद्युत चादरें, टिन प्लेट) उत्पाद (क)	52
लंबे उत्पाद (ख)	38
एकीकृत इस्पात संयंत्र – मृदु स्टील (ग = क + ख)	90
मिश्र और विशेष इस्पात संयंत्र – मिश्र और विशेष इस्पात (घ)	6
कुल बिक्री योग्य स्टील (ङ = ग + घ)	96
द्वितीयक उत्पाद (पिग आयरन, स्क्रैप, कोयला रसायन आदि) (च)	4
कुल (छ = ङ + च)	100

ग) सेवाओं की बिक्री – सेवा प्रभार

(₹ करोड़)

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	बदलाव %
25.91	34.88	-25.7%

चालू वर्ष के दौरान सेवाओं की बिक्री से राजस्व में करीब ₹ 9 करोड़ की कमी आई है।

क) अन्य ऑपरेटिंग राजस्व

(₹ करोड़)

वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष	बदलाव %
483.80	444.65	8.8%

मुख्य रूप से सामाजिक सुविधाओं और संड्रीज से उच्च प्राप्ति के कारण अन्य ऑपरेटिंग राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 39 करोड़ की वृद्धि हुई।

2.2 अन्य आय

(₹ करोड़)

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	बदलाव %
881.41	1119.12	-21.2%

मुख्य रूप से सावधि जमा से ब्याज आय में कमी के कारण अन्य आय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 238 करोड़ की कमी आई है।

2.3 व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2012-13	परिवर्तन %
कच्चे माल की खपत	19272	21202	-9%
कर्मचारी वेतन व लाभ	9579	8637	11%
वित्त लागत	968	748	29%
अवमूल्यन	1717	1403	22%
अन्य व्यय	13035	12158	7%

विशेष रूप से आयातित कोयले, स्वदेशी कोयला, खरीदे गए बीएफ इत्यादि इनपुट की कीमतों में कमी के कारण कच्चे माल की लागत में कमी आई। वर्ष के दौरान, मुख्य रूप से गैर अधिकारियों के लिए बकाया संशोधन 1.1.2012 से प्रभावी होने के साथ बीमांकिक मूल्यांकन में वृद्धि के कारण कर्मचारियों का वेतन व लाभ बढ़ गया है। उधारी में वृद्धि के कारण उच्च वित्त लागत आई और नई सुविधाओं के पूंजीकरण के कारण ह्रास में वृद्धि हुई। स्टोर और कल–पुर्जों, बिजली एवं ईंधन, मरम्मत और रखरखाव, जावक भाड़ा, सुरक्षा के खर्च इत्यादि में वृद्धि के कारण अन्य खर्चों में वृद्धि हुई।

2.4 राजकोष में अंशदान

वर्ष के दौरान, सेल ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों को करों और शुल्कों के भुगतान के माध्यम से राष्ट्रीय खजाने में रु. 11560 करोड़ का अंशदान किया।

2.5 अचल / चल परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़)

	विवरण	2013-14	2012-13	बदलाव %
क	अवर्तमान परिसंत्तियां			
	अचल परिसंपत्तियां			
	- मूर्त	25256.52	15234.63	66%
	- अमूर्त	1514.13	1542.77	-2%
	चालू पूंजीगत आय	33650.54	35890.85	-6%
	अवर्तमान निवेश	720.20	718.36	0%
	दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम	3794.32	3176.96	19%
	अन्य अवर्तमान परिसंपत्तियां	135.43	568.46	-76%
ख	वर्तमान परिसंपत्तियां			
	मालसूचियां	15200.82	16008.21	-5%
	व्यापार मालसूची प्रदाय	5481.98	4424.18	24%
	रोकड़ व बैंक शेष	2855.95	3850.35	-26%
	आवधिक ऋण एवं अग्रिम	1160.51	988.73	17%
	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	2191.49	1814.96	21%
	कुल (क + ख)	91961.89	84218.46	

- इस्पात संयंत्रों में विभिन्न योजनाओं के पूंजीकरण के कारण पूंजी वर्क इन प्रोग्रेस में ₹ 2240 करोड़ की कमी आई है
- लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम में ₹ 617 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) और अन्य एजेंसियों के साथ जमाओं के मद्देनजर हुई।
- वसूली योग्य लंबी अवधि के दावों में कमी के कारण अचल परिसंपत्तियाँ कम हुई।
- मुख्य रूप से तैयार / अर्द्ध तैयार उत्पादों की सूची में ₹ 966 करोड़ की कमी के कारण समाप्त कमी के कारण माल सूची में ₹ 807 करोड़ की कमी आई है। हालांकि, स्टोर और कुल–पुर्जों की माल सूची में ₹ 169 करोड़ की वृद्धि हुई।
- मुख्य रूप से देनदारों में वृद्धि के कारण व्यापार प्राप्तियों में ₹ 1058 करोड़ की वृद्धि हुई।
- पूंजी व्यय के कारण रोकड़ और बैंक बैलेंस खाते में ₹ 994 करोड़ की कमी आई है।
- मुख्य रूप से दूसरों से वसूली योग्य अग्रिमों के कारण अल्पकालिक ऋण और अग्रिम में ₹ 172 करोड़ की वृद्धि हुई।

2.6 अचल / चल दायित्व

(₹ करोड)

	विवरण	2013-14	2012-13	बदलाव %
क	अवर्तमान देयताएं			
	दीर्घावधिक ऋण	13632.22	13485.55	1%
	अस्थगित कर देयताएं	2040.46	1728.53	18%
	अन्य दीर्घावधिक देयताएं	1381.30	1271.12	9%
	दीर्घावधिक प्रावधान	3901.28	4204.16	-7%
ख	वर्तमान देयताएं			
	अल्पावधिक ऋण	10634.48	8015.02	33%
	व्यापारिक देय	3205.34	3322.04	-4%
	अन्य वर्तमान देयताएं	12478.51	8654.70	44%
	अल्पकालिक प्रावधान	2021.95	2512.70	-20%
	कुल (क + ख)	49295.54	43193.82	14%

- अपरिवर्तनीय बांड जारी करने के कारण दीर्घकालिक उधार में 1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई।
- मुख्य रूप से अर्जित अवकाश दायित्व और कर्मचारी परिभाषित लाभ स्कीमों में वृद्धि के कारण लंबी अवधि के प्रावधानों में ₹ 303 करोड़ की कमी हुई।
- बैंकों से ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण में वृद्धि के मद्देनजर अल्पावधि उधारी ₹ 2619 करोड़ घट गई।

3 संयंत्र–वार वित्तीय प्रदर्शन (कर पूर्व लाभ)

(₹ करोड़)

संयंत्र / यूनिट	2013-14	2012-13
भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)	2084.84	2048.22
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)	415.60	552.66
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)	212.20	363.37
बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल)	202.01	307.50
इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी)	-653.05	-158.73
मिश्र धातु इस्पात संयंत्र (एएसपी)	-92.59	-119.53
सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी)	-375.55	-419.73
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआइएसपी)	-122.68	-116.67
सेल रिफरेक्टरी यूनिट (एसआरयू)	3.00	9.76
चंद्रपुर फेरो एलॉयज प्लांट (सीएफपी)	-77.65	-38.74
कच्चा माल डिवीजन / केंद्रीय इकाइयां*	1628.42	812.55
सेलः कर से पहले लाभ (पीबीटी)	**3224.55**	**3240.66**
सेलः कर के बाद लाभ (पीएटी)	**2616.48**	**2170.35**

* जमा पर अर्जित ब्याज और कारपोरेट कार्यालय की बहियों में रखे जमा सहित

वित्त वर्ष 2013 –14 के दौरान सेल के कर बाद लाभ में ₹ 446 करोड़ की वृद्धि हुई है।

छ. सामग्री प्रबंधन

आदानों की लागत को कम करने और सामग्री प्रबंधन के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए अनेक पहल की गई।

लागत में कमी

- लागत में कमी करने के लिए योगदान के वास्ते पिछले वर्षों के दौरान उठाए गए कदमों के अलावा इस वर्ष निम्नलिखित नई पहल की गई:–
  - ✓ वैश्विक निविदाओं के जरिए खरीद में वृद्धि हुई और नए विक्रेताओं के शामिल होने से बचत में वृद्धि हुई।
  - ✓ फेरो एलॉयज की विशिष्टताओं की समीक्षा शुरू की गई और निविदाओं में भागीदारी बढ़ाने के लिए कुछ मदों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाया गया।
  - ✓ एकल/सीमित विक्रेताओं के साथ स्पेयर पार्ट्स के लिए विक्रेताओं की ड्रॉइंग और विकास के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की गई।
  - ✓ 4 नए आइटम के साथ समेकित खरीद आइटम में वृद्धि हुई। अब ऐसे आइटम की कुल संख्या 41 है।

सिस्टम सुधार

- पिछले साल चलाए गए सिस्टम सुधार के उपायों की समीक्षा की गई और निम्न सुधारात्मक कार्रवाई की गई:–
  - ✓ केंद्रीयकृत खरीद के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया और सोर्सिंग टीम के संविधान में संशोधन किया गया।
  - ✓ आपूर्ति अनुबंध के लिए अनुबंध की सामान्य शर्तों में संशोधन किया गया।

अन्य मुख्य विशेषताएं

- रिवर्स नीलामी के माध्यम से खरीद ₹ 4846 करोड़ की रही।
- फॉरवर्ड नीलामी के माध्यम से द्वितीयक उत्पादों की बिक्री ₹ 3192 करोड की रही।

ज. विदेशी मुद्रा संरक्षण

कंपनी वाणिज्यिक स्वीकार्य कीमतों/लागत पर, और कंपनी में इस्तेमाल की जा रही प्रौद्योगिकियों की जरूरत पूरी करने के लिए, कंपनी को उपलब्ध हों तो उस हद तक स्वदेशी स्रोतों से उपकरणों, कच्चे माल और अन्य सामग्री की खरीद के प्रयास करती है। अपेक्षित नियंत्रण के अलावा विदेशी मुद्रा में व्यय प्रोदभवन के लिए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह कंपनी के वाणिज्यिक हित में हो। इसके अलावा, कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी तार्किक कदम उठाए हैं कि कंपनी को देय, विदेशी मुद्रा में सभी प्राप्तियां अनुबंध की अवधि मंल कर ली जाएं।

झ. एएमआर स्कीम

आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं के अलावा, एडिशन, मॉडिफिकेशन एंड रिप्लेसमेंट (एएमआर) स्कीम भी चलाई गई हैं जो मौजूदा परिचालन के प्रबंधन के लिए जरूरी हैं तथा प्राथमिक रूप से वृद्धिशील उपायों में दक्षता और उत्पादन के वर्तमान स्तर में सुधार लाने पर ध्यान देती हैं। एएमआर स्कीम मौजूदा परिचालन को बनाए रखने, उत्पादन प्रक्रियाओं के संतुलन/बाधाएं दूर करने, ऊर्जा और अन्य संसाधनों/सेवाओं/सुरक्षा और पर्यावरण में सुधार के लिए मौजूदा सुविधा के सुधार या जीर्णोद्धार के लिए चलाई जा रही हैं। रिप्लेसमेंट में ज्यादातर मौजूदा संयंत्र और उपकरण/सुविधा की जगह बेहतर प्रदर्शन संयंत्र और उपकरण/सुविधा लगाना, रिप्लेसमेंट स्कीम की एक किस्म का जीवन पूरा होने के बाद निर्माण उपयोगी जीवन के बाद कोक ओवन बैटरी की तरह निश्चित फैसिलिटी का पुनः निर्माण करना शामिल है। तदनुसारए सेल के विभिन्न कारखानों में करीब ₹ 2485.68 करोड़ की लागत से अनेक एएमआर स्कीम कार्यान्वयन के अधीन हैं जैसे –

- **भिलाई स्टील प्लांट** में नए 2x1250 टीडीपी ऑक्सीजन प्लांट के लिए ऑक्सीजन निकास सुविधाओं की स्थापना, सीओबी-9 की शीत मरम्मत, बीएफ–4 के स्टोव्स का उन्नयन, बीएफ – 7 के मिड स्टैक कूलिंग सिस्टम का मॉडिफिकेशन और रावघाट लौह अयस्क डिपॉजिट के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
- **राउरकेला इस्पात संयंत्र** में बीएफ – 4 में कोयला डस्ट इंजेक्शन, सीओबी–3 का पुनर्निर्माण, एसएसपी में अतिरिक्त गर्मी उपचार सुविधाओं की स्थापना, मंदिरा बांध का पुनः स्थापन, 125 टीपीडी सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र की स्थापना और एसपी – 1 में इएसपी की 2 प्रक्रियाओं का रिप्लेसमेंट
- **दुर्गापुर स्टील प्लांट** में बीएफ–3 में बेल लेस टॉप चार्जिंग सिस्टम (बीएलटी) का संस्थापन, सीओबी–5 का पुनर्निर्माण, व्हील प्रेस इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हील एवं एक्सल प्लांट के हाइड्रोलिक सिस्टम का उन्नयन तथा व्हील एवं एक्सल प्लांट के व्हील की मशीनिंग संयंत्र का संवर्धन।
- **बोकारो स्टील प्लांट** में एसएमएस – 2 में शेल ट्रूनियन रिंग और पेडेस्टेल असेम्बली का रिप्लेसमेंट और सीओबी –7 का पुनर्निर्माण।
- **चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र** में एक 45 डट। सब एमबीए आर्क फर्नेस 4 मेगावाट पावर प्लांट और 220 केवी उप स्टेशन की स्थापना,

ज. इन–हाउस डिजाइन और इंजीनियरिंग

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र (सीईटी) सेल में कारखानों और इकाइयों को और भारत और विदेश दोनों जगह सेल के बाहरी ग्राहकों के लिए आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और परिवर्धन, संशोधन और रिप्लेसमेंट (एएमआर) स्कीम के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रहा है।

झ. अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

सेल का अनुसंधान और विकास केन्द्र लौह धातु विज्ञान के क्षेत्र में भारत का प्रमुख अनुसंधान संगठन है। नई प्रौद्योगिकियों और प्रक्रिया नवाचारों के विकास और आत्मसात करने को टिकाऊ वृद्धि के लिए बुनियादी सिद्धांत मानते हुए, सेल ने रांची में स्थित भली–भांति सुसज्जित अनुसंधान एवं विकास केंद्र के माध्यम से अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों पर जोर दिया है। यहां तीन सौ से अधिक नैदानिक उपकरण और पंद्रह प्रमुख प्रयोगशालाओं के तहत पर्याप्त प्रायोगिक सुविधाएं हैं। यह केंद्र कच्चे माल से तैयार उत्पादों के लिए लोहा और इस्पात सामग्री के पूरे स्पेक्ट्रम के लिए अनुसंधान परियोजनाएं चलाता है। वर्ष 2013–14 में 93 परियोजनाएं चलाई गई और 50 परियोजनाएं पूरी हो गई जो संगठन को महत्वपूर्ण लाभ दे रही हैं।

अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी अनुप्रयोग आधारित बेहतर प्रदर्शन के उद्देश्य से बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार महत्वपूर्ण उत्पादों के विकास के क्षेत्र में भी अग्रणी काम कर रहा है। वर्ष के दौरान चौबीस उत्पाद विकसित किए गए हैं और उल्लेखनीय उत्पादों में से कुछ उच्च शक्ति, सुपर फॉर्मेबल एलपीजी ग्रेड, भारतीय रेलवे के लिए हाई फ्रेक्चर टफनेस पटरियां, ऑटो उद्योग के लिए उच्च शक्ति फॉर्मेबल गुणवत्ता (एचएसएफक्यू) ग्रेड स्टील, भूकंप प्रतिरोधी स्टील आदि हैं।

आरडीसीआइएस इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के प्रयासों से 2013–14 के दौरान 36 पेटेंट और 35 कॉपीराइट (सेल संयंत्रों के सहयोग से) दाखिल करने में सफलता मिली। 91 तकनीकी पेपर, (30 अंतरराष्ट्रीय) प्रकाशित किए गए और 168 पेपर (91 अंतरराष्ट्रीय) प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा, आरडीसीआइएस ने अनुबंध अनुसंधान कार्य किया और सेल से बाहर के संगठनों को परामर्श सेवाएं और जानकारी दी तथा ₹ 230.00 लाख की बाहरी कमाई की।

केंद्र द्वारा किए गए योगदान के सम्मान में, आरडीसीआइएस ने 2013–14 के दौरान कई (कुल 12) प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते जैसे मेटालर्जिस्ट ऑफ द इयर, यंग मेटालर्जिस्ट ऑफ द इयर, सेल अवार्ड 2013, डॉ. एम. विश्वेवश्वरैया अवार्ड 2013 इत्यादि।

ट. पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण

पर्यावरण प्रबंधन

कंपनी स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा करने में, सेल प्रबंधन दो आयामी रणनीति अपनाकर बढ़ते प्रदूषण के खतरे से पर्यावरण सुरक्षा के लिए कार्य करता है:

- मानक संचालन परिपाटियों (एसओपी) और मानक रखरखाव परिपाटियों (एसएमपी) के सख्त पालन के जरिए प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं की कठोर निगरानी और रखरखाव।
- सेल के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों की प्रगतिशील स्थापना। इनमें से कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकियां सूखी कोक शमन, ब्लास्ट फर्नेस स्टोव और सिंटर मशीनों से बर्बाद उष्मा वसूली, बीओएफ से द्वितीयक उत्सर्जन नियंत्रण, ब्लास्ट फर्नेस में कास्ट हाउस डि–डस्टिंग प्रणाली, खानों में लाभकारी गतिविधियों से सूक्ष्म अंत का पैलेट आदि हैं। विस्तार के बाद सेल संयंत्र 100 प्रतिशत बीओएफ इस्पात बनाने और निरंतर ढलाई, गर्म धातु का सल्फ्यूरीकरण और बीएफ और बोओएफ स्लैग उपयोग के लिए प्रौद्यिगिकीय रूपांतरण करेगा।

सेल में पर्यावरण प्रबंधन का कार्य सफाई के साथ–साथ स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के जरिए प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद तैयार करने के लिए अनुसंधान एवं विकास का उपयोग तथा पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव के साथ सुविधाओं का संचालन करना है। सेल के कारखानों और इकाइयों में सभी पर्यावरण कार्यक्रम संसाधन अनुकूलन, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों (यदि कोई हो) का शमन, के साथ पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुगम परिचालन और रखरखाव कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटते हैं। पर्यावरण पर सभी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, नोडल एजेंसी के रूप में पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग (ईएमडी) देश भर में स्थित स्टील प्लांट और सेल की खान में और आसपास के वातावरण प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है।

प्रदूषण नियंत्रण स्कीमों पर करीब ₹ 5000 करोड़ खर्च करने के साथ, सेल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के अधिक कुशल और पर्यावरण अनुकूल स्थापन के साथ बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण व विस्तार कार्यक्रम के साथ अग्रसर है।

आईएसओ 14001 से संबद्ध पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) का कार्यान्वयन

प्रभावी प्रबंधन पर्यावरण स्थायी तरीके से संचालन के लिए इस्पात उद्योग के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी कंपनी ने लगातार पर्यावरण के प्रदर्शन को बढ़ाने और परिचालन दक्षता में वृद्धि के साथ आर्थिक लाभ के साथ सहवर्ती वृद्धि के लिए उत्साह से पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है। सेल ने अपने कारखानों और खानों में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001) उत्तरोत्तर शुरू की है जिसके फलस्वरूप जल प्रबंधन, जल और ऊर्जा संरक्षण, शोर में कमी, स्टैक और फ्यूजिटिव उत्सर्जन पर नियंत्रण, परिष्कृत हाउसकीपिंग इत्यादि में सुधार हुआ है। सेल ने अपने सीएमओ भंडारगृहों में भी आइएसओ 14001 शुरू की है जिससे आपूर्ति श्रृंखला को पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में इसकी प्रतिबद्धता स्थापित होती है।

वर्ष 2013–14 के दौरान सीएफपी चंद्रपुर में और अहमदाबादए एवं गाजियाबाद में दो भंडारगृहों में आइएसओ – 14001 : 2004 के साथ ईएमएस संबद्ध किए गए हैं।

वर्ष के दौरान कार्यान्वित प्रमुख प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियां

- बीएसपी में बीएफ यूनिट # 6 और 7 में कोयले की धूल इंजेक्शन इकाई की कोयला पीसने की सुविधाओं का विस्तार
- अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं के साथ डीएसपी में कोक ओवन बैटरी के पुनर्निर्माण # 2
- आरएसपी में पुराने ईएसपी की जगह, सीपीपी – 1 में एमपी बॉयलर रु 3 में नए ईएसपी की स्थापना
- आरएसपी में कोक ड्राई शमन सुविधा के साथ नई कोक ओवन बैटरी रु 6 की स्थापना
- बीएसएल में जटिल बीएफ के हाइलाइन क्षेत्र में सूखी फोग डस्ट दमन प्रणाली का प्रावधान
- बीएसएल में बीएफ – 2 के साथ कास्ट हाउस स्लैग दानेदार बनाने के संयंत्र (इकाई –3) की स्थापना

पर्यावरणीय फूडप्रिंट्स और परिचालन दक्षता में सुधार

सेल संयंत्रों ने पर्यावरण फुटप्रिंट को कम करने और परिचालन अनुशासन में सुधार करके परिचालन क्षमता बढ़ाने और उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इससे ग्रीनर और अधिक पर्यावरण अनुकूल इस्पात का उत्पादन करने के लिए हम सक्षम हुए और पर्यावरण मानकों में सुधार करने के साथ ही तकनीकी आर्थिक दक्षता में सुधार हुआ है। कुछ प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं।

- सेल संयंत्रों ने 2012–13 की तुलना में 1 प्रतिशत सुधार के साथ, 6.59 Gcal/tcs का अब तक की सबसे अच्छी विशिष्ट ऊर्जा खपत दर्ज की। यह ऊर्जा कुशल डीसी मार्ग के माध्यम से किए जा रहे अधिक मात्रा में उत्पादन के परिणामस्वरूप हासिल किया गया (पिछले वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक)।
- वित्त वर्ष 2014 के दौरान सेल ने अब तक का सबसे कम पर्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन लोड (0.86 kg/tcs), विशिष्ट जल खपत (3.66 m^3/tcs) और विशिष्ट प्रवाह निर्वहन (2.18 m^3/tss) हासिल किया।
- सेल संयंत्रों ने अपना CO^2 उत्सर्जन स्तर घटाकर 2.69 T/tcs कर लिया जो इनका अब तक का सबसे कम उत्सर्जन है और पिछले वर्षों की तुलना में इसमें महत्वपूर्ण सुधार हुआ।

वायु और जल प्रदूषण के स्तर में सुधार

सेल के कारखानों में प्रभावी ढंग से वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का अनुरक्षण किया जा रहा है और मानदंड बनाए रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से उन्नत बनाया जा रहा है जो दिन पर दिन सख्त होते जा रहे हैं। निरंतर प्रयास करने के कारण, प्रमुख स्टैक से विशेष पर्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन कम पिछले पांच साल में 44 प्रतिशत से अधिक कम किया गया है।

इस्पात संयंत्रों में जल प्रदूषण स्तर पर विभिन्न दुकानों पर स्थापित प्रवाह उपचार संयंत्रों (इटीपी) के प्रभावी उपयोग, मौजूदा जल पुनः संचलन प्रणाली का कायाकल्प और अन्य परिचालन प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए पानी के जीर्णोद्वार के द्वारा ध्यान दिया जाता है। ईटीपी से उपचारित प्रवाह, को सिर्फ प्रवाह निर्वहन के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बाद ही संयंत्र सीमा के बाहर निकाला जाता है। डिस्चार्ज में विशिष्ट प्रवाह लोड पिछले पांच वर्ष में 35 प्रतिशत से अधिक घट गया है। एकीकृत इस्पात संयंत्रों में भी शून्य प्रवाह मुक्ति प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई शुरू की गई है।

मौजूदा कारखानों में, इएसपी के द्वारा बहु चक्रवातों और बैग फिल्टर के प्रतिस्थापन, फटे हुए बैग हाउसेज के स्थान पर नए लेने, इएसपी के सुधार, सूखी कोहरा धूल दमन प्रणाली की स्थापना, फट चुकी डक्टिंग और पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन, इटीपी में कड़ी सफाई और अनुरक्षण, कास्ट हाउस स्लैग ग्रेन्युलेशन प्लांट की स्थापना, सुरक्षित लैंडफिल का निर्माण जैसे विविध उपाय किए गए हैं तथा पर्यावरणीय पहलुओं की निगरानी सुदृढ़ करने और कर्मचारियों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार हुआ है जो निम्न पर्यावरणीय सूचकांकों के माध्यम से परिलक्षित होता है :

– पीएम उत्सर्जन लोड 2009–10 में 1.55 ाह्ध्ज्बे से घटकर 0.86 kg/tcs रह गया है जो पिछले पांच वर्षों में 44 प्रतिशत से अधिक कमी है।

पीएम उत्सर्जत लोड

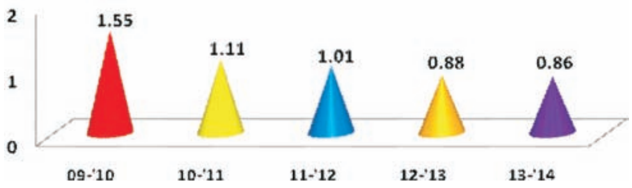

– विशिष्ट प्रवाह निर्वहन 2009–10 में 2.53 m^3/tss से घटकर 2.16 m^3/tss रह गया है जो पिछले पांच वर्षों में लगभग 15 प्रतिशत की कमी है।

विशिष्ट प्रवाह निर्वहन (m^3/tfs)

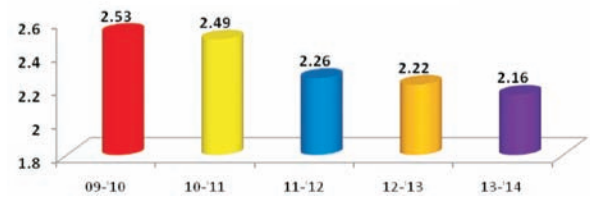

– विशिष्ट प्रवाह भार 2009–10 में 0.17 kg/tcs से घटकर 0.11 kg/tcs रह गया है जो पिछले पांच वर्षों में 35 प्रतिशत से अधिक की कमी है।

विशिष्ट प्रवाह भार

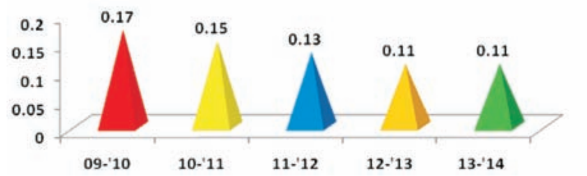

– विशिष्ट पानी की खपत 2009–10 में 3.96 m^3/tcs से घटकर 3.67 m^3/tcs रह गयी है जो पिछले पांच वर्षों में 7 प्रतिशत से अधिक कमी है।

विशिष्ट पानी की खपत

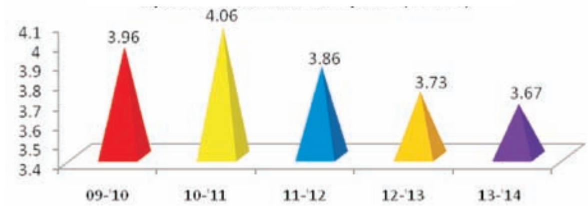

पर्यावरणीय मंजूरी/ध्वानि की मंजूरी/सहमति/खनन योजना शर्तों का अनुपालन

नियम, विनियम और कानून के प्रति वचनबद्धता को आगे बढ़ाते हुए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विनियामक जरूरतें विधिवत पहचानी जाएं तथा उनका पालन करने के लिए, सेल ने विविध कार्रवाई शुरू की हैं जो वैधानिक अनुपालनों से भी आगे निकल गए हैं। कंपनी पर्यावरण 'ध्वानिकी मंजूरी/सहमति में सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

सेल ने प्रबंधन के लिए और अनुपालन शर्तों के निष्पादन तथा इस क्षेत्र में पेश आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए कारखाने/खानों के स्तर पर उपयुक्त व्यवस्था की है। पर्यावरण अनुमति/सहमति शर्तों के अनुपालन सहित पर्यावरण के प्रदर्शन की तिमाही समीक्षा संबंधित कारखानों के पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग (ईएमडी) और पर्यावरण नियंत्रण विभाग के प्रमुख (ईसीडी) के बीच एक विस्तृत इंटरैक्टिव चर्चा के माध्यम से की जाती है। ईएमडी के डेस्क अधिकारी नियमित समीक्षा करते हैं और कारखानों का दौरा करते हैं तथा उनके निष्कर्ष की जानकारी संबंधित कारखानो/प्रबंधन को दी जाती है। पर्यावरण/वन मंजूरी और खनन योजना के अनुदान आदेशों के अनुसार अनुपालन

रिपोर्ट नियमित आधार पर संबंधित सांविधिक अधिकारियों को प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी व्यवस्था विकसित की गई है जहां सांविधिक प्राधिकारियों के जरिए पता चले, पर्यावरण नीति और पर्यावरण मंजूरी शर्तों के उल्लंघन के मामलों से संबंधित किसी भी विचलन की सूचना संबंधित कारखाना और खान के जरिए सेल के बोर्ड को दी जाती है।

2013.14 के दौरान पर्यावरण के बारे में नई पहल

- अपशिष्ट उपयोगिता बढ़ाने के लिए
  - एक परियोजना किया गया है रेल ट्रैक गिट्टी के रूप में बीएसएल की वेदरहेड एलडी स्लैग की उपयोगिता के लिए दक्षिण पूर्वी रेलवे, बीएसएल और सेल ने संयुक्त रूप से परियोजना हाथ में ली है।
  - सेल के तहत अनुसंधान और विकास मास्टर प्लान के तहत, एलडी/बीओएफ स्लैग (हाइड्रो मकैनिकल अध्ययन) को सूखी दानेदार बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रयोगशाला पैमाने पर अध्ययन पर परियोजना चलाई जा रही है। यह प्रौद्योगिकी आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से विकसित की जा रही है।
- आर एंड डी मास्टर प्लान के तहत आरएसपी (टेकनोलॉजी मिशन – 3) में वनीकरण के जरिए कार्बन ज़ब्ती परियोजना प्रगति पर है। मैसर्स टीएफआरआई, जबलपुर और सेल संयुक्त रूप से इस परियोजना पर काम कर रहे हैं।
- इस्पात संयंत्र टाउनशिप में कार्यान्वयन के लिए नगरीय ठोस कचरे के लाभकारी इस्तेमाल के लिए, व्यापक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल तैयार किया गया है।

वृक्षारोपण

सेल को समग्र पर्यावरण पहल में वृक्षारोपण प्रबंधन की भूमिका का एहसास है। पिछले कुछ दशकों में सभी कारखानों और खानों में व्यापक वनीकरण कार्यक्रम लगातार चलाया गया है। वनीकरण द्वारा विकसित हरित पट्टी न केवल पर्यावरण को सौंदर्यपूर्ण बनाती है बल्कि वाटरशेड प्रबंधन, मृदा संरक्षण, कटाव नियंत्रण और हवाओं को रोकने की प्रणाली के विकास एवं भूस्खलन स्थिरीकरण में भी मदद करता है। वर्ष 2013–14 के दौरान सेल के कारखानों और खानों में और उनके आसपास करीब 2.05 लाख पौधे लगाए गए हैं। आरंभ से अब तक कुल 183.9 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं।

अवक्रमित भूमि की बहाली

अवक्षय पारितंत्र की बहाली और पुनर्वास पर एक परियोजना पूर्णपानी लाइमस्टोन और डोलामाइट क्वैरी (पीएलडीक्यू) में निष्पादित की जा रही है। 3.23 लाख से अधिक पौधे रोपकर अब तक, खनन क्षेत्र की 172.92 एकड़ जमीन को सफलतापूर्वक बहाल कर लिया गया है। पानी से भरी पांच परित्यक्त खदानों में मछली पालन शुरू किया गया है।

2013 –14 के दौरान, कुल 75 एकड़ जमीन की बहाली के लिए एक ऐसी ही परियोजना बोलानी अयस्क खान में शुरू की गई है।

ड. प्रौद्योगिकी संरक्षण

उक्त के अलावा, कंपनी की निम्नलिखित गतिविधियों ने भी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में योगदान दिया है:

- टेलिंग तालाबों की गाद निकालना: टेलिंग तालाब के जीवन को बढ़ाने के लिए और सतह जल प्रदूषण को कम करने के लिए, वर्ष के दौरान बीएसपी की डल्ली (मैक) खान के हितकासा टेलिंग तालाब से 4.339 लाख क्यूबिक मीटर गाद निकाली गई।
- जल संरक्षण की दिशा में उपाय के रूप में और आसपास के वातावरण में कम डिस्चार्ज के जरिए सतह जल प्रदूषण को न्यूनतम करने के लिए भी, वर्ष के दौरान बीएसपी की डल्ली (मैक) खान के हितकासा टेलिंग पोंड से 57.859 लाख m^3 ओवरफ्लो जल का पुनः प्रसार किया गया।

छ. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और सतत विकास

- सेल के सामाजिक आर्थिक उद्देश्य इसके कारोबार के संचालन में झलकते हैं जिनमें व्यवसाय संचालन में सर्वोच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता और लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने के लिए अवसर और जिम्मेदारी को महत्व देने के साथ ही इसके बुनियादी मूल्यों में से एक लोगों की चिंता में दिखाई देता है
- भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने 2011 में सतत विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और 2013 में संशोधित किए हैं। इन दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने सतत विकास (एसडी) नीति बनाई है और अपनी इकाइयों में एसडी विशिष्ट परियोजनाओं को हाथ में लिया। भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के तहत वर्ष 2013–14 के लिए, सेल ने "आईएसपी अस्पताल में सौर ऊर्जा इकाइयों की स्थापना" और बोलानी लौह अयस्क खान में जैव विविधता संरक्षण के विषय पर एसडी परियोजनाओं का चयन किया है।
- सतत विकास की दिशा में कंपनी के प्रयासों और पहलों के बारे में जानकारी सेल की कॉर्पोरेट स्थिरता रिपोर्ट के माध्यम से दी जा रही है। वर्ष 2012–13 के लिए कॉर्पोरेट स्थिरता रिपोर्ट को ग्लोबल रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई), एम्स्टर्डम ने अनुप्रयोग स्तर ए के मानदंडों के अनुरूप माना है। सेल की स्थिरता रिपोर्ट ने लगातार तीन साल ए स्तर जीआरआई स्टेटमेंट प्राप्त किया है।

ढ. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास कंपनी के निम्न व्यवसाय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की एक कुशल प्रणाली है:

- संचालन की दक्षता
- संसाधनों का संरक्षण
- वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और मुस्तैदी
- निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन
- विभिन्न कानूनों और नियमों का अनुपालन

सेल में, आंतरिक लेखा परीक्षा बहु अनुशासनिक प्रक्रिया है जो कंपनी की विभिन्न प्रणालियों, प्रक्रियाओं/नीतियों की समीक्षा, मूल्यांकन और आकलन करती है तथा और सार्थक और उपयोगी सुधारों का सुझाव देती है। यह अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिशा में जोखिम प्रबंधन के प्रभाव को बढ़ाने में सुधार के लिए एक व्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण लाने के जरिए अपने उद्देश्य को पूरा करने में प्रबंधन की मदद करती है।

कंपनी ने लेखा परीक्षा कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा बोर्ड स्तरीय लेखा परीक्षा समिति के पर्यवेक्षण द्वारा समग्र नियंत्रण माहौल के अधीन है बशर्ते आंतरिक लेखा परीक्षा कार्मिक आदि के समुचित मिले जुले कौशल के साथ सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण में पारदर्शिता पर बल देते हुए, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य को स्वतंत्रता हो। वार्षिक लेख परीक्षा योजना महत्वपूर्ण जोखिम क्षेत्रों की पहचान पर आधारित होती है जिसके साथ प्रणाली/प्रक्रिया लेखापरीक्षा और संयंत्रों/इकाइयों में पालन की जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं की बेंचमार्किंग लेखा परीक्षा समिति ने की है और अनुमति दी है ताकि कंपनी के परिचालन में लागत में कमी सहित समग्र दक्षता सुधार हासिल किया जा सके। आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारियों का विकास, लेखा परीक्षा कराने वालों में जागरूकता लाना, आंतरिक लेखा परीक्षा की अतिसक्रिय भूमिका पर बल वर्ष के दौरान ध्यान के अन्य मुख्य क्षेत्र बने रहे। आंतरिक लेखा परीक्षा समिति ने कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ अपनी बैठक में भी कंपनी और वित्तीय रिपोर्ट पर अपने अवलोकनों में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्ता पर अपने विचार रखे। अन्य बातों के साथ, लेखा परीक्षा समिति ने निम्नलिखित क्षेत्रों की निगरानी भी की–

- सेल टाउनशिपों में भूमि और क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जे का मुद्दा।
- बेनिफिकेशन प्लांट और कोल वाशरीज की स्थापना के जरिए कोयले की गुणवत्ता सुधारने के लिए कोयला खानों के बैकवर्ड एकीकरण सहित इस्पात संयंत्रों में नॉन–कोकिंग कोल का उपयोग, उपलब्धता और भावी जरूरत।
- परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अपेक्षित कौशल मिश्रण के साथ संगठनात्मक समर्थन।
- सेल के प्लांट और इकाइयों में सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति और इआरपी कार्यान्वयन।
- विभिन्न कारखानों/इकाइयों पर भूमि बैनामों का समाशोधन।

आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को अच्छी तरह से प्रलेखित नीतियों, दिशा–निर्देशों और प्रक्रियाओं के जरिए पूरक बनाया गया है तथा आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग इसकी नियमित समीक्षा कर रहा है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष वाली रिपोर्ट समय–समय पर प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती हैं।

चेतावनी कथन

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में, कंपनी के उद्देश्य, संभावनाओं और अनुमानों का वर्णन करने वाले कथन भविष्योन्मुखी कथन हैं तथा लागू सुरक्षा कानूनों और नियमों के अर्थ में प्रगतिशील हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक स्थिति, सरकारी नीतियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर व्यक्त या निहित से भिन्न हो सकते हैं।

सेल SAIL

दस वर्षों की एक झलक

वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड)

	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
सकल बिक्री	51866	49350	50348	47041	43935	48738	45555	39189	32280	31805
शुद्ध बिक्री	46189	43961	45654	42719	40551	43204	39508	33923	27860	28523
मूल्यह्रास से पूर्व आय, ब्याज, कर और असाधारण मद (ईबीआईडीटीए)	5909	5621	7658	9030	11871	10946	12955	10966	7381	11097
मूल्यह्रास	1717	1403	1567	1486	1337	1288	1235	1211	1207	1127
ब्याज और वित्तीय प्रभार	968	748	678	475	402	259	251	332	468	605
विशिष्ट मद पूर्व लाभ	4184	3470	5413	7069	-	-	-	-	-	-
असाधारण मद रू लाभ()/हानि(–)	959	-229	-262	125	-	-	-	-	-	-
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	3225	3241	5151	7194	10132	9399	11469	9423	5706	9365
कर आयकर वापसी के लिए प्रावधान (–)	608	1070	1608	2289	3378	3228	3932	3221	1693	2548
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)	2616	2170	3543	4905	6754	6170	7537	6202	4013	6817
लाभांश	834	826	826	991	1363	1074	1528	1280	826	1363
इक्विटी पूंजी	4131	4131	4131	4130	4130	4130	4130	4130	4130	4130
रिजर्व और अधिशेष (डीआरई का निवल)	38536	36894	35680	32939	29186	24018	18874	13054	8255	5881
निवल मूल्य (इक्विटी पूंजी एवं रिजर्व और अधिशेष)	42666	41025	39811	37069	33317	28148	23004	17184	12386	10011
ब्कुल ऋण	25281	21597	16320	19375	16511	7563	3045	4181	4298	5770
शुद्ध अचल संपत्ति	26771	16777	17127	15059	13615	12305	11571	11598	12162	12485
जारी पूंजीगत कार्य	33651	35891	28205	22226	14953	6550	2390	1199	758	366
चालू परिसंपत्तियां (लघुकालीन जमा सहित)	26891	27616	28431	36544	39154	34676	26318	20379	17384	14187
चालू देयताएं एवं प्रावधान	15212	13012	12225	12172	11073	12277	9439	6500	8108	6608
कार्य पूंजी (चालू परिसंपत्तियां घटाया चालू देयताएं)	11679	14604	16206	24372	28081	22398	16879	13879	9276	7579
नियोजित पूंजी (शुद्ध अचल संपत्ति+कार्य पूंजी)	38450	31381	32921	39431	41696	34704	28450	25476	21438	20064
प्रति शेयर बाज़ार दर (रु. में) (अवधि की समाप्ति पर)	71.40	62.35	94.05	170.00	252.55	96.45	184.75	113.00	83.15	62.95
महत्वपूर्ण कर अनुपात										
ईबीडीआईटीए पर औसत नियोजित पूंजी (%)	16.9	17.5	21.0	21.7	31.1	34.7	48.0	46.4	35.3	62.9
पीबीटी से शुद्ध बिक्री (%)	7.0	7.4	11.3	16.8	25.0	21.8	29.0	27.8	20.5	32.8
पीबीटी से औसत नियोजित पूंजी (%)	8.4	10.1	14.2	17.3	26.6	29.8	42.5	39.9	27.3	53.1
औसत शुद्ध मूल्य (%) पर प्रतिफल	6.1	5.4	9.2	13.9	22.0	24.1	37.5	42.0	35.8	92.9
10 रु. प्रति शेयर पर शुद्ध मूल्य (रु.)	103.3	99.3	96.4	89.7	80.7	68.1	55.7	41.6	30.0	24.2
10 रु. प्रति शेयर पर अर्जन (रु.)	6.3	5.3	8.6	11.9	16.4	14.9	18.2	15.0	9.7	16.5
मूल्य – अर्जन अनुपात (गुणा)	11.3	11.9	11.0	14.3	15.4	6.5	10.1	7.5	8.6	3.8
10 रु. प्रति शेयर पर लाभांश (रु.)	2.0	2.0	2.0	2.4	3.3	2.6	3.7	3.1	2.0	3.3
प्रभावी लाभांश दर (%)	2.8	3.2	2.1	1.4	1.3	2.7	2.0	2.7	2.4	5.2
डेबिट– इक्विटी (गुणा)	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.1	0.2	0.3	0.6
वर्तमान अनुपात (गुणा)	1.8	2.1	2.3	3.0	3.5	2.8	2.8	3.1	2.1	2.1
कारोबार अनुपात पर नियोजित पूंजी (गुणा)	1.5	1.6	1.5	1.2	1.1	1.4	1.6	1.5	1.5	1.6
कार्य पूंजी कारोबार अनुपात (गुणा)	4.4	3.4	3.1	1.9	1.6	2.2	2.7	2.8	3.5	4.2
ब्याज व्याप्ति अनुपात (गुणा)	2.3	2.6	3.8	7.1	14.4	29.0	46.4	29.3	13.1	16.4
लाभांश भुगतान अनुपात	31.9	38.1	23.3	20.2	20.2	17.4	20.3			

उत्पादन

(हजार टन में)

मद	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06*	2004-05
तप्त धातु	14447	14266	14116	14888	14505	14442	15199	14606	14603	13202
कच्चा इस्पात	13579	13417	13350	13761	13506	13411	13964	13506	13471	12459
कच्चा लोहा	223	214	106	261	323	267	441	509	578	364
विक्रय इस्पात	12880	12385	12400	12887	12632	12494	13044	12581	12051	11030
–अर्ध तैयार इस्पात	2760	2422	2527	2394	2392	2206	2243	2278	2273	1751
–निर्मित इस्पात	10120	9962	9872	10493	10240	10288	10801	10303	9778	9279

* पूर्व इस्को (अब आईएसपी) का उत्पादन उसके सेल में विलय के बाद 2005–06 से लेकर शामिल किया गया है।

मूल्य–वर्धित विवरण

वर्ष के लिए		2013-14		2012-13
स्वयं के उत्पादन का मूल्य	51825		52380	
अन्य आय	1344	53169	1571	53951
घटाएं: कच्चे माल की कीमत	19272		21202	
सामान एवं कलपुर्जे	3179		3112	
विद्युत एवं ईंधन	4942		4830	
उत्पाद शुल्क	5677		5389	
किराया भाड़ा	976		953	
अन्य प्रचालन लागत	3634	37680	4437	39923
कुल मूल्य जमा		15489		14028
स्थापना लागत		9579		8637
वित्तीय लागत		968		748
लाभांश प्रावधान		834		826
निगमित आयकर		608		1070
लाभांश कर		142		135
व्यवसाय में लगी आय				
मूल्यह्रास	1717		1403	
कारोबार में शेष	1641	3358	1209	2612
प्रयुक्त कुल मूल्य		15489		14028

शेयरधारिता पैटर्न
(31.03.2014 को)

श्रेणी	इक्विटी शेयरों की संख्या	धारकों की संख्या	राशि (₹ करोड़)	इक्विटी का %
भारत सरकार	3304293713	1	3304.29	80.00
बीमा कंपनियां	292953452	12	292.95	7.09
बैंक/एफआई	129513499	75	129.51	3.14
म्युचअल फण्ड्स	29263779	31	29.26	0.71
विदेशी संस्थान निवेशक	241684645	175	241.68	5.85
ग्लोबल डिपोजिटरी रसीदें	454185	2	0.45	0.01
कंपनियां	19146284	3163	19.15	0.46
व्यक्ति	113215732	388998	113.22	2.74
कुल	4130525289	392457	4130.53	100.00

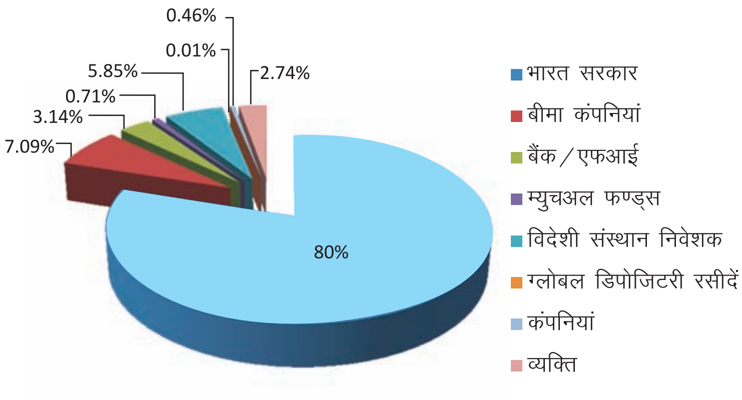

समेकित तुलन पत्र –

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
इक्विपटी एवं देयताएं			
शेयरधारियों की निधि			
(क) शेयर पूँजी	1	**4130.53**	4130.53
(ख) रिजर्व एवं अधिशेष	2	**38535.82**	36894.11
गैर–चालू देयताएं			
(क) लम्बी–अवधि वाले ऋण	3	**13632.22**	13485.55
(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		**2040.46**	1728.53
ग) अन्य लम्बी–अवधि देयताएं	4	**1381.30**	1271.12
घ) लम्बी–अवधि प्रावधान	5	**3901.28**	4204.16
चालू देयताएं			
(क) लघु–अवधि ऋण	6	**10634.48**	8015.02
(ख) व्यापार देय	7	**3205.34**	3322.04
(ग) अन्य चालू देयताएं	8	**12478.51**	8654.70
(घ) लघु–अवधि ऋण	9	**2021.95**	2512.70
कुल		**91961.89**	**84218.46**
परिसंपत्तियां			
गैर– चालू परिसंपत्तियां			
(क) स्थाई परिसंपत्तियां			
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	10A	**25256.52**	15234.63
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10B	**1514.13**	1542.77
(iii) चालू पूँजीगत कार्य	11	**33650.54**	35890.85
(ख) गैर– चालू निवेश	12	**720.20**	718.36
(ग) लम्बी–अवधि वाले ऋण एवं अग्रिम	13	**3794.32**	3176.96
(घ) अन्य गैर– चालू परिसंपत्तियां	14	**135.43**	568.46
चालू परिसंपत्तियां			
(क) चालू निवेश	15	**15200.82**	16008.21
(ख) व्यापार प्राप्य	16	**5481.98**	4424.18
(ग) नकद एवं बैंक शेष	17	**2855.95**	3850.35
(घ) लघु–अवधि वाले ऋण एवं अग्रिम	18	**1160.51**	988.73
(ङ.) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	**2191.49**	1814.96
कुल		**91961.89**	**84218.46**

महत्वपूर्ण लेखा–नीतियां
समेकित वित्तीय विवरण संबंधी अन्य नोट **28-41**
उपरोक्त संदर्भित नोट इन समेकित वित्तीय विवरणों के अनिवार्य हिस्से हैं।

निदेशक मण्डल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता0 / –	हस्ता0 / –	हस्ता0 / –
(एम.सी.जैन)	**(अनिल कुमार चौधरी)**	**(सी. एस. वर्मा)**
सचिव	**निदेशक (वित्त)**	**अध्यक्ष**

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.के.मित्तल एंड कंपनी	**कृते ओ.पी.टोटला एंड कंपनी**	**कृते बी. एन. मिश्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड लेखाकार	चार्टर्ड लेखाकार	चार्टर्ड लेखाकार
हस्ता0 / –	हस्ता0 / –	हस्ता0 / –
(एम.के. मित्तल)	**(एस.के.आचार्य)**	**(एस.सी दास)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम.सं. 8506	एम.सं. 078371	एम.सं. 050020

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 28 अगस्त, 2014

Statement of Profit & Loss

for the year ended 31st March, 2014

(₹ crore)

	Note No.		Year ended 31st March, 2014		Year ended 31st March, 2013
Revenue from Operations	20	**52375.70**		49829.22	
Less : Excise Duty		**5677.29**	**46698.41**	5388.64	44440.58
Other Income	21		**881.41**		1119.12
Total Revenue			**47579.82**		45559.70
Expenses					
Cost of Materials Consumed	22	**19271.16**		21198.48	
Purchase of Stock in Trade		**0.78**		3.21	
Changes in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade	23	**894.63**		-2016.09	
Employee Benefits Expense	24	**9578.51**		8637.09	
Finance Costs	25	**967.64**		747.66	
Depreciation and Amortisation Expense		**1716.69**		1402.98	
Other Expenses	26	**13035.06**	**45464.47**	12157.92	42131.25
			2115.35		3428.45
Add: Adjustments pertaining to Earlier Years	27		**150.08**		41.53
Profit before Tax and Exceptional Items			**2265.43**		3469.98
Add: Exceptional Items :					
Foreign Exchange Loss (-)		**-97.14**		-229.32	
Compensation received for Non Performance of Contract		**1056.26**	**959.12**	-	-229.32
Profit before Tax			**3224.55**		3240.66
Less : Tax Expense					
Current Tax		**683.26**		1057.96	
Deferred Tax		**331.97**		12.44	
MAT Credit		**-520.11**		-	
Earlier Years		**112.95**	**608.07**	-0.09	1070.31
Profit after Tax			**2616.48**		2170.35
Earnings per Share					
Profit after Tax			**2616.48**		2170.35
Average Number of Equity Shares (Face Value ₹10/- each)			**4130525289**		4130525289
Basic and Diluted Earnings per Share (₹)			**6.33**		5.25
Significant Accounting Policies					
Other Notes to Financial Statements	28-41				

The Notes referred to above form integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(M.C.Jain)	**(Anil Kumar Chaudhary)**	**(C.S.Verma)**
Secretary	Director (Finance)	Chairman

In terms of our report of even date

For S.K.Mittal & Co.	**For O.P.Totla & Co.**	**For B.N.Misra & Co.**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
Sd/-	Sd/-	Sd/-
(S.K.Mittal)	**(S.K.Acharya)**	**(S.C.Dash)**
Partner	Partner	Partner
M.No.8506	M.No. 078371	M.No.050020

Place : New Delhi
Dated : May 28, 2014

Cash Flow Statement

(₹ crore)

For the Year	2013-14	2012-13
A. Cash flow from Operating Activities		
Net Profit / loss (-) before taxation	3224.55	3240.66
Add / (Less) Adjustments for :		
Depreciation	1599.49	1406.40
Interest and Finance Charges	967.64	747.66
Bad debts written-off	7.71	0.34
Provision for Others	(652.28)	1085.89
Profit on sale of Fixed Assets	(7.78)	(25.44)
Interest Income	(584.13)	(826.46)
Dividend Income	(124.91)	(59.46)
Operating cash flow before working capital change	**4430.29**	**5569.59**
Adjustments for changes in :-		
(Increase) / Decrease in Inventories	807.39	(2265.84)
(Increase) / Decrease in Sundry Debtors	(1077.04)	329.51
(Increase) / Decrease in Loans and Advances	(337.49)	(704.44)
Increase / (Decrease) in Current liabilities	2761.96	731.59
(Increase) / Decrease in Other Current Assets	62.27	(269.20)
Cash generated from Operations	6647.38	**3391.21**
Direct Taxes Paid	**(764.29)**	**(986.73)**
Net Cash from Operating Activities	**5883.09**	**2404.48**
B. Cash flow from Investing Activities		
Purchase of Fixed Assets	(8871.46)	(9120.44)
Proceeds from sale of Fixed Assets	34.42	38.84
Loans to Other Companies	0.14	2.26
(Increase) / Decrease in Term Deposits with Banks	932.08	2512.23
Purchase/Sale of investments (net)	(1.84)	(33.32)
Interest received	589.63	835.84
Dividend received	124.91	59.46
Net Cash from / (used in) Investing Activities	**(7192.12)**	**(5705.13)**
C. Cash flow from Financing Activities		
Increase in Reserve & Surplus	1.25	4.26
Increase/(Decrease) in Borrowings (net)	3344.01	5142.92
Interest and Finance Charges paid	(929.20)	(747.57)
Dividend Paid	(999.60)	(991.32)
Tax on Dividend	(169.75)	(160.76)
Net Cash from / (used in) Financing Activities	**1246.71**	**3247.53**
Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)	(62.32)	(53.12)
Cash & Cash Equivalents (Opening) (Refer note 17)	277.23	330.35
Cash & Cash Equivalents (Closing) (Refer note 17)	214.91	277.23
(Represented by Cash & Bank balances)		

Notes :

1 The above Cash Flow Statement has been prepared pursuant to Clause 32 of Listing Agreement with Stock Exchanges and under the indirect method set out in Accounting Standard-3 issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

2 Figures in bracket indicate cash outflow.

3 Significant Accounting Policies and Other Notes to Financial Statements (28 to 41) form an integral part of the Cash Flow Statement.

4 Previous year's figures have been rearranged / regrouped wherever necessary to conform to current year's classification.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(M.C.Jain)	**(Anil Kumar Chaudhary)**	**(C.S.Verma)**
Secretary	Director (Finance)	Chairman

In terms of our report of even date

For S.K.Mittal & Co.	**For O.P.Totla & Co.**	**For B.N.Misra & Co.**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
Sd/-	Sd/-	Sd/-
(S.K.Mittal)	**(S.K.Acharya)**	**(S.C.Dash)**
Partner	Partner	Partner
M.No.8506	M.No. 078371	M.No.050020

Place : New Delhi
Dated : May 28, 2014

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरण भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर पूर्णकालिक लागत परंपरा के तहत और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों (अधिसूचित होने तक) और इसके तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों सहित यथा प्रयोज्य कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत तैयार किए जाते हैं ।

ख. आकलनों का उपयोग

भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन को आकलनों एवं पूर्वानुमानों को तैयार करने की जरूरत है, जो रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान वित्तीय विवरण तथा आय एवं व्यय राशि का लेखा–जोखा बनाने की तिथि में परिसंपत्तियों और देयताओं की प्रतिवेदित राशि तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करता है । वास्तविक परिणाम उन आकलनों से अलग हो सकते हैं। इन आकलनों में किसी प्रकार के संशोधन को उसी अवधि में स्वीकृति दी जाती है जिस अवधि में उसे निर्धारित किया जाता है ।

ग. स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां अधिप्राप्ति की लागत में से मूल्यह्रास घटाकर दर्शायी गई हैं, सिर्फ राज्य सरकारों द्वारा दान में दी गई भूमि के मामले में भूमि का काल्पनिक/नामिक मूल्य दर्शाया गया है और इसी के तुल्य राशि प्रारक्षित पूंजी कोष में डाल दी गई है ।

पट्टे पर ली गई भूमि सहित भूमि के विकास पर हुए व्यय को भूमि की लागत के एक भाग के रूप में पंजीकृत कर दिया जाता है। पट्टे वाली भूमि की लागत पट्टे की अवधि के दौरान चुकाई जाती है ।

लागत में परीक्षणार्थ संचालन व्यय सहित सभी निर्धारण योग्य व्यय शामिल हैं, जो निवल आय है ।

खनन अधिकारों को मूर्त परिसंपत्तियों के रूप में माना जाता है तथा उससे संबंधित सभी प्रकार की लागत का कुल अनुमानित खनन योग्य रिजर्व के लिए वार्षिक उत्पादन के आधार पर परिशोधन किया जाता है ।

सॉफ्टवेयर जो संबंधित हार्डवेयर का कोई अनिवार्य अंग नहीं है, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है तथा इसे 5 वर्ष की अवधि अथवा इसकी लाइसेंस अवधि, जो भी कम हो, में परिशोधित किया जाता है ।

घ. ऋणादान लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण से संबद्ध लागत को परिसंपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में पंजीकृत किया जाता है । अन्य ऋणादान लागत को उस अवधि का व्यय माना जाता है जिसके दौरान वे व्यय किए गए ।

ङ. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची xiv में विनिर्दिष्ट दरों पर सरल रेखा पद्धति के आधार पर किया जाता है। बहरहाल, जिन मामलों में मूल्य ह्रास से परिसंपत्ति की पूर्णकालिक लागत में परिवर्तन किया जाता है। उन मामलों में मूल्यह्रास संशोधित अपरिशोधित राशि पर परिसंपत्ति के उपयोग की शेष अवधि हेतु लगाया जाता है । तकनीकी राय के आधार पर संयंत्र व मशीनों को कंटीन्यूअस तथा नॉन कंटीन्यूअस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और तद्नुसार, उसके लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है । विवेच्य वर्ष के दौरान संवर्धन/निस्तारण पर मूल्यह्रास का प्रावधान आनुपातिक आधार पर संवर्धन/निस्सारण के महीने के संदर्भ में किया जाता है ।

च. निवेश

दीर्घावधिक निवेश (सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों में पूंजीनिवेश सहित) लागत के आधार पर और यदि इसका स्वरूप स्थायी प्रकार का हो, तो उनके मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के बाद किए जाते हैं । चालू पूंजी निवेश लागत से कम तथा बाजार मूल्य के आधार पर किए जाते हैं ।

छ. मालसूची

कच्ची सामग्री तथा तैयार/अर्ध–तैयार उत्पादों (प्रक्रिया स्क्रैप सहित) का मूल्यांकन लागत से कम पर तथा संबंधित संयंत्र/यूनिट के निवल वसूली योग्य मूल्य के आधार पर किया जाता है। अभिज्ञात, अप्रचलित/अधिशेष/अप्रयुक्त मदों के मामले में आवश्यक प्रावधान किए जाते हैं तथा आय में भारित कर दिए जाते हैं । जिन अर्ध–तैयार विशेष उत्पादों का वसूली मूल्य तैयार होने के बाद ही मिल पाना संभव होता है, उनके मामले में निवल वसूली मूल्य का प्राक्कलन लागत से तुलना के उद्देश्य से किया जाता है ।

शेष उत्पाद तथा अन्य प्रकार के स्क्रैप का मूल्यांकन प्राक्कलित निवल वसूली मूल्य पर किया जाता है ।

लागत निर्धारण के आधार निम्नलिखित हैं :

कच्ची सामग्री– समय–समय पर प्रभारित औसत लागत

छोटी–मोटी कच्ची सामग्री– प्रभावी प्रभारित औसत लागत

माल और कलपुर्जे– प्रभावी प्रभारित औसत लागत

मार्गस्थ सामग्री–लागत पर

तैयार/अर्ध–तैयार उत्पाद – सामग्री की लागत तथा श्रम संबंधित उपरिव्यय व शुल्क के उपयुक्त भाग ।

ज. अनुदान

किसी विशेष परिसंपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित अनुदान का समायोजन संबंधित परिसंपत्ति की लागत के आधार पर किया जाता है । राजस्व व्यय से संबंधित अनुदान का समायोजन संबंधित व्यय में किया जाता है ।

झ. विदेशी मुद्रा लेन–देन

मौद्रिक परिसंपत्तियों तथा विदेषी मुद्रा में संबंधित देनदारियां, जो निपटाए नहीं जा सके हैं, को वर्षान्त की दरों पर परिवर्तित कर दिया जाता है ।

मौद्रिक परिसंपत्तियों एंव देयताओं तथा देनदारियों और विदेशी मुद्रा लेनदेन में हुए लाभ और घाटे स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित मदों को छोड़कर, के बीच के विनिमय अंतर को लाभ व हानि लेखे में शामिल कर लिया जाता है । विदेशी मुद्रा में हार्वड एक्सचेंज कॉन्ट्रेक्ट में शामिल लेनदेन के मामले में लेनदेन की तारीख को संविदा दर तथा तत्काल भुगतान योग्य दर के अंतर को संविदा की अवधि से संबंधित लाभ व हानि लेखे में डाल दिया जाता है ।

भारत सरकार के दिनांक 31 मार्च, 2009 द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानक–11 से संबंधित कंपनियों (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2009 (29 दिसंबर, 2011 को यथासंशोधित) के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप होने वाले विनिमय अंतर के लेखांकन का कंपनी ने विकल्प चुना है । तद्नुरूप, दीर्घावधि मौद्रिक मदों से संबंधित वर्ष के दौरान उठने वाले, अब तक वे स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित हैं, विनिमय अंतर (फारवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रेक्ट के कारण आने वाले अंतर सहित) का समायोजन ऐसी परिसंपत्ति की अग्रेनीत राशि में किया जाता है ।

ट. कर्मचारी हितलाभ

भविष्य निधि के लिए कटने वाले अंशदान लाभ और हानि विवरण की उस अवधि जिसमें निधि का अंशदान देय है, में प्रभारित किए जाते हैं । उपदान, संचयी छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा, लंबी अवधि–सेवा पुरस्कार, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा तथा अधिवास लाभ, विकलांग कर्मचारियों/मृतक कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को परिवार हितलाभ योजना के अंतर्गत भविष्य में किए जाने वाले भुगतान के प्रावधान/देनदारी वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं तथा बीमांकिक लाभ/घाटा सहित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए जाते हैं ।

ठ. पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित समायोजन तथा पूर्वदत्त व्यय

पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय तथा पूर्वदत्त व्यय, जो प्रत्येक मामले में ₹10 लाख से अधिक नहीं हों, को चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

ड राजस्व स्वीकरण

बिक्री में उत्पाद शुल्क शामिल है और वह छूट तथा मूल्य रियायत के निवल है। बिक्री का स्वीकरण क्रेताओं को सामग्री के प्रशिक्षण के समय किया जाता है और इनमें ऐसे मामले भी शामिल किए जाते हैं जिनमें सुपुर्दगी प्रलेख क्रेताओं के पक्ष में पृष्ठांकित किए जाते हैं। जब ठेका मूल्यों को सरकारी एजेंसियों के साथ अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, वहां पर बिक्रियों को अस्थायी आधार पर लेखे में लिया जाता है ।

समुद्री निर्यात की बिक्री को निम्नलिखित होने पर स्वीकार किया जाता है ।

i) लदान बिल जारी करने पर, या

ii) लेकैन (laycan) अवधि की समाप्ति पर निर्यात बिल पर बातचीत उन मामलों में जहां संबंधित कॉन्ट्रेक्ट के क्रेडिट पत्र में लदान के बिना सामग्री मूल्य की वसूली दिया गया है,

जो भी पहले हो।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्यात बिक्री का प्राक्कलन वसूली निश्चितता के आधार पर किया जाता है।

मालसूची में शामिल उन लौह अयस्क फाइंस जो तुरंत योग्य/बिक्री योग्य न हों, को निपटान पर मान्यता दी जाती है ।

ढ. निर्णीत हर्जाने/मूल्य वृद्धि से संबंधित दावे

निर्णीत हर्जाने संबंधी दावों को तब लेखा में शामिल किया जाता है जब इनकी कटौती कर ली जाती है और/अथवा इन्हें कंपनी द्वारा वसूली–योग्य मान लिया जाता है। अंतिम निपटारे के बाद इन्हें यथा–स्थिति, पूंजीगत लागत में समायोजित कर लिया जाता है अथवा लाभ व हानि विवरण में शामिल कर लिया जाता है ।

आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों के मूल्य वृद्धि से संबंधित दावे, कंपनी द्वारा इन्हें स्वीकार कर लिये जाने के बाद लेखे में शामिल किए जाते हैं ।

ण. आस्थगित कर

विवेच्य वर्ष के खाता लाभ तथा कर योग्य लाभ के बीच समय अंतर संबंधी आस्थगित कर का लेखांकन तुलन–पत्र की तारीख तक लागू कर की दरों और उक्त तारीख तक अधिनियमित अथवा वस्तुतः अधिनियमित कानूनों के अनुसार किया जाता है । समय अंतर के कारण उद्भूत आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक स्वीकार किया जाता है जिस सीमा तक भविष्य में उन परिसंपत्तियों की प्राप्ति की तर्कसंगत निश्चितता होती है ।

त. अधिभार समाप्त करना

अधिभार के बैकलॉग को समाप्त करने पर व्यय खानों के लिए पंचवर्षीय खनन योजना के अनुसार खाली करके अनुपात के आधार पर राजस्व लिया जाता है, इनमें वे कोयला खानें शामिल नहीं हैं जो परियोजना रिपोर्ट पर आधारित हैं।

थ. आकस्मिक देयताएं :

आकस्मिक देयता विगत गतिविधियों से हुई एक संभव बाध्यता होती है और इसके होने की पुष्टि एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भावी गतिविधियों के कंपनी के भीतर पूर्ण होने अथवा न होने से ही न होगी अथवा वर्तमान बाध्यता जो विगत गतिविधियों से होती है लेकिन इसे मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभ के संसाधनों का बहिर्गमन बाध्यताओं का निपटारा करने के लिए अपेक्षित होगा अथवा बाध्यताओं की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं के होने के बारे में प्रकट करती है।

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश है)

1: शेयर पूँजी

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
प्राधिकृत		
दस–दस रु. प्रत्येक के 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	5000.00	5000.00
दस–दस रु. प्रत्येक के 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर		
जारी, अभिदत्त और पूर्णतया चुकता		
(दस–दस रु. प्रत्येक के 4,13,05,25,289 पूर्णतया चुकता इक्विटी शेयर)	4130.53	4130.53
(दस–दस रु. प्रत्येक के 4,13,04,00,545 पूर्णतया चुकता इक्विटी शेयर)		

(i) वर्ष के अंत में इक्विेटी शेयरों का समाधान

विवरण	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
	संख्या	राशि (₹ करोड़)	संख्या	राशि (₹ करोड़)
– वोटिंग अधिकार सहित इक्विटी शेयर				
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	4130071104	41300711040	4129934944	41299349440
वर्ष के दौरान वोटिंग अधिकार वाले शेयरों में परिवर्तित/जारी शेयर			136160	1361600
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	0	0	0	0
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	4130071104	41300711040	4130071104	41300711040
– वोटिंग अधिकार के बिना इक्विशटी शेयर*				
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	454185	4541850	590345	5903450
वर्ष के दौरान वोटिंग अधिकार वाले शेयरों में परिवर्तित शेयर #				
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	0	0	136160	1361600
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	454185	4541850	454185	4541850

'125 मिलियन यू एस डलार की कुल राशि के लिए 29.55 प्रत्येक यू एस डलार की दर पर जारी एक वैश्विक जमा रसीद द्वारा प्रस्तुत

(ii) कंपनी के परिसमापन होने पर पूँजी के पुनर्भुगतान के संबंध में सभी शेयरों को समान रूप से वर्गीकृत किया जाता है।

(iii) कंपनी के पास कोई धारक कंपनी नहीं है।

(iv) कंपनी में 5: से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
	धारित शेयरों की संख्या	धारण का %	धारित शेयरों की संख्या	धारण का %
भारत के राष्ट्रपति	3304293713	80.00	3304293713	80.00

(v) दस–दस रु. प्रत्येंक के 24,43,82,900 इक्विसटी शेयर (पूँजी की कटौती पर समायोजन का निवल) नकद के अतिरिक्ती विचार हेतु पूर्णतया चुकता के रूप में आबंटित किए गए।

(vi) पिछले 5 वर्षों के दौरान कंपनी ने न कोई बोनस शेयर जारी किए और न ही कोई शेयर वापस खरीदा।

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश है)

2: रिजर्व एवं अधिशेष

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
रिजर्व पूँजी				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार		**2.99**		2.99
वर्ष के दौरान जोड़ा				
प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	**235.12**		235.21	
घटाया: बॉण्ड इश्यू व्यय के निमित्त समायोजन	**0.02**	**235.10**	0.09	235.12
बॉण्ड पुनर्मोचन रिजर्व				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	**585.43**		440.11	
वर्ष के दौरान जोड़ा	**251.13**		145.32	
वर्ष के दौरान कटौतियां	**19.35**	**817.21**	-	585.43
सामान्य रिजर्व				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	**4831.13**		4668.13	
वर्ष के दौरान जोड़ा	**264.00**	**5095.13**	163.00	4831.13
प्रधानमंत्री ट्रॉफी पुरस्कार निधि				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	**24.02**		19.67	
जोड़ा	**2.25**		5.04	
घटाया: उपयोग	**0.98**	**25.29**	0.69	24.02
लाभ एवं हानि खाते में अधिशेषध्नामे शेष				
पिछले खाते के अनुसार शेष	**31215.42**		30314.68	
जोड़ा: अधिशेष	**2616.48**		2170.35	
घटाया: प्रस्तावित लाभांश	**-**		165.22	
घटाया: चुकता लाभांश	**834.35**		660.88	
घटाया: प्रस्तावित लाभांश पर कर	**-**		28.03	
घटाया: चुकता लाभांश पर कर	**141.67**		107.16	
घटाया: बॉण्ड पुनर्मोचन रिजर्व को अंतरित	**231.78**		145.32	
घटाया: सामान्य रिजर्व को अंतरित	**264.00**	**32360.10**	163.00	31215.42
		38535.82		36894.11

प्रधानमंत्री ट्रॉफी निधि

प्रधानमंत्री द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र को भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के रूप में प्रदत्त पुरस्कारों में से यह निधि ली गई है तथा इस निधि से अर्जित आय को भिलाई में कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है।

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश है)

3: दीर्घावधि ऋण

(₹ करोड़)

क्र. सं.	ब्याज%	परिपक्वता	कॉल/पुट विकल्प (वर्ष)	प्रतिभूति संदर्भ	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
	रक्षित							
क.	कर योग्य देय अपरिवर्तनीय बॉण्ड							
1	9.35	9 सितमबर–2026	12/शून्य	(क)	455.00		455.00	
2	8.70	25 अगस्त–2024		(क)	300.00		300.00	
3	9.30	23 अगस्त–2021		(क)	400.00		400.00	
4	8.55	11 अगस्त–2021		(क)	700.00		700.00	
5	8.72	30 अप्रैल–2020		(क)	660.00		660.00	
6	8.75	23 अप्रैल–2020		(क)	545.00		545.00	
7	8.65	1 फरवरी–2020	5/शून्य	(क)	242.00		242.00	
8	8.65	30 दिसम्बर–2019		(क)	450.00		450.00	
9	8.00	7 दिसम्बर–2019	5/शून्य	(क)	30.00		30.00	
10	8.50	7 दिसम्बर–2019		(क)	120.00		120.00	
11	8.60	19 नवम्बर–2019		(क)	335.00		335.00	
12	8.75	15 सितम्बर–2019		(ख, घ)	100.00		150.00	
13	8.80	22 जून–2019		(क)	825.00		825.00	
14	7.70	11 मई–2019	5/5	(क)	-		525.00	
15	8.90	1 मई–2019	5/शून्य	(ख)	950.00		950.00	
16	9.30	25 मई–2018		(क, ट)	360.00		360.00	
17	8.25	6 मई–2018	3/3	(क)	800.00		-	
18	9.18	27 अगस्त–2017		(क)	300.00		300.00	
19	8.75	8 नवम्बर–2017	3/3	(क)	500.00		500.00	
20	8.80	26 अक्तूबर–2015		(ख, घ)	154.00		168.00	
						8226.00		8015.00
अरक्षित								
ख.	आवधिक ऋण							
1				(ड़) केएफडब्ल्यू, जर्मनी	458.22		406.91	
2				(च) बैंक ऑफ टोक्यो मितसुविशी	798.93		1085.80	
3				(छ) बैंक ऑफ टोक्यो मितसुविशी	1198.40		1085.80	
4				(ज) सुमितोमो मितसुविशी बैंक कॉर्प.	1527.60		1527.60	
5	2.00			(झ) नेटक्सिस बैंक	24.22		22.36	
6				(ट) भारतीय स्टेट बैंक	366.84		310.00	
				(ठ) मिजहो कॉर्पोरेट बैंक लि.	827.85	5202.06	827.85	5266.32
C				(ड) इस्पात विकास निधि		204.16		204.16
				(ढ) अन्य		-		0.07
						13632.22		13485.55

(क) इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी) से संबंधित कंपनी के संयंत्र एवं मशीनरी सहित वह भूमि जिस पर वह स्थापित है और मोजे–वादेज शहर–तालुका जिला–अहमदाबाद, गुजरात में स्थित सभी वर्तमान एवं भावी अचल परिसंपत्तियों पर धार्य प्रभार पारी–पासु रेंकिंग द्वारा रक्षित।

(ख) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी) से संबंधित कंपनी के संयंत्र एवं मशीनरी सहित वह भूमि जिस पर वह स्थापित है और मोजे–वादेज शहर–तालुका जिला–अहमदाबाद, गुजरात में स्थित सभी वर्तमान एवं भावी अचल परिसंपत्तियों पर धार्य प्रभार पारी–पासु रेंकिंग द्वारा रक्षित।

(ग) अन्य चालू देयताओं में दर्शाए गए 14 करोड़ रु. की 12 समान वार्षिक किश्तों में देय जो 26 अक्तूबर, 2014 से शुरू होंगी ।

(घ) अन्य चालू देयताओं में दर्शाए गए 50 करोड़ रु. की 3 समान किश्तों में जो 15 सितंबर, 2014, 2019 और 2024 को देय होगी ।

(ड.) ऋण का सुलभ आधार 3 ट्रांचेज 1(क), 1(ख) एवं 1(ग) में 8.75% ब्याज दर पर आहरित किया गया। 1(क) पर ब्या ज दर 0.75% प्रति वर्ष है एवं विनिमय उतार–चढ़ाव को पूरा करने के निमित्त 4 % तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए 4% है । 1(ख) के मामले में ब्यायज दर 3.66ः प्रति वर्ष है तथा आस–पास के क्षेत्रों के विकास को पूरा करने के निमित्त 5.09% । 1(ग) पर ब्याज दर 0.75% प्रति वर्ष है तथा आस–पास के क्षेत्रों के विकास को पूरा करने के निमित्त 8ः । मूलधन एवं ब्यामज अर्धवार्षिक तौर पर देय है ।

(च) ऋण 6 महीने लंदन इंटर बैंक ऑफरेटिंग रेट (स्पठव्) +2% ब्याज दर पर 3 समान किश्तों में 11 मार्च को देय है जो 2015 से शुरू होगी । ब्याज अर्धवार्षिक तौर पर देय है ।

(छ) ऋण 6 महीने लंदन इंटर बैंक ऑफरेटिंग रेट (स्पठव्) +1% ब्याज दर पर 3 समान किश्तों में 11 अगस्त को देय है जो 2015 से शुरू होगी। ब्याज अर्धवार्षिक तौर पर देय है ।

(ज) ऋण 6 महीने लंदन इंटर बैंक ऑफरेटिंग रेट (स्पठव्) +1.06% ब्याज दर पर 3 समान किश्तों में 11 नवंबर को देय है जो 2015 से शुरू होगी । ब्याज अर्धवार्षिक तौर पर देय है।

(झ) ऋण 2030 में देय है तथा मूल व ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक तौर पर किया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा गारण्टीकृत है।

(ट) ऋण 6 महीने म्त्स्पठव्‍़ 1.24% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक तौर पर भुगतान किया जाना है। लदान बिल की तारीख से 3 वर्ष के अंदर मूलधन देय है।

(ठ) पांच समान वर्षों में देय जो 25 मई 2018 से शुरू होगी।

(ड) ऋण 6 महीने लंदन इंटर बैंक ऑफरेटिंग रेट (स्पठव्) + 1.75% ब्याज दर पर 3 समान किश्तों में 21 दिसंबर को देय है जो 2016 से शुरू होगी। ब्याज का भुगतान अर्ध–वार्षिक तौर पर किया जाना है।

(ढ) पुनर्भुगतान की शर्तें एसडीएफ प्रबंधन समिति द्वारा तय की जाती है।

(ण) महाराष्ट्र सरकार से ब्याज मुक्त ऋण 26 अक्तूबर 2014 को देय होगी।

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश है)

4: अन्य दीर्घावधि देयताएं

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
उपचित ब्याज एवं ऋण पर देय नहीं	**707.46**	715.73
व्यापार देय	**0.71**	11.29
अन्य	**673.13**	544.10
	1381.30	1271.12

5: दीर्घावधि प्रावधान

कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
– उपदान	**440.19**	304.81
– उपचित अवकाश	**2074.48**	2239.91
– कर्मचारी हितलाभ योजना का निर्धारण	**1160.34**	1512.09
अन्य		
– खानों का बन्द होना	**104.21**	91.20
– अन्य	**122.06**	56.15
	3901.28	4204.16

6: अल्पावधि ऋण प्राप्ति

रक्षित		
मांग पर ऋणों की पुनरू अदायगी		
– बैंकों से (क)	**3334.89**	731.16
अरक्षित		
अन्य ऋण एवं अग्रिम	**0.00**	400.00
अन्य ऋण	**7299.59**	6883.86
विदेशी मुद्रा ऋण	**10634.48**	8015.02

(क) सभी चालू परिसंपत्तियों के बंध द्वारा रक्षित

(ख) तुलनपत्र की तारीख पर ऋण एवं ब्याज के पुनर्भुगतान में कंपनी की तरफ से कोई चूक नहीं रहा है ।

7: व्यापार देय

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	**21.44**	13.86
अन्य	**5.43**	5.31
	3178.47	3302.87
	3205.34	3322.04

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश है)

8: अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता		1014.70		96.38
उपचित ब्याज किंतु जो ऋण पर देय नहीं		626.63		579.92
अग्रिम में प्राप्त आय				
ग्राहकों से	858.60		642.75	
अन्यों से	43.98	902.58	32.53	675.28
निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि की ओर देयताएं देय नहीं हैं				
भुगतान न किया गया लाभांश	13.58		11.67	
अदावाकृत परिपक्व जमा एवं उस पर उपचित ब्याज	1.03	14.61	1.09	12.76
प्रतिभूति जमा	568.12		495.72	
घटाया : प्रतिभूति जमा के रूप में				
प्राप्त निवेश	0.01	568.11	0.01	495.71
अन्य देयताएं				
पूँजीगत कार्य हेतु विविध लेनदार		1479.59		1381.02
अन्य देयताएं		7872.29		5413.63
		12478.51		8654.70

9: लघु अवधि प्रावधान

कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
	50.63	0.00
– उपचित अवकाश	188.94	214.11
– कर्मचारी हितलाभ योजना का निर्धारण	146.40	176.28
अन्य		
– कराधान	51.96	0.00
– प्रदूषण नियंत्रण एवं क्षेत्रीय विकास	106.62	117.62
– विनिमय उतार–चढ़ाव	0.00	8.17
– प्रस्तावित लाभांश	0.00	165.23
– लाभांश पर कर	0.00	28.08
– वेतन संशोधन	1130.39	1472.30
– खान वनरोपणध्अधिभार हटाना	262.59	237.25
– अन्य	84.42	93.66
कुल	2021.95	2512.70

टिप्पणी (जो तुलन पत्र का ही एक अंश है)

10क : मूर्त स्थाई परिसंपत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक (लागत पर)				मूल्यह्रास/ऋण परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च, 2013 को	परिवर्धन/ समायोजन	घटा	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 तक	वर्ष के लिए	घटाः बिक्री समायोजन पर	31 मार्च, 2014 तक	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
क. संयंत्र, खान एवं अन्य										
भूमि (विकास लागत सहित)										
–फ्रीहोल्ड भूमि	180.30	77.10	0.00	257.40	0.86	0.01	0.00	0.87	256.53	179.44
–लीजहोल्ड भूमि	297.62	58.43	0.00	356.05	64.86	14.47	0.00	79.33	276.72	232.76
भवन	2260.73	537.86	0.09	2798.50	1219.80	60.36	0.07	1280.09	1518.41	1040.93
संयंत्र एवं मशीनरी										
–इस्पात संयंत्र	31624.24	10338.60	94.31	41868.53	20546.42	1218.47	87.37	21677.52	20191.01	11077.82
–अन्य	2448.73	77.65	20.66	2505.72	1635.20	104.50	19.02	1720.68	785.04	813.53
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	105.55	20.51	1.26	124.80	79.38	3.17	0.89	81.66	43.14	26.17
वाहन	1162.82	59.29	7.76	1214.35	533.67	49.93	5.90	577.70	636.65	629.15
कार्यालय उपस्कर	55.87	1.86	1.20	56.53	34.11	1.72	0.97	34.86	21.67	21.76
विविध मदें	266.77	21.07	4.72	283.12	170.51	8.65	3.42	175.74	107.38	96.26
सड़कें, पुल एवं पुलियाएं	211.17	6.97	0.44	217.70	64.85	3.87	0.07	68.65	149.05	146.32
जल आपूर्तिभ एवं मल व्ययन	421.31	162.19	0.40	583.10	283.04	13.77	0.37	296.44	286.66	138.27
ईडीपी उपस्कर	382.56	17.55	7.38	392.73	257.13	35.23	6.68	285.68	107.05	125.43
रेल लाइन एवं साइडिंग	304.26	160.75	0.03	464.98	195.22	11.69	0.02	206.89	258.09	109.04
उप–कुल 'क'	39721.93	11539.83	138.25	51123.51	25085.05	1525.84	124.78	26486.11	24637.40	14636.88
पूर्व वर्ष के आँकड़े	38830.23	984.94	93.24	39721.93	23663.03	1488.98	66.96	25085.05	14636.88	
ख. सामाजिक सुविधाएं										
भूमि (विकास लागत सहित)										
–फ्रीहोल्डो भूमि	10.92	0.00	0.00	10.92	-	-	-	-	10.92	10.92
–लीजहोल्ड भूमि	6.89	0.00	0.00	6.89	5.54	0.12	0.00	5.66	1.23	1.35
भवन	593.49	20.29	0.48	613.30	247.74	9.91	0.42	257.23	356.07	345.75
संयंत्र एवं मशीनरी–अन्य	124.26	6.00	1.26	129.00	78.61	3.41	0.76	81.26	47.74	45.65
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	26.19	1.59	3.64	24.14	16.80	0.95	1.72	16.03	8.11	9.39
वाहन	11.94	0.11	0.64	11.41	8.57	0.70	0.57	8.70	2.71	3.37
कार्यालय उपस्कर	4.16	0.24	0.11	4.29	2.14	0.16	0.05	2.25	2.04	2.02
विविध मदें	190.84	13.70	5.14	199.40	98.87	9.57	2.77	105.67	93.73	91.97
सड़कें, पुल एवं पुलियाएं	64.37	13.61	0.01	77.97	24.03	1.15	0.01	25.17	52.80	40.34
जल आपूर्तिभ एवं मल व्ययन	117.84	0.03	0.20	117.67	104.11	1.17	0.15	105.13	12.54	13.73
ईडीपी उपस्कर	15.00	0.66	3.03	12.63	12.24	0.90	2.64	10.50	2.13	2.76
उप–कुल 'ख'	1165.90	56.23	14.51	1207.62	598.65	28.04	9.09	617.60	590.02	567.25
पूर्व वर्ष के आँकड़े	1127.03	45.21	6.34	1165.90	576.78	26.13	4.26	598.65	567.25	
ग. सक्रिय रुप से प्रयोग में न आने वाली परिसंपत्तियां										
बेकार/ अप्रचलित परिसंपत्तिया	30.50	6.33	7.73	29.10	-	-	-	-	29.10	30.50
पूर्व वर्ष के आँकड़े	30.89	2.90	3.29	30.50	-	-	-	-	30.50	
कुल ('क' 'ख' 'ग')	40918.33	11602.39	160.49	52360.23	25683.70	1553.88	133.87	27103.71	25256.52	15234.63
पूर्व वर्ष के आँकड़े	39988.15	1033.05	102.87	40918.33	24239.81	1515.11	71.22	25683.70	15234.63	

टिप्पणी (जो तुलन पत्र का ही एक अंश है)

10क : अमूर्त स्थाई परिसंपत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	श्सकल ब्लॉक (लागत पर)				मूल्याह्रासध्ऋण परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च, 2013 को	परिवर्धन/ समायोजन	घटा	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 तक	वर्ष के लिए	घटारू बिक्रीध समायोजन पर	31 मार्च, 2014 तक	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
क. संयंत्र, खान और अन्य										
कंप्यूटर सॉफटवेयर	99.28	3.67	0.06	102.89	68.47	15.93	0.06	84.34	18.55	30.81
खनन अधिकार	1684.18	20.43	0.00	1704.61	172.26	36.81	0.00	209.07	1495.54	1511.92
उप–कुल 'क'	1783.46	24.10	0.06	1807.50	240.73	52.74	0.06	293.41	1514.09	1542.73
पूर्व वर्ष के आँकड़े	1770.25	13.22	0.01	1783.46	360.39	-101.40	18.26	240.73	1542.73	
ख. सामाजिक सुविधाएं										
कंप्यूटर सॉफटवेयर	0.63	0.01	0.01	0.63	0.59	-0.01	-0.01	0.59	0.04	0.04
उप–कुल 'ख'	0.63	0.01	0.01	0.63	0.59	-0.01	-0.01	0.59	0.04	0.04
पूर्व वर्ष के आँकड़े	0.64	-0.01	0.00	0.63	0.57	0.02	0.00	0.59	0.04	
कुल ('क' 'ख')	1784.09	24.11	0.07	1808.13	241.32	52.73	0.05	294.00	1514.13	1542.77
पूर्व वर्ष के आँकड़े	1770.89	13.21	0.01	1784.09	360.96	-101.38	18.26	241.32	1542.77	

(₹करोड़)

Note : Allocation of Depreciation

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित	1716.69	1402.98
(इ) निर्माण के दौरान व्यय में प्रभारित	7.12	7.33
(ब) पूर्व वर्षों से संबंधित समयोजने	-117.20	3.42
कुल	1606.61	1413.73

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश है)

11: चालू पूँजीगत कार्य

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को
आबंटन होने तक निर्माण के दौरान व्यय (नोट 11.1)		4.40		2.80
चालू पूँजीगत कार्य				
इस्पात संयंत्र तथा यूनिट	33362.09		35554.64	
टाउनशिप	104.12		101.66	
अयस्क खानें एवं खदानें	272.30		244.4	
	33738.51		35900.74	
घटायाः प्रावधान	132.42	33606.09	63.34	35837.40
निर्माण– सामान एवं कलपुर्जे	41.76		52.39	
घटायाः अचल मदों के लिए प्रावधान	1.71	40.05	1.74	50.65
		33650.54		35890.85

11.1: निर्माण के दौरान व्यवय (जिनका आबंटन होना है)

(₹ करोड़)

			31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को
आरंभिक शेष	(क)		2.80		1.12
वर्ष के दौरान किया गया व्यय					
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हितलाभ					
वेतन एवं मजदूरी		128.73		133.23	
भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान		10.94		11.98	
यात्रा रियायत		3.04		3.05	
कल्याण व्यय		0.19		0.64	
उपदान		7.65	150.55	6.40	155.30
तकनीकी सलाहकारों का शुल्क एवं जानकारी		8.77		17.93	
विद्युत एवं ईंधन		99.68		85.83	
अन्य व्यय		96.72		37.84	
ब्याज एवं वित्त प्रभार		844.55		799.84	
मूल्याह्रास		7.12		7.33	
		1207.39		1104.07	
घटायाः वसूली					
अर्जित ब्याज		1.66		0.75	
परिसमापित क्षति		4.55		5.35	
किराया प्रभार		0.50		0.90	
विविध		1.44	8.15	4.43	11.43
वर्ष के दौरान निवल व्यय	(ख)		1199.24		1092.64
	कुल (क)(ख)		1202.04		1093.76
घटायाः स्थाई परिसंपत्तियोंः चालू पूँजीगत कार्य को आवंटित राशि		1197.64		1090.96	
अग्रेनीत शेष			4.40		2.80

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश है)

12: गैर–चालू निवेश (लागत पर)

(₹ करोड़)

	Number of Fully Paid up equity shares	Face Value Per Share (₹)		As at 31st March, 2014		As at 31st March, 2013
(A) Unquoted						
Trade Investments						
Subsidiary Companies						
SAIL Refractory Company Limited	50,000 (50,000)	10	**0.05**		0.05	
SAIL- Jagdishpur Power Plant Ltd.	50000 (50,000)	10	**0.05**		0.05	
IISCO Ujjain Pipe & Foundary Company Limited (under liquidation)	30,00,000 (30,00,000)	10	**3.00**		3.00	
SAIL Sindri Projects Limited	50000 (50,000)	10	**0.05**	**3.15**	0.05	3.15
Joint Venture Companies						
UEC SAIL Information Technology Limited	1,80,000 (1,80,000)	10	**0.18**		0.18	
North Bengal Dolomite Limited	97,900 (97,900)	100	**0.98**		0.98	
NTPC- SAIL Power Company Pvt. Limited	49,02,50,050 49,02,50,050	10	**490.25**		490.25	
Bokaro Power Supply Company Pvt. Limited	8,40,25,000 (8,40,25,000)	10	**84.02**		84.02	
Bhilai Jaypee Cement Limited	9,87,18,048 (9,87,18,048)	10	**52.51**		52.51	
Bokaro Jaypee Cement Limited	3,47,49,000 (3,47,49,000)	10	**34.75**		34.75	
SAIL- Bansal Service Centre Limited	32,00,000 (32,00,000)	10	**3.20**		3.20	
MJunction services limited	40,00,000 (40,00,000)	10	**4.00**		4.00	
S & T Mining Company Private Limited	92,91,400 (74,46,400)	10	**9.29**		7.45	
SAIL MOIL Ferro Alloy Pvt. Ltd.	1,00,000 (1,00,000)	10	**0.10**		0.10	
International Coal Ventures Pvt. Ltd.	28,00,000 (28,00,000)	10	**2.80**		2.80	
Steel Complex Ltd.	1,27,79,850 (1,27,79,850)	10	**18.10**		18.10	
SAIL-SCI SHIPPING PRIVATE LIMITED	1,00,000 (1,00,000)	10	**0.10**		0.10	
Romelt SAIL (India) Limited	63,000 (63,000)	10	**0.06**		0.06	
SAIL RITES Bengal Wagon Industry Pvt. Ltd.	1,20,00,000 (1,20,00,000)	10	**12.00**	**712.34**	12.00	710.50
Others						
TRL Krozaki Refractories Limited	22,03,150 (22,03,150)	10	**11.35**		11.35	
Almora Magnesite Limited	40,000 (40,000)	100	**0.40**		0.40	
Indian Potash Limited	3,60,000 (3,60,000)	10	**0.18**		0.18	
Cement & Allied Products (Bihar) Limited	2 (2)	10	*		*	
Chemical & Fertilizer Corporation (Bihar) Limited	1 (1)	10	*		*	
Bhilai Power Supply Company Limited	5 (5)	10	*		*	

Note (Forming Part of the Balance Sheet)

(₹ crore)

	Number of Fully Paid up equity shares	Face Value Per Share (₹)		As at 31st March, 2014		As at 31st March, 2013
MSTC Limited	80,000 (80,000)	10	**0.01**		0.01	
Bihar State Finance Corporation	500 (500)	100	**0.01**		0.01	
Shares in Co.-operative Societies (Note No. 12.1)			0.18	**12.13**	0.18	12.13
Total (A)				**727.62**		725.78
(B) Quoted						
HDFC Limited	60,000 (60,000)	2	**0.01**		0.01	
HDFC Bank Limited	2500 (2,500)	2	*		*	
ICICI Bank Limited	28600 (28,600)	10	**0.05**	**0.06**	0.05	0.06
Total (B)				**0.06 @**		0.06
Total (A+B)				**727.68**		725.84
Less : Provision for diminution in value of investments				**7.48**		7.48
				720.20		718.36
@ Market value of quoted investments				**8.27**		8.10

* Cost being less than ₹50,000/-, figures not given.

12.1 : SHARES IN CO-OPERATIVE SOCIETIES

(₹)

	Number of Fully Paid up Shares	Face Value Per Share (₹)	As at 31st March, 2014	As at 31st March, 2013
Bokaro Steel Employees' Co.-operative Credit Society Limited	116500 (116500)	10	**1165000**	1165000
Bokaro Steel City Central Consumers' Co.-operative Stores Limited	250 (250)	10	**2500**	2500
NMDC Meghahatuburu Employees' Consumers Co-operative Society Limited	25 (25)	100	**2500**	2500
DSP Employees' Co-operative Society Limited	1377 (1377)	100	**137700**	137700
Bolani Ores Employees' Consumer Co.-operative Society Limited	200 (200)	25	**5000**	5000
IISCO Employees Primary Co-operative Stores Limited	23000 (23000)	20	**460000**	460000
			1772700	1772700

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश है)

13: दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
पूँजीगत अग्रिम	142.66		217.38	
घटायाः संदिग्ध पूँजीगत अग्रिम के लिए प्रावधान	1.00	141.66	7.12	210.26
प्रतिभूति जमा		59.69		30.71
संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम	10.53		10.53	
घटायाःसंदिग्ध संबंधित पार्टी अग्रमों के लिए प्रावधान	2.53	8.00	2.53	8.00
अन्य ऋण और अग्रिम				
ऋण				
कर्मचारी	324.03		396.42	
अन्य	1.14	325.17	4.65	401.07
नकद या वस्तु या प्राप्त मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम				
ठेकेदार एवं सप्लायर	187.73		198.07	
कर्मचारी	0.97		1.20	
अग्रिम के रूप में आयकर का भुगतान/वसूली योग्य	414.28		510.08	
एमएटी क्रेडिट हकदारी	520.11		0.00	
अन्य	4.66	1127.75	4.68	714.03
जमा				
पोर्ट ट्रस्ट, उत्पाद शुल्क प्राधिकरण, रेलवे आदि	53.09		68.85	
अन्य	2126.70	2179.79	1796.18	1865.03
		3842.06		3229.10
घटायाः अन्य ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान		47.74		52.14
		3794.32		3176.96
दीर्घवधि ऋण और अग्रिम का विवरण				
रक्षित, शोध्य माने गए		257.65		304.46
अरक्षित, शोध्य माने गए		3536.67		2872.50
संदिग्ध		51.27		61.79
		3845.59		3238.75

14: अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
दीर्घावधि व्यापार प्राप्य	50.46		38.93	
घटायाः प्रावधान	28.55	21.91	26.97	11.96
विवरण				
रक्षित,शोध्य माने गए		-		-
अरक्षित,शोध्य माने गए		21.91		11.96
संदिग्ध		28.55		26.97
		50.46		38.93
दीर्घावधि वसूली योग्य दावे		111.00		552.89
प्राप्य/उपचित ब्याज		2.52		3.61
कर्मचारी		135.43		568.46

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश है)

15: माँग–सूची *

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को
भंडार और कलपुर्जे				
उत्पादन	**2605.74**		2377.76	
ईंधन भंडार	**123.64**		140.77	
अन्य	**24.93**		21.97	
	2754.31		2540.50	
जोड़ारूमार्गस्थ	**148.59**		175.38	
	2902.90		2715.88	
घटायाः अचल/ अप्रचलित मदों के लिए प्रावधान	**194.91**	**2707.99**	176.05	2539.83
कच्चा माल	**2525.12**		2215.03	
जोड़ाः मार्गस्थ	**1004.32**		1323.76	
	3529.44		3538.79	
घटायाः अनुपयोगी सामग्री के लिए प्रावधान	**8.13**	**3521.31**	7.76	3531.03
तैयार/अर्ध–तैयार उत्पाद				
– तैयार माल	**6368.27**		7760.32	
– चालू कार्य	**2437.42**		1960.82	
	8805.69		9721.14	
जोड़ाः मार्गस्थ	**165.83**	**8971.52**	216.21	9937.35
		15200.82		16008.21

* लेखा नीति के अनुसार मूल्यांकित (जी)

16: व्यापार प्राप्य–चालू

(₹ करोड़)

N: eghus ls

		31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को
ज्यातदा व्यापार प्राप्य	**566.30**		452.57	
घटायाः प्रावधान	**130.89**	**435.41**	124.17	328.40
छः महीने से कम व्यापार प्राप्य	**5046.57**		4095.78	
घटायाः प्रावधान	**0.00**	**5046.57**	0.00	4095.78
		5481.98		4424.18
विवरण		**0.00**		3.27
रक्षित,शोध्य माने गए		**5481.98**		4420.91
अरक्षित,शोध्य माने गए		**130.89**		124.17
संदिग्ध		**5612.87**		4548.35

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश है)

17: नकद और बैंक शेष

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
(i) नकद एवं नकद समकक्ष				
बैंक के पास शेष*				
चालू खाते	5.03		3.78	
सावधि जमा – 3 महीने तक की परिपक्वता सहित	0.14		15.91	
सावधि जमा – बैंक लियन/ऋण के अनुसार बंधक के अधीन	0.14		0.16	
सावधि जमा – 3 महीने तक की परिपक्वता सहित न्यायालय के आदेशानुसार	0.42		0.48	
लाभांश खाता जिसका भुगतान नहीं किया गया	13.58	19.31	11.67	32.00
कंपनी के पास चौक		194.59		243.91
कंपनी के पास नकद व स्टैम्प		194.59		243.91
		214.91		277.23
(ii) अन्य बैंक शेष*				
सावधि जमा – 3 महीने से अधिक की परिपक्वता सहित	2500.00		3402.87	
सावधि जमा – न्यायालय के आदेशानुसार	95.64		127.86	
विशिष्ट सावधि जमा	45.40	2641.04	42.39	3573.12
		2855.95		3850.35
*** शामिल**				
– 12 माह से कम की परिपक्वता अवधि		2641.74		3589.67
– 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि		1.91		-

18: अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम	126.25		113.71	
घटायाः संदिग्ध संबंधित पार्टी अग्रिमों के लिए प्रावधान	1.39	124.86	1.39	112.32
अन्य ऋण और अग्रिम				
ऋण				
कर्मचारी	92.05		101.30	
अन्य	3.56	95.61	0.19	101.49
नकद या वस्तु या प्राप्त मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम				
ठेकेदार एवं सप्लायर	195.81		195.48	
कर्मचारी	6.89		7.22	
अग्रिम के रूप में आयकर का भुगतान वसूली योग्य	1.24		1.35	
शेयरों की खरीद हेतु	51.21		51.08	
अन्य	640.34	895.49	479.00	734.13
प्रतिभूति जमा		7.66		3.42
जमा				
पोर्ट ट्रस्ट, उत्पाद शुल्क प्राधिकरण, रेलवे आदि	0.13		0.69	
अन्य	92.99	93.12	69.88	70.57
		1216.74		1021.93
घटायाः अन्य ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान		56.23		33.20
		1160.51		988.73
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम का विवरण				
रक्षित, शोध्य माने गए		41.28		39.45
अरक्षित, शोध्य माने गए		1119.23		949.28
संदिग्ध		57.62		34.59
		1218.13		1023.32

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश है)

19: अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
कंपनी के पास उपलब्ध सोने के सिक्के	0.26		0.26	
प्राप्य/उपचित ब्याज				
सावधि जमा	7.38		7.83	
कर्मचारी	4.35		4.76	
अन्य	36.39		39.94	
	48.12		52.53	
घटायाः संदिग्ध ब्याज के लिए प्रावधान	3.39	44.73	3.39	49.14
अन्य				
व्यापार के अतिरिक्त प्राप्य	101.03		95.43	
वसूली योग्य दावे	2107.40		1722.69	
निर्यात प्रोत्साहन	23.18		19.41	
	2231.61		1837.53	
घटायाः प्रावधान	85.11	2146.50	71.97	1765.56
		2191.49		1814.96

Note (Forming Part of the Statement of Profit and Loss)

20 : REVENUE FROM OPERATIONS

(₹ crore)

		Year ended 31st March, 2014	Year ended 31st March, 2013
Sale of Products			
Domestic		50339.29	48162.13
Exports		1497.01	1158.23
Export Incentives		29.69	29.33
	Sub Total (a)	51865.99	49349.69
Sale of Services			
Service charges		25.91	34.88
	Sub Total (b)	25.91	34.88
Other Operating Revenues			
Social amenities-recoveries		249.93	231.50
Sale of empties etc.		39.82	40.93
Sundries		194.05	172.22
	Sub Total (c)	483.80	444.65
	Total (a+b+c)	52375.70	49829.22

Note (Forming Part of the Statement of Profit and Loss)

21 : OTHER INCOME

(₹ crore)

		Year ended 31st March, 2014	Year ended 31st March, 2013
Interest Income			
Customers		**159.12**	142.88
Employees		**24.77**	30.36
Term Deposits		**360.27**	635.67
Others		**39.97**	17.55
	Sub Total (a)	**584.13**	826.46
Dividend Income			
Dividend from Investments		**124.91**	59.46
	Sub Total (b)	**124.91**	59.46
Other Non-operating Income			
Subsidy, relief and concession		**16.51**	13.14
Grant-in-aid		**0.00**	0.02
Profit on sale of fixed assets (net)		**7.78**	25.44
Other Non-operating income		**5.05**	59.66
Write back of Other liabilities		**73.19**	75.19
Liquidated damages		**23.40**	30.99
		125.93	204.44
Less: Expenses attributable to non-operating income		**1.17**	1.94
	Sub Total (c)	**124.76**	202.50
Provisions no longer required written back			
Loans & Advances		**14.59**	3.78
Sundry Debtors		**13.14**	8.23
Stores & Spares		**8.45**	5.19
Others		**11.43**	13.50
	Sub Total (d)	**47.61**	30.70
	Total (a+b+c+d)	**881.41**	1119.12

22 : COST OF MATERIALS CONSUMED

(₹ crore)

	Year ended 31st March, 2014	Year ended 31st March, 2013
Iron ore	**3238.63**	3279.85
Coal	**14443.74**	13526.35
Coke	**644.34**	2977.51
Limestone	**1021.69**	887.20
Dolomite	**431.47**	406.80
Ferro Manganese	**547.10**	510.33
Ferro Silicon	**168.50**	157.97
Silico Manganese	**744.34**	745.98
Intermediary Products	**2.70**	0.52
Zinc	**97.09**	75.86
Aluminium	**247.06**	242.41
Others	**1443.09**	1423.44
	23029.75	24234.22
Less : Inter Account adjustments	**3758.59**	3035.74
	19271.16	21198.48

Note (Forming Part of the Statement of Profit and Loss)

23 : CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS AND WORK-IN-PROGRESS

(₹ crore)

		Year ended 31st March, 2014		Year ended 31st March, 2013
Opening stock				
- Finished Goods	7976.53		5468.18	
- Work in Progress	1960.82	**9937.35**	2178.27	7646.45
Less : Closing stock				
- Finished Goods	6534.10		7976.53	
- Work in Progress	2437.42	**8971.52**	1960.82	9937.35
		965.83		-2290.90
Less : Excise Duty on accretion(-) /Depletion to stock		**71.20**		-274.81
Net Accretion(-)/Depletion to stock		**894.63**		-2016.09

24 : EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE

(₹ crore)

	Year ended 31st March, 2014	Year ended 31st March, 2013
Salaries & Wages	**7398.69**	6137.34
Leave Encashment	**240.18**	779.77
Company's contribution to Provident & other Funds	**861.56**	554.61
Travel Concession	**128.32**	33.77
Welfare Expenses	**51.57**	486.56
Gratuity	**898.34**	645.30
	9578.66	8637.35
Less : Grants in Aid received from Government of Karnataka	**0.15**	0.26
	9578.51	8637.09

25 : FINANCE COSTS

(₹ crore)

	Year ended 31st March, 2014	Year ended 31st March, 2013
Interest Cost		
- Foreign Currency Loans	**130.48**	124.81
- Non Convertible Bonds	**145.61**	108.25
- Bank Borrowings - working capital	**71.52**	21.65
- Steel Development Fund Loans	**3.33**	3.85
- Others	**166.29**	197.29
Other Borrowing Costs	**447.74**	291.79
Interest under Income Tax Act	**2.67**	0.02
	967.64	747.66
Note :		
Expenditure on Interest & Finance charges not included above & charged to:		
Expenditure During Construction		
Interest Cost		
Foreign Currency Loans	**220.63**	184.34
Non Convertible Bonds	**619.07**	568.74
Steel Development Fund Loans - Interest	**4.85**	4.31
Others	**0.00**	9.28
Other Borrowing Cost	**0.00**	33.17
	844.55	799.84

Note (Forming Part of the Statement of Profit and Loss)

26 : OTHER EXPENSES

(₹ crore)

		Year ended 31st March, 2014		Year ended 31st March, 2013
Consumption of Stores & Spares Parts				
Consumption of Stores & Spares Parts	4153.33		4065.52	
Less: Departmentally manufactured stores	973.95		953.24	
Less: Finished products internally consumed as stores and spares	839.35	2340.03	979.06	2133.22
Power and Fuel		4942.15		4830.44
REPAIRS & MAINTENANCE				
Buildings	216.07		178.79	
Plant & Machinery	533.71		481.20	
Others	181.75	931.53	164.47	824.46
Freight Outward		976.43		950.23
Handling Expenses				
- Raw Material	251.79		198.76	
- Scrap Recovery	224.85	476.64	163.63	362.39
Royalty and Cess		915.56		975.48
Conversion Charges		277.65		328.76
Excise Duty on Inter-Plant Transfer / Internal Consumption		461.94		385.47
Demurrage & Wharfage		93.72		55.99
Water Charges & Cess on Water Pollution		92.75		76.57
Insurance		17.06		16.31
Postage, Telegram & Telephone		20.60		19.78
Printing & Stationery		9.40		10.12
Rates & Taxes		67.72		65.68
Rent		24.77		13.84
Security Expenses		344.04		310.05
Travelling Expenses		184.18		210.87
Training Expenses *		38.81		25.75
Remuneration to Auditors				
- Audit Fees	1.43		1.33	
- Tax Audit Fees	0.43		0.42	
- In other Services	0.92		0.96	
- Out of Pocket Expenses	0.79	3.57	0.68	3.39
Cost Audit Fee and Reimbursement of Expenses		0.15		0.14
Provisions				
- Doubtful Debts, Loans and Advances	63.04		29.06	
- Stores , Spares and Sundries	135.42	198.46	24.25	53.31
Write-Offs - Miscellaneous		7.71		0.34
Voluntary Retirement Compensation		0.01		0.23
Handling Expenses - Finished goods		121.73		119.80
Cash Discount (net)		75.28		64.81
Commission to Selling Agents		7.60		7.59
Export Sales Expenses		25.36		18.37
Miscellaneous		380.21		294.53
		13035.06		12157.92

* Training expenses not included above and charged to primary heads of account	58.83	66.38

नोट (जो लाभ एवं हानि के विवरण का ही अंश है)

27. पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन :

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष
बिक्री	**-5.62**	-28.70
खपत हुआ कच्चा माल	**-4.76**	-6.99
खपत हुआ सामान व कलपुर्जे	**-1.98**	-2.02
मरम्मत एवं अनुरक्षण	**1.13**	-1.47
उत्पाद शुल्क	**0.00**	2.20
अन्य व्यय	**0.97**	-9.28
मूल्यह्रास	**-117.20**	3.42
ब्याज	**-21.19**	0.00
निवल नामे (-)	**-148.65**	-41.53

वित्तीय विवरणों की अन्य टिप्पणियां

28.1 आकस्मिक देनदारियां :

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
(i)	अपील/न्यायिक निर्णयों के लंबित रहने के कारण कंपनी पर दावे		
	क) उत्पाद शुल्क	**1350.97**	1120.73
	ख) संयंत्रों से स्टॉकयार्डों* को अंतर–राज्य स्टॉक पर बिक्री कर	**743.12**	740.94
	ग) अन्य बिक्री कर मामले	**167.41**	172.19
	घ) आय कर	**1028.85**	797.30
	ङ.) अन्य ड्यूटी, उपकर और लेवी	**5274.71**	2151.82
	च) सिविल मामले **	**1918.04**	831.59
	छ) प्रवेश कर	**1443.85**	1166.18
	ज) विविध **	**541.14**	449.31
	* किसी देनदारी की संभावना नहीं है क्योंकि बिक्री कर का भुगतान वास्तविक बिक्री पर दिया गया है। **इसमें ₹ 45.88 करोड (₹ 22.54 करोड़) के दावे शामिल हैं जिसके प्रति ₹ 26.85 करोड़ (₹ 18.41 करोड़) के प्रति दावे हैं।		
(ii)	कंपनी पर अन्य दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है:		
	क) बिक्री कर	**23.12**	17.32
	ख) ड्यूटी, उपकर और लेवी	**257.14**	250.38
	ग) सिविल मामले	**50.31**	23.03
	घ) विविध $	**7167.45**	5498.71
	$ इसमें ₹ 100.94 करोड़ (₹ 100.94 करोड़) के दावे शामिल हैं, जिसके विरूद्ध ₹ 103.95 करोड़ (₹ 103.95 करोड़) के प्रति दावे हैं		
(iii)	संयुक्त उद्यम कंपनी पर संयुक्त उद्यम करार के तहत विवादित आयकर/सेवाकर/अन्य मांग जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से देनदार हो	**30.39**	29.33
(iv)	ग्राहकों के नाम पर तथा बैंकों से लिए गए बट्टागत बिल	**47.94**	66.89
(v)	संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मूल्यवृद्धि से संबंधित दावे और कतिपय कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे, जिनका निर्धारण संभव नहीं है	–	–

28.2 (क) उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर की उगाही करने पर कंपनी की रिट याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध विशेष अवकाश याचिका में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय को लंबित रखते हुए टिप्पणी सं0 28.1(i) (छ) में शामिल प्रवेश कर राशि में ₹ 91.55 करोड़ (₹ 81.64 करोड़) की विवादित मांग शामिल होती है। कंपनी ने उक्त मांग के प्रति ₹ 81.88 करोड़ (₹ 70.57 करोड़) जमा कर दिए हैं (जिसे जमा के रूप में दर्शाया गया है और दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों के तहत प्रकट किया गया है)।

कंपनी की रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए संबंधित माननीय उच्च न्यायालयों के आदेश के विरूद्ध एस.एल.पी. में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय को लंबित रखते हुए टिप्पणी सं0 28.1(i) (छ) में प्रवेश कर राशि में छत्तीसगढ़ राज्य में क्रमशः ₹ 1071.28 करोड़ (₹ 888.46 करोड़) और ओडिशा राज्य में ₹ 214.81 करोड़ (₹ 170.32 करोड़) की विवादित मांगें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित केस के मामले में विधि मतानुसार, ₹ 1071.15 करोड़ (₹ 891.04 करोड़) की देनदारी 6% की दर से मांग के प्रति 3% की दर से प्रवेश कर हेतु पुस्तकों का प्रावधान किया गया है। कंपनी ने उक्त मांग के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिसा राज्य में क्रमशः ₹ 1071.15 करोड़ (₹ 891.04 करोड़) और ₹ 78.12 करोड़ (₹ 53.74 करोड़) जमा किए हैं जिसे जमा के रूप में माना गया है और दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों के तहत प्रकट किया है ।

(ख) कंपनी की रिट याचिका को खारिज करते हुए झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध एस.एल.पी. में भारत के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को लंबित रखते हुए कंपनी के बोकारो इस्पात संयंत्र को आपूर्ति की गई बिजली के संबंध में दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा किए गए ₹ 291.76 करोड़ (₹ 217.40 करोड़) के दावे को नोट सं0 28.1(i)(च) में शामिल आकस्मिक देनदारी के रूप में प्रकट किया गया है । उक्त दावे के प्रति संपूर्ण राशि का डी.वी.सी. को भुगतान कर दिया गया है, जिसका उन्होंने बिल दिया था तथा जिसको उन्होंने अल्पकालिक ऋणों और अग्रिमों के तहत प्रकट किया था।

(ग) ''विद्युत के लिए अपीलीय अधिकरण'' द्वारा निर्णय को लंबित रखते हुए कंपनी के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और अलाय स्टील संयंत्र को आपूर्ति की गई बिजली के संबंध में दामोदर घाटी निगम के द्वारा किए गए ₹ 79.30 करोड़ (₹ 50.06 करोड़) के दावों को नोट सं. 28.1(i)(ज) में शामिल आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

(घ) कंपनी के समग्र हित को ध्यान में रखते हुए कंपनी के राउरकेला इस्पात संयंत्र ने ओडिशा सिंचाई अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत और उसके तहत बने नियमों के अधीन जल कर की उगाही से संबंधित मामले का न्यायालय से बाहर समाधान करने हेतु ओडिसा सरकार से प्रस्ताव किया है। यदि निपटारे को स्वीकार कर लिया जाता है, तो कंपनी द्वारा ऐसी राशि का भुगतान करना होगा जिसके बारे में ओडिसा की राज्य सरकार के साथ परस्पर सहमति होगी।

(ड.) बी.सी.सी.आई. द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजकों पर 1% की दर से एम. ए.डी.ए. उपकर हेतु उसने ₹ 60.21 करोड़ की राशि का दावा किया है। कंपनी ने उक्त राशि का भुगतान नहीं किया है और मामला चूंकि न्यायालय के अधीन है, इसलिए इसे आकस्मिक देनदारी के रूप में प्रकट किया गया है।

(च) पैरा 28.1 में बताई गई आकस्मिक देनदारियों में न्यायालय/मध्यस्थता के ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनकों कंपनी पहली अथवा बाद की अपीलों में हार गई है तथा उच्चतर मंचों पर अपील की है ।

29. स्थिर परिसंपत्तियां

29.1 भूमि :

(i) कंपनी द्वारा स्वामित्व/कब्जे में ली गई/पट्टे पर प्राप्त 66484.91 एकड़ भूमि (67178.24 एकड़) जिसके स्वामित्व/पट्टे संबंधी विलेखों का पंजीकरण बाकी है।

(ii) 35902.82 एकड़ भूमि (35903.35 एकड़) जिनका स्वामित्व विवादग्रस्त है ।

(iii) विभिन्न संयुक्त उद्यमों केन्द्रीय/राज्य सरकारों/अर्ध सरकारी प्राधिकरणों को निपटारे के लिए अंतरित/अंतरणार्थ दी गई सहमति/उपलब्ध कराई गई 8200.76 एकड़ भूमि (10881.28 एकड़) जिनके मामले में हस्तांतरण विलेख का पंजीकरण किया जाना है ।

(iv) विभिन्न अभिकरणों/कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों को पट्टे पर दी गई 6345.43 एकड़ भूमि (6156.20 एकड़) ।

(v) अनधिकृत कब्जे में 4066.88 एकड़ (4262.42 एकड़) ।

(vi) 824.86 एकड़ (824.86 एकड़) भूमि, जो वास्तव में कब्जे में नहीं है और कब्जे में समझी गई दर्शायी है ।

(vii) ₹ 59.88 करोड़ की राशि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास वर्ष 2007 के दौरान (पहले से अधिग्रहीत की गई भूमि के संबंध में) जमा पड़ी हुई है जो भूमि गंवाने वालों को देय मुआवजे के लिए है ।

(viii) भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिग्रहण की अधिसूचना सं0 एस. ओ. 1309 (ई) दिनांक 08.06.2012 और सं0 एस ओ 2484 ई. दिनांक 13.10.2012 के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लि0 (एन.एच.ए.आई.) ने संयंत्र की 6,486 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर ली है । एन एच ए आई द्वारा भूमि के मुआवजे का निर्धारण किया जा रहा है और अंतिम रूप से निर्धारण हो जाने पर इसे लेखे में लिया जाएगा ।

29.2 भवनों में ₹ 22.58 करोड़ (₹ 25.26 करोड़) का निवल ब्लॉक शामिल है, जिसका कंपनी के नाम पर हस्तान्तरण बाकी है ।

29.3 सक्रिय प्रयोग से हटा दी गई और ₹ 29.10 करोड़ की राशि की परिसंपत्तियों को, जिनकी बिक्री किए जाने की प्रतीक्षा है, नोट 10(क) ''वास्तविक स्थिर परिसंपत्तियों'' के तहत दर्शाया गया है, जिनका निवल वसूली योग्य मूल्य, प्रबंधन के मतानुसार दर्शायी गई राशि से कम नहीं होगा और इसके लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं होती है।

29.4 (क) प्रगति पर पूंजीगत कार्य में कुछ आस्थगित पूंजीगत स्कीमों के संबंध में ₹ 38.07 करोड़ (₹ 107.17 करोड़) (परामर्शी प्रभार) शामिल हैं, जिन्हें निकट भविष्य में लागू किया जाना है। अतः इस चरण में कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है।

(ख) प्रगति पर पूंजीगत कार्य में बेतिया में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में ₹ 115.38 करोड़ (₹ 103.95 करोड़) के कार्य शामिल हैं। इसमें विभिन्न किस्म के उत्पादों का उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रोसेसिंग यूनिटें शामिल हैं जिनको चालू करने की प्रतीक्षा की जा रही है। यूनिट को एकीकृत रूप से चालू करने के बाद और वाणिज्यिक उत्पादन हेतु उपयोग में लाने के बाद इससे लाभ प्राप्त किया जाएगा।

(ग) प्रगति पर पूंजीगत कार्य में 20 हाई सेंडजमिर मिल के संबंध में ₹ 122.03 करोड़ (₹ 121.80 करोड़) के कार्य शामिल हैं। यह मिल हाउसिंग ले जा रहे ट्रेलर में दुर्घटना होने के कारण पूरी नहीं की जा सकी। मूल आपूर्तिकर्ता मै0 वाटरबरी फैरल द्वारा दायर मामले को सेलम के माननीय जिला न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.8.2013 के अपने आदेश से खारिज कर दिया गया था और जोखिम क्रय आधार पर कार्य के शेष भाग को पूरा करने के लिए पुनः निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया जारी है।

29.5 कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा लेखांकन मानक 11–''विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों के प्रभाव'' पर दिनांक 31 मार्च, 2009 की अधिसूचना के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप होने वाले विनिमय अंतर के लेखांकन का कंपनी ने विकल्प चुना है। 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा ऋणों पर ₹ 340.44 करोड़ (निवल नामे), ₹ 134.53 करोड़ (निवल नामे), के निवल विदेशी मुद्रा अंतरों को स्थिर परिसंपत्तियों/ प्रगति पर पूंजीगत कार्य की अग्रेणित राशि में समायोजित किया गया है। 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2014 तक समायोजित किए गए विनिमय अंतरों में से

₹ 433.70 करोड़ (निवल नामे), ₹ 220.08 करोड़ (निवल नामे) की राशि का 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार अभी अवमूल्यन/परिशोधन करना होगा।

29.6 पूंजीगत खाते पर निष्पादनार्थ शेष संविदा की प्राक्कलित राशि और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिमों की निवल राशि) ₹ 13724.69 करोड़ (₹ 17750.86 करोड़) है और राजस्व लेखे पर ₹ 1459.72 करोड़ (₹ 1085.96 करोड़) है।

30.1 इस्को इस्पात संयंत्र बर्नपुर में इसके आधुनिकीकरण और विस्तार योजना/अन्य पूंजीगत स्कीमों के भाग के रूप में प्रबंधन के मतानुसार निम्नलिखित परिसंपत्तियां उपयोग करने योग्य बन गई हैं तथा वर्ष के दौरान स्थापना करने, परीक्षण करने, सभी खराबियों को दूर करने, स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करने के बाद तथा वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाने के बाद इनसे लाभ लेना शुरू कर दिया गया है :–

(₹ करोड़)

क्र. सं.	पैकेज का नाम	पूंजी में परिणत राशि	प्रबंधन के द्वारा लिए गए गए अनुसार पूंजीकरण की तारीख	वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास
1.	कोक ओवन बैटरी और संबंधित सुविधाएं	1791.05	28/10/2013	37.66
2.	सिन्टर संयंत्र और संबंधित सुविधाएं	2142.66	02/03/2014	8.69
3.	वायर रॉड मिल और संबंधित सुविधाएं	681.97	14/10/2013	15.23
4.	पॉवर ब्लोइंग स्टेशन	639.16	03/10/2013	15.81
5.	अन्य (ए.एम.आर. स्कीमों सहित)	202.64		8.08
	कुल	**5457.48**		**85.47**

30.2 राउरकेला इस्पात संयंत्र में इसके आधुनिकीकरण और विस्तार योजना/अन्य पूंजीगत स्कीमों के भाग के रूप में प्रबंधन के मतानुसार निम्नलिखित परिसंपत्तियां उपयोग करने योग्य बन गई हैं तथा वर्ष के दौरान स्थापना करने, परीक्षण करने, सभी खराबियों को दूर करने, स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करने के बाद तथा वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाने के बाद इनसे लाभ लेना शुरू कर दिया गया है :–

(₹ करोड़.)

क्र. सं.	पैकेज का नाम	पूंजी में परिणत राशि	प्रबंधन के द्वारा लिए गए अनुसार पूंजीकरण की तारीख	वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास
1.	4.2 एम.टी.पी.ए विस्तार के तहत कोयला रखरखाव संयंत्र	341.67	01/03/2014	1.50
2.	आर.एम.एच.सी. न्यू ओ.बी.बी.पी	630.71	01/03/2014	2.78
3.	न्यू 7 मीटर सी.ओ.बी–6 और संबंधित सुविधाएं	894.84	01/03/2014	3.94
4.	1X300 वर्ग मीटर सिंटर संयंत्र की स्थापना करना (पी.के.जी. 020)	871.12	01/03/2014	3.83
5.	न्यू स्लॅब कास्टर	798.57	14/10/2013	21.08
6.	बॉयलर, स्टीम टर्बाइन जेनेरटर, बैक प्रैशर टर्बाइन जेनरेटर और बैलेंश ऑफ प्लांट की स्थापना करना (पी.के.जी. 011)	488.40	15/03/2014	2.15
7.	नए एम.एस.डी.एस IV, V, VI (पीकेजी-087)	118.20	01/03/2014	0.52
8.	अन्य (ए.एम.आर. स्कीमों सहित)	705.45		73.05
	कुल	**4848.96**		**108.85**

30.3 इसके अलावा, स्थापित/स्थापनाधीन स्कीमों पर पूंजीगत व्यय को दर्शाते हुए 15502.02 करोड़ रू0 की राशि को प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत रखा गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है और प्रबंधन के मतानुसार ये प्रचालन के लिए अभी तैयार नहीं हैं । इनकी स्थापना, परीक्षण कार्य पूरे होने, सभी खराबियों के दूर होने तथा वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाने, इनसे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा ।

(₹ करोड़)

क.सं.	संयंत्र का नाम	राशि
1.	इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी)	9182.93
2.	राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)	6319.09

30.4 विस्फोट होने के कारण बॉयलर 3 (नोट सं0 11–₹ 37.00 करोड़ के मूल्य पर प्रगति पर पूंजीगत कार्य में दर्शाया) दिनांक 12 मार्च, 2013 को क्षतिग्रस्त हो गया था। विस्फोट होने के कारण हुई क्षतियों के लिए परियोजना पर कार्यरत ठेकेदार ने बीमा दावा ठोक दिया था। बीमा दावा को बीमाकर्ता ने दो बार निरस्त कर दिया था। तथापि, ठेकेदार बीमाकर्ता से दावे के लिए पुनः आग्रह कर रहा है। फिलहाल, केनवेट के निवल ₹ 22.00 करोड़ के मूल्य पर बॉयलर की मरम्मत करने के लिए उसी ठेकेदार को एक ठेका दिया गया है। मरम्मत कार्य की राशि को जब कभी व्यय किया जाता है, तभी लाभ और हानि विवरण मे प्रभार्य होगी।

31. पूंजीनिवेश, चालू परिसंपत्तियां, ऋण व अग्रिम तथा चालू देनदारियां व प्रावधान

31.1 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिनांक 25 सितंबर, 2001 की अपनी अधिसूचना के जरिए कतिपय अनुलाभों की गणना के नियमों में संषोधन कर दिया है। कर्मचारी संघ ने माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर इस अधिसूचना को चुनौती दी है । माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसरण में स्रोत पर की गई कटौती को माननीय न्यायालय का अंतिम निर्णय लंबित रहने तक बैंक (बैंकों) में ₹ 95.48 करोड़ (₹ 130.51 करोड़) सावधि जमा (उन पर अर्जित ब्याज सहित) के रूप में पृथक रखा गया है। 31 मार्च, 2005 के पश्चात, ऐसी कटौतियों तथा सावधिक जमा संशोधित विधि/न्यायिक निर्णयों के अनुसार की गई है। स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर रिट याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष अभी लंबित है परंतु इससे कंपनी के खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि किसी अतिरिक्त कर, यदि आवश्यक हो, तो कर्मचारियों से वसूली की जाएगी।

31.2 लघु, छोटे एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 में दी गई परिभाषा के अनुसार लघु और छोटे उद्योगों को देय राशि (जैसा कि नोट सं0 7–व्यापार देनदारियों में दर्शाया गया है) का निर्धारण कंपनी में उपलब्ध सूचना के आधार पर उसी सीमा तक है जिस सीमा तक ऐसी पार्टियों की पहचान कर ली गई है। तारीख 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लघु और छोटे उद्योगों से संबंधित दी गई बातें निम्नलिखित हैं :

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
i.	वर्ष की समाप्ति पर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान न की गई शेष मूल राशि	21.44	15.30
ii.	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि और वर्ष की समाप्ति पर भुगतान न की गई शेष राशि	–	–
iii.	यहां तक कि उत्तरवर्ती वर्षों में देय और भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए लघु उपक्रमों को ऐसी किसी तारीख तक जब देय ब्याज का उपर्युक्त के अनुसार वास्तविक रूप से किया गया भुगतान	–	–
iv.	वर्ष की समाप्ति पर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान न किए गए पर देय ब्याज	–	–
		समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
v.	धारा 16 के अनुसार देय ब्याज की राशि, साथ ही वर्ष के दौरान नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	–	–
vi.	इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना भुगतान (वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद जिनका भुगतान किया गया) में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि	–	–

31.3 ''वर्तमान परिसंपत्तियों'' के अंतर्गत दर्शायी व्यापार प्राप्य और वसूली योग्य शेषों तथा वर्तमान देनदारियों के अंतर्गत दर्शाए व्यापार और अन्य देय राशियों में शेष शामिल हैं जिनका सुपुष्टिकरण/मिलान तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, किया जाना है। मिलान चालू आधार पर किए जाते हैं। जहां आवश्यक समझा गया उन मामलों में प्रावधान किया गया है।

31.4 पहले वर्षों से संबंधित लेखों का मिलान कार्य पूरा होने के कारण बी.पी.एस. सी.एल. द्वारा विद्युत को आपूर्ति करने के लिए वर्ष के दौरान ₹ 22.30 करोड़ की अतिरिक्त देनदारी का प्रावधान किया गया है ।

31.5 कंपनी की विभिन्न खानों में 41.12 मिलियन टन (41.15 मिलियन टन) के लौह अयस्क चूर्ण का भंडार है। चूंकि ऐसे लौह अयस्क चूर्ण का इस्तेमाल/बिक्री में अनिश्चितता रहती है, अतः विवेक से काम लेते हुए ऐसे चूर्ण का मूल्यांकन लेखों में नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष के दौरान वास्तविक निपटान से अर्जित राजस्व को लेखा संबंधी पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है ।

32. लाभ और हानि विवरण

32.1 निवल बिक्री में 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अस्थायी संविदा मूल्यों पर स्वीकृत सरकारी एजेंसियों की बिक्री शामिल होती है :– ₹ 3257.40 करोड़ (पहले वर्ष :– ₹ 3617.90 करोड़) और 31 मार्च, 2014 तक संचयी :– ₹ 6900.19 करोड़ (पहले वर्ष:– ₹ 18288.38 करोड़)। वर्ष के दौरान भारतीय रेल को आपूर्ति की अस्थायी दरों को 31 मार्च, 2012 तक अंतिम रूप दे दिया गया है, परिणामतः 1 जनवरी, 2008 से 30 जून, 2010 तक की अवधि की ₹ 925.06 करोड़ की निवल बिक्री में कमी हुई और 1 जुलाई, 2010 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए ₹ 678.96 करोड़ की निवल बिक्रियों में वृद्धि हुई । परिणामस्वरूप वर्ष की निवल बिक्री और लाभ में क्रमशः ₹ 246.10 करोड़ और ₹ 277.27 करोड़ तक कमी आयी है ।

32.2 बिक्री में 31 मार्च, 2014 तक की रेलवे प्राप्तियां और ग्राहकों के पक्ष में पृष्ठांकित और 21 अप्रैल, 2014 तक सेवानिवृत्त हुए लोगों की आय शामिल है।

32.3 पूर्व अवधि आय में निम्नलिखित शामिल है :–

(क) स्थिर परिसंपत्तियों की लागत के 95% की तुलना में पहले वर्षों में 100% अवमूल्यन की गई स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के लिए ₹ 120.94 करोड़।

(ख) ''जिला और सत्र न्यायाधीश–लेखा भूमि'' के नाम में बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा किए गए जमा पर तथा बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा अधिग्रहण की भूमि के बारे में भूमि स्वामियों को भुगतान करने हेतु पूर्णतः उपयोग करने पर ब्याज आय के लिए ₹ 20.67 करोड़।

32.4 विद्युत व ईंधन में विद्युत उत्पादन से संबंधित व्यय तथा संयंत्रों द्वारा उत्पादित कतिपय अन्य ईंधन की खपत शामिल नहीं है। इन्हें लेखे के प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

32.5 वर्ष के दौरान लाभ व हानि लेखे तथा अचल परिसंत्तियों के लिए नियत अनुसंधान व विकास पर किए गए क्रमशः ₹ 106.05 करोड़ (₹ 145.07 करोड़) तथा ₹ 4.38 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2.56 करोड़) का व्यय भारित है। अनुसंधान व विकास पर किए गए राजस्व व्यय की पूर्णयोग राशि संबंधित लेखा शीर्ष में दर्शाई गई है। राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(₹ करोड़)

लेखा शीर्ष	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013
कर्मचारी लाभ व्यय	65.48	100.90
उपभोग की गई सामग्री की लागत	4.81	0.29
उपयोग किए गए सामान एवं कलपुर्जे	2.95	9.86
विद्युत एवं ईंधन	1.81	1.64
मरम्मत एवं अनुरक्षण	2.62	2.42
अन्य व्यय	26.18	26.28
वित्त लागत	0.08	0.26
मूल्यह्रास	3.73	3.58
उप–योग	**107.66**	**145.23**
घटाया :– अंतः लेखा समायोजन को अंतरित	1.61	0.16
योग	**106.05**	**145.07**

32.6 संपूर्ण एक संयंत्र की परिसंपत्तियों को नकद सृजन इकाई मानते हुए, यदि कोई हो, हानि का पता लगाने के उद्देश्य से कंपनी प्रत्येक तुलन–पत्र तारीख पर उसकी स्थिर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करती है। यदि कोई ऐसा संकेत हो, तो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का निवल विक्रय मूल्य और उपयोग में मूल्य के अनुसार अनुमान लगाया जाता है। जब कभी किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तब क्षति संबंधी हानि को स्वीकार किया जाता है। सी जी यू के निवल विक्रय मूल्य का हर तीन वर्षों में एक बार निर्धारण किया जाता है । 31 मार्च, 2014 के अनुसार इस प्रकार की समीक्षा करने पर हानि करने वाली यूनिटों से कोई प्रावधान करने की अपेक्षा नहीं होती है क्योंकि 31 मार्च, 2014 के अनुसार एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा इस्को इस्पात संयंत्र, एलॉय इस्पात संयंत्र, विश्वश्वरैया इस्पात संयंत्र के लिए किया गया निवल वसूली योग्य मूल्य संबंधित सी.जी.यू. की वहन राशि से अधिक होता है ।

प्रबंधन के मतानुसार, सेलम की पालिश यूनिट में ₹ 8.51 करोड़ की परिसंपत्ति हानि नहीं होती है क्योंकि निवल वसूली योग्य मूल्य अंकित मूल्य से अधिक होता है। इसी प्रकार, आर.एस.पी. में पाइप कोटिंग संयंत्र का निवल वसूली योग्य मूल्य ₹ 40.30 करोड़ पर अंकित मूल्य से अधिक होता है ।

32.7 वर्ष के दौरान, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित वर्ष 2012–13 के कार्यकलापों के कारण ₹ 17.19 करोड़ की खर्च न की गई और आगे ले जायी गई राशि को वर्ष के दौरान पूरा खर्च कर दिया गया था। वर्ष 2013–14 के सीएसआर के कार्यकलापों के लिए ₹ 40.00 करोड़ की अनुमोदित बजटीय राशि की तुलना में कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹ 44.87 करोड़ खर्च किए ।

32.8 विधि और न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं0 1/12/92–सी एल 5 परिपत्र 14/93, दिनांक 20.12.93 में यथा उपलब्ध कंपनी के द्वारा उपयोग किए गए विकल्प के अनुसार 1.4.1993 से पहले अधिग्रहण की गई परिसंपत्तियों के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची xiv में निर्धारित की गई दरों के अलावा अन्य दर पर सेल रिफ्रेक्टरी यूनिट भिलाई ने मूल्यह्रास लेना जारी रखा है। अनुसूची xiv में निर्धारित दरों पर ऐसी परिसंपत्तियों पर अतिरिक्त मूल्यह्रास की राशि ₹ 6.40 करोड़ है।

32.9 ''पट्टा'' पर लेखांकन मानक 19 के अनुसार पट्टे पर सूचना :–

(क) कंपनी ने कर्मचारियों एवं तृतीय पक्षकारों के लिए अलग–अलग अवधियों हेतु संपत्तियां पट्टे पर दी हैं। बही मूल्य में समायोजन करने के पश्चात आगे प्राप्त पट्टा प्रीमियम को पट्टे के वर्ष में अन्य आय के रूप में बुक किया जाता है।

(ख) पट्टे/किराए पर ली गई परिसंपत्तियों के संदर्भ में : कंपनी के कर्मचारियों के लिए नवीकरण योग्य आवधिक आधार पर कार्यालय सुविधाओं, गेस्ट हाउस और आवासीय परिसरों के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक पट्टे हैं। वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में डाले गए इन पट्टों के किराए का व्यय ₹ 11.98 करोड़ (₹ 11.18 करोड़) है।

32.10 31 दिसंबर, 2011 को गैर–कार्यपालकों के साथ दीर्घकालिक वेतन करारों के समाप्त होने के बाद कंपनी ने 1 जनवरी, 2012 से गैर–कार्यपालकों के वेतन संबंधी संशोधन को लागू करने के लिए यूनियनों के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। तद्नुसार, 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में शामिल कर्मचारी हितकारी व्यय और निर्माण के दौरान व्यय (ई.डी.सी.) 31 मार्च, 2013 तक गैर–कार्यपालकों के वेतन संशोधन बकाया में शामिल है और ये राशियां क्रमशः ₹ 431.30 करोड़ और ₹ 1.92 करोड़ हैं।

32.11 लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) के दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनी के द्वारा अधिवार्षिता लाभों के रूप में कार्यपालक कर्मचारियों के वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ते) की 30% राशि अंशदान के रूप में देनी होती है। जिसमें अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ), उपदान, पेंशन और सेवा निवृत्ति के बाद के लाभ शामिल हो सकते हैं। 1.1.2007 से 31.3.2013 तक कंपनी अधिवार्षिता लाभ उपलब्ध करा रही थी, जिनका ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है। वर्ष के दौरान, कार्यपालक कर्मचारियों के लिए सेवा–निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पी.आर.एम.बी.) स्कीमों के लिए अंशदान की दर की गणना की गई है और दिनांक 5 मई, 2014 की बीमांकिक रिपोर्ट के अनुसार कार्यपालक कर्मचारियों के वेतन के एक अनुपात के रूप में पी.आर.एम.बी. स्कीमों की लागत 4.26% है। कार्यपालक कर्मचारियों के वेतन की 30% की समग्र सीमा के भीतर अधिवार्षिता लाभों के लिए अंशदान संबंधी डी.पी.ई. के दिशा–निर्देशों का पालन करने के लिए वर्ष के दौरान पेंशन लाभ के प्रावधान को 12% से 9% तक (पूर्णांक) कम कर दिया गया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्र. सं.	अधिवार्षिता लाभ	कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए वेतन की प्रतिशतता	
		1.1.2007 से 31.3.2013	1.4.2013 से 31.3.2014
1.	भविष्य निधि के लिए अंशदान	12.00%	12.00%
2.	उप दान	4.81%	4.81%
3.	सेवा निवृति के बाद चिकित्सा लाभ	1.19%	4.26%
4.	पेंशन (अधिवार्षिता लाभों का शेष भाग)	12.00%	8.93%

इसके अलावा, सेल प्रबंधन और गैर–कार्यपालक कर्मचारियों की यूनियनों के बीच दिनांक 25 जनवरी, 2014 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार गैर–कार्यपालकों के लिए पेंशन संबंधी लाभ के बारे में 1 जनवरी, 2012 से वेतन के 6% की दर से सहमति हुई है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी हितकारी व्यय (ई.बी.ई.) में ₹ 201.21 करोड़ और निर्माण के दौरान व्यय (ई.डी.सी.) में ₹ 9.63 करोड़ का 31 मार्च, 2013 तक कार्यपालक कर्मचारियों के लिए अन्य लाभों का अधिक प्रावधान वर्ष के दौरान किया गया है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(₹ करोड़)

संयंत्र/यूनिट का नाम	अन्य लाभों के लिए प्रावधान	
	कर्मचारी हितकारी व्यय	निर्माण के दौरान व्यय
भिलाई इस्पात संयंत्र	42.46	5.96
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	23.31	
राउरकेला इस्पात संयंत्र	28.32	2.36
बोकारो इस्पात संयंत्र	40.13	1.31
इस्को इस्पात संयंत्र	11.57	
एलॉय इस्पात संयंत्र	5.06	
सेलम इस्पात संयंत्र	4.78	
विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र	3.77	
कच्चा माल प्रभाग	7.96	
सेल रिफ्रेक्टरी यूनिट	1.72	
केन्द्रीय विपणन संगठन	12.03	
अनुसंधान और विकास केन्द्र	10.95	
कॉरपोरेट कार्यालय	6.60	
विकास प्रभाग और कुल्टी वर्क्स	0.85	
चन्द्रपुर फैरो अलॉय संयंत्र	1.7	
योग	**201.21**	**9.63**

33. सामान्य

33.1 कर्मचारी हितलाभ योजनाएं

33.1.1 परिभाषित हितलाभ योजनाओं का सामान्य विवरण

उपदान – पात्र कर्मचारी जो 5 वर्ष अथवा उससे अधिक समय के लिए निरंतर कंपनी की सेवा में हो, को प्रत्येक पूर्ण सेवा–वर्ष के लिए 15 दिन के अनुपात में उनकी अधिवर्षिता पर देय होगा। कार्यपालकों के मामले में अधिकतम ₹ 10 लाख की राशि और गैर–कार्यपालकों के बिना किसी मौद्रिक सीमा पर विचार किया गया है।

छुट्टी नकदीकरण – पात्र कर्मचारी जिन्होंने अर्जित एवं अर्ध–वेतन अवकाश संचित किया हो, उन्हें अधिवर्षिता पर देय जो अर्जित अवकाश और अर्ध–वेतन अवकाश को मिलाकर 300 दिनों की अधिकतम सीमा के अध्यधीन हैं । संचित अर्जित अवकाश संबंधी नकदीकरण भी वित्तीय वर्ष में एक बार 30 दिनों तक करने की अनुमति दी जाती है।

भविष्य निधि – कंपनी के द्वारा मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 12% भविष्य निधि ट्रस्ट में अंशदान किया जाता है।

सेवा–निवृत्ति उपरांत चिकित्सा – सेवा–निवृत्त कर्मचारियों को कंपनी के अस्पतालों और/अथवा स्वास्थ्य बीमा नीति के अंतर्गत उपलब्ध सुविधा।

सेवा–निवृत्ति उपरांत अधिवास हितलाभ – सेवा–निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनके गृह–नगर में अधिवास हेतु देय।

कर्मचारी परिवार – विकलांग सेवा–मुक्त कर्मचारियों/मृतक कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को अधिवर्षिता की कल्पित तिथि तक निर्धारित जमा राशि के बदले मासिक भुगतान।

दीर्घावधिक सेवा पुरस्कार –न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पर और अधिवर्षिता पर भी वस्तु के रूप में देय।

33.1.2 परिभाषित हितलाभ बाध्यताओं के संबंध में ''कर्मचारी हितलाभ'' पर लेखांकन मानक (ए एस)–15 (संशोधित) के अंतर्गत अन्य प्रकटन निम्नानुसार है :

(क) परिभाषित हितलाभ बाध्यताओं के मौजूदा मूल्य का समाधान :

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ	सेवानिवृत्ति उपरांत अधिवास हितलाभ	दीर्घावधिक सेवा पुरस्कार	कर्मचारी परिवार हितलाभ योजना
i)	वर्ष के प्रारंभ में परियोजित संबंधी बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	4508.07 (4134.62)	2454.02 (2131.08)	1230.01 (1200.02)	117.43 (105.27)	23.07 (20.07)	317.86 (281.05)
ii)	सेवा संबंधी लागत	187.08 (158.46)	118.20 (116.57)	9.08 (11.06)	5.48 (5.52)	2.77 (1.30)	0.00 (0.00)
iii)	ब्याज संबंधी लागत	352.90 (344.75)	191.10 (176.34)	97.43 (102.02)	9.62 (9.15)	1.98 (1.72)	22.80 (21.35)
iv)	बीमांकिक लाभ (-) / घाटा (+)	757.11 (537.46)	-65.70 (463.81)	-407.76 (13.47)	-13.18 (8.39)	-3.31 (2.86)	65.67 (83.11)
v)	पश्च सेवा लागत	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
vi)	चुकता हितलाभ	719.97 (667.22)	434.20 (433.78)	85.54 (96.56)	9.70 (10.90)	2.49 (2.88)	74.48 (67.65)
vii)	वर्ष के अंत में परियोजना हितलाभ संबंधी बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	5085.19 (4508.07)	2263.42 (2454.02)	843.22 (1230.01)	109.65 (117.43)	22.02 (23.07)	331.85 (317.86)

ख. परिसंपत्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान

कंपनी ने अलग से एक उपदान निधि का गठन कर अपनी उपदान देयताओं के लिए आंशिक रूप से निधि जुटाई है । योजना परिसंपत्तियों को उचित मूल्य मुख्य रूप से बीमा कंपनियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर होता है जिसके द्वारा निधि का निवेश किया जाता है । परिसंपत्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य के समाधान और परिभाषित हितलाभ बाध्यताएं निम्नलिखित हैं :

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2012-13
i)	वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4203.26	4114.34
ii)	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित लाभ	336.27	317.19
iii)	कंपनी का वास्तविक अंशदान	719.92	367.20
iv)	बीमांकिक लाभ/(घाटा)	54.89	71.75
v)	हितलाभ संबंधी भुगतान	719.97	667.22
vi)	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4594.37	4203.26
vii)	परिभाषित हितलाभ संबंधी बाध्यताओं का मौजूदा मूल्य [33.1.2) (क)(vii)]	5085.19	4508.07
viii)	तुलन–पत्र में चिन्हित निवल देयता (vii)-(vi) *	490.82	304.81

* निवेश में हुए प्रतिलाभों पर विचार करने के बाद कंपनी वर्ष 2014–15 में उपदान निधि में किसी राशि का अंशदान करने की अपेक्षा नहीं करती ।

उपदान के अलावा परिभाषित हितलाभ बाध्यताओं में कोई राशि नहीं है ।

(ग) **भविष्य निधि:** भविष्य निधि में वर्ष के दौरान कंपनी के प्रदत्त देय अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में स्वीकृत किया जाता है । कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत शुल्क मुक्त हैं । छूट देने संबंधी शर्तें यह निर्धारित करती हैं कि नियोक्ता ट्रस्टों द्वारा घोषित ब्याज दर के मुकाबले कानूनी दर की कमी, यदि कोई हो, उसे पूरी करेगा । निधियों की परिसंपत्तियों और निवेश से हुए प्रतिलाभों के संबंध में कंपनी द्वारा निकट अनुमानित भविष्य में कोई अन्य बाध्यताएं प्रत्याशित नहीं हैं ।

(घ) वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में विवरण में दर्शाए गए खर्च :

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ	सेवानिवृत्ति उपरांत अधिवास हितलाभ	दीर्घावधिक सेवा पुरस्कार	कर्मचारी परिवार हितलाभ योजना
i)	सेवा संबंधी लागत	187.08 (158.46)	118.20 (116.57)	9.08 (11.06)	5.48 (5.52)	2.77 (1.30)	0.00 (0.00)
ii)	ब्याज संबंधी लागत	352.90 (344.75)	191.10 (176.34)	97.43 (102.02)	9.62 (9.15)	1.98 (1.72)	22.80 (21.35)
iii)	बीमांकित लाभ(-)/घाटा	702.22 (465.71)	-65.70 (463.81)	-407.76 (13.47)	-13.18 (8.39)	-3.31 (2.86)	65.67 (83.11)
iv)	पूर्व सेवा लागत	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
v)	योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	336.27 (317.19)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
vi)	कुल (i+ii+iii+iv-v)	905.93 (651.73)	243.60 (756.72)	-301.25 (126.55)	1.92 (23.06)	1.44 (5.88)	88.47 (104.46)
vii)	कर्मचारियों के हितलाभ खर्चः						
	क) लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित (नोट 24)	898.34 (645.30)	240.18 (743.93)	-301.16 (126.55)	- (0.00)	1.44 (5.88)	88.47 (104.46)
	ख) निर्माण के दौरान हुए व्यय में प्रभारित (नोट 11.1)	7.59 (6.43)	3.42 (12.79)	-0.09 (0.00)	- -	- -	- -
	ग) अन्य खर्च –लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित (नोट 26)	- -	- -	- -	1.92 (23.06)	- -	- -
viii)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	391.14 (388.96)					

(ङ) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ योजना के अंतर्गत हितलाभों के मूल्यांकन के मामले में स्वीकृत मुद्रा स्फीति दर में एक प्रतिशत प्वाइंट परिवर्तन का प्रभाव :

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशत प्वाइंट की कमी
i)	कुल सेवा पर वृद्धि/(कमी) तथा सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभों की ब्याज संबंधी लागत	0.52	-0.43
ii)	31 मार्च, 2014 को परिभाषित हितलाभ संबंधी बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य पर वृद्धि/(कमी)	23.19	-19.94

(च) बीमांकिक पूर्वानुमान

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2014 को	1 अप्रैल, 2013 को
i)	कटौती दर (प्रति वर्ष)	9.19%	8.15%
ii)	मृत्यु दर	भारतीय के जीवनकाल का आश्वासन (1994-96) संशोधित	भारतीय के जीवनकाल का आश्वासन (1994-96) संशोधित
iii)	वापसी की दर (प्रति वर्ष)	कार्यपालक एवं गैर–कार्यपालक – 0.10% से 0.50% के आयु के आधार पर	कार्यपालक एवं गैर–कार्यपालक – 0.10% से 0.50% के आयु के आधार पर
iv)	चिकित्सा संबंधी लागत प्रवृत्ति दर (प्रति वर्ष)	अस्पताल संबंधी खर्च के लिए 5% एवं मेडीक्लेम प्रीमियम के लिए शून्य	अस्पताल संबंधी खर्च के लिए 5% एवं मेडीक्लेम प्रीमियम के लिए शून्य
v)	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की आकलन दर	8% प्रति वर्ष	8% प्रति वर्ष
vi)	वेतन वृद्धि	कार्यपालक : 7% प्रति वर्ष गैर–कार्यपालक : 6% प्रति वर्ष समस्त कर्मचारी – 2017 में एवं उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद 7.5% की बढ़ोत्तरी	कार्यपालक : 7% प्रति वर्ष और 2017 से शुरू होते हुए प्रत्येक 10 वर्ष के बाद 7.5% की बढ़ोत्तरी गैर–कार्यपालक : 6% प्रति वर्ष 2013 में 7.5% की बढ़ोत्तरी सहित और दोबारा 2017 से शुरू होते हुए सेवा के प्रत्येक 10 वर्ष बाद 7.5% की बढ़ात्तरी
		मुद्रा स्फीति दर, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संगत कारकों को खाते में शामिल करके, बीमांकिक मूल्यांकन में भावी वेतन–वृद्धि का आकलन किया गया।	

33.2 खंड रिपोर्टिंग

i) व्यापार खंड : निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी लेखांकन मानक–17 खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत खंड रिपोर्टिंग हेतु पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों तथा तीन मिश्र इस्पात संयंत्रों को इस्पात निर्माण इकाई होने के नाते प्राथमिक व्यापारिक खंड माना गया है ।

ii) भौगोलिक खंडों को सेकेण्डरी खंड रिपोर्टिंग श्रेणी में रखा गया है तथा इस उद्देश्य से भारत तथा विदेशों में हुई बिक्री से प्राप्त राजस्व को पृथक भौगोलिक खंड माना गया है ।

iii) प्रबंधन की राय में, निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी लेखांकन मानक–17 खंड रिपोर्टिंग के अनुसार निजी खानें कंपनी की व्यापारिक खंड नहीं हैं, चूंकि निजी खानें विभिन्न संयंत्रों को कच्चे माल की आपूर्ति कर रही हैं, अतः खानों को लेखाकरण के प्रयोजन से लागत केंद्र माना गया है । बहरहाल, इन मुद्दों के कारण, इस मामले पर राय के लिए यह मामला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीए) के विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) को भेजने का निर्णय लिया गया है ।

33.3 संबंधित पार्टी

निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी लेखांकन मानक–18 संबंधित पार्टियों के प्रकटन के अनुसार सरकारी नियंत्रण के उद्यमों को छोड़कर संबंधित पार्टियों के नाम इस प्रकार हैं :

क.	
संबंध की प्रकृति	**संबंधित पार्टियों के नाम**
संयुक्त उद्यम	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड
	एमजेंक्शन सर्विसेज लिमिटेड
	यूईसी–सेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
	रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड
	एन.ई. स्टील एंड गैल्वेनाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड
	बोकारो जेपी सीमेंट लिमिटेड
	एस एंड टी माइनिंग कं0 प्रा0 लिमिटेड
	सेल कोबे आयरन इंडिया प्रा0 लिमिटेड
	टीएमटीएसएएल सेल जेवी लिमिटेड
	एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड
	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड
	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड
	अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड
संबंध की प्रकृति	**संबंधित पार्टियों के नाम**
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	
	श्री सी.एस. वर्मा
	श्री सुमन मुखर्जी (1 मई, 2013 तक)
	श्री अनिल कुमार चौधरी
	श्री एस.एस. मोहन्ती
	श्री एच.एस. पति
	श्री टी.एस. सुरेश
	श्री कल्याण माइति
	श्री बिनोद कुमार (3 दिसंबर, 2013 से)
	श्री एन.के. कोठारी
	श्री ए. मैत्री
	श्री पी.के. सिंह
	श्री एस. चंद्रशेखरन
	श्री जी.एस. प्रसाद
	श्री पी.एस. भदोरिया
	श्री एस.एस. वर्मा
	श्री ए. बंदोपाध्याय
	श्री एस. हनुमंत राव
	श्री एम.एन.राय
	श्री एम.आर. पांडा
	श्री एस. वरदराजन
	श्री रमन
	श्री सोमदेव दास
	श्री के.के. सिंह
	श्री ए.जे. मल्होत्रा (12 अगस्त, 2013 तक)
	श्री रामदेव मित्रा (13 अगस्त, 2013 से)

ख. वर्ष के दौरान कंपनी तथा संबंधित पार्टियों के बीच लेन–देन का ब्यौरा :

(₹ करोड़)

क.सं.	विवरण	एसोसिएट/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	योग	नोट सं0 और लेखा शीर्ष
i)	निवेश की खरीददारी	1.84 (1.50)	-	1.84 (1.50)	12 : गैर–चालू निवेश
ii)	शेयरों की खरीददारी हेतु अग्रिम	0.14 (0.27)	-	0.13 (0.27)	18 : लघु अवधि ऋण और अग्रिम
iii)	अन्य ऋण एवं अग्रिम	-	- (0.04)	- (0.04)	13 : दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम
iv)	प्रदत्त सेवाएं	4.34 (0.90)	-	4.34 (0.90)	21 : अन्य आय
v)	किराए से आय	0.19 (0.02)	-	0.19 (0.02)	
vi	ब्याज आय	- (0.02)	-	- (0.02)	
vii)	वस्तुओं की बिक्री	70.78 (56.88)	-	70.78 (56.88)	20 : प्रचालनों से राजस्व
viii)	प्राप्त सेवाएं	41.38 (33.48)	-	41.38 (33.48)	26 : अन्य खर्चे
		1.80 (1.26)	-	1.80 (1.26)	11 : पूंजी डब्ल्यूआईपी
ix)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	6.75 (7.01)	6.75 (7.01)	24 : कर्मचारी हितलाभ खर्चे

ग. वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों के शेष का ब्यौरा

(₹ करोड़)

क.सं.	विवरण	एसोसिएट / संयुक्त उद्यम	नोट सं0 और लेखा शीर्ष
i)	निवेश	103.99 (102.15)	12 : गैर–चालू निवेश
ii)	निवेश के लिए प्रावधान	3.44 (3.44)	
iii)	अन्य ऋण तथा अग्रिम	1.39 (1.39)	13 : दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम
iv)	ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	1.39 (1.39)	
v)	शेयरों की खरीददारी हेतु अग्रिम	0.14 (0.27)	18 : लघु अवधि ऋण और अग्रिम
vi)	व्यवसायिक प्राप्य	2.88 (2.19)	16 : व्यावसायिक प्राप्य
vii)	व्यावसायिक देयताएं	5.03 (2.71)	7 : व्यावसायिक देयताएं
viii)	प्रतिभूति जमा	0.33 (0.32)	4 : अन्य दीर्घावधि देयताएं

घ. संबंधित पार्टियों के साथ सामग्री लेन–देन का ब्यौरा :

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	नोट संख्या और लेखा शीर्ष
निवेश की खरीददारी			
एस एंड टी माइनिंग कं. प्रा.लि.	1.84	1.50	12 : गैर–चालू निवेश
शेयरों की खरीददारी हेतु अग्रिम			
सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	-	0.25	18 : लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम
टीएमटीएसएल सेल जेवी लिमिटेड	-	0.01	
एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड	-	0.01	
प्राइम गोल्ड सेल जेवीसी लिमिटेड	0.12	-	
वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	0.02	-	
वस्तुओं की बिक्री			
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेडक	25.76	26.12	20 : प्रचालनों से आय
बोकारो जेपी सीमेंट लिमिटेड	45.02	30.76	
प्रदत्त सेवाएं			
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	4.34	0.90	21 : अन्य आय
बोकारो जेपी सीमेंट लिमिटेड	0.17	0.02	
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	0.02	-	
नीलामी सेवाएं			
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	38.38	29.12	26 : अन्य खर्च
	1.80	1.26	11 : पूंजी डब्ल्यूआईपी
प्राप्त परामर्शी सेवाएं	1.22	1.90	11 : पूंजी डब्ल्यूआईपी
एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्रा0 लिमिटेड			
कन्वर्जन मूल्य			
सेल बंसल सर्विसेज सेंटर लिमिटेड	1.78	2.46	26 : अन्य व्यय

33.4 निगमित मामले मंत्रालय द्वारा आय पर कर के संबंध में जारी किए गए एएस–22 के अनुसार निवल आस्थगित कर को निम्न प्रकार से लेखाबद्ध किया गया है :

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
आस्थगित कर देयताए		
खाता तथा कर मूल्यह्रास के बीच अंतर	3527.79	2947.63
योग	3527.79	2947.63
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
सेवा निवृत्त कर लाभ	164.76	101.53
अन्य	1322.57	1117.57
योग	1487.33	1219.10
निवल आस्थगित कर देयताएं	**2040.46**	**1728.53**

33.5 निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)27–''संयुक्त उद्यमों मे साझीदारी की वित्तीय रिपोर्टिंग'' के अनुसार भारत में संस्थापित सभी संयुक्त उद्यमों में कंपनी के स्वामित्व ब्याज, परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं एवं पूंजीगत प्रतिबद्धताओं की साझेदारी निम्नानुसार है :

(₹ करोड़)

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	कंपनी के स्वामित्व ब्याज का %	परिसंपत्तियां	देयताएं	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएं	पूंजीगत प्रतिबद्धताएं
1.	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्रा. लि. (*)	50	1707.88	940.39	883.50	695.57	29.96	41.03
2.	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्रा. लि. (@)	50	550.76	271.09	380.06	354.70	0.35	19.39
3.	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड (**)	50	118.24	47.31	68.40	42.42	-	3.55
4.	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड (@)	40	13.30	11.73	8.25	8.28	-	-
5.	रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड ($)	15	-	-	-	-	-	-
6.	यूईसी–सेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ($)	40	-	-	-	-	-	-
7.	नॉर्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड ($)	50	-	-	-	-	-	-
8.	एन. ई. स्टील एंड गैल्वेनाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड ($)	49	-	-	-	-	-	-
9.	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड (@)	26	253.49	176.18	192.86	190.75	0.87	1.76
10.	बोकारो जेपी सीमेंट लिमिटेड (@)	26	179.60	131.37	163.91	133.17	1.32	-
11.	एस एंड टी माइनिंग कं0 प्रा0 लिमिटेड (@)	50	3.76	1.18	1.38	3.19	-	0.63
12.	इंटरनेशनल कोल वेंचर प्रा0 लिमिटेड (@)	28.57	6.76	0.64	-	-	-	-
13.	सेल–मॉइल फैरो अलॉय प्रा0 लिमिटेड (**)	50	6.93	6.01	0.07	0.27	-	-
14.	सेल एससीआई शिपिंग प्रा0 लिमिटेड (@)	50	0.07	0.01	0.01	0.03	-	-
15.	सेल एससीएल केरल लिमिटेड (@)	43.8	14.28	12.05	16.34	17.77	1.31	-
16.	सेल–राइट्स बंगाल इंडस्ट्रीज प्रा0 लिमिटेड (**)	50	31.26	16.27	0.06	0.01	-	18.15
17.	सेल कोबे आयरन इंडिया प्रा0 लिमिटेड (*)	50	0.25	-	-	-	-	-
18.	एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड (@)	26	0.06	0.04	-	-	-	-
19.	टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड (@)	26	0.01	-	-	-	-	-
20.	सेल–बंगाल एलॉय कास्टिंग्स प्रा0 लिमिटेड (**)	50	0.45	0.45	-	-	-	-
21.	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड (**)	26	0.37	-	-	-	-	-
22	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड ($$)	26	-	-	-	-	-	-
23.	अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड ($$)	26	-	-	-	-	-	-

*वर्ष 2013–14 के लिए अंकेक्षित लेखा पर आधारित

**वर्ष 2013–14 के लिए अनांकेक्षित लेखा पर आधारित

(@) वर्ष 2012–13 के लिए अंकेक्षित लेखा पर आधारित

($) सूचना उपलब्ध नहीं है

($$) परिचालन अभी शुरू होना बाकी है ।

33.6 लेखांकन मानक (एएस) 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों'' द्वारा अपेक्षित प्रावधानों का प्रकटन :

प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण

खान वनारोपण संबंधी लागत —खनन प्रयोजनों के लिए वन—भूमि के उपयोग हेतु खानों में वनारोपण लागत के निमित्त, सरकारी प्राधिकारियों को खनन पट्टों के नवीकरण (मानित नवीकरण सहित) के समय पर देय।

खान बंदी संबंधी लागत — खानों को बंद करने के निमित्त आकलित देयता, खनन गतिविधियों की समाप्ति के समय पर व्यय किया जाना है ।

पिछले अधिभार को हटाए जाने संबंधी लागत — आगामी वर्षों में खानों में पिछले अधिभार को हटाने के निमित्त खर्च करना है।

(₹ करोड़)

प्रावधानों का संचालन	खान वनारोपण संबंधी लागत	खान बंदी संबंधी लागत	अधिभार को हटाने के लिए लागत	योग
1 अप्रैल, 2013 को शेष	208.20	91.20	29.05	328.45
वर्ष के दौरान संवर्धन	8.39	13.01	33.82	55.22
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	12.12	-	4.75	16.87
31 मार्च, 2014 को शेष	204.47	104.21	58.12	366.80

33.7 (i) स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीयन समझौते की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी द्वारा दिए गए ऋण की प्रकृति ऋणों व अग्रिमों का अपेक्षित ब्यौरा निम्नवत है :

(₹ करोड़)

सहायक कंपनी का नाम	वर्ष के अंत में बकाया ऋण की प्रकृति वाले ऋण एवं अग्रिम	वर्ष में बकाया ऋण की प्रकृति वाले ऋणों एवं अग्रिमों की अधिकतम राशि
इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लि. (परिसमापन के अंतर्गत)	2.53* (2.53)*	2.53 (2.53)

* बकाया राशि में से ₹ 2.53 करोड़ (₹ 2.53 करोड़) का वसूली की संदिग्धता के कारण, प्रावधान किया गया है ।

ii) कंपनी का कोई ऋण (कर्मचारियों को दिए ऋण के अतिरिक्त) ऐसा नहीं है जिसकी वापसी की अवधि निर्धारित नहीं है या वापसी की अवधि 7 वर्षों से अधिक की हो; और

ii) कंपनी ने ऐसी किसी फर्म/कंपनी को ऋण की प्रवृत्ति वाला कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जिसमें उसके निदेशकों के हित हों ।

OPENING STOCK, PURCHASES, TURNOVER AND CLOSING STOCK

(Quantity : Tonnes)
(Value : ₹ crore)

Class of Products	Opening Stock		Purchases		Sales		Closing Stock	
	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value
OWN PRODUCTS								
Main Steel Plants								
Pig Iron	58372	144.04	-	-	166888	423.34	43951	104.06
	(47998)	(120.70)	(-)	(-)	(118432)	(314.01)	(58372)	(144.04)
Steel Ingots	217492	669.99	-	-	2056	5.64	101120	306.97
	(120483)	(356.72)	(-)	(-)	(48)	(0.14)	(217492)	(669.99)
Saleable steel	1090219	3941.64	-	-	11611314	46923.37	1006566	3590.32
	(815911)	(2916.40)	(-)	(-)	(10745823)	(44873.54)	(1090219)	(3941.64)
In process material	401630	1287.94	-	-	-	-	515156	1404.34
	(283158)	(881.25)	(-)	(-)	(-)	(-)	(401630)	(1287.94)
ALLOY STEELS PLANTS								
Pig Iron	7201	21.60	-	-	2798	8.62	7831	23.32
	(7320)	(20.97)	(-)	(-)	(12001)	(36.49)	(7201)	(21.60)
Steel Ingots	31028	118.54	-	-	0	0.00	21695	85.16
	(26091)	(102.99)	(-)	(-)	(0)	(0.00)	(31028)	(118.54)
Saleable Steel	131627	798.43	-	-	460543	2737.05	95283	644.34
	(111237)	(789.58)	(-)	(-)	(386614)	(2380.41)	(131627)	(798.43)
In process material	80345	679.11	-	-	-	-	68836	560.85
	(89907)	(704.89)	(-)	(-)	(-)	(-)	(80345)	(679.11)
SUNDRIES								
Calcium Ammonium	1023	0.00	-	-	0	0.00	1023	0.00
Nitrate(in terms of)	(1023)	(0.00)	(-)	(-)	(0)	(0.00)	(1023)	(0.00)
25% N)								
Middlings/Rejects	649475	0.00	-	-	52278	16.51	785677	0.00
	(554351)	(12.92)	(-)	(-)	(56277)	(21.33)	(649475)	(31.42)
Others (By-products etc.)		2276.06		0.78		1751.46		2252.16
		(1740.03)		(2.09)		(1740.86)		(2228.42)
TRADING ACTIVITIES								
Saleable Steel	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	(0)	(0.00)	(484)	(1.12)	(-3976)	(-17.09)	(4460)	(16.22)
		9937.35		0.78		51865.99		8971.52
		(7646.45)		(3.21)		(49349.69)		(9937.35)

35. Expenditure incurred in foreign currency on account of

(₹ crore)

	Current Year	Previous Year
Know-how	83.45	78.39
Interest	233.99	166.11
Professional and consultation fees	45.56	41.57
Others	95.34	68.07
Total	**458.34**	**354.14**

36. Earnings in foreign exchange on account of

Export of goods(Calculated on FOB basis)	1496.96	1157.95
Other Income	1056.26	0.00
	2553.22	1157.95

37. Value of imports (Calculated on CIF basis)

Raw materials	13404.62	12886.26
Capital goods	1706.80	1369.22
Stores, Spares and Components	486.32	454.52
Total	**15597.74**	**14710.00**

38 Value of raw materials consumed	Rs/crore	%	Rs/crore	%
Imported	13333.85	57.90	12667.63	52.27
Indigenous	9695.90	42.10	11566.59	47.73
	23029.75	100.00	24234.22	100.00
Less: Inter Account Adjustments	3758.59		3035.74	
	19271.16		21198.48	

39. Value of Components and Spare Parts consumed				
Imported	397.98	10.25	371.48	19.22
Indigenous	3486.48	89.75	1560.82	80.78
	3884.46	100.00	1932.30	100.00
Less: Inter Account Adjustments	1813.30		1932.30	
	2071.16		0.00	

40. Remittance in foreign currencies for dividends :

The Company has not remitted any amount in foreign currencies on account of interim / final dividend during the year and does not have information as to the extent to which remittances, if any, in foreign currencies on account of interim / final dividends have been made by / on behalf of non-resident shareholders. The particulars of final dividend for the year 2012-13 and interim dividend for the year 2013-14 on account of non-resident shareholders are as under :-

	Current Year	Previous Year
Final Dividend (2012-13)		
a) Number of non-resident shareholders	5050	3908
b) Number of ordinary shares held by them	226976379	142797339
c) Amount of Dividend (₹ crore)	9.08	11.42
Interim Dividend (2013-14)		
a) Number of non-resident shareholders	4693	3775
b) Number of ordinary shares held by them	259305842	163777777
c) Amount of Dividend (₹ crore)	52.38	16.67

41. Previous year's figures have been re-arranged/re-grouped/re cast, wherever necessary. Figures in brackets pertain to previous year.

Segment Information for the Year ended 31st March 2014

A. BUSINESS SEGMENT

(₹ crore)

PARTICULARS	BSP	DSP	RSP	BSL	ISP	ASP	SSP	VISL	OTHERS	INTER SEGMENT SALES	SAIL
REVENUE											
- External Sales											
Current Year	17612.78	7521.71	9093.01	13624.87	1176.54	531.11	2039.11	202.06	64.80		51865.99
Previous Year	(17451.40)	(7672.26)	(8188.86)	(12455.78)	(1072.40)	(544.72)	(1514.16)	(405.53)	(44.58)		(49349.69)
- Inter Segment Sales											
Current Year	1387.52	621.18	294.79	374.05	1848.13	264.50	6.76	41.39	3341.42	-8179.74	0.00
Previous Year	(1335.33)	(473.39)	(237.70)	(231.27)	(1627.78)	(276.09)	(9.83)	(67.40)	(2709.15)	(-6967.94)	(0.00)
- Total Revenue											
Current Year	19000.30	8142.89	9387.80	13998.92	3024.67	795.61	2045.87	243.45	3406.22	-8179.74	51865.99
Previous Year	(18786.73)	(8145.65)	(8426.56)	(12687.05)	(2700.18)	(820.81)	(1523.99)	(472.93)	(2753.73)	(-6967.94)	(49349.69)
RESULT											
- Operating Profit/(-) Loss (Before Interest expenses and exceptional items)											
Current Year	2359.10	541.97	439.00	410.10	-529.85	-84.19	-281.57	-122.62	501.13		3233.07
Previous Year	(2306.93)	(673.03)	(560.77)	(551.23)	(-105.01)	(-112.73)	(-326.56)	(-116.61)	(786.59)	(0.00)	(4217.64)
- Interest Expenses											
Current Year											967.64
Previous Year											(747.66)
- Exceptional items (Foreign exchange variation & write back of entry tax liability)											
Current Year											-959.12
Previous Year											(229.32)
- Income Tax											
Current Year											608.07
Previous Year											(1070.31)
- Net Profit / Loss (-)											
Current Year											2616.48
Previous Year											(2170.35)
OTHER INFORMATION											
- Segment Assets											
Current Year	20470.79	4789.09	16387.48	13383.87	16684.61	668.50	3187.49	551.04	15839.02		91961.89
Previous Year	(17106.21)	(4583.11)	(14082.98)	(12830.06)	(15560.43)	(819.57)	(3731.83)	(700.49)	(14803.78)	(0.00)	(84218.46)
- Segment Liabilities											
Current Year	5520.31	1711.86	3011.73	2981.27	1183.51	245.15	374.20	159.14	18435.69		33622.86
Previous Year	(4518.20)	(1661.61)	(2301.85)	(2818.29)	(1291.57)	(259.11)	(446.78)	(206.99)	(14475.34)		(27979.74)
- Capital Expenditure											
Current Year	3714.33	597.01	2331.92	1106.95	1304.17	7.19	-14.05	2.39	336.78		9386.69
Previous Year	(3510.49)	(910.33)	(2047.18)	(767.86)	(1269.38)	(7.91)	(-0.53)	(3.65)	(371.70)	(0.00)	(8887.97)
- Depreciation											
Current Year	331.61	259.36	370.31	315.10	131.84	14.80	145.68	13.82	134.17		1716.69
Previous Year	(271.01)	(268.72)	(320.89)	(311.71)	(50.41)	(15.43)	(147.91)	(13.56)	(3.34)	(0.00)	(1402.98)
- Non Cash Expenses other than depreciation											
Current Year	26.35	60.69	15.72	24.90	25.92	7.26	0.19	4.86	32.57		198.46
Previous Year	(3.41)	(6.18)	(5.14)	(15.86)	(1.39)	(4.14)	(0.16)	(6.78)	(10.25)	(0.00)	(53.31)

B. GEOGRAPHICAL SEGMENT

(₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Sales Revenue		
India	**50368.98**	48191.46
Foreign Countries	**1497.01**	1158.23
Total	**51865.99**	49349.69

Note : (1) Segment assets/liabilities exclude inter-unit balances,

(2) Total carrying amount of segment assets by geographical location of assets, for the Company's overseas operations are below 10% of the total assets of all segments, and hence not disclosed.

SOCIAL AMENITIES

(₹ crore)

Expenses	Township	Education	Medical	Social & Cultural activities	Cooperative Societies	Transport & Dairy	Total	Previous Year
Employees' Remuneration & Benefits								
-Salaries & Wages	204.21	105.04	298.10	7.32	2.01	14.04	630.72	610.24
-Company contribution to Provident Fund	19.01	9.68	26.54	0.72	0.21	1.39	57.55	57.55
-Travel concessions	6.13	2.04	6.57	0.12	0.00	1.25	16.11	7.49
-Welfare expenses	10.09	8.91	68.46	3.70	0.00	1.17	92.33	92.78
- Consumption of Medicines	0.00	0.00	61.25	1.06	0.00	0.00	62.31	58.80
-Gratuity	33.55	21.94	34.88	0.99	0.08	1.92	93.36	73.34
Total	**272.99**	**147.61**	**495.80**	**13.91**	**2.30**	**19.77**	**952.38**	**900.20**
Stores & Spares	23.64	0.58	6.64	1.00	0.00	0.62	32.48	32.42
Repair & maintenance	120.49	1.23	17.57	0.41	0.19	1.35	141.24	115.23
Power & Fuel	385.34	3.29	2.99	1.73	0.00	0.21	393.56	367.13
Miscellaneous expenses	55.21	4.33	17.49	2.35	0.00	7.58	86.96	59.56
Depreciation	18.11	0.87	8.94	0.09	0.00	0.02	28.03	26.15
Total	**875.78**	**157.91**	**549.43**	**19.49**	**2.49**	**29.55**	**1634.65**	**1500.69**
Less: Income	178.48	6.09	63.86	1.16	0.00	0.34	249.93	234.50
Net Deficit	697.30	151.82	485.57	18.33	2.49	29.21	1384.72	1266.19

Auditors' Report

Annexure - I to the Directors' Report

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन का उत्तर

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों से संबंधित रिपोर्ट

हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ('कंपनी')के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2014 तक का तुलन–पत्र, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य स्पष्टकारी जानकारी शामिल हैं और इनके साथ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नियुक्ति पत्र के अनुसार शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा संयंत्रों, एककों, शाखाओं तथा अन्य कार्यालयों के लेखा परीक्षित लेखें भी अनुलग्न हैं।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 ;अधिनियमद्ध की धारा 211 की उप–धारा (3x) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सितंबर, 2013 के सामान्य परिपत्र 15/2013 के साथ पठित अधिनियम) में उल्लिखित लेखांकन व उपयुक्त चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में वित्तीय विरणों को तैयार व प्रस्तुत करने से संबंधित आंतरकि नियंत्रण का अभिक्लपन, कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है जिससे वास्तविक एवं उपयुक्त स्थिति दर्शाई जा सके और जिसमें धोखाधड़ी या भूलवश कोई महत्वपूर्ण गलती न रह जाए।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा अपनी लेखा परीक्षा की आयोजना तथा उसका निष्पादन यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि इन वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलती नहीं है। लेखा परीक्षा में ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करें जिससे वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों तथा अन्य प्रकटन संबंधी लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है और धाखाधड़ी या भूलवश वित्तीय विवरणों के संबंध में महत्वपूर्ण गलती के जोखिम का निर्धारण भी शामिल है। इन जोखिमों का निर्धारण करते समय लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत करने संबंधी कंपनी के आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करता है जिससे कि परिस्थितियों के अनुसार समुचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन हो सके। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन के लेखांकन प्राक्कलन का मूल्यांकन करने के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुत का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे हमारी लेखापरीक्षा विषयक राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त व उपयुक्त आधार उपलब्ध कराते हैं।

सापेक्ष राय के आधार

1. कंपनी ने निम्नलिखित के लिए प्रावधान नहीं किया है :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में ₹ 91.55 करोड़ का प्रवेश कर (वर्तमान में ₹ 9.91 करोड़) (टिप्पणी सं. 28.2(क) देखें)

छत्तीसगढ़ राज्य में ₹ 1071.28 करोड़ (वर्तमान वर्ष में ₹ 182.82 करोड़) तथा ओडिसा में ₹ 214.81 करोड़ (वर्तमान वर्ष में ₹ 44.49 करोड़) का प्रवेश कर (टिप्पणी सं. 28.2(क) देखें)

(ख) विद्युत आपूर्ति के लिए डीवीसी द्वारा ₹ 291.76 करोड़ (वर्तमान वर्ष में ₹ 74.36 करोड़) का दावा (टिप्पणी सं. 28.2(ख) देखें)

प्रबंधन का उत्तर: उल्लेख किए गए मामले, न्यायाधीन हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। विवादित मांगे जिन पर वैध तथा वास्तविक आधारों पर वाद–विवाद किया गया था, उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया गया है क्योंकि इसकी संभावना नहीं है कि वर्तमान दायित्व बैलेंस शीट वाली तारीख को विद्यमान हों। अतः लाभ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। 31 मार्च, 2012 को भी ये मामले न्यायाधीन थे और वित्त वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान इन मामलों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

2. राउरकेला इस्पात संयंत्र ;आरएसपीद्ध के मामले में मूल्यह्रास और ब्याज क्रमशः ₹ 104.92 करोड़ और ₹ 28.74 करोड़ कम उपलब्ध कराए गए हैं (नोट सं. 30.2 देखें)। परिणामस्वरूप ₹ 133.66 करोड़ का लाभ तथा ऐसी राशि से स्थिर परिसंपत्तियों में लाभ संबंधी अधिक विवरण दिया है

प्रबंधन का उत्तर: राउरकेला इस्पात संयंत्र में इसकी आधुनिकीकरण और विस्तार योजना। अन्य पूंजीगत स्कीमों के भाग के रूप में परिसंपत्तियों को स्थापना करने, परीक्षण करने, सभी खराबियों को दूर करने, स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी करने के बाद तथा वर्ष के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार कर लेने पर पूंजी में परिणत किया गया है। पूंजी में परिणत करने का कार्य लागू लेखांकन मानकों तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा संबंधी मानकों के अनुसार किया गया है। वित्तीय विवरणों का भाग बनाते हुए स्थिति के बारे में नोट सं. 30.2 में पर्याप्त रूप से बताया गया है। अतः लाभ का कोई अधिक विवरण नहीं है।

पैरा 1 और 2 के समग्र प्रभाव अधिक विवरण में ₹ 455.24 करोड़ लाभ, ₹ 1803.06 करोड़ तक संयमी लाभ, 1669.40 करोड़ रू. का देयता संबंधी कम विवरण, ₹ 133.66 करोड़ तक स्थिर परिसंपत्तियों का अधिक विवरण (₹ 28.74 करोड़ का निर्माण के दौरान ब्याज सहितद्ध परिणाम है।

सापेक्ष राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार सापेक्ष राय पैराग्राफ में वर्णित मामलों के प्रभाव के अतिरिक्त, प्रस्तुत वित्तीय विवरण अधिनियम में यथोपेक्षित ढंग से जानकारी देते हैं और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित का वास्तविक तथा उपयुक्त चित्रण प्रस्तुत करते हैं।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन का उत्तर

(क) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 तक कंपनी के कार्यों की स्थिति
(ख) लाभ व हानि लेखा विवरण के मामले में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ कार्यय और
(ग) नकद प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में नकदी के प्रवाह का।

महत्वपूर्ण मुद्दे

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :–

i. जहां कंपनी पहली अथवा बाद की याचिकाओं (अपीलों) में हार गई हो, और उच्चतर न्यायालयों/मंचों के समक्ष और अपील की हो, तो ऐसी कंपनी के विरुद्ध दावे/मांगें (नोट सं. 28(च) देखें)
ii. अस्थायी संविदा मूल्यों पर मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों के लिए बिक्री (नोट सं. 32.1 देखें.)
iii. वित्तीय वर्ष के दौरान आईआईएससीओ इस्पात संयंत्र में पूंजीकरण (₹ 5457.48 करोड़ मूल्य) (नोट सं. 30.1 देखें)
iv. 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर है', में बेतिया में इस्पात प्रसंस्करण यूनिट के संबंध ₹ 115.38 करोड़ शामिल है, जिसे अभी पूंजीगत नहीं बनाया गया है। (नोट सं. 29.4 (ख) देखें)
v. ₹ 201.21 करोड़ के कर्मचारी लाभ व्यय और ₹ 9.63 करोड़ के निर्माण के दौरान व्यय को पेंशन संबंधी संघटक में बदलना (नोट सं. 31.3 देखें)
vi. पूर्व अवधि ब्याज में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 और 350 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV और कंपनी की नीति के अनुसार अपेक्षित 95 प्रतिशत के बजाए 100 प्रतिशत पर गलती से पहले अवमूल्यन की गई कुछ स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के पुनः लिखने के लिए ₹ 120.94 करोड़ शामिल है। (नोट सं. 32.8 देखें)
vii. कंपनी पूर्व आय में कंपनी की नीति और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 तथा 350 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 (नोट सं0 32.3 (क) देखें) की अनुसूची गपअ के अनुसार अपेक्षित 95% की बजाय पूर्व में गलती से मूल्यह्रास की गई 100% कतिपय नियम परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के राइट बैंक के प्रति 120.94 करोड़ शामिल है ।
viii. पूर्व अवधी आय में भूमि से विस्थापित किए गए लोगों के लिए भुगतान करने हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम रखने अल्पकालिक जमा राशियों पर प्राप्त ₹ 20.67 करोड़ की ब्याज शामिल है। (नोट सं. 32.3 (ख) देखें)
ix. सक्रिय उपयोग से हटायी गई परिसंपत्तियों का निवल वसूली योग्य मूल्य। (नोट सं. 29.3 देखें)
x. आईआईएससीओ इस्पात संयंत्र में ₹ 37 करोड़ के 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' पड़े हुए वायलर सं. 3 में विस्पोट। क्षति के कारण हानि का यदि कोई है, अभी निर्धारण नहीं किया है (नोट सं. 30.4 देखें) इन मामलों में हमारी राय सापेक्ष नहीं है

अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 227 की उप–धारा 4(क) के संदर्भ में जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 ('आदेश के अनुसार') हम आदेश के पैराग्राफ 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट सामग्री के संबंध में एक विवरण संलग्नक में प्रस्तुत कर रहे हैं।
2. अधिनियम की धारा 227(3) की अपेक्षाओं के अनुसार हम ये रिपोर्ट करते हैं कि :

क. हमें वह सब जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;
ख. लेखा पुस्तकों से संबंधित हमारी जांच के आधार पर हमारी राय में कंपनी ने वे सभी लेखा पुस्तकें रखी हैं जो कानून के अनुसार अपेक्षित हैं तथा लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक उपयुक्त विवरण संयंत्रों/एककों/शाखाओं/ कार्यालयों, जहां का दौरा हम लोगों ने नहीं किया है, प्राप्त हो गए हैं। शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हमें अग्रेषित कर दी गई है तथा उन पर समुचित विचार कर लिया गया है;
ग. हमारे मतानुसार, सापेक्ष राय पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामलों को छोड़कर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संबंध में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सितंबर, 2013 के सामान्य परिपत्र के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956, की धारा 211 की उपधारा (3ग) में संदर्भित लेखांकन मानकों को तुलन–पय लाभ और हानि विवरण, और नकद प्रवाह विवरण पूरा करते हैं; और
घ. हमारे मतानुसार सापेक्ष राय पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामलों को छोड़कर कंपनी अधिनियम 1956, की धारा 211 की उपधारा (3ग) में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों को तुलन–पय लाभ और हानि विवरण, और नकद प्रवाह विवरण पूरा करते हैं।
ड. 31 मार्च, 2014 तक निदेशकों से प्राप्त अभ्यावेदनों को निदेशक मंडल की रिकार्ड में शामिल किया गया है और इनके आधार पर 31 मार्च, 2014 तक कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप–धारा (1) के खण्ड (छ) के संदर्भ में अनर्हक नहीं है।

कृते एस. के. मित्तल एण्ड कं.	कृते ओ. पी. तोतला एण्ड कं.	कृते बी. एन.मिश्रा एण्ड कं.	निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स	चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स	चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स	
फर्म पंजीकरण सं. 001135 एन	फर्म पंजीकरण सं. 00734 सी	फर्म पंजीकरण सं. 321095 ई	
हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(एस. के. मित्तल)	**(एस. के. आचार्य)**	**(एस. सी. दाश)**	**(सी. एस. वर्मा)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	अध्यक्ष
(एम न. 8506)	(एम न. 78371)	(एम न. 050020)	(एम न. 8506)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2014

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 अगस्त, 2014

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित)

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
1. क. कंपनी ने उचित रिकार्डों का रख–रखाव किया है और ज्यादातर मामलों में अपनी स्थिर परिसंपत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरा तथा उसकी स्थिति दर्शाई है। तथापि, भूमि के संबंध में कुछ संयंत्रों के स्थल और क्षेत्र की सीमा को स्थिर परिसंपत्तियों के रजीस्टरों में अद्यतन करने की जरूरत है तथा भूमि को धारण करने तथा स्थल के अनुसार राजस्व रिकार्डों से मिलाना होगा।	संबंधित संयंत्रों में राजस्व रिकार्डों के साथ भूमि के धारण और स्थल का मिलान कार्य करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यह एक सतत प्रक्रिया है।
ख. प्रबंध द्वारा कंपनी की स्थिर परसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन तर्कसंगत अंतराल पर तथा चरणबद्ध ढंग से किया गया है ताकि सामान्य तौर पर सभी परिसंपत्तियों का तीन वर्ष में एक बार सत्यापन हो सके। बहरहाल, यह पाया गया है कि कुछ भूमि व भवन पर अनधिकृत कब्जा है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, जहां भी मिलान किया गया वहां कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।	अनधिकृत कब्जे की बेदखली के लिए सतत कार्रवाई की जा रही है।
ग. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार विवेच्य वर्ष में स्थिर परिसंपत्तियों की कोई उल्लेखनीय बिक्री नहीं की गई।	
2. क. विवेच्य वर्ष में प्रबंधन द्वारा मालसूची का सत्यापन तर्कसंगत अंतराल पर किया गया है। कुछेक मामलों में स्टॉक सत्यापन दृश्य सर्वेक्षण प्राक्कलन के आधार पर किया गया है।	
ख. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा मालसूची के भौतिक सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया सामान्य तौर पर तर्कसंगत है तथा कंपनी के आकार व इसके कार्य–व्यापार के स्वरूप के अनुसार उचित है।	
ग. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अपनी मालसूची के रिकार्डों का समुचित रख–रखाव किया है। भौतिक सत्यापान में वास्तविक स्टॉक तथा खाता रिकार्ड में पाई गई विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं थीं और इनका उल्लेख लेखा पुस्तकों में किया गया है।	
3. हमें दी गई जानकारी तथा उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों से कोई रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं लिया है और न ही उन्हें ऐसा कोई ऋण दिया है। इसके परिणामस्वरूप पैराग्राफ 4 खण्ड (iii)(क) से (छ) के प्रावधान लागू नहीं हैं।	
4. हमारी राय में हमें दी गई जानकारी एवं उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार और सामान तथा स्थिर परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए इसके कारोबार का स्वरूप तथा माल और सेवाओं की बिक्री करने के लिए अनुरूप पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियां हैं।	
5. क. हमें दी गई जानकारी तथा उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी यह राय है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में उल्लिखित संविदा या व्यवस्था जैसी कोई चीज इस कंपनी में नहीं है जिसकी प्रविष्टी उक्त धारा के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में की जाए।	
ख. हमें दी गई जानकारी तथा उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज संविदाओं या व्यवस्था के अनुसरण में मालों व सामग्री की खरीद तथा माल, सामग्री व सेवाओं की बिक्री के संबंध में किसी पक्षकार से विवेच्य वर्ष के दौरान ऐसा कोई सौदा नहीं किया गया जिसका कुल मूल्य ₹ 5,00,000 या उससे अधिक हो।	
6. कंपनी ने विवेच्य वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं किया है। पूर्ववर्ती वर्षों में स्वीकार किए गए सार्वजनिक निक्षेपों के संबंध में कोई अपरिपक्व बकाया निक्षेप नहीं है।	
7. कंपनी में आंतरिक नियंत्रण की एक प्रणाली है जो सामान्य तौर पर कंपनी के आकार एवं इसके कार्य–व्यापार के स्वरूप के अनुरूप है।	
8. हम लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 1(घ) के अंतर्गत लागत रिकार्ड के अनुरक्षण के लिए बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा रखे जाने वाले रिकार्डों की व्यापक समीक्षा की है और प्रथम दृष्टया हमारी राय है कि प्रयोज्य उत्पादों के मामले में विहित लेखा तथा रिकार्ड बनाए गए हैं और उनका रख–रखाव किया गया है। तथापि, हमने रिकार्डों की यह निर्धारण करने की दृष्टि से विस्तृत जांच नहीं की है कि क्या वे सही और पूर्ण हैं।	
9. सांविधिक एवं अन्य देनदारियों के संबंध में हमें दी गई जानकारी एवं उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :	
क. कंपनी सामान्य तौर पर भविष्य निधि, निवेशक शिक्षण व संरक्षण कोष, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उप कर, तथा अन्य सांविधिक देनदारियों, जिनके बारे में कोई विवाद न हो, का भुगतान समुचित प्राधिकारियों को करती रही है।	
ख. हमें दी गई जानकारी एवं उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2013 तक के लेखा पुस्तकों के आधार पर कोई अविवादित सांविधिक देनदारी देय हो जाने की तारीख से 6 माह से अधिक अवधि से बकाया नहीं है।	
ग. हमें दी गई जानकारी एवं उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2014 तक कुछ विवादित सांविधिक देनदारियां हैं जो निम्नवत हैं :	

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर

संविधि	देनदारी का प्रकार	राशि (₹ करोड़)	जिस मंच पर विवाद लंबित है
बिक्री कर एवं वैट	अपीलीय प्राधिकरण की मांग	3.05	उच्चतम न्यायालय
		158.47	उच्च न्यायालय
		548.35	बिक्रीकर न्यायाधीकरण
		090.73	बिक्रीकर विभाग
		800.60	
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	19.59	उच्चतम न्यायालय
		185.13	उच्च न्यायालय
		598.74	सीईएसटीएटी
		351.40	उत्पाद शुल्क विभाग
		1154.86	
आयकर अधिनियम, 1961	परिलाभों पर	132.67	उच्च न्यायालय
	टीडीएस, टीडीएस	8.11	उच्च न्यायालय
	वापसी के दावे	155.77	आयकर विभाग
	आयकर विभाग	194.52	आईटीएटी
		491.07	
Other Statutes	Other Statutory Dues (including Cess)	960.78	उच्चतम न्यायालय
		1930.86	उच्च न्यायालय
		57.48	अधीनस्थ न्यायालय
		302.16	संबंधित विभाग
		3251.28	
	कुल	**5697.81**	

10. वर्ष के अंत तक कंपनी का कोई संचयी घाटा नहीं है। हमारी लेखा परीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष तथा इसके तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कंपनी ने कोई नकद घाटा नहीं उठाया है।
11. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक या बंधपत्र धारक को देनदारियों के परिशोधन में कोई चूक नहीं की है।
12. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, ऋणपत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।
13. कंपनी के पास कोई चिट फंड या निधि/पारस्परिक हितलाभ कोष/सोसायटी नहीं है। अतः आदेश के खण्ड 4(XIII) के प्रावधान कंपनी के मामले में लागू नहीं है।
14. कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों एवं अन्य निवेश से संबंधित कारोबार या व्यापार नहीं करती है। अतः आदेश के खण्ड 4(XIV) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
15. हमें दी गई जानकारी व उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार बैंक या वित्तीय संस्थान से अन्य द्वारा लिए गए ऋण पर कंपनी द्वारा दी गई गारंटी की शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।
16. हमारी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार ताकि हमें दी गई जानकारी एवं उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में कंपनी द्वारा लिए गए मियादी ऋण का उपयोग, अनुप्रयोग लंबित रहने के कारण अस्थायी विनियोजन को छोड़कर, प्रथम दृष्टया, उसी उद्देश्य से किया गया जिसके लिए ऋण लिया गया था।
17. हमें दी गई जानकारी व उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तूलन–पत्र की समग्र जांच के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि अल्पावधिक आधार पर प्राप्त किसी कोष का उपयोग कंपनी के दीर्घावधिक निवेश के लिए नहीं किया गया है।
18. हमें दी गई जानकारी व उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में शामिल पक्षकारों को किसी अधिमानी शेयर का आबंटन नहीं किया है।
19. हमें दी गई जानकारी व उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण तथा रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार जारी किए गए सुरक्षित बंधपत्रों के मामले मं अपेक्षित वित्तीय व्यवस्था की गई है।
20. विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने आम जनता से कोई धन नहीं प्राप्त किया है।
21. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास तथा हमें दी गई जानकारी व उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि विवेच्य वर्ष में कंपनी से या उसके द्वारा कोई धोखधड़ी नहीं की गई है। विश्वेशर्य आयरण एण्ड स्टील प्लांट, भद्रावती को छोड़कर कंपनी के कर्मचारी उत्पादों को बिक्री करने के लिए अग्रिमों को वसूल करने की विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किए बिना सामग्री को डिलीवरी करने में शामिल हैं। इस वजह से ₹ 2.68 करोड़ की राशि की वसूली की जानी है।

ऐसे मामले की पुनरावृत्ति न हो, इससे बचने के लिए प्रक्रियाओं को मजबूत किया गया है। पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज की गई है और मामले की छानबीन की जा रही है। इसके अलावा, ₹ 2.68 करोड़ की शेष राशि की वसूली करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कृते एस. के. मित्तल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 001135 एन
हस्ता./–
(एस. के. मित्तल)
भागीदार
(एम न. 8506)

कृते ओ. पी. तोतला एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 00734 सी
हस्ता./–
(एस. के. आचार्य)
भागीदार
(एम न. 78371)

कृते बी. एन.मिश्रा एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 321095 ई
हस्ता./–
(एस. सी. दाश)
भागीदार
(एम न. 050020)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2014

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./–
(सी. एस. वर्मा)
अध्यक्ष
(एम न. 8506)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 अगस्त, 2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के खातों के बारे में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा के अनुरूप 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अपने प्रॅफेशनल निकाय भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षण एवं आश्वासन मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह बताया जाता है कि दिनांक 28 मई, 2014 को अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए उन्होंने ऐसा किया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से मैंने, 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरण का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (बी) के तहत पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा प्राथमिक रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी कर्मियों की पूछताछ तथा कुछ लेखा परीक्षा रिकॉर्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। अपनी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को रेखांकित करना चाहता हूं जो मेरी नजर में वित्तीय विवरण एवं संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को बेहतर समझने में समर्थ होने के लिए अनिवार्य हैं:	
A. वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां **तुलन पत्र** **परिसंपत्तियां**	
चालू खातों से भिन्न परिसंपत्तियां **(i) अचल परिसंपत्तियां** **तन्य परिसंपत्तियां – ₹ 25256.52 करोड़**	
लेखा परीक्षा करने के दौरान, यह अवलोकन किया गया कि प्रबंधन ने बेतिया एसपीयू को चालू करने की रिपोर्ट दी है, बोर्ड समिति को भी सूचित किया गया कि आइआइएससीओ स्टील प्लांट के कुछ प्रमुख पैकेज चालू कर दिए गए। हालांकि यह अवलोकन किया गया कि बेतिया एसपीयू पूंजीकृत नहीं किया गया तथा कंपनी के खातों में आइआइएससीओ प्लांट और मशीनरी के पूंजीकरण की तिथियों में और चालू करने के बारे में बोर्ड को प्रतिवेदित तिथियों में अंतर है। पूंजीकरण की तिथि लाभ और हानि के विवरण पर प्रत्यक्ष धारण होती है क्योंकि अवमूल्यन के साथ–साथ परियोजना के लिए उधार ली गई निधियों पर ब्याज लाभ और हानि के विवरण में चार्ज किया जाएगा। उक्त के मद्देनजर, हम पूंजीकरण और उसके फलस्वरूप चार्ज किए गए अवमूल्यन की तिथियों के सटीकता का सत्यापन करने में असमर्थ हैं।	बेतिया एसपीयू के अलग–अलग पैकेजों और आइआइएससीओ स्टील प्लांट (आइएसपी) के कुछ प्रमुख पैकेजों के पूरा होने के बारे में बोर्ड समिति को सूचित करना समाविष्ट नहीं करता है कि परिसंपत्तियां वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार थीं। यह भली–भांति स्थापित लेखा सिद्धांत है कि परिसंपत्ति तब पूंजीकृत होती है जब परीक्षण के तौर पर चलाने और प्रमुख त्रुटियों से मुक्त होने के बाद वह वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार होती है। चूंकि बोर्ड को रिपोर्ट देने तक उल्लेखित परिसंपत्तियां हॉट ट्रायल रन के तहत थीं, प्रमुख त्रुटियों से मुक्त नहीं थीं, इसलिए परिसंपत्तियां वाणिज्यिक उत्पादन और पूंजीकरण के लिए तैयार नहीं थीं। लेखा परीक्षक की ओर से उल्लेखित इकाइयों तकनीकी समिति के विधिवत समर्थन के साथ, कंपनी द्वारा निरंतर पालन किए जा रहे सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों और लेखा मानकों के अनुरूप पूंजीकृत की गई हैं/जाएंगी। इसलिए लाभ और हानि के विवरण में चार्ज किया गया अवमूल्यन और ब्याज सही है।
(ii) चालू परिसंपत्तियां **टिप्पणी 15: माल सूचियां – ₹15200.82 करोड़** इसमें सलेम स्टील प्लांट (एसएसपी) में एलडी स्लैग से निष्कर्षणीय स्कल के अनुमानित 8,688 टन के मूल्य के नाते ₹ 51.95 करोड़ शामिल हैं। एसएसपी में 31.3.2014 को 8,688 टन के स्कल स्टॉक का हाथ में कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है इसलिए इस पर माल सूची के रूप में विचार नहीं किया जा सकता। अतः स्कल का प्रकल्पित विचार जो तुलन पत्र दिनांक को अस्तित्व में नहीं था और ₹ 51.95 करोड़ पर उसके मूल्यन के फलस्वरूप ₹ 51.95 करोड़ द्वारा माल सूचियों का अतिविवरण और लाभ हो गया है।	तकनीकी मूल्य के अनुसार, उत्पन्न स्टेनलैस स्टील के ग्रेड के आधार पर विविध अनुपात में सलेम स्टील प्लांट में एलडी स्लैग में क्रामियम, निकल, कॉपर, लोहा इत्यादि शामिल हैं। स्लैग से वसूलीयोग्य मैटेलिक अंश का भारित औसत करीब 16 प्रतिशत है। 31 मार्च, 2014 तक उत्पन्न स्लैग की मात्रा 54298 मिलियन टन है। इसलिए, ₹ 51.95 करोड़ का मूल्य उचित ही निकाला गया है तथा माल सूचियों और लाभ का कोई अतिविवरण नहीं है।
हस्ताक्षर (सुशील कुमार जायसवाल) वाणिज्यिक लेखा परीक्षा का प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, रांची स्थानः रांची दिनांकः 14 अगस्त, 2014	हस्ताक्षर (सी. एस. वर्मा) अध्यक्ष स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 14 अगस्त, 2014

निदेशक रिपोर्ट हेतु संलग्नक – III

I. ऊर्जा संरक्षण

(a) किए गए उपाय

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान सेल में लागू की गई महत्वपूर्ण ऊर्जा संरक्षण योजनाएं इस प्रकार हैं:

(i) भिलाई स्टील प्लांट (BSP)

(a) बैटरी संख्या #2 और बैटरी संख्या #10 हाइड्रोलिक मुख्य की हॉट रिपेयरिंग

(b) दो इकाइयों में एयर प्रीहीटर ब्लॉक बदला गया। कार्बन मोनोआक्साइड की जगह और बीएफ गैस की खपत के लिए पावर एवं ब्लोइंग स्टेशन में रूसी बायलरों की स्थापना।

(c) ब्लास्ट फर्नेस 6 व 7 में सीडीआई इकाइयों की ग्राइंडिंग सुविधाओं का विस्तार.

(d) बीओओ आधार पर नया ऑक्सीजन प्लांट

(e) SP #3 (RDCIS परियोजना) में गर्म जल उत्पादन के लिए सिंटर कूलर से अपशिष्ट ऊष्मा की रिकवरीद् प्रणाली स्थापित, जून, 2014 में चालू किए जाने की संभावना

(ii) दुर्गापुर स्टील प्लांट (DSP)

(a) सोकिंग पिट्स में 3 सेरामिक व 2 मेटलिक रीकपरेटरों का पुनर्निर्माण.

(b) एयर प्रीहीट तापमान में सुधार और बेहतर फर्नेस प्रेशर कंट्रोल के लिए व्हील प्लांट के ए–फर्नेस की क्षतिग्रस्त रीकपरेटर ट्यूब्स की मरम्मत /प्रतिस्थापन।

(c) बायलर #6 में ऑक्सीजन एनालाइजर की स्थापना

(d) बीओएफ गैस रिकवरी में उल्लेखनीय सुधार के लिए बीओएफ गैस होल्डर की स्थापना।

(iii) राउरकेला स्टील प्लांट (RSP)

(a) WMD के कूलिंग टावर पंखों में से एक FRP के साथ 6 एल्युमीनियम डैनों की प्रतिस्थापना

(b) हॉट स्ट्रिप मिल के डिस्चार्ज साइड रोलर टेबल में VVVF ड्राइव लगाया गया।

(c) हॉट स्ट्रिप मिल के रीकपरेटर ट्यूब्स RHF #5 की प्रतिस्थापना।

(d) ब्लास्ट फर्नेस स्टोव रु 4.1 की रीलाइनिंग

(e) CRM (RDCIS project) के Pickling Line #2 में हीट एक्सेंजर ट्यूब्स को प्रतिस्थापित कर बाथ टेंपरेचर में सुधार

(iv) बोकारो स्टील प्लांट (BSL)

(a) अतिरिक्त बीएफ गैस लाइन बिछाई गई एवं उसे कैप्टिव पावर प्लांट के ब्लायलर के अंत तक चार्ज किया गया। बर्नर की मरम्मत/ प्रतिस्थापन के बाद बर्नर तक कनेक्शन दिया जाएगा।

(b) ब्रिक्स की जगह कास्टेबल के साथ 5 सोकिंग पिट्स की मरम्मत

(c) सोकिंग पिट्स में ब्रिक्स की जगह कास्टेबल के साथ 8 परिवर्तित कवर कास्ट

(d) स्लैबिंग मिल में सोकिंग पिट्स में 2 रीकपरेटरों की पूंजीगत मरम्मत

(e) CRM में कास्टेबल एवं फाइबर लाइनिंग का उपयोग कर 2 बेल एनीलिंग फर्नेसों की पूंजीगत मरम्मत

(f) CH-3 में कास्ट हाउस ग्रैन्युलेशन सुविधाओं को चालू किया गया

(g) RMP के रोटरी क्लिन के लिए कंबशन सिस्टम के परिचालन में सुधार

(b) वर्ष 2014–15 में क्रियान्वयन अधीन महत्वपूर्ण ऊर्जा संरक्षण योजनाएं इस प्रकार हैं:

(i) भिलाई स्टील प्लांट

a. ब्लास्ट फर्नेस–6 का CR और स्टोव # 20.

b. ब्लास्ट फर्नेस–7 स्टैक कूलर परिवर्तन

c. ब्लास्ट फर्नेस स्टोव # 10 उन्नयन

d. ब्लास्ट फर्नेस स्टोव की मरम्मत– 1, 2, 4 व 17.

e. पीएम के एफसीई 2 व 3 में दो रीपरेटरों का प्रतिस्थापन

f. पीएम के एफसीई 1 एवं 2 में हर्थ ब्लाक व स्किड इन्सुलेशन का प्रतिस्थापन

g. VVVF आदि के महत्तम परिचालन, इल्युमिनेशन कंट्रोल, स्थापना के जरिए ऊर्जा की बचत

h. SP-II का आधुनिकीकरण

i. नए SP-III M/c को चालू करना

j. COB-11 को चालू करना

k. एलडी गैस होल्डर की मरम्मत

l. दो इकाइयों में एयर प्रीहीटर ब्लॉक बदला गया। कार्बन मोनोआक्साइड की जगह और बीएफ गैस की खपत के लिए पावर एवं ब्लोइंग स्टेशन में रूसी बायलरों की स्थापना।

m. बायलर 2 व 4 में परिवर्तित बीएफ गैस बर्नरों की स्थापना

n. एसएमएस में परिवर्तित लैडल हीटिंग सिस्टम को लागू करना

(ii) दुर्गापुर स्टील प्लांट

a. Batt 1A व 1B की हॉट रिपेयरिंग

b. बेल रहित टॉप बीएफ 3 को पेश करना

c. जीसीपी–बीएफ 3 में बदलाव

d. VVVF आदि के महत्तम परिचालन, इल्युमिनेशन कंट्रोल, स्थापना के जरिए विद्युत ऊर्जा की बचत

e. DSP के SP #2 में पोस्ट इग्निशन चौंबर में मिक्स्ड गैस फाइरिंग को शुरू करना

(iii) राउरकेला स्टील प्लांट

a. BOF गैस रिकवरी 60 से सुधारकर 80 Nm3/tcs किया गया

b. BF stove #4.1 व 4.2 की रीलाइनिंग

c. MP boiler #3 में मिक्स्ड गैस फाइरिंग

d. CPP-I के PBS मिक्स्ड गैस फाइरिंग बढ़ाना

e. BF #4 में CDI शुरू करना

f. BF रु5 में CDI शुरू करना

g. BF #4 के स्टोव्स के सीए ब्लोअर्स के लिए VVVF ड्राइव

h. COB #6 (3 MW) के ब्ब्व् में बैक प्रेशर टरबाइन

i. BF #5 (6 MW) में TRT को चालू करना

j. आरएसपी में BF #4 के स्टोव्स के लिए ऊर्जा की कम खपत वाली कंबशन कंट्रोल प्रणाली एवं ऑटो चेंज ओवर प्रणाली अपनाना

(iv) बोकारो स्टील प्लांट

a. Batt#6 का हॉट कांप्लेक्स रिपेयर एवं ओवन टॉप उपकरणों की समग्र मरम्मत

b. नए सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र की स्थापना

c. सिंटर प्लांट– बैंड–1 का पुनरुद्धार

d. इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रीसिपिटेटर का प्रावधान

e. BF#4 में मरम्मत के जरिए ब्लास्ट के तापमान में वृद्धि

f. ब्लास्ट फर्नेस 2 एवं 3 के CHSGP की स्थापना

g. 8 पिट्स में कास्टेबल का उपयोग

h. हॉट स्ट्रिप मिल

i. रीहीटिंग फर्नेस प्ट में रीकपरेटर का प्रतिस्थापन.

ii. प्रत्येक कंपने रिपेयर के दौरान 100 प्रतिशत स्किड इन्सुलेशन सुनिश्चित करना

iii. विलंब तालिका में हीट शील्ड का प्रावधान

iv. 2 फर्नेसों में चार्जिंग साइड अपटेक में सुधरे हुए कास्टेबल का उपयोग एवं एक फेस में फाइबर बेस

i. विद्युत ऊर्जा उपभोग

- सॉफ्ट स्टार्टर का प्रावधान
- VVVF की स्थापना
- ऊर्जा की कम खपन वाले प्रकाश की व्यवस्था

j. 15,000 Nm3/घंटे की दर से बायलर # 7 एवं 8 में BF गैस का उपयोग

(v) इस्को स्टील प्लांट

a. 40 वाट fluorescent tube lights का प्रतिस्थापन एवं 27 वाट CFL को LED light में बदलना

b. स्टीम लीकेज लिक्विडेशन एवं स्टीम लाइनों का थर्मल इन्सुलेशन

c. बायलर प्लाटं के लिए 96"Φ BF गैस लाइन (Central junction) बदलने हेतु वैकल्पिक मार्ग

d. कोक रेट 740 किग्रा/THM से सुधार कर 735 किग्रा/THM करना

e. मोटर चालित बायलर फीड पंपों के लिए VFD की स्थापना

(c) ऊर्जा खपत पर उपायों के प्रभाव

वर्ष 2013–14 के दौरान लागू किए गए उपायों से संबद्ध क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत में कमी आई

(d) कुल ऊर्जा खपत एवं उत्पादन की प्रति इकाई ऊर्जा खपत

फॉर्म '।' में संलग्न

B. प्रौद्योगिकी अवशोषण

प्रौद्योगिकी अवशोषण में किए गए प्रयास फॉर्म 'ठ' में दिए गए हैं

C. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

i) निर्यात एवं अन्य गतिविधियों से विदेशी मुद्रा आय		2553.22
ii) विदेशी मुद्रा इस्तेमाल की गई:		
a) आयात के CIF मूल्य		15597.74
b) विदेशी मुद्रा में अन्य खर्चे	458.34	

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
ह0/–
(सी.एस. वर्मा)
चेयरमैन

स्थानः नई दिल्ली
तिथि: ...., 2014

फॉर्म 'A'

ऊर्जा संरक्षण के संबंध में विवरण के खुलासे हेतु फॉर्म

	विवरण	इकाई	2013-14	2012-13
	बिजली एवं ईंधन की खपत			
1.	**बिजली**			
a)	**कुल बिजली खरीद (संयुक्त उद्यम समेत)**			
	यूनिट	लाख KWH	7414	7170
	कुल राशि	₹/करोड़	3503	3234
	औसत दर प्रति यूनिट	₹ / KWH	4.72	4.51
b)	**स्टीम टरबाइन/**			
	जेनरेटर इकाइयों के जरिए खुद का उत्पादन	लाख KWH	592	636
	ऊर्जा इनपुट की प्रति गीगा कैलोरीज यूनिट	₹ G Cal.	228	239
	औसत दर प्रति यूनिट	₹ /KWH	8.49	7.73
2.	**कोयला**			
i)	कोकिंग कोल			
	मात्रा	लाख टन	14.37	11.88
	कुल लागत	₹ करोड	14335	13526
	औसत दर	₹/ टन	9979	11386
ii)	गैर कोकिंग कोल			
	मात्रा	लाख टन	0.601	0.559
	कुल लागत	₹/ करोड	266	263
	औसत दर	₹/ टन	4435	4692
3.	**ईंधन तेल**			
	मात्रा	000 किलोलीटर	25	59
	कुल लागत	₹/करोड	124	319
	औसत दर	₹/कलोलीटर	49239	54235
4.	**अन्य**			
i)	कोक			
	मात्रा	000 टन	424	1416
	कुल लागत	₹/करोड	644	2978
	औसत दर	₹/ टन	15196	21024
ii)	विविध (ऑक्सीजन, स्व्छ, गैसें, प्रोसेस वाष्प आदि)			
	कुल लागत	करोड	1009	892

B सेलेबल स्टील (SS) उत्पादन की प्रति टन खपत

	इकाई	2013-14	2012-13
खरीदी गई बिजली	**Kwh/tss**	508	499
ईंधन तेल	**KL/tss**	2	4
कोकिंग कोल	**Kg/tss**	1138	968
कोक	**Kg/tss**	34	115
गैर कोकिंग कोल	**Kg/tss**	45	43

नोट
1. क्रय विद्युत मात्रा में संयुक्त उद्यम से भी ली गई बिजली शामिल है
2. उपरोक्त गणना हेतु सेलेबल इस्पात उत्पादन में अनुपातिक पिग आयरन उत्पादन जोड़ा गया है
3. जहां कहीं भी आवश्यकता हुई, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः एकत्र किया गया है

फॉर्म 'B'

अपनाई गई प्रौद्योगिकी के संबंध में विवरण का खुलासा

1. **विशेष क्षेत्र जहां कंपनी द्वारा अनुसंधान व विकास गतिविधियां की गईं**

- उत्पादकता एवं गुणवत्ता सुधार
- उत्पाद विकास एवं एप्लीकेशन
- ऑटोमेशन
- ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण

2. **वर्ष 2013–14 में अनुसंधान एवं विकास से मिले लाभ**

उत्पादकता एवं गुणवत्ता सुधार

- **कोयला मिश्रण संयोजन के महत्तम उपयोग के जरिए कोक की गुणवत्ता में सुधार, BSL**

  बीएसएल में मिश्रण में आयातित कोकिंग कोल 82% से 87% तक होता है और कोल चार्ज में सूक्ष्म चूरे की मात्रा 45 प्रतिशत से अधिक होती है। अत्यधिक सूक्ष्म चूरे की मात्रा से परिचालन संबंधी समस्या आती है और कोक संपत्तियों में खराबी आती है। चार्ज कोयले में सूक्ष्म चूरे को घटाने के लिए क्रशर में कई हथौड़ों की संख्या घटाई गई व समूह वार कोयले की क्रशिंग की पहचान मौजूदा संदर्भ में उपलब्ध लागू करने योग्य विकल्पों के तौर पर की गई। क्रशर्स एवं समूह वार क्रशिंग में विभिन्न संख्या में हथौड़ों के साथ संयंत्र परीक्षण किए गए। दिसंबर, 2013 से फरवरी, 2014 के दौरान M10 में 0.34 यूनिट का सुधार दर्ज किया गया जो 2012–13 में M10 मूल्य का 9.9 प्रतिशत था।

  बीएसएल में समान स्थिति के तहत समूह वार क्रशिंग का उपयोग कर 82 प्रतिशत व 87 प्रतिशत आयातित कोयला उपयोग स्तर दोनों में ही पायलट ओवन कार्बनीकरण परीक्षण किया गया और 0.3 से 0.4 यूनिट के M10 में सुधार दर्ज किया गया। पायलट ओवन परीक्षणों से कहीं अधिक गुणवत्तापूर्ण M40 मूल्य (बीएसएल में 71.6 प्रतिशत से 76.3 प्रतिशत के M40 के मुकाबले 82.1 प्रतिशत से 84.6 प्रतिशत का M40) के कोक का उत्पादन होने का पता चला। इस प्रकार से, सुधार की संभावना का पता चलता है– जिसे हीटिंग के नियंत्रण द्वारा और कोल चार्ज ग्रैनुलोमेट्री से हासिल किया जा सकता है।

- बीएसएल के सिंटर प्लांट में सिंटर परिचालन में सिंगल बालिंग ड्रम व MgO का महत्तम उपयोग

  आपूर्तिकर्ता द्वारा दो ड्रम सिंटर मिक्स ग्रैनुलेशन की परिकल्पना की गई और इसे व्यवहार में लाया गया जिससे निम्नलिखित समस्याएं समाने आईः–

  1. असमान मिश्रण जैसे सिंटरमिक्स की खराब एकरूपता
  2. विभिन्न परतों में नमी एवं कार्बन घटक में भिन्नता
  3. भरने की कम डिग्री जैसे 5.6%

  इससे कम मजबूती, सिंटर की खराब उत्पादकता और अधिक मात्रा में चूरा निकलने की दिक्कत सामने आई

  RDCIS ने समस्या का अध्ययन किया और एक ड्रम का परिचालन कर भिन्नता को कम करने के लिए समस्या का निदान किया ताकि भरने की डिग्री बढ़ाकर इच्छित स्तर (15–20 प्रतिशत) तक ले जाया जा सके, नमी में भिन्नता खत्म की जा सके और कार्बन में भिन्नता घटाई जा सके जिससे हीट ट्रांसफर में सुधार हो। इस योजना को लागू किया गया है।

  महत्तम MgO परिचालन रू सिंटर में डहव की मात्रा 4.2% पर बरकरार रखी गई है। MgO को 3.8 प्रतिशत पर हासिल करने के लिए डोलोमाईट से चूना पत्थर का अनुपात घटाया गया है। इससे फ्लक्स का क्रशिंग इंडेक्स बढ़ाने में मदद मिली है।

  सिंगल बालिंग ड्रम एवं कम MgO परिचालन से भरने की डिग्री 5.6 प्रतिशत से बढ़कर 11.2 प्रतिशत हुई है

- **डीएसपी के ब्लास्ट फर्नेस के अनुरूप बनाने वाले आयरन बियरिंग मैटेरियल का मूल्यांकन**

  जैसा कि आरडीआई द्वारा संकेत दिया गया है, 550 सी पर उच्च तापमान बीएफ के ऊपरी शाफ्ट में वायु की स्वीकार्यता में अहम भूमिका निभाता है। इसी तरह, करीब आकार की रेंज, चूरे की कम प्रतिशतता (–5 मिमी) और बेहतर रिड्यूसिबिलिटी वाले आयरन बियरिंग मैटेरियल से पारगम्यता में सुधार आता है और अधिक सीडीआई दर हासिल की जा सकती है।

  आरडीआई, आरआई एवं भारी बोझ वाली समाग्रियों की मुलायमियत–पिघलने वाले गुणों के महत्व को देखते हुए आयरन बियरिंग मैटेरियल व डीएसपी स्थिति के अनुरूप इसके मिश्रण के अध्ययन के लिए एक परियोजना शुरू की गई।

  अध्ययन के नतीजों को संक्षेप में इस तरह पेश किया जा सकता हैः

  - सिंटर एवं अयस्क के लिए RI व RDI किया गयाय RDI संतोषजनक (20–25) है और RI निचले स्तर (55–61) पर है।
  - पिघलने वाले उपकरण में विभिन्न बर्डेन कंपोजिशन के लिए मुलायम करने व पिघलाने का परीक्षण किया गया। बर्डेन में 70 प्रतिशत सिंटर के साथ कम मुलायमियत–पिघलने का रेंज मिलता है और संयोगशील क्षेत्र फर्नेस के निचले हिस्से में होगा जिससे गैस के उपयोग में सुधार आता है और तकनीकी–आर्थिक लाभ मिलता है।

- RSP के SMS-I में निष्पादन में सुधार

  राउरकेला स्टील प्लांट SMS-I में BOF-VOD/VAR-LF-CC मार्ग के जरिए विभिन्न किस्म के विशेष इस्पातों का उत्पादन कर रहा है। शॉप के समक्ष बीओएफ में कमजोर फर्स्ट टर्न डाउन (FTD) स्थितियों (Turndown temp < 1600 oC, and C < 0.05%) को लेकर जबरदस्त परिचालन संबंधी समस्याएं आ रही हैं जहां स्लैग में अत्यधिक FeO (30%) है।

  टर्न डाउन स्थिति स्थित सुधारने के लिए फ्लक्स के सटीक एवं सुचारू संयोजन हेतु बीओएफ में फ्लक्स संयोजन प्रणाली में सुधार का काम किया गया। डीसल्फराइजेशन में सुधार एवं एल्युमीनियम की खपत घटाने के संबंध में प्रमुख निष्पादन मानकों में सुधार हेतु उन्नत सहायक रिफाइनिंग प्रक्रिया भी निर्धारित की गई।

  इससे अधिक टर्नडाउन तापमान के साथ ही एफटीडी धातुमल में थ्मव की मात्रा में कमी आई। माध्यमिक रिफाइनिंग व्यवस्था में बदलाव के संबंध में तकनीकी हस्तक्षेप से ट्रायल हीट में डीसल्फराइजेशन का 58 प्रतिशत का स्तर हासिल करने में मदद मिली है जो बेस हीट में 40 प्रतिशत था। इस्पात में सल्फर के निचले स्तर (0.015–0.017:) से टिन प्लेट (टीपी) ग्रेड स्टील की स्वीकार्यता का स्तर 52 प्रतिशत के मुकाबले बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने में मदद मिली। इस सुधरी हुई प्रक्रिया से ट्रायल हीट में औसत ।स की खपत 4.17 kg/tcs के मुकाबले 3.76 kg/tcs रह गई।

- **बीएसएल के SMS-I में लेन टिप डिजाइन में बदलाव के जरिए कनवर्टर के निष्पादन में सुधार**

  बीएसएल के SMS-I में इस्तेमाल ब्लोइंग की कार्यक्षमता और ऑक्सीजन लेन टिप के जीवनकाल में सुधार के लिए परियोजना चलाई गई। बीएसएल के SMS-I के कनवर्टर रु2 में 280Nm3/मिनट की औसत प्रवाह दर के लिए मैच संख्या 1.97 के साथ डिजाइन की गई परिष्कृत लेन टिप लगाने का प्रयास किया गया। कूलिंग व्यवस्था जैसे डिंपलिंग, अतिरिक्त कूलिंग फिन्स में भी अतिरिक्त बदलाव किए गए। परिष्कृत लेन टिप की लाइफ 300 हीट्स के पार हो गई और मौजूदा टिप्स के लिए औसतन 25 हीट्स के मुकाबले 200 से अधिक हीट्स प्राप्त किया गया। परिष्कृत लेन टिप्स का इस्तेमाल करने पर अतिरिक्त प्रक्रियागत सुधार भी देखने को मिला जैसे धातुमल ऑक्सीजन की संभावना (संह थ्मव) में 2 प्रतिशत की कमी आई व बेहतर धातुमल का निर्माण होते देखा गया।

- **बीएसपी में कास्टर मोल्ड का निष्पादन सुधारने के लिए मोल्ड मटैरियल में सुधार**

  पुराने कास्टरों के मोल्ड निष्पादन में सुधार एवं कॉपर प्लेट मोल्ड्स में निकेल की कलई शुरू करने के प्रभाव का आकलन करने हेतु बीएसपी के SMS-II की निरंतर कास्ट शॉप में एक परियोजना चलाई गई। इस संदर्भ में, स्लैब एवं कोंबी–कास्टर में मोल्ड्स की कलई करने एवं मोल्ड का सेवाकाल व स्लैब उत्पाद की गुणवत्ता के संदर्भ में निष्पादन की निगरानी करने का निर्णय किया गया।

  कास्टर संख्या 2 में जुलाई, 2013 में कलई किए गए मोल्ड्स के साथ परीक्षण

शुरू किया गया और ब्राडसाइड मोल्ड प्लेट्स की बगैर किसी मशीनिंग या ड्रेसिंग के यह 650 से अधिक हीट का स्तर पार कर गया जो पूर्व में 225 से 240 हीट्स था। साथ ही, स्लैब की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार आया और स्टार क्रैक्स की वजह से इसे अन्यत्र नहीं भेजा गया व एनएमआई संबंधित खराबी भी 0.5 प्रतिशत घट गई, जो उसी कास्टर से गैर कलई किए गए मोल्ड्स से होती थी। इसी तरह के परिणाम कोंबी–कास्टर ब्लूम्स में देखे गए जहां कलई किए गए मोल्ड्स से निकली रोल्ड रेल में 65 उजे ंदक 26 उजे लंबाई के लिए छड़ मूल्य कम दर्ज किया गया।

- **बीएसपी की प्लेट मिल में डिस्चार्ज एंड स्लॉट का जीवनकाल बढ़ाकर एवं स्किड पाइप इन्सुलेशन के जरिए रीहीटिंग फर्नेस के निष्पादन में सुधार**

  बीएसपी की प्लेट मिल में 120 T/घंटे/फर्नेस क्षमता का 3 पुशर टाइप रीहीटिंग फर्नेस हैं जिनका इस्तेमाल 1250-1300oC तापमान पर स्लैब को गर्म करने के लिए किया जाता है। सभी फर्नेस में डिस्चार्ज के अंत में 8 स्लॉट हैं जो फर्नेस से स्लैब निकालने के लिए एक्सट्रैक्टरों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करते हैं। कास्टेबल इन्सुलेशन का मौजूदा जीवनकाल करीब 3–4 महीने का है।

  स्लॉट्स एवं स्किड पाइपों का जीवनकाल बढ़ाकर 6–8 महीने करने के लिए यह परियोजना बीएसपी के साथ मिलकर चलाई गई। फर्नेस संख्या 3 में सभी 8 स्लॉट्स 85 प्रतिशत एल्युमिना उच्च घर्षण रोधी अल्ट्रा लो सीमेंट कास्टेबल (ULCC) के साथ व वाटर कूलिंग पाइपों के साथ बनाए गए। उसी फर्नेस में पुराने मैटेरियल समाप्त कर 60 प्रतिशत Al_2O_3 एंडालुसाइट आधारित कास्टेबल के साथ सभी स्किड पाइपें उसके अनुरूप की गईं एवं RDCIS द्वारा डिजाइन किए गए फैब्रिकेटेड फॉर्मेट का इस्तेमाल कर स्किड पाइपों के ऊपर SS-304 "Y" आकार के एंकरों वेल्डिंग की गई। ये फर्नेस 18–09–2013 से संतोषजनक तरीके 6 महीने से अधिक समय से काम कर रहे हैं, जबकि पूर्व में इनका जीवनकाल 3–4 महीने था। परिष्कृत स्किड इन्सुलेशन की वजह से बदलाव के उपरांत वाष्प का निर्माण घटकर 4 टन प्रति घंटा रह गया है जो बदलाव से पूर्व 8 टन प्रति घंटा था।

- **मौजूदा एवं भावी रेलों के लिए रोल पास डिजाइन क्षमता विकसित करना**

  भिलाई स्टील प्लांट की रेल एंड स्ट्रक्चरल मिल में R - 52 kg o R - 60 kg प्रोफाइल में रेल का उत्पादन किया जा रहा है। R - 52 रेल के लिए मौजूद रोल पास डिजाइन मिल की शुरुआत से ही अस्तित्व में है, जबकि त– 60 प्रोफाइल बाद में भिलाई स्टीप प्लांट द्वारा विकसित की गई। ग्राहकों की जरूरत पूरी करने के लिए रेल प्रोफाइल के संबंध में समय समय पर कुछ बदलाव किए गए। हालांकि, विभिन्न खामियों की वजह से करीब 10 प्रतिशत रेलें डाउनग्रेड कर दी जाती हैं या खारिज कर दी जाती हैं। इसके अलावा, भारतीय रेल, रेल हेड में उचित क्राउन व फ्लैंज में टो रेडियस बनाने की मांग करता है जिसका खारिज होने या डाउनग्रेड होने में योगदान नहीं है, बल्कि रेल प्रोफाइल की पूर्ण गुणवत्ता प्रभावित होती है।

  इन मुद्दों से निपटने के लिए भिलाई स्टील प्लांट में रोल पास डिजाइनिंग क्षमताएं विकसित करने एवं रेल रोलिंग के दौरान खामियों को न्यूनतम करने हेतु मौजूदा रोल पास डिजाइन को तर्कसंगत बनाने के लिए इस परियोजना में एक रोप पास डिजाइन सलाहकार नियुक्त किया गया। इन खामियों के लिए एक विस्तृत अध्ययन किया गया। धातु के प्रवाह का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न दरों से कॉबल्स का अध्ययन किया गया। कॉबल के विश्लेषण व खामी घटाने के कार्यक्रम के आधार पर पास प्रोफाइल एवं ड्राफ्टिंग क्रम में बदलाव किया गया। घेरा निर्माण (संच हमदमतंजपवद) में कमी के लिए, रफिंग स्टैंड रोल (950 स्टैंड) में बदलाव किया गया। रोल बदलने वाले शॉप में परिष्कृत पास प्रोफाइल के लिए टेंपलेट्स विकसित किए गए और उस टेंपलेट के मुताबिक रोल्स तैयार किए गए।

  परीक्षण के परिणामों से फ्लैंज में टो निर्माण में सुधार पाया गया। अब रेल प्रोफाइल में उचित त्रिज्या देखी गई है। रफिंग पास में बदलाव से घेरा निर्माण में करीब 1.5 प्रतिशत तक कमी आई है। घेरा घटने से रेल मिल से लंबी पटरियों का उत्पादन भी बढ़ा है। हेड क्राउन एवं एकरूपता के संदर्भ में रेल प्रोफाइल में सुधार के लिए पास प्रोफाइल में कुछ सुधार के सुझाव दिए गए और उन्हें लागू करने के उत्साहजनक नतीजे सामने आए हैं।

- त्ेच की हॉट स्ट्रिप मिल में हॉट रोल्ड नॉन–ओरिएंटेड (भ्त्छव्) कॉयल्स की गुणवत्ता में सुधार लाने व उत्पादकता बढ़ाने के लिए रोलिंग मानकों के महत्तम उपयोग पर आधारित मॉडल

  आरएसपी की सिलीकॉन स्टील मिल में कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड (CRNO) ग्रेड स्टील का मौजूदा उत्पादन करीब 80,000 टन सालाना है। सेल आरएंडडी मास्टर प्लान के तहत इसे बढ़ाने का खाका तैयार किया गया है। इसका उत्पादन बढ़ाने में आ रही बाधाओं में से एक इसकी 2.3 मिमी की अपेक्षित मोटाई के उलट हॉट रोल्ड नॉन–ओरिएंटेड (HRNO) कॉयल्स की 2.6 मिमी से अधिक का इनपुट गेज है। 2.5 मिमी से कम मोटाई के कॉयल्स 4 पासेज में कोल्ड रिवर्सिंग मिल में रोल कर 0.5 मिमी तैयार गेज में पहुंचाई जाती हैं, जबकि 2.5 मिमी से अधिक मोटाई के लिए 5 पासेज की जरूरत है। कोल्ड रिवर्सिंग मिल में एक पास घटाकर इसके उत्पादन में 10 प्रतिशत से अधिक सुधार लाया जा सकता है।

  ऑपरेटरों द्वारा हाथ से HRNO कॉयल्स की रोलिंग में रोलिंग लोड व हॉट स्ट्रिप मिल के फिनिशिंग स्टैंड में मोटर करंट के सटीक अनुमान में दिक्कत आती है। अन्य ग्रेड के उलट HRNO इस्पात के प्रवाह दबाव में बदलाव से तापमान गैर रैखिक होता है। यह इस्पात रसायन में मामूली उतार चढ़ाव के साथ भी भिन्न हो जाता है। इसलिए, सुरक्षित परिचालन हेतु ऑपरेटर अत्यधिक कमी नहीं लाते। इसके अलावा, ऑपरेटर आधारित रोलिंग विभिन्न स्टैंडों में लोड का पुनः वितरण भी नहीं होता जिससे अत्यधिक स्टैंड लोड होता है एवं व्यापक स्तर पर प्रवाह का संतुलन बिगड़ता है।

  मॉडल आधारित रिकक्शन शिड्यूल का महत्तम उपयोग इस परियोजना का मुख्य दृष्टिकोण था। कंपनी के भीतर ही लेवेल–2 मिल स्थापना मॉडल विकसित किया गया जिसकी HSMM सिमुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा पुष्टि की गई और इसे मिल में स्थापित किया गया। 8 विभिन्न चरणों में सफल परीक्षण किया गया और इसे CRNO कॉयल्स की रोलिंग के लिए उपयुक्त पाया गया। आरएसपी के एचएसएम में इस मॉडल के साथ परीक्षण किए गए।

  उपरोक्त उपायों को लागू कर परीक्षण के तहत करीब 70 प्रतिशत कॉयल्स 2.4 से 2.5 मिमी गेज तक रोल किए जा सके और आरएसपी के एसएसम की कोल्ड रिवर्सिंग मिल में पतले गेज की HRNO कॉयल्स के साथ पासेज की संख्या 5 से घटाकर 4 की जा सकी।

- **आरएसपी के सीआरएम में बाथ हीटिंग सिस्टम में बदलाव कर पिकिंग लाइनों में उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार**

  पिकलिंग बाथ का तापमान बनाए रखने के लिए आरएसपी के सीआरएम में पिकलिंग लाइनों में ग्रैफाइट ब्लॉक हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल किया जाता है। वाष्प एवं एसिड के आपस में मिलने, बार बार लीकेज, छिद्रों के बंद होने एवं रखरखाव की संभावना के चलते इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर की कार्यकुशलता कम रहती है। कार्बन टाइप हीटिंग एक्सचेंजर की जगह नई पीढ़ी के टैंटेलम शेल व ट्यूब हीट एक्सचेंजर लगाकर टैंक #3, PL - 2 और टैंक #4, PL - 1 की बाथ हीटिंग प्रणाली में बदलाव किया गया है। इससे एसिड के सर्कुलेशन के दौरान प्रवाह की दर अधिक हुई और लौह नमक से ट्यूब अवरुद्ध होने की प्रवृत्ति घटी। साप्ताहिक शटडाउन के दौरान टैंटलम ट्यूब्स की सफाई करने एवं ट्यूब में जमा किसी तरह के नमक को हटाने के लिए भी फ्लशिंग की व्यवस्था की गई है। हीटिंग माध्यम के प्रवाह को नियंत्रित करने मसलन पिकलिंग टैंक में वास्तविक बाथ तापमान के आधार पर हीट एक्सचेंजर को वाष्प देने आदि के लिए स्वचालित तापमान नियंत्रण प्रणाली लागू की गई है। टैंक #3, PL #2 में नई प्रणाली का परीक्षण 4 फरवरी, 2014 को शुरू किया गया और तब से यह प्रणाली नियमित उपयोग में लाई जा रही है। बाथ तापमान को तय स्तर 850C 20C पर बनाए रखा गया है। नई प्रणाली को 10 फरवरी, 2014 को टैंक #4, PL #1 में स्थापित किया गया और यह स्थिरीकरण के तहत है।

  PL # 2 में नई प्रणाली के साथ हासिल किए गए प्रमुख लाभ हैः

  a) PL - 2 की औसत लाइन स्पीड 55–60 से बढ़ाकर 62–65 mpm की गई।
  b) सतत बाथ तापमान पहले की 80 ± 5C की तुलना में (85 ± 2C) पर बरकरार रखा गया है,
  c) निम्न बाथ तापमान के चलते कोई परिचालनगत विलंब नहीं,
  d) कॉयल्स की अंडर–पिकलिंग में कमी आई जिससे सतह की गुणवत्ता बेहतर हुई,
  e) हीट एक्सचेंजर से वाष्प की कोई लीकेज और अवरुद्ध नहीं,
  f) वाष्प की खपत में 50 प्रतिशत तक की कमी (3000 से घटकर 1500 किग्रा/घंटा).

- **बीएसएल के एचएसएम के फिनिशिंग स्टैंड्स के लिए रोल बाइट ल्यूब्रिकेशन का विकास**

  बोकारो स्टील प्लांट की हॉट स्ट्रिप मिल में रोल बाइट पर ल्यूब्रिकेशन के लिए

इनबिल्ट सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। ल्यूब्रिकेशन के बगैर एचआर कॉयल्स की रोलिंग से अधिक वर्क रोल वियर, अल्प कैंपेन साइज, अधिक रोल फोर्स आदि के नुकसान हैं। इसलिए, एक स्वचालित रोल बाइट ल्यूब्रिकेशन (त्ठस्) प्रणाली विकसित की गई और उसे एचएसएम के सभी सात फिनिशिंग स्टैंडों में स्थापित किया गया और व्यवहार में लाया गया।

त्ठस् प्रणाली चालू करने के बाद इसके परिचालन को स्थिर करने के लिए एक विस्तृत परीक्षण किया गया। इसके परिणाम स्वरूप, रोल वियर, रोलिंग की कैंपेन साइज, रोलिंग फोर्स, ऊर्जा आदि पर इसके प्रभाव के संदर्भ में त्ठस् के निष्पादन का आकलन किया गया। इससे पता चला कि त्ठस् के इस्तेमाल के निम्नलिखित लाभ हासिल हुए:

- वर्क रोल पीलिंग को दबाने से रोलिंग के मौजूदा कैंपेन साइज में विभिन्न स्टैंडों में ग्राइंडिंग के उठाव में 10–20 प्रतिशत की कमी आई।
- औसत विशिष्ट वर्क रोल की खपत में 15–20 प्रतिशत की कमी आई जो त्ठस् के बगैर 0.65–0.70 ाहध्ज थी और त्ठस् के साथ 0.55 ाहध्ज पर आ गई।
- रोलिंग के औसत कैपेंज साइज में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि जो त्ठस् के बगैर करीब 95 किमी थी और त्ठस् के साथ 111 किमी हो गई।
- रोल फोर्स व ऊर्जा की खपत में 5–10 प्रतिशत तक की कमी जो नई अधिक मजबूती वाले इस्पात और महत्वपूर्ण आकारों में मौजूदा इस्पातों की रोलिंग में लाभप्रद हो सकता है।

त्ठस् का उपयोग एचआर कॉयल्स के सतह की गुणवत्ता सुधारने में भी लाभदायक रहा क्योंकि रिज बनने के रुख में कमी आई। त्ठस् के ये लाभ बहुत कम विशिष्ट तेल की खपत– एचआर कॉयल्स के 20–25 उसध्ज पर हासिल किए जा सके।

- **आरएसपी के एसएसपी में पॉलीमर क्वेंचौंट में आर्मर प्लेट्स का हीट ट्रीटमेंट**

आरएसपी का स्पेशल प्लेट प्लांट सेना और भारतीय नौसेना के लिए क्वेंच्ड व टेंपर्ड (फ–ज) प्लेट्स का उत्पादन करने वाला देश में अकेला संयंत्र है। आरएसपी से फ–ज प्लेट्स का विजयंता टैंकों, टी–72 टैंकों, ठडच्–प्प वाहनों, डठज्– अर्जुन टैंकों, ज्–90 टैंकों और खान की रक्षा करने वाले वाहनों में व्यापक इस्तेमाल किया गया है। स्पेशल प्लेट प्लांट अपनी स्थापना के समय से ही तेल शमन के जरिए आर्मर प्लेटों का प्रसंस्करण करता रहा है। तेल एवं जल शमन में अनुभव की गई कमियों को दूर करने के लिए पॉलीमर क्वेंचिंग टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। पॉलीमर क्वेंचिंग टेक्नोलॉजी के साथ कूलिंग रेट, तेल शमन से से अधिक और जल शमन से कम है।

लैबोरेटरी स्तर पर परीक्षण और विश्लेषण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर एसपीपी में पॉलीमर क्वेंचौंट के साथ हीट ट्रीटमेंट का परीक्षण किया गया। संयंत्र में परीक्षण करने के लिए उपयुक्त पंपों एवं मोटरों की खरीद कर उन्हें स्थापित किया गया। उचित चिकनाहट बनाए रखने के लिए ग्रीस एवं इसकी एप्लीकेशन प्रणाली लगाई गई। प्लेट्स के लिए आवश्यक कूलिंग दरों के आधार पर पॉलीमर क्वेंचौंट का चयन कर उसकी खरीद की गई। एसएसपी में पॉलीमर क्वेंचिंग टेक्नोलॉजी स्थापित करने के लिए 6 मिमी से लेकर 130 मिमी की रेंज में प्लेट्स की सभी ग्रेड एवं मोटाई के लिए ब्फ। (डमज) की उपस्थिति में परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। हीट ट्रीटेड प्लेट्स के लिए मैकेनिकल परीक्षण किए गए एवं सभी तरह की मोटाई एवं ग्रेड के लिए हासिल गुणों से रक्षा क्षेत्र के विनिर्देशों की सख्त शर्तों के मुताबिक उनकी पुष्टि हुई।

- **ठैच के ॅत्ड में फाइनाइट एलेमेंट पद्धति द्वारा प्रक्रिया अनुकरण के जरिए मिल परिचालन विलंब में कमी**

वायर रॉड्स का विनिर्माण स्टैंड्स के समूह की रफिंग, मध्यवर्ती एवं फिनिशिंग में मल्टी–पास रोलिंग द्वारा किया जाता है। भिलाई स्टील प्लांट की वायर रॉड मिल के नौ स्टैंडों के समूह की रफिंग के सिमुलेशन के लिए त्रिआयामी थर्मल–मैकेनिकल कपल्ड इलास्टो–प्लास्टिक थ्म्ड का इस्तेमाल किया गया। लैंगरेंजियन फार्मुलेशन पर आधारित क्म्थ्व्त्ड–3क कोड द्वारा विश्लेषण किया गया। मल्टी स्टैंड रोलिंग के प्रत्येक चरण में खिंचाव, दबाव, खिंचाव की दरों एवं तापमान, रोल को अलग करने वाले बलों, रोल टोंक एवं वर्क पीस के आकार का वितरण हासिल किया गया। इसके परिणामों से प्रत्यक्ष विश्लेषण किया जा सका और रोल के अंतर में धातु प्रवाह के बारे में बेहतर सूचना मिली। रोलिंग प्रक्रिया में सुधार एवं छोटे पत्थर में कमी लाने के लिए ग्रूव ज्योमेट्री, रोल गैप सेटिंग्स एवं रफिंग ग्रुप की अन्य प्रक्रियागत मानकों की वैकल्पिक योजना का आकलन करने हेतु सिमुलेशन का उपयोग किया गया है। वैकल्पिक रोलिंग स्कीम के साथ सफल ट्रायल रोलिंग भी की गई।

यह वायर रॉड मिल में पहली बार है जहां मल्टी–स्टैंड रोलिंग सिमुलेशन किया गया। मई, 2013 में आए विश्लेषण के नतीजे उत्साहजनक हैं:

- **एसएसपी की सिलीकॉन स्टील मिल के एपी लाइन में उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार**

आरएसपी में ब्त्छव् इस्पात का उत्पादन बढाने के लिए यह परियोजना ब्म् परियोजना का हिस्सा थी। इस परियोजना का उद्देश्य Anneal Pickling Line (AP Line) की उत्पादकता 10 प्रतिशत से अधिक (15 से 17 t/hr) बढ़ाना और अधिक लाइन स्पीड पर अंडर–पिकलिंग खत्म करना था।

इसे देखते हुए, AP Line की जलापूर्ति लाइन में एक औद्योगिक वाटर फिल्टर स्थापित किया गया। 200 माइक्रोन आकार के रोके गए सभी कणों को फिल्टर कर बाहर किया गया। इसके अलावा, धुलाई कार्यक्षमता, स्ट्रिप के सतह की गुणवत्ता में सुधार और दूषित जल पैदा होने में कमी लाने के लिए एक क्लोज्ड–लूप रिंस वाटर सर्कुलेशन सिस्टम भी स्थापित किया गया। पिकलिंग बाथ हीटिंग सुधारने एवं ।च स्पदम की उत्पादकता में सुधार के लिए Tank # 3, Tank # 4A व 4B (संयुक्त रूप से) के लिए स्किड माउंटेड इनडायरेक्ट एसिड हीटिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। यह प्रणाली स्थिरीकरण के अधीन है।

उपरोक्त उपायों से पिकल्ड कॉयल्स के सतह की गुणवत्ता में पहले ही सुधार होना शुरू हो गया है। एसिड हीटिंग प्रणाली स्थिर होने के बाद लाइन उत्पादकता में सुधार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उत्पाद विकास एवं एप्लीकेशन

RDCIS सेल के उत्पाद विकास की गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाता है। उत्पाद की जबरदस्त मांग, तैयार बाजार, मार्जिन में अच्छा योगदान और संयंत्र की क्षमता, उत्पाद विकास के लिए उत्पादों के चयन का मापदंड है। RDCIS ने सेल के संयंत्रों के साथ मिलकर निम्नलिखित उत्पाद विकसित किएरू

- निर्यात गुणवत्ता वाले सिलेंडरों के लिए बीएसएल में सुपर फॉर्मेबल एलपीजी ग्रेड के भ्त् ब्वपस
- निर्यात गुणवत्ता वाले सिलेंडरों के लिए बीएसएल में Customized SG 295 LPG ग्रेड के HR Coil
- वाहन उपकरणों के लिए बीएसएल में IS 513 CR1 340 ग्रेड के CR Coils
- वाहन उपकरणों के लिए बीएसएल में IS 513 CR1 390 ग्रेड के CR Coils
- निर्माण के लिए आरएसपी में ASTM 572 Gr.50 प्लेटें
- निर्माण के लिए आरएसपी में IS 15962 E 250 S ग्रेड के HR coils
- इलेक्ट्रिकल मोटरों के लिए आरएसपी में M 36 (350) ग्रेड के CRNO coils
- निर्माण के लिए आरएसपी में निर्यात गुणवत्ता के स्लैब्स (JISG 3106 SM 400A)
- निर्माण के लिए आरएसपी में निर्यात गुणवत्ता के स्लैब्स (EN 10025 355JR)
- निर्माण के लिए बीएसपी में IS 1786 Fe 415 S ग्रेड के TMT rebars (28 mm)
- निर्माण के लिए बीएसपी में IS 1786 Fe 415 S ग्रेड के TMT wire rods (10/ 12 mm)
- रेलवे के लिए बीएसपी में हाई फ्रैक्चर टफनेस के साथ रेल की पटरियां
- खुदाई के यंत्र, पुलों एवं विंड मिलों के लिए बीएसपी में S2E3 स्वीकार्यता स्तर के साथ S235 - S355 ग्रेड के लिए EN 10160 के मुताबिक UST के अनुरूप प्लेटें
- अर्थमूविंग उपकरण विनिर्माताओं के लिए बीएसपी में SAIL EME ग्रेड की कस्टमाइज्ड प्लेटें
- टूल एवं स्पैनर्स के लिए डीएसपी में 41CrV3 ग्रेड के billets
- निर्माण के लिए डीएसपी में IS 1786 Fe 415 S ग्रेड के TMT rebars (16 mm)
- निर्माण के लिए डीएसपी में IS 1786 Fe 415 S ग्रेड के TMT rebars (20/25 mm)
- निर्माण के लिए डीएसपी में IS 15962 E 250S स्ट्रक्चरल (angles)
- निर्माण के लिए डीएसपी में IS 15962 E 350S स्ट्रक्चरल (joist)
- निर्माण के लिए डीएसपी में IS 15962 E 350S स्ट्रक्चरल (joist)
- निर्माण के लिए आईएसपी में IS 1786 Fe 415 S ग्रेड के TMT rebars (20 mm)
- निर्माण के लिए आईएसपी में IS 1786 Fe 500 ग्रेड के TMT wire rods (8 mm)

- वाहन उपकरणों के लिए एसएसपी में HSFQ 350 HR coils (2-4 mm)
- वाहन उपकरणों के लिए एसएसपी में HSFQ 350 HR coils (5-8 mm)
- **कुछ नए उत्पादों के लिए स्थापित प्रक्रियागत प्रौद्योगिकी**

  भविष्य में बाजार में पैदा होने वाले अवसरों के लिए लक्ष्य बनाकर विशेष गुणवत्ता के नए उत्पादों के कई ग्रेड्स के लिए प्रक्रियागत प्रौद्योगिकी स्थापित की गई जो निम्नलिखित है:

  - आरएसपी में निर्यात गुणवत्ता के स्लैब (JISG 3106 SM 400A)
  - आरएसपी में निर्यात गुणवत्ता के स्लैब (EN 10025 355JR)
  - खनन की मशीनों, पुलों व विंड मिलों के लिए बीएसपी में स्वीकार्यता स्तर S2E3 के साथ एवं EN 10160 के मुताबिक व UST के अनुरूप S235 व S355 ग्रेड्स के लिए प्लेटें
  - डीएसपी में IS 15962 E 250S स्ट्रक्चरल (angles)
  - डीएसपी में IS 15962 E 350S स्ट्रक्चरल (joist)

ऑटोमेशन

- **BSL के HRCF के Shearing Line-1 में उत्पादकता में सुधार लाने के लिए एक ऑटोमैटिक कट टु लेंथ सिस्टम का विकास**

  Hot Strip Mill से HRCF (Hot Rolled Coil Finishing) में प्राप्त कॉयल्स की शियरिंग लाईन में 4.5 से 10 मीटर की रेंज में कटाई की जाती है, उसे पैक किया जाता है और ग्राहकों के लिए रवाना किया जाता है। मौजूदा शियर सिस्टम में लंबाई मापने के लिए पारंपरिक सर्वो रोल, एनकोडर एवं लॉजिक ब्लॉक हैं और उचित समय पर कटाई का निर्देश दिया जाता है। यह प्रणाली पुरानी पड़ चुकी है और इसे चलाने एवं इसके पुर्जों के रखरखाव में कई समस्याएं आती हैं जिससे गलती से कटने, पहली कटाई, मध्य कटाई एवं अंतिम कटाई में लंबाई में अंतर आ जाता है। इन असमान्यताओं के चलते शीट्स अस्वीकृत कर दी जाती हैं और कभी कभी पिलर में शीट्स जाम हो जाते हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए एक परिष्कृत ऑटोमेशन एवं नियंत्रण प्रणाली डिजाइन की गई और लागू की गई जो पीएलसी सिस्टम के साथ अत्यधिक संवेदनशील लेजर डॉपलर सेंसर द्वारा लंबाई मापन पर आधारित है। यह शीट्स को अपेक्षित लंबाई में काटने के लिए कतरनी को चलाने हेतु विभिन्न इंटरलॉक्स को पूरा करती है।

  RDCIS द्वारा पहली बार सेल में बिना संपर्क वाले Laser Doppler Velocimeter के जरिए पेश की गई ऑटो कट–टु–लेंथ प्रणाली के क्रियान्वयन से सतत रूप से तय लंबाई की 0.65% एक्यूरेसी हासिल की गई जो पूर्व में 1 प्रतिशत थी। यही नहीं, इन प्रणालियों के विफल होने की संभावना काफी कम है और त्रुटियों का बहुत आसानी से पता लगाकर उन्हे दूर किया जा सकता है। इस तरह की प्रणाली की आगे की खूबी यह है कि इससे बेहतर उत्पादन व्यवहार के नियोजन में बहुत मदद मिलती है। अधिक सटीकता, सरलता, उपयोग में आसान और त्रुटियों की तेज पहचान के मामले में नई प्रणाली, पुरानी से कहीं अधिक फायदेमंद है और इससे बीएसएल के HRCF की shearing line-1 में उत्पादकता में सुधार दर्ज किया गया और यह लंबे समय से सतत परिचालन में है।

- **BSL के HRCF में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पर कैमरा विजन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर एचआर कायल्स की स्वचालित निगरानी व्यवस्था**

  Hot Strip Mill (HSM) से विभिन्न स्थानों तक एचआर कॉयल्स का (600 कायल्स/दिन की दर से) परिवहन करने के लिए Hot Rolled Coil Finishing (HRCF) संयंत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉयल्स का परिवहन मेटलिक बेल्ट कनवेयरों द्वारा किया जाता है। कॉयलरों की डिजाइन/ओरिएंटेशन और कनवेयरों के निर्देशन के चलते कॉयल का विवरण कनवेयर की एक ओर दिखता है और कॉयल टर्नटेबल ऑपरेटर सभी कॉयल्स के लिए उसे नहीं देख सकता। इससे परिचालन में विलंब के अलावा, कभी कभी गलत पहचान के चलते कुछ कॉयल्स अवांछित स्थानों पर भेज दिए जाते हैं जिससे परिचालन में जटिलताएं पैदा होती हैं और कॉयल्स को श्रमिकों द्वारा सही जगह पहुंचाने पर अतिरिक्त लागत आती है। शॉप के सुचारू एवं प्रभावी परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए कनवेयर बेल्ट पर कॉयल्स की आवाजाही पर नजर रखना आवश्यक है।

  इस जटिल प्रक्रिया की परिचालन कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए कैमरा विजन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर एचआर कॉयल्स की स्वचालित निगरानी व्यवस्था डिजाइन की गई और फरवरी, 2014 में उसे लागू किया गया। इस प्रणाली में, कॉयल की तस्वीर कैद करने के लिए महत्वपूर्ण स्थलों पर विभिन्न CCD (Charged Coupled Device) कैमरा लगाए गए हैं। कैद की गई तस्वीरों को फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिटर्स एवं रिसीवर्स की मदद से एक कम हानि वाले फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के जरिए संबंधित ऑपरेटरों के केबिन तक भेजा जाता है। इसके अलावा, संपूर्ण प्रक्रिया की सूची बनाने एवं महत्तम उपयोग के लिए संबद्ध सूचना की पुनर्प्राप्ति हेतु मास्टर कंट्रोल रूम में कॉयल के आवागमन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई जाती है। ऐसा अनुमान है कि इस ऑन–लाइन निगरानी प्रणाली के लगने से शॉप फ्लोर पर लॉजिस्टिक्स परिचालन बढ़ेगा जिससे HRCF की संपूर्ण उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार आएगा।

- **DSP के RMHP में पुराने क्षेत्र में वायरलेस सिग्नलों का उपयोग कर स्टैकिंग कनवेयर नेटवर्क का ऑटोमेशन**

  दुर्गापुर स्टीप प्लांट के रॉ मैटेरियल हैंडलिंग प्लांट में पुराने क्षेत्र में तीन स्टैकिंग कनवेयर हैं। कनवेयर A9 व A10A का उपयोग परखे गए ढेला अयस्क का ढेर लगाने में किया जाता है, जबकि कनवेयर A10 का उपयोग विंग टिपर्स का इस्तेमाल कर मेस मिक्स का ढेर लगाने के लिए किया जाता है। ढेर लगाई गई सामग्री सुधारा जाता है और अन्य कनवेयरों के एक नेटवर्क के जरिए सिंटर प्लांट एवं ब्लास्ट फर्नेस में भेजा जाता है।

  ड्राइव हाउस से लाइम प्लांट सबस्टेशन तक कनवेयर मोटरों के कंट्रोल सिग्नलों के एक विश्वसनीय संचार के लिए स्टैकिंग कनवेयर नेटवर्क के ऑटोमेशन हेतु एक वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम डिजाइन कर उसे विकसित किया गया और त्ड्भ्च् के पुराने क्षेत्र में सफलतापूर्वक उसे लागू किया गया। यह नेटवर्क प्वाइंट से मल्टीप्वाइंट कन्फीगरेशन पर काम करता है जहां एक मास्टर स्टेशन तीन सुदूर स्टेशनों को संप्रेषित करता है। इस प्रणाली में रेडियो मॉडम एवं RTU आधारित ट्रांसमिटर्स व रिसीवर्स हैं जिन्हें मौजूदा PLC के साथ एकीकृत किया गया है।

  यह प्रणाली 20 फरवरी, 2014 से परिचालन में है। इस प्रणाली से त्रुटि की बड़ी आसानी से पहचान हो सकेगी और उन्हें दूर किया जा सकेगा। साथ ही इससे डाउनटाइम में कमी आएगी जिससे उत्पादन बढ़ेगा।

ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण

- **BSL में RMP के रोटरी भट्टों के लिए कंबशन सिस्टम के परिचालन में सुधार**

  बोकारो स्टील प्लांट के रीफ्रैक्टरी मैटेरियल प्लांट (RMP) में बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में इस्तेमाल के लिए चूना पत्थर को पकाकर चूने में बदलने के लिए छह रोटरी भट्टे हैं। इन भट्टों को मूल रूप से मैकेनिकल ऑटोमाइजेशन किस्म के लिक्विड फ्यूल बर्नर के जरिए Pitch Creosote Mixture (PCM) को जलाने हेतु डिजाइन किया गया था। यह परियोजना हवा/ईंधन अनुपात के स्वतः नियंत्रण के जरिए कंबशन क्षमता में सुधार के लिए चलाई गई।

  RDCIS ने स्टीम एवं कंप्रेस्ड एयर (एटमाइजिंग मीडिया के तौर पर) का उपयोग कर दो चरण वाला atomisation liquid fuel burner विकसित किया है जो रोटरी भट्टे के लिए उपयुक्त है। RDCIS ने कोक ओवन (CO) गैस और ईंधन जलाने के लिए च्ब्ड का उपयोग कर एक दोहरा ईंधन बर्नर भी विकसित किया है। दोहरे ईंधन बर्नर का इस्तेमाल जब भी उपलब्ध हो, अधिशेष कोक ओवन गैस जलाने के लिए किया जा सकता है और पकाने की प्रक्रिया के लिए ऊष्मा की आपूर्ति हेतु किसी भी संयोजन में किसी एक या दोनों ईंधन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दहकाने के लिए हवा दो धाराओं (जैसे primary air-I व primary air-II) में दो अलग अलग एयर ब्लोवर्स से उपलब्ध कराई जा सकती है। रोटरी भट्टे रु 3 व 4 मे वायु/ईंधन अनुपात के लिए ऑटो कंट्रोल सुविधा के साथ दोहरा ईंधन बर्नर पेश किए जाने से कंबशन की क्षमता में सुधार आया है। साथ ही इससे विशेष ईंधन खपत में करीब 5.2 प्रतिशत से अधिक कमी आई है। त्ड्च का रोटरी भट्टा रु 3 एवं 4 अब LOI के साथ 2-5 % की रेंज में सतत आधार पर 90 जध्पाली, चूने का उत्पादन करने में सक्षम है। दोनों रोटरी भट्टों को बेहतर ईंधन कार्यक्षमता के लिए वायु/ईंधन अनुपात के स्वतः नियंत्रण के साथ चलाया जा सकता है।

- **BSL ds SMS – II में हीटिंग स्टैंड्स में सुधार के जरिए स्टील लैडल्स की प्रीहीटिंग का महत्तम उपयोग एवं शेल तापमान की ऑनलाइन निगरानी**

  बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के Steel Melting Shop (SMS) – II में छह लैडल हीटिंग स्टैंड (BC खंड में चार और AB खंड में दो) हैं। ये सभी स्टैंड लैडल्स की प्रीहीटिंग के लिए ईंधन के तौर पर कोक ओवन गैस का उपयोग कर लैडल हीटिंग बर्नर डिजाइन वाले हैं। SMS – II में लैडल हीटिंग प्रणाली का निष्पादन

संतोषप्रद नहीं था। ये लैडल्स मौजूदा कंबशन सिस्टम के साथ 24 घंटे गर्म होने के बाद भी करीब 900 C के तापमान से अधिक गर्म नहीं होते थे।

उपरोक्त को देखते हुए, बीएसएल के SMS-II के दो स्टैंडों में अत्यधिक तापमान वाली लैडल हीटिंग प्रणाली विकसित करने एवं उन्हें लागू करने के लिए इस परियोजना का प्रस्ताव किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य लैडल्स को 1100-1150 C तक गर्म करने हेतु अत्यधिक तापमान वाली लैडल हीटिंग प्रणाली पेश करना है।

लैडल हीटिंग स्टैंड रु 5 एवं रु 1 में लैडल हीटिंग प्रणाली की नई डिजाइन 15 फरवरी, 2014 को स्थापित की गई और 3 मार्च, 2014 को इसे लागू किया गया। परिष्कृत लैडल हीटिंग स्टैंडों में 18 घंटे के भीतर 1100 ° से अधिक का लैडल प्रीहीट तापमान हासिल कर लिया गया जो अन्य लैडल हीटिंग स्टैंडों में 24 घंटे में करीब 900 C था। सेरामिक ब्लैंकेट आधारित U-फोल्ड इन्सुलेशन का अनुमानित जीवनकाल करीब 9 महीने का होता है। लैडल की 1100 C पर उच्च एवं एकसमान हीटिंग के चलते लैडल के रैखीय जीवनकाल में सुधार आने व सुधरने और कम स्कल निर्माण होने की संभावना है।

- **BSL के सिंटर प्लांट की सभी तीन मशीनों में इग्निशन फर्नेस लाइफ में सुधार**

इग्निशन फर्नेस सिंटर की सबसे ऊपर की परत में कोक ब्रीज को आग लगाता है जिससे बाद की परतों में इग्निशन व सिंटरिंग सुनिश्चित होती है। वर्ष 2003–04 के दौरा बीएसएल के सिंटर प्लांट में पारंपरिक तौर पर बगल में खड़े किए गए बर्नरों की जगह सभी तीन बैंडों में शीर्ष पर खड़े किए गए कर्टन–फ्लेम बर्नर पेश किए गए। ये बर्नर छोटे, पर्दे के आकार के लौ पैदा करते हैं जिससे विशेष गैसीय ईंधन की पारंपरिक प्रणाली की तुलना में कम खपत होती है। कम अंडर–ग्रेट सक्शन के चलते बीम की प्रत्यक्ष लौ से हीटिंग बहुत आम बात है। इसके अलावा, बार बार मशीन बंद करने और तुरंत चालू करने से फर्नेस की बीम्स पर अत्यधिक तापीय झटके पड़ते हैं। इन सभी से बीम बार बार फेल होता है जिससे अत्यधिक मरम्मत में समय बर्बाद होता है।

उपरोक्त दिक्कतों से निजात पाने के लिए, परिष्कृत इग्निशन फर्नेस को डिजाइन किया गया, स्थापित किया गया और उसे चालू किया गया। 16 जुलाई, 2012 को मशीन रु1 में, 9 दिसंबर, 2012 को मशीन #2 में और 11 अगस्त, 2013 को मशीन #3 में इसे चालू किया गया।

निम्नलिखित बदलाव इनमें शामिल किए गए:

- बीम की डिजाइन बदली गई और रीफ्रैक्टरी मैटेरियल को 70% एल्युमिना निम्न नमी के कास्टेबल से बदलकर उच्च एल्युमिना (90%) सीमेंट कास्टेबल का किया गया।
- फर्नेस की जगह सिंटर डिस्चार्ज के अंत की ओर 3 मीटर तक स्थानांतरित की गई जिससे फर्नेस एवं कंपैक्शन रोलर, लेवेलर आदि जैसी मशीन एक्सेसरीज के लिए और जगह मिल सके।
- लौ से सीधी ऊष्मा के चलते नुकसान समाप्त करने हेतु डिस्चार्ज की ओर की दीवार ढहा दी गई
- कास्ट स्ट्रक्चर को बिना किसी नुकसान पहुंचाए छत की बीम आसानी से खड़ी करने व गिराने के लिए अत्याधुनिक रोलर की व्यवस्था। यद्यपि इग्निशन हुड स्थल पर कोई क्रेन दृष्टिकोण नहीं रहा।
- बीम का जीवनकाल बढ़ाने के लिए बेड से टॉप तक फर्नेस की ऊंचाई 0.5 से बढ़ाकर 0.7 मीटर की गई, जबकि इग्निशन उपरांत फर्नेस की ऊंचाई बेड से टॉप तक घटाकर 0.6 मीटर की गई। यह दोनों ही स्थिति में फर्नेस की छत के लिए एक साथ किया गया जिससे रोलर का आवागमन आसान हो सके।

इस नवप्रवर्तन के बाद फर्नेस बीम का औसत जीवनकाल पूर्व के 3 माह से बढ़कर 14 माह (कैंपेन लाईफ) हो गया।

- **जब की गुणवत्ता के प्रभाव के सामान्य क्षीणन के लिए आयनिक, सतह एवं विशेष तत्वों के नियंत्रण पर अध्ययन**

बंद लूप के जल का निरंतर रिसाइकिल किया जाता है जिसमें बहुत कम मात्रा में ब्लोडाउन के तौर पर इसे छोड़ा जाता और फिर से भरा जाता है। बंद लूप सर्किट जल प्रबंधन की चुनौतियां बहुआयामी हैं जैसे– उच्च एवं परिवर्तनीय हीट लोड के जरिए पैदा हुआ दबाव, अत्यधिक ऊष्मा से प्रवाह, कमजोर सिस्टम डिजाइन (मसलन कम प्रवाह का क्षेत्र) और बार बार प्रसंस्करण व माइक्रोबियल संक्रमण आदि। इन कारकों पर यदि काबू न पाया जाए तो इससे जंग लगने, गुठलियां बनने, पपड़ी बनने, कटाव एवं जैव अवरोध आदि की दिक्कतें पैदा होती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए जल के कणों, आयनिक एवं सतह के तत्वों को इस तरह से अलग करने के लिए कि इनसे जल की गुणवत्ता के मानकों के अनापेक्षित प्रभाव तनूकृत हो सकें, बड़ी मात्रा में प्रापराइटरी रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये रसायन महंगे होते हैं और पर्यावरण पर इनका क्या असर होगा, यह जाना नहीं जा सका है। जेनेरिक रसायनों के मुकाबले इन रसायनों के प्रभावों और आयनिक, सतह एव कण के गुणों में भौतिक प्रक्रियाओं को समझने की जरूरत है।

इस दिशा में विभिन्न प्रोपराइटरी एवं जेनेरिक अवरोधकों की मौजूदगी या अनुपस्थिति में अलग से और साथ में परिवर्तनीय विभिन्न मानकों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए RDCIS में एक रीसर्कुलेटिंग वाटर ट्रीटमेंट सिमुलेटर की अवधारणा तैयार की गई, उसे डिजाइन कर विकसित किया गया स्थापित किया गया। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि वास्तविक संयंत्र स्थितियों में उचित प्रक्रिया नियंत्रण व्यवस्था के जरिए प्रोपराइटरी ट्रीटमेंट की जगह जेनेरिक ट्रीटमेंट करना है। इस तरह से एक प्रणाली के निष्पादन आधारित दृष्टिकोण से मानक आधारित दृष्टिकोण की ओर रुख करना भी संभव है।

विकसित किए गए रीसर्कुलेटिंग वाटर ट्रीटमेंट सिमुलेटर का इस्तेमाल केमिकल ट्रीटमेंट कार्यक्रमों के लिए अनुकूलन उपकरण के तौर पर, मौजूदा केमिकल ट्रीटमेंट कार्यक्रम का प्रभाव जानने, विभिन्न रसायन अवरोधकों के निष्पादन की तुलना करने और किसी भी ट्रीटमेंट व्यवस्था का बेसलाइन व टाइम सीरीज डाटा तैयार करने में किया जा सकता है।

- **DSP के कोक ओवन से प्रवाह के साइनाइड क्षीणन में अल्कलाइन क्लोरिनेशन के प्रभाव का अध्ययन**

इस्पात संयंत्र में कोक ओवन प्रवाह के साइनाइड नियम को हासिल करना अक्सर मुश्किल होता है। इसे रासायनिक आक्सीकरण के जरिए हासिल किया जा सकता है। इस परियोजना का लक्ष्य कोक ओवन प्रवाह की साइनाइड मात्रा में कमी लाने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड (H^2O^2) की तुलना में आक्सीकरण पद्धति के तौर पर अल्कलाइन क्लोरिनेशन की दक्षता का पता लगाना है।

रांची स्थित RDCIS की प्रयोगशाला में टाइम सीरीज डाटा तैयार करने के लिए विस्तृत लैबोरेटरी स्तर पर अध्ययन किया गया। ट्रीटमेंट का महत्तम उपयोग करने के लिए डीएसपी स्थल में प्रायोगिक इकाई का फैब्रिकेशन व बेंच स्तर पर अध्ययन किया गया।

प्रयोग के नतीजों के आधार पर यह पाया गया कि कोक ओवन प्रवाह के साइनाइड मात्रा के अवरोध में सोडियम हाइपोक्लोराइट कहीं ज्यादा कारगर है। इसकी 0–0.5 प्रतिशत की प्रवाह दर से खुराक दी गई और यह प्रवाह में साइनाइड का स्तर 0.2 mg/l. से नीचे लाने में सफल रहा। यह सिफारिश की जाती है कि संयंत्र द्वारा इसे अपनाया जा सकता है।

3. **भावी कार्य योजना**

सेल के कारोबारी एवं परिचालन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आरएंडडी गतिविधियों को एकीकृत करने के उद्देश्य से सेल में आरएंडडी के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसे सेल के निदेशक मंडल द्वारा 26 अगस्त, 2011 को मंजूरी प्रदान की गई। इस मास्टर प्लान के क्रियान्वयन से कार्यक्षमता में सुधार, लागत में कमी, बाजार की जरूरतें पूरी करने और मौजूदा इस्पात प्रौद्योगिकियों के उन्नयन के जरिए सेल को प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा। साथ ही कंपनी को आरएंडडी पर खर्च धीरे धीरे बढ़ाकर बिक्री कारोबार के 1 प्रतिशत के स्तर पर ले जाने में मदद मिलेगी जोकि एक अंतरराष्ट्रीय मानक है। आरएंडडी मास्टर प्लान की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

सेल में मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिए परियोजना के तीन वर्गों के तहत सेंटर ऑफ एक्सिलेंस प्रोजेक्ट्स, हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी मिशंस प्रोजेक्ट के नाम से विभिन्न गतिविधियां शुरू की गई हैं। सेंटर ऑफ एक्सिलेंस प्रोजेक्ट्स के तहत कार्यों के लिए गतिविधियां चल रही हैं। सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की ज्यादातर परियोजनाओं में या तो विभिन्न शॉप्स में विस्तार या विशेष इकाइयों का अधिग्रहण शामिल है जिसमें इस्पात बनाने से लेकर उनकी फिनिशिंग, चुनिंदा खास उत्पाद का उत्पादन करने के लिए क्षमता विकसित करना और उन उत्पादों में उत्कृष्टता विकसित करना प्रमुख है। कुछ छोटे कामों को पहले ही पूरा किया जा चुका है। इस तरह की गतिविधियों के लिए पूंजीगत बजट की आवश्यकता संयंत्रों/इकाइयों के एएमआर बजट से उपलब्ध कराई गई है।

इकाई का AMR बजट

HIP वर्ग के तहत चलाई जा रही तीन HIP परियोजनाओं के विशेष उद्देश्य और लक्ष्य हैं। HIP-1 के तहत सेल की विभिन्न इकाइयों के तहत बेनिफिसिएशन व पेलेटाइजेशन वाली परियोजनाएं हैं। विभिन्न खानों में बेनिफिसिएशन के लिए लैब आधारित सैंपल का लक्षण वर्णन एवं प्रोसेस फ्लो चार्ट के विकास का काम

पहले ही पूरा किया जा चुका है। HIP-2 के तहत आईएसपी में कोक ओवन, सिंटर विनिर्माण और ब्लास्ट फर्नेस के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने का काम चल रहा है। HIP-3 के तहत बीएफ एवं बीओएफ गाद व धातुमल के इस्तेमाल के लिए परियोजनाओं की पहचान की गई है। बीएफ एवं बीओएफ गाद के नमूने के लक्षण का वर्णन किया जा चुका है। यहां यह उल्लेखनीय है कि एचआईपी परियोजनाएं सभी इस्पात संयंत्रों की साझा चिंताओं का समाधान करती हैं।

पतली पट्टी की कास्टिंग एवं ब्लव्ह इस्पात के वाणिज्यिक उत्पादन के क्षेत्रों में सेल के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को हासिल करने के उद्देश्य से उपलब्ध वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ज्ड परियोजनाओं के तहत प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत शुरू की गई है। इसके साथ ही, इस्पात संयंत्रों में पहले से उपलब्ध सुविधाओं एवं आवश्यक लॉजिस्टिक्स की समीक्षा की जा रही है जिससे उस प्रौद्योगिकी की तकनीकी जरूरत से मिलान किया जा सके जिसे हासिल करने की योजना बनाई जा रही है।

4. आरएंडडी पर खर्च

वित्त वर्ष 2013–14 के लिए आरएंडडी पर खर्च को रूप दिया जा रहा है

(₹ करोड़ में)

पूंजी	4.38
आय	106.05
कुल	**110.43**
कारोबार का :	0.21

5. ऊर्जा संरक्षण

सूचना संलग्नक 'A' में दी गई है

प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन एवं नवप्रवर्तन

सेल में इस्पात संयंत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में एक निश्चित प्रौद्योगिकी रणनीति और व्यापक आरएंडडी प्रयासों के जरिए प्रौद्योगिकी विकास, अवशोषण, अनुकूलन एवं उसमें आगे सुधार सतत रूप किया जा रहा है। आधुनिकीकरण/सतत सुधारों के तहत कई नई प्रौद्योगिकियां लागू की गई/लागू की जा रही हैं। क्षेत्रवार इनमें ये शामिल हैं:

कोक निर्माण के क्षेत्र में

– RSP की नई 7 मीटर ऊंची पर्यावरण अनुकूल कोक ओवन बैटरी संख्या 6, ISP एवं BSP की कोक ओवन बैटरी संख्या 11
– RSP की पर्यावरण अनुकूल कोक ओवन बैटरी संख्या 3 का पुनर्निर्माण
– BSL की पर्यावरण अनुकूल कोक ओवन बैटरी संख्या 7 एवं 8 का पुनर्निर्माण
– BSL की पर्यावरण अनुकूल कोक ओवन बैटरी संख्या 7 एवं 8 का पुनर्निर्माण
– BSP की पर्यावरण अनुकूल कोक ओवन बैटरी संख्या 9,7 एवं 8 का पुनर्निर्माण
– DSP की पर्यावरण अनुकूल कोक ओवन बैटरी संख्या 2,5 एवं 4 का पुनर्निर्माण
– ISP, BSP एवं RSP में नई 7 मीटर ऊंची बैटरियों में कोक ड्राई क्वेंचिंग
– DSP में कोयले की चुनिंदा पिसाई (कोक की गुणवत्ता में सुधार हेतु)
– BSP एवं RSP के कोक की शक्ति में सुधार हेतु कोयला चार्ज की आंशिक ब्रिकेटिंग
– कोयला मिश्रण में घरेलू कोकिंग कोल के अधिकतम इस्तेमाल के लिए सालाना 20 लाख टन की चासनल्ला कोल वाशरीज की क्षमता बढ़ाकर सालाना 40 लाख टन करने की योजना है।

क्षेत्र: सिंटर विनिर्माण/संचय

– सिंटर मिश्रण के लिए आधार मिश्रण (सिंटर की गुणवत्ता सुधारने हेतु).
– सिंटर की मजबूती के लिए कैलक्लाइंड चूना
– BSP, DSP, RSP एवं ISP के नए सिंटर संयंत्र में इग्निशन फर्नेस में ऊर्जा कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु अनुभूत ऊष्मा की रिकवरी के लिए प्रणाली
– सिंटरिंग प्रक्रिया के महत्तम उपयोग द्वारा सिंटर की समुन्नत एवं सतत गुणवत्ता के लिए आधुनिक ऑटोमेशन एवं नियंत्रण
– RSP में सालाना 20 लाख टन का पेलेट संयंत्र
– गुवा अयस्क खानों में सालाना 40 लाख टन का पेलेट संयंत्र

क्षेत्र: लौह निर्माण

– कोक दर एवं हॉट मेटल की उत्पादन लागत घटाने के लिए BSP में पांच ब्लास्ट फर्नेसों, DSP में दो ब्लास्ट फर्नेसों, BSL में चार ब्लास्ट फर्नेसों, RSP में दो ब्लास्ट फर्नेसों एवं ISP में एक ब्लास्ट फर्नेस में कोल डस्ट इंजेक्शन
– आठ ब्लास्ट फर्नेसों में दो चरणीय गैस क्लीनिंग संयंत्र, RSP, BSP और ISP में दो–दो और DSP एवं BSL में एक–एक (बीएफ गैस की गुणवत्ता में सुधार के लिए)
– गुणवत्ता सुधारने, पर्यावरणीय प्रदूषण घटाने एवं स्लैग के लाभकारी उपयोग के लिए BSP के पांच ब्लास्ट फर्नेसों, RSP के तीन ब्लास्ट फर्नेसों, DSP के दो ब्लास्ट फर्नेसों, BSL के पांच ब्लास्ट फर्नेसों और VISP के एक ब्लास्ट फर्नेस में Cast House Slag Granulation प्रौद्योगिकी लागू।
– BSP एवं BSL प्रत्येक में तीन ब्लास्ट फर्नेसों और DSP, RSP एवं ISP प्रत्येक में एक ब्लास्ट फर्नेस में ब्लास्ट फर्नेस भट्ठियों में High Hot Blast प्रौद्योगिकी लागू की गई।
– फर्नेसों की कैंपेन लाइफ बढ़ाने के लिए ठैच के दो ब्लास्ट फर्नेसों में और BSL, RSP व ISP के एक–एक ब्लास्ट फर्नेस में De-Mineralised/soft water के साथ क्लोस्ड लूप कूलिंग सिस्टम
– प्रदूषण नियंत्रण उपायों के तहत BSP के एक ब्लास्ट फर्नेस, BSL के दो ब्लास्ट फर्नेसों, RSP के एक ब्लास्ट फर्नेस और ISP के एक ब्लास्ट फर्नेस में Cast House Fume Extraction System
– कास्ट हाउस में गतिशील उपकरणों के उपयोग एवं आसान रखरखाव के लिए BSP के दो ब्लास्ट फर्नेसों, BSL, RSP एवं ISP प्रत्येक के एक ब्लास्ट फर्नेस में Flat Cast House डिजाइन।
– बिजली उत्पादन के लिए RSP, ISP एवं BSP प्रत्येक के एक ब्लास्ट फर्नेस में टॉप रिकवरी टर्बाइन
– BSP, ISP एवं RSP में 4060 cum Blast Furnace

क्षेत्र: इस्पात निर्माण

– RSP एवं SSP में इस्पात की गुणवत्ता सुधारने के लिए BOF कनवर्टरों में निम्न सल्फर हॉट मेटल की चार्जिंग हेतु मिक्सर के बाद Hot Metal Desulphurization प्रणाली
– ISP, BSL, BSP एवं RSP में नई अत्याधुनिक इस्पात पिघलाने एवं ढलाई की सुविधाएं
– BSL के SMS-II में उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने के लिए संयुक्त ब्लोइंग प्रौद्योगिकी पेश
– BSP एवं RSP के SMS-II में रेल इस्पात उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने हेतु RH Degassing पेश
– VISL, DSP, ASP और BSP में सतत ढलाई मशीन में उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने हेतु Electro-magnetic फेंटाई शुरू।

क्षेत्र: रोलिंग एवं फिनिशिंग (लांग उत्पाद)

– BSP में Ultrasonic testing व Eddy current testing की सुविधाएं (रेल की गुणवत्ता का आश्वासन देने हेतु)
– BSP की रेल एवं स्ट्रक्चरल मिल में Long rail finishing technology
– DSP की डमतबींदज डपसस में उत्पादकता बढ़ाने एवं व्यापक रेंज में उत्पादों के लिए साइट रोलिंग
– BSP में अत्याधुनिक Bar o Rod Mill और युनिवर्सल रेल मिल, DSP में Medium Structural Mill और ISP में वायर रॉड मिल, Bar Mill and Heavy Section Mill
– उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने एवं ऊर्जा की खपत कम करने के लिए Walking Beam RHF की स्थापना

क्षेत्र: रोलिंग एवं फिनिशिंग (फ्लैट उत्पाद)

– RSP में नई Hot Strip Mill
– BSL की Hot Strip Mill में Laminar Strip Cooling] Hydraulic Automatic Gauge Control] Work Roll Bending] Width Control] Wedge एवं Camber Control व ट्रांसफर बार का Temperature Homogenization (सभी उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने हेतु)
– BSL व RSP की Hot Strip मिलों एवं RSP व BSP की प्लेट मिलों में उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने, अधिक उत्पादन और ऊर्जा की खपत घटाने के लिए Walking Beam RHF की स्थापना
– BSL में अत्याधुनिक Cold Rolling Mill कांप्लेक्स
– BSP में प्लेट में Hydraulic Automatic Gauge Control
– BSP में प्लेट मिल में प्लेटों की Ultrasonic जांच (प्लेटों की गुणवत्ता के आश्वासन हेतु)
– BSL के CRM की Pickling Line 1 में Hydrochloric Acid Turbulent Pickling सुविधाएं
– RSP में विशेष एप्लीकेशंस हेतु प्लेटों के लिए अत्याधुनिक Quenching व tempering सुविधाएं
– RSP में 3 LPE External Pipe coating संयंत्र

इन प्रौद्योगिकियों को संयंत्रों द्वारा अपनाया गया है/अपनाया जा रहा है और धीरे धीरे आत्मसात किया जा रहा है। कंपनी द्वारा पिछले पांच साल के दौरान कोई अन्य प्रमुख प्रौद्योगिकियों का आयात नहीं किया गया है।

कॉरपोरेट अभिशासन
निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक–IV

(क) कंपनी का दर्शन

कॉरपोरेट अभिशासन के संबंध में कंपनी कानूनों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप पारदर्शिता, प्रकटन एवं रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने, शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि के प्रधान उद्देश्य से पूरे संगठन में नैतिक आचरण को बढ़ावा देने की नीति का अनुसरण करती है और साथ ही एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में अपनी भूमिका का सफल निर्वहन करती है। यह कंपनी स्वयं को नैगम (कॉरपोरेट) अभिशासन के संबंध में देश में निर्धारित उच्चतम मानकों के अनुरूप बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह मानती है कि निदेशक मंडल सभी शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी है और निदेशक मंडल का प्रत्येक सदस्य का पहला कर्त्तव्य कंपनी के हितों की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना है।

(ख) निदेशक मंडल

31 मार्च, 2014 तक निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 6 पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यू टी डी), तथा 11 गैर–कार्यपालक निदेशक (नॉन–ई डी) (9 स्वतंत्र निदेशकों सहित)। विवेच्य वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 13 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गई थीं– 01.04.2013, 01.05.2013, 30.05.2013, 07.06.2013, 05.07.2013, 14.08.2013, 19.08.2013, 20.09.2013, 11.11.2013, 12.12.2013, 14.02.2014, 25.02.2014 तथा 28.03.2014।

विवेच्य वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना, निदेशक मंडल की बैठकों के साथ–साथ अंतिम वार्षिक बैठक में निदेशकों की उपस्थिति तथा अन्य निदेशक मंडलों में निदेशक पद के बारे में यथाप्रकटित विवरण निम्नवत है–

Name of the Director	Category of Directorship	No. of Board Meetings attended during 2013-14	Attendance at last AGM	No. of other Directorships held as on 31.3.2014 *	No. of Board Committee(s) as Chairman/Member as on 31.3.2014**
1. श्री सी.एस. वर्मा	कार्यपालक	13	हाँ	2	–
2. डॉ जगदीश खट्टर (20.08.2013 तक)	गैर–कार्यपालक स्वतंत्र	6	–	7	1–एम
3. प्रो. सुब्रत चौधरी (20.08.2013 तक)	गैर–कार्यपालक स्वतंत्र	5	–	1	1–एम
4. श्री सुमन मुखर्जी (01.05.2013 तक)	कार्यपालक	2	–	–	–
5. श्री पी.के. सेनगुप्ता (नचजव 12.01.2014)	गैर–कार्यपालक स्वतंत्र	7	हाँ	–	1–एम
6. श्री पी.सी. झा (12.01.2014 तक)	गैर–कार्यपालक स्वतंत्र	10	हाँ	–	1–सी, 1–एम
7. श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह	गैर–कार्यपालक (सरकार द्वारा नामित)	12	–	–	–
8. श्री अनिल कुमार चौधरी	कार्यपालक	13	हाँ	–	1–एम
9. डॉ. इशर जज आहलुवालिया	गैर–कार्यपालक स्वतंत्र	9	–	–	–
10. श्री सुजीत बनर्जी	गैर–कार्यपालक स्वतंत्र	12	हाँ	–	–
11. सीए. अरूण कुमार श्रीवास्तव	गैर–कार्यपालक स्वतंत्र	13	हाँ	–	1–सी
12. श्री एस.एस. मोहंती	कार्यपालक	13	हाँ	2	1–एम
13. श्री एच. एस. पति	कार्यपालक	13	हाँ	–	1–एम
14. श्री टी. एस. सुरेश	कार्यपालक	13	हाँ	–	–
15. श्री ई.के. भारतभूषण (29.04.2013 तक)	गैर–कार्यपालक (सरकार द्वारा नामित)	1	–	5	–
16. श्री कल्याण मैती	कार्यपालक	13	हाँ	–	–
17. श्री विनोद कुमार ठकराल (04.06.2013 से)	गैर–कार्यपालक (सरकार द्वारा नामित)	9	–	4	–
18. डॉ. आत्मानंद (18.07.2013 से)	गैर–कार्यपालक स्वतंत्र	8	हाँ	–	2–एम
19. श्री जे. एम. मौसकर (18.07.2013 से)	गैर–कार्यपालक स्वतंत्र	6	हाँ	–	1–एम
20. श्री बिनोद कुमार (02.12.2013 से)	गैर–कार्यपालक स्वतंत्र	4	–	1	–
21. श्री आर. एस. शर्मा. (19.02.2014 से)	गैर–कार्यपालक स्वतंत्र	2	–	7	1–एम
22. श्री एन. सी. झा (19.02.2014 से)	गैर–कार्यपालक स्वतंत्र	2	–	1	–
23. श्री डी. के. मित्तल (19.02.2014 से)	गैर–कार्यपालक स्वतंत्र	1	–	7	–
24. श्रीमती पर्मिंदर हीरा माथुर (19.02.2014 से)	गैर–कार्यपालक स्वतंत्र	2	–	–	1– एम

* निजी क्षेत्र की कंपनियों में निदेशक पद सहित

* इस उद्देश्य से सिर्फ लेखा परीक्षा समिति तथा शेयरधारकधनिवेशक शिकायत समिति पर विचार किया जाता है।

एम = सदस्य

सी = अध्यक्ष

(ग) लेखा परीक्षा समितिः

1. विचारार्थ विषयः

लेखा परीक्षा समिति का मुख्य कार्य, निदेशक मंडल को उसके निरीक्षण संबंधी दायित्वों के निर्वहन में सहायता करना है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह वित्तीय रिपोर्टीय वित्त, लेखांकन तथा प्रबंधन व निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित विधिक अनुपालन से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालीय और कंपनी की लेखा परीक्षा, लेखांकन प्रणाली तथा आम तौर पर वित्तीय रिपोर्टिंग की समीक्षा से संबंधित कार्य करती है।

लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा करती है, सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ बैठकों का आयोजन करती है, उनके निष्कर्षों, सुझावों तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करती है तथा कंपनी की लेखांकन नीतियों की समीक्षा करती है। लेखा परीक्षा समिति त्रैमासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पूर्व प्रबंधन के साथ मिलकर उनकी समीक्षा करती है।

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त निदेशक मंडल को भेजे जाते हैं, उनपर विचार–विमर्श किया जाता है तथा उनका ध्यान रखा जाता है।

2. **संघटनः**

लेखा परीक्षा समिति के बोर्ड का गठन 1998 में किया गया था। बहरहाल, सेबी की अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु 21 मार्च, 2001 को लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था और उसमें सिर्फ गैर–कार्यपालक निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। समय–समय पर लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था तथा 31.03.2014 तक इसमें सीए अरूण कुमार श्रीवास्तव, डॉ. आत्मानंद, श्री एम. जे. मौसकर, श्रीआर. एस. शर्मा और श्रीमती पर्मिंदर हीरा माथुर शामिल थे।

विगत वर्ष के दौरान समिति की आठ बैठकें आयोजित की गईं तथा बैठक में सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत रहीः

निदेशक का नाम | कितनी बैठकों में शामिल हुए

निदेशक का नाम	पद	कितनी बैठकों में शामिल हुए
सीए अरूण कुमार श्रीवास्तव	अध्यक्ष	8
डॉ. जगदीश खट्टर (20.08.2013 तक)	सदस्य	4
प्रो. सुब्रत चौधरी (20.08.2013 तक)	सदस्य	3
श्री पी.के. सेनगुप्ता (12.01.2014 तक)	सदस्य	5
श्री पी.सी.झा (12.01.2014 तक)	सदस्य	7
डॉ. आत्मानंद (18.07.2013 से)	सदस्य	3
श्री एस.एस. मोहंती (एक बैठक के लिए)	सदस्य	1

(घ) नामांकन एवं क्षतिपूर्त समितिः

(प) सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशक का नामांकन तथा नियुक्ति से संबंधित निबंधन व शर्तों का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। इसलिए नामांकन एवं क्षतिपूर्त समिति का गठन नहीं किया गया है। बहरहाल, निदेशक मंडल ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है जिसमें छह गैर–कार्यपालक निदेशक शामिल हैं जो लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कॉरपोरेट अभिशासन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के संदर्भ में कंपनी के कार्यपालकों के लिए निष्पादन से संबंधित वेतन (पी आर पी) को अंतिम रूप देने का कार्य करते हैं।

(पप) पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्यौरा निम्नवत हैः

(₹)

निदेशक का नाम	वेतन	सेवानिवृत्ति व अन्य हितलाभ	कुल
श्री सी.एस.वर्मा	2008960	2728113	4737073
श्री सुमन मुखर्जी (01.05.2013 तक)	415390	352517	767907
श्री अनिल कुमार चौधरी	1691310	1564702	3256012
श्री एस.एस. मोहंती	1729932	1750688	3480620
श्री एच एस.पति	1646208	1579192	3225400
श्री टी.एस. सुरेश	1699436	1207756	2907192
श्री कल्याण मैती	1746702	1365152	3111854
श्री बिनोद कुमार (03.12.2013 से)	603935	342371	946306
कुल	**11541873**	**10890491**	**22432364**

(iii) गैर–कार्यपालक निदेशकों (सरकार द्वारा नामित निदेशकों के अतिरिक्त को निदेशक मंडलध्निदेशक मंडल की उपसमितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए सिर्फ 20000ध्– रू. के बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

(iv) पूर्णकालिक निदेशकों के वेतन का निर्धारण सरकार द्वारा अभिशासित वेतनमानों व नियमों के अनुसार किया जाता है। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशकों को मात्र वार्षिक आधार अदा किए जा रहे निष्पादन संबंधी वेतन के अलावा किसी अन्य प्रकार के प्रोत्साहन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

(v) निबंधन व शर्तें

निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पूर्णकालिक निदेशकों का नामांकन भारत सरकार द्वारा पाँच वर्ष की अवधि या अधिवर्षिता की आयु अथवा अगले आदेश तक, इनमें जो सबसे पहले हो, के लिए किया जाता है। उन्हें निदेशक मंडल द्वारा प्रारंभ में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् कंपनी अधिनियम, 1956ध्2013 के प्रावधानों के संदर्भ में शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति प्रस्ताव पारित किया जाता है।

बहरहाल, दोनों में से कोई पक्ष तीन महीने का नोटिस अथवा उसके स्थान पर तीन महीने के वेतन का भुगतान कर नियुक्ति को समाप्त कर सकता है।

(ङ) शेयरधारकध्निवेशक शिकायत निवारण समिति

(i) एक स्वतंत्र निदेशक, नामशः डॉ. आत्मानंद की अध्यक्षता में शेयरधारकध्निवेशक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है और दो पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (कार्मिक) को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। यह समिति शेयरों के अनातंरण, तुलन–पत्र की अप्राप्ति, घोषित लाभांश की अप्राप्ति आदि के बारे में शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों की जाँच करती है।

(ii) अनुपालन अधिकारी का नाम – श्री एम.सी.जैन. सचिव

(iii) 31.03.2013 तक निवारण हेतु कोई शिकायत लंबित नहीं थी। विवेच्य वर्ष के दौरान 01.04.2013 से 31.03.2014 तक 49 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। विवेच्य वर्ष के दौरान सभी शिकायतों का समाधान कर दिया गया था तथा 31.03.2014 तक कोई शिकायत निवारणार्थ लंबित नहीं थी।

(च) आम सभा की बैठकें

जिन स्थानों पर पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का आयोजन किया गया पर वे इस प्रकार हैं–

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2011–2012	21.09.2012	प्रातः 10.30 बजे	एन डी एम सी इनडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन नई दिल्ली–110001
2010–2011	22.09.2011	प्रातः 10.30 बजे	एन डी एम सी इनडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन नई दिल्ली–110001
2009–2010	30.09.2010	प्रातः 10 बजे	एन डी एम सी इनडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन नई दिल्ली–110001

(i) गत तीन वर्षों में वार्षिक आम बैठकों में चार विशेष संकल्प पारित किए जा चुके हैं और इनमें से किसी के लिए डाक मत पत्र का प्रयोग नहीं किया।

(ii) आगामी वार्षिक आम बैठक तक डाक मतपत्र के जरिए कोई विशेष संकल्प संचालित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(छ) प्रकटन

(i) कंपनी का प्रवर्तकों, निदेशकों या उनके रिश्तेदारों अथवा, सहायक कंपनियों आदि के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेन–देन नहीं हुआ जिससे कंपनी के हितों से संघर्ष की संभावना हो। विवेच्य वर्ष के दौरान गैर–कार्यपालक निदेशकों का कंपनी के साथ कोई मौद्रिक संबंध या लेन–देन नहीं हुआ और उन्हें निदेशकमंडलध्निदेशक मंडल की उप समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु सिर्फ बैठक शुल्क का भुगतान किया गया। किसी भी गैर–कार्यपालक निदेशक के पास कंपनी का कोई शेयरध्परिवर्तनीय विलेख नहीं था।

(ii) गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अननुपालन का कोई मामला नहीं उठा, स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी

द्वारा पूँजी बाजार से संबंधित किसी मामले के लिए कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया या कोई आलोचना नहीं की गई।

(iii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) ने पहले यह सूचित किया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों तथा ष्लोक हित प्रकटन एवं सूचनादाता के संरक्षणष से संबंधित भारत सरकार के संकल्प के अनुसार सिर्फ सी वी सी ही व्हिस्ल ब्लोअर की शिकायतें प्राप्त करने वाला विनिर्दिष्ट अभिकरण है। किसी अन्य अभिकरण को इस मामले में कोई शक्ति नहीं प्रदान की गई है या नामित नहीं किया गया है। इसलिए सी वी सी ने सेल को व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी का प्रतिपादन करने की अनुमति नहीं दी थी और कंपनी ने ऐसी किसी नीति को अंगीकार नहीं किया। बाद में, सी वी सी ने केन्द्रीय सरकारी कंपनियों को व्हिस्ल ब्लोअर नीति प्रतिपादित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी।

तदनुसार, कंपनी के लिए एक पृथक व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी के मुद्दे पर विचार किया गया था और यह अनुभव किया गया था कि शिकायतकर्ता की पहचान छिपाने से संबंधित सी वी सी की वर्तमान प्रणाली कॉरपोरेट अभिशासन के अन्तर्गत व्हिस्ल ब्लोअर प्रक्रिया की अपेक्षाओं के अनुरूप है। एक पृथक कंपनी सापेक्ष नीति निर्माण से न केवल सी वी सी की वर्तमान प्रक्रिया का दुहराव होगा बल्कि कंपनी के स्तर पर कार्रवाई की स्थिति में यह संभावित प्रकटन दोष से प्रभावित होगा और इसे अप्रभावी बना देगा। इसलिए यह निर्णय किया गया है कि सेल में एक पृथक नीति बनाने के स्थान पर व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी के अन्तर्गत सी वी सी को शिकायतें अग्रेषित किया जाना जारी रखा जाए। सेल में व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सी वी सी की जन सूचना की एक प्रति और उसके साथ सी वी सी की व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी और इस बारे में भारत सरकार की अधिसूचना को कंपनी की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। हालांकि कंपनी ने सी वी सी की व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी को अंगीकार किया है तथापि इसने किसी कार्मिक को किसी मुद्दे के बारे में लेखा परीक्षा समितिध्प्रबंधन को अवगत कराने से रोका नहीं है।

(iv) वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज के सूचीकरण करार के खण्ड 49 की अनिवार्य अपेक्षाओं तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, सिर्फ 11.02.2013 से 31.03.2013 तक की छोटी सी अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संघटन से संबंधित अपेक्षाएँ पूरी नहीं की जा सकी। बहरहाल, 01.04.2013 से 30.04.2013 तक, 04.06.2013 से 18.07.2013 तक और 20.08.2013 से 18.02.2014 तक की कम अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशकों की कुछ संख्या में कमी थी, तथापि लिस्टिंग एग्रीमेंट के तहत निर्धारित अवधि के भीतर रिक्ति(यों) को भर दिया गया। साथ ही, कंपनी ने कथित खण्ड 49 की गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरी तरह अंगीकार नहीं किया है।

(v) इस्पात मंत्रालय की फाइल सं. 7(12)ध्2008 – सेल (पी सी), दिनांक 5 अक्तूबर, 2009 के माध्यम से सेल में निदेशक मंडल स्तर के तथा निदेशक मंडल स्तर नीचे के कार्यपालकों के वेतनमान में संशोधन के लिए राष्ट्रपतिक दिशानिर्देश जारी किया था। कंपनी ने इसका और साथ ही अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित दिशानिर्देशों अनुपालन किया है।

(ज) संचार के माध्यम

अपेक्षानुसार तिमाही परिणामों का प्रकाशन निम्नलिखित तारीखों को प्रमुख समाचार पत्रों में किया गया है:

को समाप्त तिमाही	30.06.2013	30.09.2013	31.12.2013	31.03.2014
प्रकाशन की तारीख	15.08.2013	12.11.2013	15.02.2014	29.05.2014
समाचार–पत्र का नाम	मिंट (अंग्रेजी), हिंदुस्तान (हिन्दी)	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) जनसत्ता (हिन्दी)	मिंट (अंग्रेजी), बिजनस भास्कर (हिन्दी)	बिजनस लाइन (अंग्रेजी), इकोनॉमिक्स टाइम्स (हिन्दी)

तिमाही/वार्षिक परिणाम कंपनी की वेबसाइट www-sail-co-in पर उपलब्ध कराए जाते है। कंपनी अपनी वेबसाइट पर आधिकारिक समाचार प्रकाशनी का प्रदर्शन करती है।

प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के भाग हैं।

(i) सामान्य शेयरधारकों को जानकारी

(i) वार्षिक आम बैठक 23 सितम्बर, 2014 को एन डी एम सी इनडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ii) वित्तीय वर्ष: 1 अप्रैल, 2013–31 मार्च, 2014

(iii) बही बंद करने की तारीखः 12 अगस्त, 2014 से 29 अगस्त, 2014 (दोनों दिन शामिल)

(iv) कंपनी ने 20 फरवरी, 2014 को दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर 2.02 रुपए के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया। निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कोई अंतिम लाभांश प्रस्तावित नहीं किया है।

(v) कंपनी के शेयर निम्नलिखित शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं–

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
फिरोज जीजीभाई टावर्स,
दलाल स्ट्रीट फोर्ट, मुम्बई–400001
(स्टॉक कोड सं. 500113)

द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड
प्लॉट न. सी/1, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
(कोडः सेल)
द लन्दन स्टॉक एक्सचेंज
10 पेटरनोस्टर स्क्वायर, लंदन ई सी 4 एम 7 एल एस, यू के
वर्ष 2013–14 के वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया गया है।

(vi) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गत वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान प्रत्येक माह में कंपनी के शेयरों की अधिकतम व न्यूनतम बोली निम्नवत रहीः–

माह एवं वर्ष	सेन्सेक्स		बी एस ई में सेल		निफ्टी		एन एस ई में सेल	
	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल, 13	19622.68	18144.22	65.20	56.40	5962.30	5477.20	65.40	56.40
मई, 13	20443.62	19451.26	65.60	55.80	6229.45	5910.95	65.70	55.85
जून '13	19860.19	18467.16	58.00	48.10	6011.00	5566.25	61.25	48.10
जुलाई '13	20351.06	19126.82	53.35	38.05	6093.35	5675.75	53.35	37.90
अगस्त '13	19569.20	17448.71	48.25	37.65	5808.50	5118.85	49.20	37.60
सितम्बर '13	20739.69	18166.17	53.70	45.80	6142.50	5318.90	53.70	45.80
अक्तूबर '13	21205.44	19264.72	63.20	49.20	6309.05	5700.95	63.10	49.15
नवम्बर '13	21321.53	20137.67	68.75	60.85	6342.95	5972.45	68.75	60.75
दिसम्बर '13	21483.74	20568.70	73.40	68.00	6415.25	6129.95	73.50	67.60
जनवरी '14	21409.66	20343.78	74.80	63.75	6358.30	6027.25	74.90	63.65
फरवरी '14	21140.51	19963.12	64.55	54.05	6282.70	5933.30	65.50	54.05
मार्च '14	22467.21	20920.98	73.95	54.30	6730.05	6212.25	73.80	54.10

(vii) रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेण्ट
मेसर्स एम सी एस लिमिटेड,
एफ–65, प्रथम तल, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया
फेज–I नई दिल्ली– 110020
फोन– 011–41406149

(viii) शेयर अंतरण प्रणाली
कंपनी के इक्विटी शेयरों की सौदेबाजी अनिवार्यतः डिमेरियलाइज्ड फार्म में की जाती है। निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति नियमित अंतराल पर बैठकों का आयोजन करती है ताकि सूचीकरण करार के अन्तर्गत शेयर अंतरण के संबंध में विहित समय–सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी की जा सके।

ix) 31, मार्च 2014 तक शेयरधारिता का वितरण

शेयरधारिता	शेयरधारक		राशि	
	संख्या	कुल का प्रतिशत	रूपये में	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
500 तक	357840	91.07	422931560	1.02
501-1000	19163	4.99	191630	0.37
1001-2000	8480	2.16	129275290	0.31
2001-3000	2565	0.65	65604580	0.15
3001-4000	1134	0.29	40940810	0.09
4001-5000	927	0.24	43798690	0.10
5001-10000	1251	0.32	91744240	0.22
10001- 50000	789	0.20	159850610	0.38
50001- 100000	83	0.02	60097380	0.14
100000 से अधिक	225	0.06	40137003110	97.17
कुल	**392457**	**100.00**	**41305252890**	**100.00**

x) **31 मार्च 2014 तक शेयरधारिता का पैटर्नः**

	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
A.	**प्रवर्तक शेयरधारिता**		
1	प्रवर्तक		
	- भारतीय प्रवर्तक अर्थात **भारत सरकार**	3,30,42,93,713	80.00
	- विदेशी प्रवर्तक	-	
2	सामूहिक रूप से कार्यरत व्यक्ति	-	
	उप–जोड़	3,30,42,93,713	80.00
B	**गैर प्रवर्तक शेयरधारिता**		
3	संस्थागत निवेशक		
a	म्यूचूअल फंडस तथा यू टी आई	2,92,63,779	0.71
b	बैंक व वित्तीय संस्थान	12,95,13,499	3.14
c	बीमा कंपनियां	29,29,53,452	7.09
d	विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs)	24,16,84,645	5.85
	उप–जोड़	69,34,15,375	16.79
4	**अन्य**		
a	निजी कॉरपोरेट निकाय	1,91,46,284	0.46
b	भारतीय जनता	10,84,10,032	2.62
c	अनिवासी भारतीय / ओ सी बी	48,05,700	0.12
d	कोई अन्य(कृपया स्पष्ट करें) जी डी आर	4,54,185	0.01
	उप–जोड़	13,28,16,201	3.21
	कुल जोड़	**4,13,05,25,289**	**100.00**

xi) **Status of dematerialization as on 31.03.2014:**

विवरण	शेयरों की संख्या	पूँजी का प्रतिशत	खातों की संख्या
एन एस डी एल	4,09,91,42,360	99.24	240816
सी डी एस एल	2,46,00,237	0.60	99866
कुल डिमेटरियालाइज्ड	**4,12,37,42,597**	**99.84**	**340682**
भौतिक– भारत सरकार'	0	0	0
भौतिक– अन्य शेयरधारक	67,82,692	0.16	51775
कुल	**4,13,05,25,289**	**100.00**	**392457**

xii) **आचार संहिता**

कंपनी की एक आचार संहिता है जो निदेशक मंडल के सदस्यों के साथ–साथ वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए लागू है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2014 को आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की है।

xiii) **कंपनी के संयंत्रध्सहायक कंपनियाँ निम्नलिखित स्थानों पर अवस्थित हैं:**

इस्पात संयंत्र

- भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई– 490001, छत्तीसगढ़
- दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर, 713203, पश्चिम बंगाल
- राऊरकेला इस्पात संयंत्र, राऊरकेला– 769011, उड़ीसा
- बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो स्टील सिटी– 827001, झारखण्ड
- इस्को इस्पात संयंत्र, बर्नपुर –713325, प. बंगाल
- एलॉय इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर, 713208, प. बंगाल
- सलेम इस्पात संयंत्र, सलेम– 636013, तामिलनाडु
- विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील प्लाण्ट, भद्रावती– 577031, कर्नाटक
- चन्द्रपुर फेरोएलॉय संयंत्र, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र

यूनिट

- केन्द्रीय कोयला आपूर्ति संगठन, धनबाद– 828127, झारखण्ड
- केन्द्रीय विपणन संगठन, इस्पात भवन, 40, जवाहर लाल नेहरू रोड, कोलकाता– 700071, प. बंगाल
- इजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, राँची– 834002, झारखण्ड
- पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग, 6, गणेश चन्द्र एवेन्यू, पंचमतल, कोलकाता– 700071, प. बंगाल
- विकास प्रभाग, 97, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता– 700016. प. बंगाल
- कच्ची सामग्री प्रभाग, 10, कैमक स्ट्रीट, इण्डस्ट्री हाऊस, कोलकाता– 700017, प. बंगाल
- लौह एवं इस्पात अनुसंधान व विकास केन्द्र, रांची– 834002, झारखण्ड
- सेल परामर्शदायी प्रभाग, 16–20 फ्लोर, स्कोप मीनार, नॉर्थ टावर, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेण्टर, दिल्ली– 110092,
- सेल सुरक्षा संगठन, राँची– 834002, झारखण्ड
- सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट, बोकारो–827001, झारखण्ड

सहायक कंपनियाँ

- इस्को उज्जैन पाइप एण्ड फाउण्ड्री कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता (परिसमपनाधीन)।
- सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड, नई दिल्ली–110003
- सेल रिफ्रैक्टरी कम्पनी लिमिटेड, सलेम–636013, तामिलनाडु
- सेल सिन्दरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, चासनाला– 828135, झारखण्ड

(xiv) **शेयरधारकों द्वारा किसी पूछताछध्शिकायत के लिए पता, यदि हों तोः**
मेसर्स एम सी एस लिमिटेड,
एफ– 65, प्रथम तल, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया
फेज–1, नई दिल्ली– 110020
फोन– 91–11–41406149
फैक्स सं. 91–11–41709881
ई मेलः admin@mcsdel-com

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

(Annexure – 'V' to the Directors' Report)

To

The Members of
Steel Authority of India Limited

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by Steel Authority of India Limited for the year ended 31st March, 2014, as stipulated in clause 49 of the Listing Agreements of the said company with the various stock exchanges and the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, issued by the Government of India, Department of Public Enterprises (DPE), New Delhi.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to a review of the procedures and implementation thereof, adopted by the company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreements and DPE's guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the company, as per the records maintained by the Company.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For S.K. Mittal & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 001135N

-Sd-
[M.K. Juneja]
Partner
(M. No. 013117)

For O.P. Totla & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 000734C

-Sd-
[S.K. Acharya]
Partner
(M. No. 078371)

For B.N. Misra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 321095E

-Sd-
[S.C. Dash]
Partner
(M. No. 050020)

Place : New Delhi
Date : 06.08.2014

व्यापारिक दायित्व रिपोर्ट

खण्ड क: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1. कॉरपोरेट आइडेन्टिटी नंबर (सीआईएन) : एल 27109 डीएल 1973 जीओआई 006454
2. कंपनी का नाम : स्टील ऑथोरिटी ऑफ इ.डिया लिमिटेड
3. पंजीकृत पता : इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003
4. वेबसाइट : www.sail.co.in
5. ई–मेल आई डी : investor.relation@sailex.com
6. रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष : 2013–14
7. जिस क्षेत्र में कंपनी कार्यरत है (कोड–वार औद्योगिक गतिविधियां) :
   इस्पात तथा इस्पात उत्पादों का विनिर्माण
   नेशनल इण्डस्ट्रियल क्लासीफिकेशन (एन आई सी) कोड : 330
8. उन तीन उत्पादों/सेवाओं का उल्लेख करें जिनका कंपनी विनिर्माण करती है/प्रदान करती है : (जैसा तुलन–पय में हो)
   i) हॉट राल्ड तथा कोल्ड राल्ड स्टील प्रोडक्ट का विनिर्माण
   ii) रेल विनिर्माण
   iii) प्लेट, वायर रॉड का निर्माण
9. उन सभी स्थानों की संख्या जहां कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों का निष्पादन किया जाता है :
   i) अंतर्राष्ट्रीय संस्थान : शून्य
   ii) सेल अपने स्वामित्वाधीन पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र का प्रचालन करती है:– भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला तथा बर्नपुर तथा तीन विशेष इस्पात संयंत्र सेलम, दुर्गापुर एवं भद्रावती में हैं। अन्य एकक, चन्द्रपुर फेरो–एलॉय संयंत्र (सी एफ पी) में फेरो–मिश्र धातु का उत्पादन किया जाता है। बोकारो में सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट (एस आर यू) भी है तथा झारखण्ड व छत्तीसगढ़ में चार रिफ्रैक्टरी विनिर्माण एकक है।

   इन एककों के अतिरिक्त, सेल के निम्नलिखित अन्य एकक हैं :
   - कुल्टी, पश्चिम बंगाल में सेल ग्रोथ वर्क्स
   - झारखण्ड में किरीबुरू, मेघातबुरू, गुआ, मनोहरपुर (चिरिया) तथा ओडिसा में बोलानी, कालटा, बरसुआ (तालडीह सहित) में कच्ची सामग्री प्रभाग (लौह अयस्क खान)
   - छत्तीसगढ़ में राजहरा ग्रुप, डल्ली ग्रुप, रावघाट में बी एस पी खान (लौह अयस्क)
   - एम पी में कुटेश्वर, भवनाथपुर, झारखण्ड में तुलसीडामर में आर एम डी (फ्लक्स)
   - छत्तीसगढ़ में नन्दिनी, हिर्री, बारादुअर में बी एस पी खान (फ्लक्स)
   - कर्नाटक में भादीगुंड, कंचपुडा में वीआईएसपी खान (फ्लक्स)
   - झारखण्ड में चासनाला, जितपुर, तसरा, सीतानाला तथा पश्चिम बंगाल में रामनगर में कोलियरी प्रभाग (कोयला खान)
   - कोलकाता में केंद्रीकृत विपणन संगठन मुख्यालय
   - केंद्रीय कोल आपूर्ति संगठन, धनबाद
   - दिल्ली में सेल परामर्शदायी प्रभाग
   - रांची में लौह एवं इस्पात अनुसंधान व विकास केंद्र, रांची में सेल सुरक्षा सगठन, सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, रांची तथा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, रांची
   - कोलकाता में पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग, कोलकाता में विकास प्रभाग
   - राउरकेला में केंद्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान
   - कोलकाता में परिवहन व नौवहन से संबंधित कुछ अन्य एकक

   सेल के अखिल भारतीय वितरण नेटवर्क (सी सी ओ) तथा 67 भाण्डागार शामिल हैं।
10. कंपनी ने जिन बाजारों का सर्वेक्षण किया : स्थानीय/राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय : राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय

खण्ड ख : कंपनी का वित्तीय ब्यौरा

1. चुकता पूंजी (भारतीय ₹ में : 4130.53 करोड़
2. कुल कारोबार (भारतीय ₹ में) : 5186 करोड़
3. कर पश्चात कुल लाभ (भारतीय ₹ में) : 2616–48 करोड़
4. कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर कुल व्यय: (%) : 1.71%
5. उन कार्यों की सूची जिन पर मद सं. 4 के अंतर्गत व्यय किया गया है
   क. शिक्षा
   ख. स्वास्थ्य देखभाल
   ग. महिला सशक्तिकर.ा
   घ. आय अर्जन तथा आजीविका
   ङ. जलापूर्ति ,वं सफाई
   च. अवसंरचना विकास
   छ. खेल–कूद कला एवं संस्कृति
   ज. विभिन्न विकलांगता वाले व्यक्ति

खण्ड ग : अन्य ब्यौरा

1. **क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?**
   जी हां, कंपनी की तीन सहायक कंपनियां हैं, नामशः
   क. सेल रिफ्रैक्ट्री कं. लिमिटेड (एस आर सी एल)
   ख. सेल जगदीश पावर प्लांट लिमिटेड
   ग. सेल सिंदरी प्रोजेक्टस लिमिटेड
2. **क्या सहायक कंपनी/सहायक कंपनियां मूल कंपनी की बी आर से संबंधित पहल में भागीदारी करती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी/कंपनियों की संख्या बताएं:**
   व्यापारिक दायित्व से संबंधित मूल कंपनी की पहल सहायक कंपनियों के मामले लागू हैं।
3. **क्या बी आर से संबंधित कंपनी की पहल में कोई अन्य निकाय (अर्थात आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि), जिसके साथ कंपनी व्यापार करती है, भाग लेता है। यदि हां, तो ऐसे निकाय/निकायों की प्रतिशतता बताएं (30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक)**
   नहीं

खण्ड घ : बी आर से संबंधित जानकारी

1. बी आर के लि, उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा
   (क) बी आर नीति/नीतियों के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा
   - डी आई एन नंबर 05283445
   - नाम एच एस पति
   - पदनाम निदेशक (कार्मिक)
   - बी आर प्रमुख का ब्यौरा

क्रम सं	विवरण	विवरण
1	डी आई एन सं– (यदि लागू हो)	00101601
2	नाम	एम.सी.जैन
3	पदनाम	कंपनी सचिव
4	टेलीफोन नं.	011–24368104
5	ई–मेल आईडी.	secy-sail@sailex.com

2. **सिद्धान्तवार (एन वी जी के अनुसार) बी आर नीति/नीतियों/(हां/ना में उत्तर दें)**
   कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा व्यापार से संबंधित सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक दायित्वों के संबंध में जारी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एन वी जी) में व्यापारिक दायित्वों के 9 क्षेत्रों को अंगीकार किया गया है। संक्षेप में ये निम्नवत हैं :
   पी1 – व्यापार का संचालन व अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के आधार पर होना चाहिए।
   पी2 – व्यापार में उपलब्ध करायी जाने वाली वस्तुएं एवं सेवाएं सुरक्षित होनी चाहिए और उन्हें अपनी सम्पूर्ण अवधि के दौरान सतत विकास में योगदान करना चाहिए।
   पी3 – व्यापार में सभी कर्मचारियों के कल्याण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
   पी4 – व्यापार में सभी हितधारकों, खासकर जो वंचित, असुरक्षित तथा वियुक्त हों, के हितों का सम्मान किया जाना चाहिए।
   पी5 – व्यापार में मानवाधिकारों का सम्मान व संवर्धन किया जाना चाहिए।
   पी6 – व्यापार में पर्यावरण के प्रति सम्मान व संरक्षण का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए तथा उसके पुनर्स्थापना का प्रयास किया जाना चाहिए।
   पी7 – यदि व्यापार का संबंध आम जनता तथा विनियामक नीतियों को प्रभावित करने से हो तो ऐसा उत्तरदायी तरीके से किया जाना चाहिए।
   पी8 – व्यापार में सर्वसमावेशी विकास तथा औचित्यपूर्ण प्रगति का समर्थन किया जाना चाहिए।
   पी9 – व्यापार में ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं से उत्तरदायी तरीके से संपर्क रखा जाना चाहिए और उनको महत्व दिया जाना चाहिए।

क्रम सं.	प्रश्न	व्यापारिक नैतिकता	उत्पाद उत्तरदायित्व	कर्मचारियों का कल्याण	हितधारकों से संपर्क तथा सी एस आर	मानवाधिकार	पर्यावरण	जन नीति	सी एस आर	ग्राहकों से संबंध
		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास निम्न से संबंधित नीति/नीतियां हैं........	हां	हां कंपनी में गुणवत्ता व पर्यावरण नीतियां हैं जो सुरक्षित व टिकाऊ उत्पाद सुनिश्चित करती है	हां	हां इसे कंपनी की व्यापार संचालन व नीति संहिता, मानव संसाधन नीतियों तथा अन्य मानव संसाधन पद्धतियों में शामिल किया गया है	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
2	क्या नीति का प्रतिपादन संबंधित हितधारकों के परामर्श से किया गया है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं?	हां	–	हां	नहीं	–	हां	–	हां	–
4	क्या नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है ? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक /स्वामी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
5	क्या कंपनी में निदेशक मंडल की कोई विनिर्दिष्ट समिति/निदेशक/अधिकारी है जो नीति के कार्यान्वयन का निरीक्षण करता है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
6	नीति के ऑन लाइन अवलोकन हेतु लिंक का उल्लेख करें।	–	–	–	/	–	–	–	/	–
7	क्या सभी आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से नीति से अवगत करा दिया गया है?	हां	–	हां (आंतरिक हितकारों को)	हां	–	हां	–	हां	–
8	क्या कंपनी में नीति/नीतियों के कार्यान्वयन की कोई आंतरिक संरचना है?	हां	–	हां	नहीं	–	नहीं	–	नहीं	–
9	क्या कंपनी में ऐसी कोई शिकायत निवारण प्रणाली है जो नीति/नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों का निवारण करे ?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
10	क्या कंपनी ने इस नीति के कार्यकरण के बारे में किसी आंतरिक अथवा बाह्य अभिकरण से स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है ?	नहीं	–	नहीं	नहीं	–	हां	–	हां	–

2.क. यदि क्रम सं. 1 में उल्लिखित किसी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया कारण बताएं (2विकल्पों तक पर चिन्ह लगाएं)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी 9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को समझा नहीं है	–	–	–	–	–	–	–	–	
2.	कंपनी ऐसी अवस्था में नहीं है किवह विशिष्ट सिद्धांतों से संबंधित नीतियों का प्रतिपादन व कार्यान्वयन कर सके	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	कंपनी के पास इस कार्य के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधन एवं श्रमशक्ति नहीं है	–	–	–	–	–	–	–	–	
4.	यह कार्य आगामी छः माह में किए जाने की योजना है	–	–	–	–	–	–	–	–	
5.	यह कार्य आगामी एक वर्ष में किए जाने की योजना है	–	–	–	–	–	–	–	–	
6.	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)	–	–	–	–	–	–	इस्पात के क्षेत्र में कंपनी अग्रणी स्थिति में है और अनेक अग्रगामी उपलब्धियां हासिल करने का रिकार्ड है तथा कंपनी ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से वार्ता करके इन उपलब्धियों का लाभ देश के संपूर्ण इस्पात उद्योग को पहुंचाया है। इसलिए किसी औपचारिक नीति का अनुभव नहीं किया गया है।		ग्राहकों की आवश्यकताओं का निर्धारण करने और उनके संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए कंपनी में प्रणाली एवं प्रकियाएं विद्यमान हैं। नियमित आधार पर ग्राहकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ग्राहक संतुष्टि सूचकांक की परिगणना की जाती है तथा ग्राहकों की शिकायत का निवारण करने की भी प्रणाली है।

* http://sail.co.in/pdf/corporateenvironmentalpolicy.pdf

@ http://sail.co.in/pdf/csrpolicy.pdf

3. **बी आर से संबंधित अभिशासन :**
   - **यह बताएं कि निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी कंपनी के बी आर निष्पादन का मूल्यांकन कितनी बार करते हैं। 3 माह में, 3–6 माह में, एक वर्ष से अधिक में।**
     3–6 माह
   - **क्या कंपनी बी आर से संबंधित या दीर्घावधिकता रिपोर्ट (सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट) प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को कैसे देखा जा सकता है? यह कितनी अवधि में प्रकाशित की जाती है?**
     जी हां, कंपनी रिपोर्ट को मुद्रित रूप में प्रकाशित करती है। वेबसाइट अद्यतनीकरण के लिए इसे वर्ष के मध्य में इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में कंपनी की वेबसाइट पर भी डाल दिया जाता है। कंपनी की दीर्घावधिकता रिपोर्ट के लिए हाइपरलिंक है http://www.sail.co.in/

खण्ड ङ : सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1 : व्यापार का संचालन व अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के आधार पर होना चाहिए।

1. **क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी तथा भ्रष्टाचार से संबंधित नीतियों में केवल कंपनी ही शामिल है ? हां / नहीं**
   क्या यह समूहों / संयुक्त उद्यमों / आपूर्तिकर्ताओं / संविदाकारों / गैर–संविदाकारी संगठनों / अन्यों के मामले में भी लागू है ?
   जी नहीं, इस संबंध में सेल द्वारा कार्यान्वित नीतियों में कंपनी के कर्मचारियों के साथ–साथ आपूर्तिकर्ताओं / संविदाकारों / बोलीदाता आदि भी शामिल हैं। कंपनी ने आचरण, अनुशासन व अपील (सीडीए) नियमावली बनाई है जिसमें आचरण संहिता का प्रावधान है और जो कंपनी के अधिसंख्य कार्यपालकों के लिए लागू हैं जबकि गैर–कार्यपालक कामगारों को सेल के संबंधित संयंत्र / एकक के स्थायी आदेश (कामगार संघ तथा सरकार के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय समझौता) में उल्लिखित आचरण / कदाचार संहिता के अंतर्गत शामिल किया गया है।
   जुलाई, 2007 से कंपनी ने ₹ 100 करोड़ या इससे अधिक मूल्य की सभी संविदाओं / प्रापणों के मामले में निष्ठा समझौता लागू कर दिया है। बाद में अधिक संविदाओं / प्रापणों को शामिल करने के लिए प्रारंभिक मूल्य ₹ 20 करोड़ होने की स्थिति में भी निष्ठा समझौता लागू कर दिया गया। सेल से व्यापार करने पर प्रतिबंध से संबंधित दिशानिर्देशों को लागू कर दिया गया है और इसे निष्ठा समझौता का भाग बना दिया गया है और उसमें यह उल्लेख किया गया है कि निष्ठा समझौता के हस्ताक्षरकर्ताओं को भ्रष्टाचार एवं रिश्वत सहित अनैतिक कार्यों में लिप्त पाए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा इनमें से कितने प्रतिशत का समाधान संतोषप्रद ढंग से किया गया? यदि हां, तो करीब 50 शब्दों में इसका ब्यौरा दें।**
   वर्ष 2013–14 में केंद्रीय सतर्कता आयोग, इस्पात मंत्रालय सहित विभिन्न स्रोतों से कुल 791 शिकायतें सेल में प्राप्त हुई थीं। कंपनी में में वर्तमान में जिन प्रणालियों, प्रक्रियाओं, नीतियों आदि का अनुसरण किया जा रहा है उनके संदर्भ में इन शिकायतों पर विचार किया गया था तथा इन शिकायतों में पाई गई विचलनों के मामले में प्रणालीगत सुधार व नियमानुसार कार्रवाई की सलाह दी गई थी तथा प्रबंधन ने भी इन्हें लागू करने पर अपनी सहमति दी थी। अतः यह माना जा सकता है कि प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार 100 प्रतिशत शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है।

सिद्धांत 2 : व्यापार में उपलब्ध कराई जाने वाली वस्तुएं एवं सेवाएं सुरक्षित होनी चाहिए और उन्हें अपनी सम्पूर्ण अवधि के दौरान सतत विकास में योगदान करना चाहिए।

1. **आप अपने ऐसे तीन उत्पादों या सेवाओं की सूची प्रस्तुत करें जिसके डिजायन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिन्ताओं, जोखिमों और / अथवा अवसरों को शामिल किया गया है।**
   i. टी एम टी ई क्यू आर (ताप–यांत्रिकी उपचारित)
   ii. ई क्यू आर ई 250 ग्रेड प्लेट्स
   iii. हल्के ऑटो उपकरणों के लिए अत्यधिक मजबूत कोल्ड रोल स्टील
2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए संसाधनों के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री आदि) के संदर्भ में प्रति इकाई उत्पाद के मामले में निम्न ब्यौरा दें (स्वैच्छिक) :

i) **गत वर्ष से संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में स्रोत से प्राप्ति / उत्पादन / वितरण में कमी**

प्रति इकाई उत्पाद में उपभोग	चालू वर्ष	गत वर्ष
विशिष्ट ऊर्जा की खपत (गीगा कैलोरी / टन कच्चा इस्पात)	6.59	6.68
विशिष्ट जल की खपत (घन मी. / टीसीएस)	3.67	3.73
विविक्त पदार्थ (पी एम) उत्सर्जन भार (कि.ग्रा. / टीसीएस)	0.86	0.88

ii) **गत वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग (ऊर्जा, जल) के दौरान कितनी कमी आई ?**
यह जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

3. **क्या कंपनी में स्रोतों से सतत प्राप्ति (परिवहन सहित) की समुचित प्रकियाएं हैं? यदि हां, तो निविष्टियों का कितना प्रतिशत टिकाऊ व सुरक्षित ढंग से प्राप्त किया गया। करीब 50 शब्दों में इनका विवरण भी दें।**
   सेल आज उपलब्ध प्रौद्योगिकी से कच्चे माल का उपयोग करने में बहुत ही दक्ष है। इस्पात बनाने में जरूरी मुख्य कच्चा माल में अयस्क, कोल, चूना–पत्थर, डोलोमाईट आदि शामिल हैं। अयस्क और फ्लस्क केप्टिव खानों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश संयंत्र के पास अवस्थित हैं और अधिकांश के पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (EMS) – ISO-14001 प्रमाणन है जिससे अधिकतम संवेदनशीलता सुनिश्चित होती है। केवल कोकिंग कोल ऐसा कच्चा माल है, जो आयात किया जाता है और केपसाइज पोतों में मुख्य रूप से लाया जाता है तथा इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमुख कंपनियों से प्राप्त किया जाता है, जो उनके पर्यावरण संबंधी संकेतों को न्यूनतम करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इस्पात बनाने के लिए विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस्पात संयंत्रों के केप्टिव विद्युत संयंत्रों में कोयले का भी उपयोग किया जा रहा है। समस्त कच्चे माल की ढुलाई रेल से की जाती है।
4. **क्या कंपनी में स्थानीय तथा छोटे उत्पादकों, कार्यस्थल के इर्द–गिर्द समुदायों सहित, से माल व सेवाओं का प्रापण करने की दिशा में कोई कार्रवाई की गई है। यदि हां, तो स्थानीय एवं छोटे विक्रेताओं की क्षमता व दक्षता में सुधार के लिए क्या उपाए किए गए हैं?**
   कंपनी में निकटवर्ती उपयुक्त आपूर्ति स्रोतों से मालों व सेवाओं का प्रापण करने की नीति है।
5. **क्या कंपनी में उत्पादों व अपशिष्टों के पुनर्चकण की कोई प्रणाली है? यदि हां, तो उत्पादों एवं अपशिष्टों के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है। (पृथकतः < 5%, 5-10%, >10%) इनका भी ब्यौरा लगभग 50 शब्दों में दें।**
   लोहा और इस्पात बनाने के दौरान निकले मुख्य अवशिष्ट में बी.एफ. और एस.एम.एस स्लैग शामिल हैं (जिसमें कुल अवशिष्ट का 90 प्रतिशत शामिल है) स्लैग का आंतरिक रूप से लाभप्रद उपयोग किया जाता है और अन्य उत्पादों का उत्पादन करने के लिए बाहरी एजेंसियों को बेचे जाते हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान 86.4 % BF स्लैग तथा 80.3% BOF स्लैग का उपयोग किया गया था।
   बी.एफ. डस्ट, मिल स्केल, चूना पत्थर, डोलो फाईंस जैसे अवशिष्टों तथा रिफ्रेक्टरी अवशिष्टों का भी आन्तरिक तौर पर उपयोग किया जाता है तथा बाहरी एजेंसियों को बेचे जाते हैं।
   वर्ष 2013–14 के दौरान कुल ठोस अवशिष्ट उपयोग 87.5% था, जिसमें से 34.5% अवशिष्ट का आन्तरिक रूप से पुनः उपयोग किया गया।
   कोक ओवन गैस, बी एफ गैस तथा एल डी गैस जैसी सह उत्पाद ,गैस संयंत्रों की अलग–अलग दुकानों में ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अवशिष्ट तेल, स्पेंट तेल, और उपयोग किए गए तेल का या तो पुनः उपयोग किया जाता है अथवा पंजीकृत पुनः चक्रण करने वालों को बेचा जाता है।

सिद्धांत 3: व्यापार में सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं :**
   1 / 4 / 2014 तक सेल में, कर्मचारियों की कुल संख्या 97897 थी (कार्यपालक 14780, गैर कार्यपालक 83117)

2. **कृपया अस्थायी/संविदा/अनियत आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या बताएं –**
   1.4.2014 तक सेल के संयंत्रों / एककों में संविदा श्रमिकों की संख्या : 84320 (परियोजनाओं/आधुनिकीकरण सहित)
3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं–**
   1.4.2014 तक सेल में स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 5612 (कार्यपालक : 1015 गैर कार्यपालक 4597)
4. **कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या बताएं –**
   1.4.2014 तक सेल के संयंत्रों /एककों में स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या 852 थी। (कार्यपालक : 118 गैर कार्यपालक 734)
5. **क्या कंपनी में कोई कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन से मान्यता प्राप्त है?**
   जी हां। नियमित गैर कार्यपालक कर्मचारियों के मामले में राष्ट्रीय इस्पात उद्योग संयुक्त समिति (एन जे सी एस) शीर्ष निकाय है जिसमें आईएनटीयूसी, आईटीयूसी, एचएमएस तथा सीआईटीयू के केन्द्रीय व्यापारिक श्रम संगठनों के प्रतिनिधि तथा संयंत्रों के मान्यता प्राप्त संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कार्यपालक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व संबंधित संयंत्र के अधिकारी संघ द्वारा किया जाता है। अधिकारी संघ भारतीय इस्पात कार्यपालक संघ (एस ई एफ आई) से संबद्ध होते हैं।
6. **कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन का सदस्य है?**
   सेल के सभी गैर कार्यपालक कर्मचारी एन जे सी एस के निर्णयों के अंतर्गत आते हैं। सभी कार्यपालक भारतीय इस्पात कार्यपालक संघ के निर्णयों के अंतर्गत आते हैं।
7. **कृपया बाल श्रम, बेगार, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न के मामले में गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा दें तथा वित्तीय वर्ष के अंत तक इनमें से कितनी शिकायतें लंबित हैं?**
   बाल श्रम, बेगार, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न आदि के संबंध में प्राप्त शिकायतों तथा वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	श्रेणी	वित वर्ष के दौरान दर्ज मामलों की संख्या	वित वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रम, बेगार, अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2.	यौन उत्पीड़न	4	1
3.	सेवा में भेद–भाव	शून्य	शून्य

8. **आपके निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को पिछले वर्ष सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था?**
   - स्थायी कर्मचारी
   - स्थायी महिला कर्मचारी
   - अनियत/अस्थायी/संविदा कर्मचारी
   - विकलांग कर्मचारी

   व्यक्ति, संगठन तथा व्यवसाय की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकता के आधार पर महिला तथा विकलांग कर्मचारियों सहित सभी स्थायी कर्मचारियों को सुरक्षा एवं कौशल्य उन्नयन प्रशिक्षण (तकनीकी/प्रबंधकीय/कार्यमूलक) प्रदान किया जाता है। वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 48127 कर्मचारियों को सुरक्षा व कौशल्य उन्नयन विषयक विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किए गए थे। सेल में आधुनिकीकरण व विस्तार का कार्य जारी है जिसमें संविदा श्रमिकों को विभिन्न कार्यों में लगाया जाता है। सभी संविदा श्रमिकों को सुरक्षा जागरूकता से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है और यह संयंत्र परिसर में प्रवेश हेतु गेट पास के लिए अनिवार्य है। कार्यस्थल पर कार्य के दौरान संविदा श्रमिकों के कौशल्य उन्नयन का भी ध्यान रखा जाता है।

सिद्धान्त 4: व्यापार में सभी हितधारकों, खासकर जो वंचित, असुरक्षित तथा वियुक्त हों, के हितों का सम्मान किया जाना चाहिए।

1. **क्या कंपनी ने उपर्युक्त में से वंचित, असुरक्षित तथा वियुक्त (हाशिए पर) हितधारकों की पहचान की है?**
   हितधारकों के अधिकार के मामले में कभी कोई भेद–भाव नहीं किया गया है।
3. **क्या वंचित, असुरक्षित तथा वियुक्त हितधारकों से सम्पर्क करने के लिए कभी कोई विशेष पहल की गई है? यदि हां, तो कृपया लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा दें।**
   कंपनी द्वारा की गई कुछ पहल निम्नवत हैं:

i. सुदूर वन क्षेत्रों के वियुक्त समुदाय को विकास की मुख्यधारा में लाने के प्रयास के क्रम में सेल ने झारखण्ड की सरकार तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर झारखण्ड के सारण्डा वन की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की है। सेल ने सारण्डा वन के दीघा गांव में एम्बुलेंस, साइकिल, ट्रांजिस्टर, सौर लालटेन आदि उपलब्ध कराए तथा एकीकृत विकास केंद्र की स्थापना की।

ii. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को समाप्त करने तथा भौतिक व सामाजिक अवसंरचना का विकास करने के लिए पूरे देश (आठ राज्यों) में 79 गांवों को मॉडल इस्पात ग्राम के रूप में निर्धारित किया गया है। इन गांवों में किए जाने वाले विकास कार्यों में चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सड़क व सम्पर्क मार्ग, सफाई, सामुदायिक केंद्रों की स्थापना, आजीविका के साधनों की व्यवस्था, खेल–कूद की सुविधा आदि शामिल हैं।

iii. वंचित वर्ग को उनके निवास स्थान पर ही सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2012–13 में पूरे देश में 4300 से अधिक शिविर लगाए गए और इन शिविरों में करीब 2 लाख लोगों को मुफ़्त स्वास्थ्य जांच सुविधा, रोग विज्ञान प्रयोगशाला चिकित्सा, टीकाकरण आदि की सुविधाएं उपलब्ध करायी गई। इस प्रत्यक्ष व्यय के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर आदि के बारे में संयंत्र/इकाई स्थलों में और आस–पास रह रही गैर–सेल जनसंख्या पर 200 ₹ करोड़ वार्षिक खर्च भी किए थे। संयंत्रों/इकाई स्थलों पर इस्पात नगर में सृजित सुविधाओं का स्थानीय गैर–सेल जनसंख्या द्वारा मुफ्त अथवा बहुत ही सांकेतिक लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। निर्धनों एवं दलितों की सहायता के लिए गत 5 वर्षों के दौरान विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों को 67 चल चिकित्सा एकक/एंबुलेंस उपलब्ध कराए गए।

सिद्धांत 5: व्यापार में मानवाधिकारों का सम्मान व संवर्धन किया जाना चाहिए।

1. **क्या मानव अधिकार से संबंधित नीति केवल कंपनी में ही लागू है अथवा इसे समूहों/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य के मामले में भी लागू किया गया है?**
   कंपनी में कथित मानव अधिकार विषयक कोई नीति नहीं है। बहरहाल, इसके ज्यादातर पहलुओं को कंपनी की व्यापारिक संचालन एवं नीति संहिता तथा मानव संसाधन विषयक विभिन्न पद्धतियों में शामिल किया गया है।
2. **गत वित्तीय वर्ष के दौरान हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इनमें से कितने प्रतिशत का समाधान संतोषप्रद ढंग से किया गया ?**
   वर्ष 2013–14 के दौरान शेयरधारकों से 50 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और सभी शिकायतों का समाधान कर दिया गया था।

सिद्धांत 6: व्यापार मे पर्यावरण के प्रति सम्मान व संरक्षण का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए तथा उसके पुनर्स्थापन का प्रयास किया जाना चाहिए।

1. **क्या सिद्धान्त 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी में लागू है अथवा इसे समूहों / संयुक्त उद्यमों / आपूर्तिकर्ताओं / संविदाकारों गैर–सरकारी संगठनों/अन्य के मामले में भी लागू किया गया है?**
   सेल की कॉरपोरेट पर्यावरण नीति कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों तथा सेल के परिसर में कार्यरत किसी अन्य एजेंसी के लिए लागू है।
2. क्या जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन आदि जैसे विश्वस्तरीय पर्यावरणीय मुद्दों के लिए कंपनी की कोई रणनीति/पहल है? हां/नहीं, यदि हां, तो वेबपृष्ठ के लिंक का उल्लेख करें।

विशिष्ट CO^2 उत्सर्जन (t/tcs)

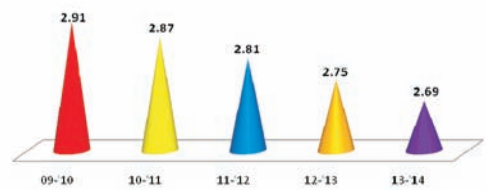

जी हां। कंपनी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में धीरे–धीरे कमी सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं और उत्पादों दोनों के लिए इस्पात संयंत्रों में क्रमिक रूप से निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन और सुधार करके पर्याप्त कदम उठा रही है। सेल संयंत्रों से विशिष्ट कार्बन डाईआक्साईड उत्सर्जन वर्ष 2009–10 में 2.91 और वर्ष 2013–14 में 2.19 तक धीरे–धीरे कमी आई है और यह कमी 8 प्रतिशत है। सेल में जारी विस्तार एवं आधुनिकीकरण

परियोजनाओं को ऊर्जा कुशल एवं पर्यावरण अनुकूल प्रोद्योगिकियों में विशेष तौर पर शामिल किया है जो संयंत्रों से CO^2 उत्सर्जन में पर्याप्त रूप से कमी करेगी।

सेल ने "R&D मास्टर योजना के तहत RSP (प्रौद्योगिकी मिशन–3) में वनरोपण के माध्यम से कार्बन पृथक्करण" पर एक नई परियोजना भी शुरू की है जो वैश्विक ऊष्मा में कमी और CO^2 को पृथक्करण करेगी।

कंपनी ने निरंतर विकास नीति को भी अपनाया है तथा अपनी GRI – 'ए' स्तरीय कॉरपोरेट की निरंतर जांच रिपोर्ट को प्रकाशित करना शुरू की। यह रिपोर्ट कंपनी की वेवसाईट www.sail.co.in के कॉरपोरेट गवर्नैंश अनुभाग में उपलब्ध है।

3. **क्या कंपनी भावी पर्यावरणीय जोखिमों का निर्धारण व मूल्यांकन करती है ? हां/नहीं**

   जी हां। कंपनी ने उद्यम जोखिम प्रबंध नीति अपनाई है तथा भावी पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान करने तथा निर्धारण करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की है और तदनुसार न्यूनीकरण की योजना विकसित की गई है।

4. **क्या कंपनी में स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो करीब 50 शब्दों में इसका ब्यौरा दें। साथ ही यह भी बताएं कि क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट भरी जाती है?**

   सेल ने स्वच्छ विकास प्रणाली के तहत कार्यान्वयन के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं। अब तक 6 VER परियोजनाओं को पंजीकृत किया गया है जिनमें से 5 की जांच कर ली गई है। अन्य परियोजनाएं CDM चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में कोई अन्य पहल की है? हां/नहीं। यदि हां, तो वेब पेज आदि के लिंक का उल्लेख करें।**

   जी हां। सेल संयंत्रों/खानों में किए गए संपूर्ण प्रौद्योगिकीय उन्नयन और आधुनिकीकरण कार्यक्रम में स्वच्छता संबंधी प्रौद्योगिकियां और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियां निहित होती हैं। सेल की जारी विस्तार एवं आधुनिकीकरण परियोजनाओं में स्वच्छता और हरित प्रौद्योगिकियों पर बल दिया जाता है। कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in देखें।

Coke Dry Cooling Plant at ISP

Dry Fog Dust Suppression System at BSL

   सेल ने री–हिटिंग, फर्नेस में कोल बैड मिथेन, लोकोमोटिव में बायो डीजल, बॉयलरों में कृषि आधारित ईंधन तथा सोलर वाटर हिटिंग एवं लाइटिंग प्रणालियां जैसी विभिन्न नवीकरण ऊर्जा परियोजनाएं भी शुरू की हैं।

6. **क्या विवेच्य वित्तीय वर्ष में कंपनी में उत्सर्जन/अपशिष्ट सी पी सी बी/एस पी सी बी द्वारा निर्धारित स्वीकार्य सीमा के अंतर्गत है?**

   ज्यादातर मामलों में कंपनी में उत्सर्जन सीपीसीबी/ एसपीसीबी द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत उत्सर्जन का निर्धारित दिशा निर्देशों/नियमों के अनुसार रख–रखाव एवं प्रबंध किया जाता है। इनके बारे में कंपनी द्वारा नियमित आधार पर सीपीसीबी/एसपीसीबी को सूचित किया जाता है।

7. **वित्तीय वर्ष के अंत तक सी पी सी बी / एस पी सी बी से कितने कारण बताओ/ विधिक नोटिस प्राप्त हुए हैं जो अब तक लंबित (संतोषजनक समाधान नहीं) है?**

   CPCB/SPCB से प्राप्त हुए कारण बताओ/विधिक नोटिस के ऐसे अधिक मामले नहीं हैं जिनका वर्ष के दौरान कोई समाधान नहीं होता है। इन कारण बताओ/विधिक नोटिसों के विरुद्ध विनियामक अभिकरणों से परामर्श करके कार्रवाई योजना बनाई गई थी और तदनुसार कार्यान्वयन किया गया था।

सिद्धांत 7: यदि व्यापार का संबंध आम जनता तथा विनियामक नीतियों को प्रभावित करने से हो तो ऐसा उत्तरदायी तरीके से किया जाना चाहिए?

1. **क्या आपकी कंपनी किसी व्यापारिक संगठन का चेम्बर्स या संघ का सदस्य है। यदि हां, तो सिर्फ ऐसे प्रमुख संगठनों का नाम बताएं जिनसे आपका व्यापारिक संबंध है।**

   कंपनी निम्न संगठनों की सदस्य है –

   क. कॉन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इन्डस्ट्री (सीआईआई)

   ख. फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (फिक्की)

   ग. द एशोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इण्डिया (एसोचैम)

   घ. वर्ल्ड स्टील एशोसिएशन (डब्ल्यू एस ए)

   ड. लोक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (एसकोप)

2. **क्या आपकी कंपनी ने उपर्युक्त संघों के माध्यम से प्रगति या लोक कल्याण में बढ़ोतरी का समर्थन किया है? हां/नहीं। यदि हां, तो व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्रॉप बाक्सः सरकार व प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, उर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, दीर्घावधिक व्यापारिक सिद्धांत, अन्य)**

   जी हां। व्यापक क्षेत्र निम्नवत हैं:

   क. दीर्घावधिक व्यापारिक सिद्धांत

   ख. अपशिष्ट प्रबंधन

   ग. उर्जा संरक्षण

   घ. समावेषी विकास नीतियां

सिद्धांत 8 : व्यापार में सर्वसमावेशी विकास तथा औचित्यपूर्ण प्रगति का समर्थन किया जाना चाहिए।

1. **क्या कंपनी में सिद्धांत 8 से संबंधित कोई विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजना है? यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें।**

   सेल के सामाजिक उद्देश्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएलआर) के समान हैं। इस्पात निर्माण के कार्य के अलावा कंपनी का उद्देश्य व्यापार का संचालन इस तरीके से करना है कि जिस समुदाय में व्यापारिक प्रचालन किया जा रहा है उसे सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक हितलाभ प्राप्त हो सके। वर्ष 1973 में अपनी स्थापना के समय से ही, जब कॉरपोरेट सोशल दायित्व की कोई खास चर्चा भी नहीं होती थी, सेल ने अपने संयंत्रों एवं एककों के प्रचालन–स्थल के आसपास के गांवों व समुदायों के सामाजिक – आर्थिक विकास की एक प्रणाली स्थापित कर ली थी। इसका उद्देश्य कंपनी को सक्षमता प्रदान करने वाले पर्यावरण को पुनः समृद्ध बनाना, सब लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, अवसंरचना एवं रोजगार का अवसर उपलब्ध कराकर असमानता को न्यूनतम करना, मनुष्य एवं प्रकृति का सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित करना, भारतीय संस्कृति की मौलिकता एवं इसके सौन्दर्य का परिरक्षण करना और साथ ही वैज्ञानिक मनोवृत्ति एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास करना है। कंपनी का व्यापारिक दर्शन त्रिस्तरीय दृष्टिकोण पर आधारित है जिसके अंतर्गत आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक आयाम को शामिल किया जाता है और जो प्राकृतिक, मानवीय एवं सामाजिक पूंजीनिर्माण की दिशा में सेल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

   सेल प्रारंभ से ही सीएसआर पहलों की संरचना एवं कार्यान्वयन कर रही है। इन प्रयासों के फलस्वरूप कल के अंधकारपूर्ण गांव, जहां सेल के संयंत्र स्थित हैं, आज बड़े औद्योगिक केंद्रों में परिणत हो गए हैं।

   सेल की सीएसआर गतिविधियों का संचालन इस्पात बस्तियों, खानों तथा उसके आसपास के इलाकों, पूरे देश के सुदूर क्षेत्रों में मॉडल इस्पात ग्रामों (एमएसवी) के विकास सहित ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिचार्य, टीकाकरण, एप्टी एवं उत्तर–प्रसव सुविधाएं, शिक्षा, पेयजल की उपलब्धि, सड़क निर्माण, सड़क के किनारे नालियां तथा मार्गों पर प्रकाश – व्यवस्था, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, विकलांगों को सहायता, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से दीर्घावधिक आय अर्जन, खेल–कूद को प्रोत्साहन, कला, संस्कृति एवं मनोरंजनकारी कार्यकलापों आदि के क्षेत्र में किया जाता है।

2. **क्या कार्यक्रमों/परियोजनाओं का निष्पादन आंतरिक दलों/निजी प्रतिष्ठानों बाह्य गैर सरकारी संगठनों/सरकारी संस्थाओं/किसी अन्य संगठन के माध्यम से किया जाता है?**

   सेल कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी रही है। वर्ष 1973 में अपनी स्थापना के समय से ही, जब कॉरपोरेट सोशल दायित्व की कोई खास चर्चा भी नहीं होती थी, सेल ने अपने संयंत्रों एवं एककों के प्रचालन स्थल के आस–पास के गांवों व समुदायों के सामाजिक, आर्थिक विकास की एक प्रणाली स्थापित कर ली थी। सेल में सी एस आर संबंधी एकांतिक ढांचा है। प्रत्येक संयंत्र /एकक में एक पृथक सी एस आर

समूह/कक्ष है। बड़े संयंत्रों/एककों में सी एस आर विभाग की अध्यक्षता महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधन स्तर के अधिकारी द्वारा तथा अन्य स्थानों पर सहायक महाप्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है। सी एस आर संबंधी कार्यों की आयोजना, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग तथा रिपोर्टिंग के लिए एक सुसंरचित तंत्र है जो अपने कार्यों के संबंध में पंचायतों, जिला एवं राज्य स्तर के स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करता है। अधिकतर परियोजनाओं का कार्यान्वयन सेल के आंतरिक समूहों द्वारा किया जाता है और जिन कार्यों के लिए विशेष सहायता अपेक्षित होती है उनका निष्पादन अक्षय पात्र फाउण्डेशन रामकृष्ण मिशन आदि जैसी विशिष्टिकृत एजेंसियों के सहयोग से किया जाता है ।

सेल में सी एस आर गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी हेतु किसी गैर सरकारी संगठन का चयन करने के स्थान पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर विस्तृत विचार – विमर्श किया जाता है। आवश्यकता की वास्तविकता का मूल्यांकन किया जाता है और इस प्रक्रिया में समाज को मिलने वाले लाभ को ध्यान में रखा जाता है।

3. **क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है?**

सेल ने सी एस आर गतिविधियों के प्रभाव के मूल्यांकन की प्रक्रिया नीचे दिए विवरण के अनुसार प्रारंभ कर दी है:

- **निगम कार्यालय :** मॉडल इस्पात ग्रामों में शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या, अवसंरचना विकास तथा बीएसपी, बीएसएल, डीएसपी, आरएसपी तथा आई एसपी में आय अर्जन परियेाजनाओं के प्रभाव के अध्ययन हेतु सेण्टर फार रिसर्च इन रूरल एण्ड इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट (सीआरआरआईडी) चण्डीगढ़ की सेवाएं प्राप्त की गई।
- **भिलाई इस्पात संयंत्र :** सीएसआर कार्यों के प्रभाव का अध्ययन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा तथा 21 एमएसवी का आधारभूत सर्वेक्षण सोसाइटी फार रूरल इण्डस्ट्रियलाइजेशन (एस आर आई) रांची द्वारा किया गया।
- **बोकारो इस्पात संयंत्र :** आधारभूत सर्वेक्षण, आवश्यकता मूल्यांकन तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भावी योजना तैयार करने का कार्य एक्स आईएसएस, रांची द्वारा यिका गया।
- **इस्को इस्पात संयंत्र :** भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता द्वारा आधारभूत सर्वेक्षण तथा बर्नपुर के आसपास 28 गांवों के निवासियों की सामाजिक – आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु सीएसआर परियोजना की अनुशंसा का कार्य किया जा रहा है।
- **दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी) :** सेल ने वर्ष 2009–10 के दौरान 10 मॉडल इस्पात ग्रामों के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता की सेवाएं प्राप्त की हैं।
- **राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) :** आरएसपी ने राउरकेला में सीएसआर संबंधी अपने कार्यों का अंतिम लाभार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन विषयक अध्ययन के लिए वर्ष 2012 में नाबकॉन–नाबार्ड परामर्शी समूह का सहयोग लिया है।

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है – भारतीय रुपयों में राशि बताएं तथा प्रारंभ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा दें।**

सामुदायिक विकास के लिए सेल का वार्षिक सी एस आर बजट निवल वितरण –योग्य अधिशेष/निवल लाभ के 1-2% के बीच होता है। वर्ष 2013–14 में सी एस आर कार्यों पर व्यय ₹ 62.06 करोड़ (पिछली वर्ष खर्च नहीं की गई राशि सहित) है। इस प्रत्यक्ष व्यय के अतिरिक्त सेल के संयंत्रों/एककों के आस–पास रहने वाले लोगों जो सेल के कर्मचारी नहीं है के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बस्तियों पर प्रति वर्ष करीब ₹ 200 करोड़ का व्यय भी किया जाता है। सेल के संयंत्रों/एककों के प्रचालन –स्थल के आस–पास स्थित इस्पात बस्तियों में निर्मित सुविधाओं का लाभ सेल कर्मचारियों से इतर अन्य लोग भी या तो निःशुल्क या मामूली भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं।

सीएसआर कार्यः–

- सेल ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से भिलाई और राउरकेला के 550 से अधिक विभिन्न सरकारी विद्यालयों में 73,000 से अधिक छात्रों के लिए मध्याह्न (मिड डे) भोजन की व्यवस्था की।
- विभिन्न स्थानों पर 3000 से ज्यादा चिकित्सा कैम्पों का आयोजन किया गया जिसमें स्वास्थ्य जांच, पैथ–लैब उपचार, दवाईयां, टीकाकरण आदि की व्यवस्था करके 2.16 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला।
- इस्पात नगरों में चलाए जा रहे 7 स्वास्थ्य केंद्रों (कल्याण चिकित्सालयों) में 2013–14 के दौरान लगभग 90,000 लोगों को स्वास्थ्य परिचर्चा का लाभ प्रदान किया गया।
- **सुगम लाइफ – लाइन एक्सप्रैस** – नवंबर 2013 के दौरान ऑपरेशन थियेटर से पूर्णतः सुसज्जित ऐ रेल–सह–अस्पताल, सुनने, चलन संबंधी सर्जरी, दृष्टि का आना क्लैफ्ट लिप, दंत एवं मिरगी उपचार किए गए। कुल रोगियों का पंजीकरण – 6221, सर्जरी – 344, दंत प्रक्रिया – 485, मिरगी उपचार – 218, श्रवण उपकरण 265 एवं 20 स्प्लिट उपकरण उपलब्ध कराए गए।
- **मॉडल इस्पात ग्राम** – ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अन्तर को समाप्त करने के लिए तथा भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना के विस्तृत विकास के लिए पूरे देश (8 राज्यों) में 79 ग्रामों को 'मॉडल इस्पात ग्राम' के रूप में चिन्हित और विकसित किया गया।
- डीएसपी ने दुर्गापुर इस्पात नगर के आस–पास कर रही ग्रामीण बेरोजगार महिलाओं के लिए झारखण्ड सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड हेंण्डीक्राफ्ट विकास निगम लि. (JHARCRAFT) और स्वामी विवेकानंद वाणी प्रचार समिति के सहयोग से सिल्क यार्न की रीलिंग और कताई करने संबंधी उत्पाद–सह–प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (VTT) को चलाने के अलावा सेल अन्य ITI/ITC/VTT में स्थानीय युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण में मदद की।
- आर एस पी (RSP) ने लेफ्ट विंग चरमपंथियों के लिए पुनर्वास निवारक कार्यक्रम के तहत ITC बारगांव में 110 युवकों को ITI प्रशिक्षण में मदद की।
- ISP ने आसनसोल राकृष्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से वैल्डिंग हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ए.सी. रैफ्रीजरेशन तकनीशियन, टू–व्हीलर मैकेनिक और मोबाइल मरम्मत करने जैसे 7 विभिन्न ट्रेडों (व्यवसायों) में 110 विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया।
- RMD ने राउरकेला स्थित प्रतिष्ठित आई.टी.सी. में वर्ष 2012–14 और 2013–15 में आई.टी.आई प्रशिक्षण के लिए 480 स्थानीय युवकों की मदद की।
- **दीर्घावधिक आय अर्जन :** उन्नत कृषि, मशरूम की खेती, बकरी पालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन/अचार/पापड़ अगरबत्ती निर्माण, वेल्डर, फिटर एवं इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण, सिलाई व कशीदाकारी, धूम्रहीन चूल्हे के निर्माण आदि के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं के लिए भिलाई में भिलाई इस्पात कौशल कुटीर तथा स्वयंसिद्ध, दुर्गापुर में कौशल्य विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एसडीएसईटीआई), सलेम में वस्त्र तकनीक प्रशिक्षण संस्थान, बोकारो में झारक्राफ्ट केंद्र तथा किरीबुरू अयस्क खान में 'किरण' जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए जो वित्तीय समावेशन/स्वयं सहायता समूह/प्रशिक्षण के माध्यम से आम जनता को लाभांवित कर रहे हैं और उनके लिए आय अर्जन का साधन उपलब्ध करा रहे हैं तथा उन्हें मुख्य धारा का हिस्सा बनने के लिए उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं।
- **कला एवं संस्कृति :** स्थानीय कला व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भिलाई द्वारा छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव तथा RSP द्वारा सिनर्जी–लोक संस्कृति महोत्सव जैसे कार्यक्रम सेल के संयंत्र स्थलों पर पूरे वर्ष आयोजित किए जा रहे हैं।
- स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूरे वर्ष भर आस–पास के क्षेत्रों में सेल द्वारा ग्रामीण खेल मेलों (खेल–कूद प्रतियोगिताएं) आयोजित की जाती हैं जैसे दुर्गापुर में ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता और ग्रामीण फुटबॉल प्रतियोगिता, बोकारो इस्पात ग्रामीण फुटबॉल प्रतियोगिता, राउरकेला के आस–पास के 5 स्थानों पर संवर्धन ग्रामीण स्पोर्टस फुटबॉल प्रतियोगिता आदि। पहली बार एक विशेष ग्रामीण महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का RSP द्वारा आयोजन किया गया।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसरण में सहायक कंपनियों से संबंधित विवरण

क्रम सं.	सहायक कंपनी का नाम	सेल रिफैक्टरी कंपनी लिमिटेड	सेल जगदीश पावर प्लांट लिमिटेड	सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
1	सहायक कंपनी का वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तिथि	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2013
2	जिस तारीख से वह सहायक कंपनी बनी	26 अगस्त, 2011	26 मई, 2011	8 नवंबर, 2011
3	31 मार्च, 2012 तक कंपनी द्वारा धारित कंपनी के शेयर			
	क. संख्या एवं अंकित मूल्य	प्रत्येक पूर्णतया चुकता रू. 10/– के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक पूर्णतया चुकता रू. 10/– के 50,000 इक्विटी शेयर	रू. 10/– के 50,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक पूर्णतया चुकता
	ख. धारिता की सीमा	100 %	100 %	100 %
4	जहां तक इसके धारक कंपनी के सदस्य होने की बात है, सहायक कंपनी का निवल कुल राशि – लाभ/हानि		(रू. करोड़)	
	क. धारक कंपनी के खातों में अनुल्लिखित			
	i) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए	15.42	(–) 0.01	(–) 0.01
	ii) पिछले वित वर्षों तथा निम्न तक सहायक कंपनी का जिस दिन यह धारक कंपनी की सहायक कंपनी बनी	54.77	(–) 0.01	शून्य
	ख. धारक कंपनी के खातों में उल्लिखित			
	i) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए	शून्य	शून्य	शून्य
	ii) पिछले वित वर्षों के लिए और सहायक कंपनी का जिस दिन यह धारक बना	शून्य	शून्य	शून्य
5	सामग्री संबंधी परिवर्तन, यदि कोई हों, तो सहायक कंपनी और धारक कंपनी के वित्त वर्ष की समाप्ति के बीच	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	सहायक कंपनियों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी			
	i) शेयर पूंजी	0.05	0.05	0.05
	ii) रिजर्व	66.30	(–) 0.01	(–) 0.01
	iii) कुल परिसंपत्तियां	128.54	0.04	
	iv) कुल देयताएं	62.19	*	.
	v) निवेश (सहायक कंपनियों में निवेश के मामले के अलावा)	–	-	.
	vi) कारोबार	148.42	-	.
	vii) कराधन पूर्व लाभ	23.28	*	(–) 0.01
	viii) कराधन हेतु प्रावधान	7.86	-	.
	ix) कराधन पश्चात लाभ	15.42	*	(–) 0.01
	x) प्रस्तावित लाभांश	3.00	-	.

रू. 50,000/– से कम राशि

टिप्पणी :

कंपनी के पास इस्को उज्जैन पाइप फाउण्ड्री कंपनी लिमिटेड के 30,00,000 इक्विटि शेयर हैं जिनमें से प्रत्येक की कीमत रू. 10 है। माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय ने दिनांक 10 जुलाई, 1997 से उक्त कंपनी को बंद कर देने का निदेश दिया था और सरकारी परिसमापक ने कंपनी की परिसंपत्तियों को अधिकार में ले लिया है। परिसमापक इस कंपनी की परिसंपत्तियों को बेच देने के बाद, बकाया देय राशियों को निपटाने की प्रक्रिया कर रहा है। 10 जुलाई, 1997 तक इस्को उज्जैन पाइप एण्ड फाउण्ड्री कंपनी लिमिटेड का संचित घाटा रू. 17.05 करोड़ था।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(एम.सी.जैन)	**(अनिल कुमार चौधरी)**	**(सी. एस. वर्मा)**
सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष

;

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अगस्त, 2014

समेकित तुलन पत्र –
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
इक्विपटी एवं देयताएं			
शेयरधारियों की निधि			
(क) शेयर पूँजी	1	4130.53	4130.53
(ख) रिजर्व एवं अधिशेष	2	39170.91	37510.86
शेयर अनुप्रयोग राशि जिनका आबंटन होना है		5.21	2.93
गैर– चालू देयताएं			
(क) लम्बी–अवधि वाले ऋण	3	14168.07	14154.90
(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		2222.16	1899.72
(ग) अन्य लम्बी–अवधि देयताएं	4	1385.45	1275.87
(घ) लम्बी–अवधि प्रावधान	5	4096.77	4333.19
चालू देयताएं			
(क) लघु–अवधि ऋण	6	10738.06	8110.16
(ख) व्यापार देय	7	3221.80	3437.07
(ग) अन्य चालू देयताएं	8	12839.53	9066.40
(घ) लघु–अवधि ऋण	9	2046.38	2582.69
कमी ब्याज़	9A		
कुल		**94024.87**	**86504.32**
परिसंपत्तियां			
गैर– चालू परिसंपत्तियां			
(क) स्थाई परिसंपत्तियां			
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	10A	26773.14	16832.63
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10B	1522.18	1551.17
(iii) चालू पूँजीगत कार्य	11	33958.51	36161.11
(ख) गैर– चालू निवेश	12	12.13	14.52
(ग) लम्बी–अवधि वाले ऋण एवं अग्रिम	13	4094.79	3456.33
(घ) अन्य गैर– चालू परिसंपत्तियां	14	136.39	50.94
चालू परिसंपत्तियां			
(क) चालू निवेश		44.32	58.01
(ख) माँग–सूची	15	15365.49	16165.92
(ग) व्यापार प्राप्य	16	5500.62	4550.55
(घ) नकद एवं बैंक शेष	17	3157.97	4177.21
(ङ.) लघु–अवधि वाले ऋण एवं अग्रिम	18	1170.78	1060.06
(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	2288.55	2425.87
कुल		**94024.87**	**86504.32**
महत्वपूर्ण लेखा–नीतियां			
समेकित वित्तीय विवरण संबंधी अन्य नोट	**28-35**		

उपरोक्त संदर्भित नोट इन समेकित वित्तीय विवरणों के अनिवार्य हिस्से हैं।

निदेशक मण्डल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
(एम.सी.जैन)	**(अनिल कुमार चौधरी)**	**(सी. एस. वर्मा)**
सचिव	**निदेशक (वित्त)**	**अध्यक्ष**

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.के.मित्तल एंड कंपनी	**कृते ओ.पी.टोटला एंड कंपनी**	**कृते बी. एन. मिश्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड लेखाकार	चार्टर्ड लेखाकार	चार्टर्ड लेखाकार
हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
(एम.के. जुनेजा)	**(एस.के.आचार्य)**	**(एस.सी दास)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम.सं. 013117	एम.सं. 078371	एम.सं. 050020

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 06 अगस्त, 2014

समेकित लाभ और हानि का विवरण

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़)

	टिप्पणी सं.		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2014		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2013
प्रचालनों से आय	20	52912.09		50429.86	
घटाया : उत्पाद शुल्क		5810.94	47101.15	5455.35	44974.51
अन्य आय	21		800.54		1051.01
कुल आय			47901.69		46025.52
व्यय					
कच्चे माल, की खपत की लागत	22	20007.17		21962.44	
विक्रेय स्टाक की खरीद		5.85		7.94	
तैयार माल, चालू कार्य की माँग–सूची में परिवर्तन	23	896.49		-2019.40	
कर्मचारी हितलाभ व्यय	24	9710.25		8755.73	
वित्त लागत	25	1057.27		846.08	
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		1841.94		1526.61	
अन्य व्यय	26	12132.67	45651.64	11297.48	42376.88
			2250.05		3648.64
जोड़: पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन	27		149.81		40.93
कर पूर्व लाभ एवं विशिष्ट मदें			2399.86		3689.57
घटायाः विशिष्ट मदें					
विदेशी मुद्रा में घाटा(+)/लाभ(-)		97.16		229.33	
मुद्रा परिवर्तन को ब्याज लागत माना जाता है		-1056.26		0.00	
कर देयता प्रविष्टि को बट्टे खाते में डाला गया		-0.47	-959.57	-0.07	229.26
कर पूर्व लाभ			3359.43		3460.31
घटायाः कराधान के लिए प्रावधान					
चालू कर		775.19		1118.99	
आस्थागित कर		341.85		19.27	
पूर्व वर्ष		113.40	707.91	-7.03	1131.23
Mat Credit		-522.53		0.00	
वर्ष का लाभ			2651.52		2329.08
कमी ब्याज			0.00		0.00
एसोसिएट के लाभ का हिस्सा			-0.39		0.00
			2651.13		2329.08
प्रति शेयर आय					
कर उपरांत लाभ			2651.52		2329.08
इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (10/– रुपये प्रत्येक का अंकित मूल्य)			4130525289		4130525289
मूल एवं कम (कपसनजमक) अर्जन प्रति शेयर (रुपये में)			6.42		5.64
महत्व पूर्ण लेखा–नीतियां					
समेकित वित्तीय विवरण संबंधी अन्य नोट	28-35				
उपरोक्त से संबंधित नोट इन वित्तीय विवरणों के अनिवार्य अंश हैं					

निदेशक मण्डल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
(एम.सी.जैन)	**(अनिल कुमार चौधरी)**	**(सी. एस. वर्मा)**
सचिव	**निदेशक (वित्त)**	**अध्यक्ष**

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.के.मित्तल एंड कंपनी	**कृते ओ.पी.टोटला एंड कंपनी**	**कृते बी. एन. मिश्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड लेखाकार	चार्टर्ड लेखाकार	चार्टर्ड लेखाकार
हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
(एम.के. जुनेजा)	**(एस.के.आचार्य)**	**(एस.सी दास)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम.सं. 013117	एम.सं. 078371	एम.सं. 050020

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 06 अगस्त, 2014

समेकित तुलन पत्र

(₹ crore)

वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

क. प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
कराधान से पूर्व निवल लाभध्घटाया (–)	3359.43	3460.31
जोड़ा/(घटाया) निम्नलिखित के लिए समायोजनः		
सहयोगी के लाभ के शेयर	-0.39	0.00
मूल्यह्रास	1726.45	1530.25
ब्याज एवं वित्त प्रभार	1057.27	846.08
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गए	8.28	0.62
अप्राप्त विदेशी मुद्रा अस्थिरता	(628.86)	1093.87
निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	(6.26)	(23.12)
अन्य के लिए प्रावधान	(616.89)	(853.39)
लाभांश आय	(3.39)	(4.79)
कार्यशील पूँजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन नकदी प्रवाह	4895.64	6049.83
निम्नशलिखित के लिए समायोजनः–		
मालसूची में (वृद्धि)/कमी	800.43	(2280.63)
विविध देनदारों में (वृद्धि)/कमी	(958.35)	290.02
ऋण एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(300.32)	(799.06)
चालू देयताओं में (वृद्धि)/कमी	2621.70	801.24
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	134.17	(247.82)
प्रचालन से नकदी	7193.27	3813.58
चुकता प्रत्यक्ष कर	(853.82)	(990.64)
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी	6339.45	2822.94
ख. निवेश कार्यक्रलापों से नकदी प्रवाह		
स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद	(8957.03)	(9216.43)
स्थाई परिसंपततियों की बिक्री से प्राप्त आय	34.25	39.94
अन्य कंपनियों को ऋण	5.37	(2.95)
निवेशों की खरीदध्बिक्री (निवल)	16.08	(4.39)
प्राप्त ब्याज	534.59	862.33
प्राप्त लाभांश	3.39	4.79
निवेश कार्यकलापों में सेध(प्रयुक्त) से निवल नकदी	(8363.35)	(8316.71)
ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन के पैसे में वृद्धि	2.28	0.66
रिजर्व एवं अधिशेष में वृद्धि	1.25	15.13
ऋण (निवल) में वृद्धि/(कमी)	3210.39	5003.44
चुकता ब्याज एवं वित्त प्रभार	(1018.89)	(849.12)
चुकता लाभांश	(999.58)	(991.32)
लाभांश पर कर	(190.80)	(170.25)
निवेश कार्यकलापों में सेध(प्रयुक्त) से निवल नकदी	1004.65	3008.54
नकदी एवं नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि (क्खग)	(1019.25)	(2485.23)
नकदी एवं नकदी समकक्ष (प्रारंभ) (नोट 17 का अवलोकन करें)	4177.21	6662.44
नकदी एवं नकदी समकक्ष (समाप्ति) (नोट 17 का अवलोकन करें)	3157.97	4177.21
(नकदी एवं बैंक शेष द्वारा प्रदर्शित)		

टिप्पणियाँ:

1 उपरोक्त नकद प्रवाह विवरण स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीयन अनुबंधों के खंड 32 के अनुसार तथा भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्था द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड–3 प्रदर्शित अप्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत तैयार किया गया है।

2 कोष्ठक में दिए गए ऑकड़े नकद प्रवाह को सूचित करते हैं।

3 महत्वपूर्ण लेखानीतियां एवं वित्तीय विवरणों का समेकित नोट नकद प्रवाह विवरण का अनिवार्य अंग हैं।

4 चालू वर्ष के आंकड़ों के समनुरूप करने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक जान पड़ा, पूर्व वर्ष के आँकड़ों को पुनःव्यवस्थित/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मण्डल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
(एम.सी.जैन)	**(अनिल कुमार चौधरी)**	**(सी. एस. वर्मा)**
सचिव	**निदेशक (वित्त)**	**अध्यक्ष**

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.के.मित्तल एंड कंपनी	**कृते ओ.पी.टोटला एंड कंपनी**	**कृते बी. एन. मिश्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड लेखाकार	चार्टर्ड लेखाकार	चार्टर्ड लेखाकार
हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
(एम.के. जुनेजा)	**(एस.के.आचार्य)**	**(एस.सी दास)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम.सं. 013117	एम.सं. 078371	एम.सं. 050020

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 06 अगस्त, 2014

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Basis of Accounting

The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis of accounting, in accordance with the generally accepted accounting principles in India, and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (to the extent notified) and provisions of the Companies Act, 1956 (to the extent applicable) including accounting standards notified there under.

B. Use of Estimates

In preparing the financial statements in conformity with accounting principles generally accepted in India, management is required to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities as at the date of financial statements and the amounts of revenue and expenses during the reported period. Actual results could differ from those estimates. Any revision to such estimates is recognised in the period the same is determined.

C. Fixed Assets

Fixed assets are stated at cost of acquisition less depreciation, except land gifted by the State Governments, which is stated at notional/nominal value with corresponding credit to capital reserve.

Expenditure on development of land, including leasehold land, is capitalised as part of cost of land. Cost of Lease hold land is amortised over the period of lease.

Cost includes all identifiable expenditure including trial-run expenses, net of revenue.

Mining Rights are treated as Intangible Assets and all related costs thereof are amortised on the basis of annual production to the total estimated mineable reserves. In case the mining rights are not renewed, the balance related cost will be charged to revenue in the year of decision of non- renewal.

In case of SRCL, all costs related to Mining Rights are amortised over the period (including deemed renewal) of the lease.

Software which is not an integral part of related hardware, is treated as intangible asset and amortised over a period of five years or its licence period, whichever is less.

In case of Mjunction Services Limited, intangible assets are amortised over a period of 3 to 5 years. In case of NTPC-SAIL Power Company Private Limited, software is amortised over licence period or 3 years, whichever is less.

D. Borrowing Costs

Borrowing costs attributable to the acquisition or construction of a qualifying asset are capitalised as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognised as expense in the period in which these are incurred.

E. Depreciation

Depreciation is provided on straight-line method at the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956. However, where the historical cost of a depreciable asset undergoes a change, the depreciation on the revised unamortised depreciable amount is provided over the residual useful life of the asset. Classification of plant and machinery into continuous and non-continuous is made on the basis of technical opinion and depreciation provided accordingly. Depreciation on addition/deletion during the year is provided on pro-rata basis with reference to the month of addition/deletion.

In case of Mjunction Services Limited, Fixed Assets are depreciated on a straight line basis applying the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 or based on estimated useful life which ever is higher.

In case of NTPC SAIL Power Company Private Limited, depreciation on the assets of the generation of the electricity business in respect of CERC Regulated plants is charged on straight line method, following the rates and methodology notified by the CERC Regulations, 2009. Further, depreciation on the following assets is provided based on their estimated useful life :

a)	Kutcha Roads	2 Years
b)	Enabling works	
	• residential buildings including their internal electrification.	15 Years
	• non-residential buildings including their internal electrification, water supply, sewerage & drainage works, railway sidings, aerodromes, helipads and airstrips.	5 Years
c)	Personal Computers and Laptops including peripherals	5 Years
d)	Photocopiers and Fax Machines	5 Years
e)	Water Coolers and Refrigerators	12 Years
f)	Air conditioners w.r.t. CPP-II	12 Years

In case of the CPP-II assets whose residual life has been determined on the basis of technical assessment, the depreciation is provided at a rate such that 95% of the gross block is depreciated over the residual life of those assets. Capital expenditure on assets not owned by the Company is amortised over a period of 4 years from the month in which the first unit of project concerned comes into commercial operation and thereafter from the month in which the relevant asset becomes available for use.

In case of Bhilai Jaypee Cement Limited, Premium paid on leased land is being amortised over the balance period of lease after commissioning.

F. Investments

Long-term investments (including investments in subsidiary companies and joint ventures) are carried at cost, after providing for diminution (other than temporary) in value. Current investments are carried at lower of cost and market value.

G. Inventories

Raw materials, stores & spares and finished/semi-finished products (including process scrap) are valued at lower of cost and net realisable value of the respective plants/units. In case of identified obsolete/ surplus/ non-moving items, necessary provision is made and charged to revenue. The net realisable value of semi-finished special products, which have realisable value at finished stage only, is estimated for the purpose of comparison with cost.

Residue products and other scrap are valued at estimated net realisable value.

The basis of determining cost is:

Raw materials - Periodical weighted average cost

Minor raw materials – Moving weighted average cost

Stores & spares – Moving weighted average cost

Materials in-transit - At cost

Finished/Semi-finished products – Material cost plus appropriate share of labour, related overheads and duties.

In case of Bokaro Power Supply Company Private Limited, inventories, other than Fuel are valued at cost on weighted average basis. Fuel is valued at cost on First in first out basis.

Cost is arrived on weighted average basis, except in case of SAIL Bansal Service Centre Limited, in which cost is arrived on First in first out basis.

H. Grants

Grants relating to the acquisition of a specific asset are adjusted against the cost of the concerned asset. Grants relating to the revenue expenditure are adjusted against the related expenses.

I. Foreign Currency Transactions

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency remaining unsettled at the end of the year are translated at year-end rates.

The exchange differences in translation of monetary assets and liabilities and realised gains and losses on foreign exchange transactions other than those relating to fixed assets, are recognised in the Statement of Profit and Loss. In respect of transactions covered by forward exchange contracts entered into to hedge foreign currency risks, the difference between the contract rate and spot rate on the date of the transaction is recognised in the Statement of Profit and Loss over the period of the contract.

The Company had opted for accounting the exchange differences arising on reporting of long term foreign currency monetary items in line with Companies (Accounting Standards) Amendment Rules 2009 relating to Accounting Standard -11 notified by Government of India on 31st March, 2009 (as amended on 29th December 2011). Accordingly, exchange differences (including arising out of forward exchange contracts) relating to long term monetary items, arising during the year, in so far as they relate to the acquisition of fixed assets, are adjusted in the carrying amount of such assets.

J. Employees' Benefits

Contributions towards Provident Funds are charged to the Statement of Profit and Loss of the period when the contributions to the Funds are due. The provisions/liabilities towards gratuity, accrued leave, long term service awards, post-retirement medical and settlement benefits, future payments to the disabled employees/legal heirs of deceased employees under the Employees' Family Benefit Scheme, are made based on the actuarial valuation as at the end of the year and charged to the Statement of Profit and Loss after considering along with actuarial gains/losses.

K. Adjustments pertaining to earlier years and prepaid expenses

Income / expenditure relating to prior period and prepaid expenses, which do not exceed Rs.10 lakhs in case of SAIL, Rs.1 lakh in case of NTPC-SAIL Power Company Private Limited and Rs.5 lakh in case of SAIL & MOIL Ferro Alloys Private Limited in each case, are treated as income/expenditure of current year.

L. Revenue Recognition

Sales include excise duty and are net of rebates and price concessions. Sales are recognised at the time of dispatch of materials to the buyers including the cases where delivery documents are endorsed in favour of the buyers. Where the contract prices are not finalised with government agencies, sales are accounted for on provisional basis.

Marine export sales are recognised on:

i) the issue of bill of lading, or

ii) negotiation of export bills upon expiry of laycan period , in cases where realisation of material value without shipment' is provided in the letters of credit of respective contracts,

whichever is earlier.

Export incentives under various schemes are recognized as income on certainty of realisation.

The iron ore fines not readily useable/saleable included in inventory, are recognised on disposal.

M. Claims for Liquidated Damages/Price Escalation

Claims for liquidated damages are accounted for as and when these are deducted and/or considered recoverable by the Company. These are adjusted to the capital cost or recognised in Statement of Profit and Loss, as the case may be, on final settlement.

Suppliers'/Contractors' claims for price escalation are accounted for, to the extent such claims are accepted by the Company.

N. Deferred Tax

The deferred tax on timing differences between book profit and taxable profit for the year is accounted for applying the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as on the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognised to the extent there is a reasonable certainty that the assets can be realised in future.

O. Overburden Removal

The expenditure on removal of backlog of over burden is charged to revenue, based on stripping ratio as per 5 year mining plan for mines except collieries which is based on project report.

P. Contingent Liabilities

Contingent liability is a possible obligation arising from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that arises from past events but is not recognised because it is not possible that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligations or reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made. The Company discloses the existence of Contingent Liabilities in Financial Statements.

Q. Others

In case of NTPC-SAIL Power Company Private Limited, Capital expenditure on assets not owned by the Company is amortized over a period of 4 years from the month in which the first unit of project concerned comes into commercial operation and thereafter from the month in which the relevant asset becomes available for use. However, such expenditure for community development in case of stations under operation is charged off to revenue.

Note (Forming Part of the Consolidated Balance Sheet)

1. SHARE CAPITAL

(₹ crore)

	As at 31st March, 2014	As at 31st March, 2013
Authorised		
5,00,00,00,000 equity of ₹ 10 each (5,00,00,00,000 equity of ₹ 10 each)	**5000.00**	5000.00
Issued, Subscribed & Fully Paid-up		
4,13,05,25,289 equity shares of ₹ 10 each fully paid. (4,13,04,00,545 equity shares of ₹10 each fully paid.)	**4130.53**	4130.53

(i) Reconciliation of equity shares at the end of the year

Particulars	As at 31st March, 2014		As at 31st March, 2013	
	Numbers	**Amount (₹)**	Numbers	Amount (₹)
-- Equity shares with voting rights				
Shares outstanding at the beginning of the year	**4129934944**	**41299349440**	4129786300	41297863000
Shares Issued / Converted into shares with Voting Rights during the year #	**136160**	**1361600**	148644	1486440
Shares bought back during the year	**0**	**0**	0	00
Shares outstanding at the end of the year	**4130071104**	**41300711040**	4129934944	41299349440
-- Equity shares without voting rights *				
Shares outstanding at the beginning of the year	**590345**	**5903450**	614245	6142450
Shares Issued during the year				
Shares Issued / Converted into shares with Voting Rights during the year #	**136160**	**1361600**	23900	239000
Shares outstanding at the end of the year	**454185**	**4541850**	590345	5903450

* Represented by one Global Depository Receipt (GDR) issued @ US$ 29.55 each for an aggregate amount of US $ 125 million.

\# Includes 124744 shares issued to shareholders of MEL on merger with the company during the previous year and 23900 shares arising out of conversion of GDR into ordinary shares.

(ii) All shares rank equally with regard to the repayment of capital in the event of liquidation of the company.

(iii) The Company does not have a holding company.

(iv) Details of the shareholders holding more than 5% of the shares in the Company

Name of Shareholder	As at 31st March 2014		As at 31st March 2013	
	No. of Shares held	% of Holding	No. of Shares held	% of Holding
President of India	3304293713	80.00	3304293713	80.00

(v) 1,24,43,82,900 equity shares of ₹ 10 each (net of adjustment on reduction of capital) were alotted as fully paid up for consideration other than cash.

(vi) The Company has neither issued bonus shares nor has bought back any shares during the last 5 years.

Note (Forming Part of the Consolidated Balance Sheet)

2. RESERVES AND SURPLUS

(₹ crore)

	As at 31st March, 2014		As at 31st March, 2013	
Capital Reserve				
As per last Balance Sheet	**104.10**		93.23	
Additions during the year	0.00		10.87	
	104.10	104.10	104.10	104.10
Securities Premium Account				
As per last Balance Sheet	**235.12**		235.21	
Less : Adjustment towards Share/Bond Issue Expenses	**0.02**	**235.10**	0.09	235.12
Bond Redemption Reserve				
As per last Balance Sheet	**585.43**		440.11	
Additions during the year	**251.13**		145.32	
Deductions during the year	**19.35**	**817.21**	0.00	585.43
General Reserve				
As per last Balance Sheet	**4998.38**		4807.72	
Additions during the year	**268.26**	**5266.64**	190.66	4998.38
Prime Minister's Trophy Award Fund*				
As per last Balance Sheet	**24.02**		19.67	
Additions	**2.25**		5.04	
	26.27		24.71	
Less: Utilisation	**0.98**	**25.29**	0.69	24.02
Surplus/Debit balance (-) in Statement of Profit & Loss				
Balance as per last account	**31563.81**		30546.25	
Add:Surplus	**2651.13**		2329.08	
Less: Proposed Dividend	**0.00**		165.22	
Less: Dividend Paid	**834.35**		660.88	
Less: Tax on Proposed Dividend	**9.51**		42.28	
Less: Tax on Dividend Paid	**148.47**		107.16	
Less: Transfer to Bond Redemption Reserve	**231.78**		145.32	
Less:Transfer to General Reserve	**268.26**	**32722.57**	190.66	31563.81
		39170.91		**37510.86**

*** PM Trophy Award Fund**

The Fund has been created out of award conferred by the Prime Minister of India to the Bhilai Steel Plant as best integrated steel plant in India and the earnings from the Fund are utilised for the welfare of employees in Bhilai.

Note (Forming Part of the Consolidated Balance Sheet)

3. LONG TERM BORROWINGS

(₹ crore)

Sl No.	Int%	Maturity	Call/put Option (yr)	Security REF		As at 31st March, 2014		As at 31st March, 2013	
SECURED									
A.	**Taxable Redeemable Non-convertible Bonds**								
1	9.35	9-Sep-2026	12/nil	(a)		455.00		455.00	
2	8.70	25-Aug-2024		(a)		300.00		300.00	
3	9.30	23-Aug-2021		(a)		400.00		400.00	
4	8.55	11-Aug-2021		(a)		700.00		700.00	
5	8.72	30-Apr-2020		(a)		660.00		660.00	
6	8.75	23-Apr-2020		(a)		545.00		545.00	
7	8.65	1-Feb-2020	5/nil	(a)		242.00		242.00	
8	8.65	30-Dec-2019		(a)		450.00		450.00	
9	8.00	7-Dec-2019	5/nil	(a)		30.00		30.00	
10	8.50	7-Dec-2019		(a)		120.00		120.00	
11	8.60	19-Nov-2019		(a)		335.00		335.00	
12	8.75	15-Sep-2019		(b,d)		100.00		150.00	
13	8.80	22-Jun-2019		(a)		825.00		825.00	
14	7.70	11-May-2019	5/5	(a)		0.00		525.00	
15	8.90	1-May-2019	5/nil	(b)		950.00		950.00	
16	9.30	25-May-2018		(a,k)		360.00		360.00	
17	8.25	6-May-2018	3/3	(a)		800.00		0.00	
18	9.18	27-Aug-2017		(a)		300.00		300.00	
19	8.75	8-Nov-2017	3/3	(a)		500.00		500.00	
20	8.80	26-Oct-2014		(b,c)		154.00	8226.00	168.00	8015.00
B.	**Term Loans from Banks**								
		30-Sep-2014			Axis Bank	232.95		665.48	
1					others	272.12	505.07		665.48
UNSECURED									
C.	**Term Loans**								
1				(e)	KFW, Germany	458.22		406.91	
2		11-03-2015		(f)	Bank of Tokyo Mitshibishi	798.93		1085.80	
3				(g)	Bank of Tokyo Mitshibishi	1198.40		1085.80	
4				(h)	Sumitomo Mitsubishi Banking Corp	1527.60		1527.60	
5	2.00			(i)	Natexis Banque	24.22		22.36	
6				(j)	State bank Of India	366.84		310.00	
				(l)	Mizuho Corporate Bank Ltd	827.85		827.85	
					Others	28.76	5230.82	0.00	5266.32
D.	**Others**			(m)	Steel Development Fund		204.16		204.16
				(n)	Others		2.02	3.94	3.94
							14168.07		14154.90

(a) Secured by charges ranking pari-passu inter-se, on all the present and future immovable property at Mouje-Wadej of City taluka, District Ahmedabad, Gujarat and Company's Plant & Machinery, including the land on which it stands, pertaining to IISCO Steel Plant (ISP).

(b) Secured by charges ranking pari-passu inter-se, on all the present and future immovable property at Mouje-Wadej of City taluka, District Ahmedabad, Gujarat and Company's Plant & Machinery, including the land on which it stands, pertaining to Durgapur Steel Plant.(DSP).

(c) Redeemable in 12 equal yearly instalments of ₹ 14 crore each starting w.e.f. 26th October 2014. Inastalment payable on 26th October 2014 has been shown in Other Current Liabilities.

(d) Redeemable in 3 equal instalments of ₹ 50 crore each on 15th September of 2014, 2019 and 2024. Inastalment payable on 15th September, 2014 has been shown in Other Current Liabilities.

(e) The soft basis of the loan was drawn in 3 tranches stated as 1(a), 1(b) and 1(c) at an interest rate of 8.75% p.a. The Interest on 1(a) is 0.75% p.a and balance 8% is towards meeting Exchange fluctuation (4%) and Pollution control schemes (4%). In case of 1 (b) the Interest is 3.66% p.a. and balance 5.09% p.a. is towards periphery development. The Interest on 1(c) is 0.75% p.a and the balance 8 % p.a. is towards meeting periphery development. The principal and interest is repayable half yearly. The loan is Guaranteed by Government of India.

(f) The loan is repayable in 3 equal instalments on 11th March starting from 2015 at an interest rate of 6 month London Inter Bank Offered Rate (LIBOR) +1%. Interest is paid half yearly .

(g) The loan is repayable in 3 equal instalments on 11th August starting from 2015 at an interest rate of 6 month LIBOR +1%. . Interest is paid half yearly.

(h) The loan is repayable in 3 equal instalments on 16th November starting from 2015 at an interest rate of 6 month LIBOR +1.06%. Interest is paid half yearly.

(i) The loan is repayable by 2030. The principal and interest is paid half yearly, guaranteed by Government of India.

(j) The loan is at an interest rate of 6 month EURIBOR +1.24%. Interest is paid half yearly. Principal Repayable 3 yrs from the date of Bill of lading.

(k) Redeemable in 5 equal yearly instalments starting w.e.f. 25th May 2018.

(l) The loan is repayable in 3 equal instalments on 21st December starting from 2016 at an interest rate of 6 month LIBOR +1.75%. Interest is paid half yearly.

(m) Terms of Repayment is to be decided by SDF Management Committee.

(n) Includes Interest free loan from Government of Maharashtra repayable on 26th October 2014.

Note (Forming Part of the Consolidated Balance Sheet)

4. OTHER LONG TERM LIABILITIES

(₹ crore)

	As at 31st March, 2014	As at 31st March, 2013
Interest accrued and not due on borrowings	707.46	715.73
Trade payables	1.06	13.37
Others	676.93	546.77
	1385.45	1275.87

5. LONG TERM PROVISIONS

(₹ crore)

	As at 31st March, 2014	As at 31st March, 2013
Provisions for Employee Benefits		
- Gratuity	526.28	338.13
- Accrued Leave	2076.07	2241.66
- Employee Defined Benefit Schemes	1160.85	1512.09
Others		
- Mines closure	104.27	91.25
- Others	229.30	150.06
Total	4096.77	4333.19

6. SHORT TERM BORROWINGS

(₹ crore)

		As at 31st March, 2014	As at 31st March, 2013
Secured			
Loans repayable on demand			
- From Banks	(a)	3433.40	813.06
- From other parties			
Other loans and advances			
From Banks	(b)	4.69	4.69
Loans and advances from related parties		0.38	0.32
Unsecured			
Other loans and advances			
Other Loans		0.00	408.23
Foreign Currency Loans		7299.59	6883.86
		10738.06	8110.16

(a) Secured by hypothecation of all current assets

(b) The Company does not have any continuing default in repayment of loans and interest on the balance sheet date.

7. TRADE PAYABLES

(₹ crore)

	As at 31st March, 2014	As at 31st March, 2013
Micro and small enterprises	21.44	13.86
Others	3200.36	3423.21
	3221.80	3437.07

Note (Forming Part of the Consolidated Balance Sheet)

8. OTHER CURRENT LIABILITIES

(₹ crore)

		As at 31st March, 2014		As at 31st March, 2013
Current maturities of long-term debts		1183.50		273.74
Interest accrued but not due on borrowings		629.01		582.36
Income received in advance from				
Customers	868.69		707.55	
Others	82.74	951.43	32.53	740.08
Liability towards Investor Education and Protection Fund, not due				
Unpaid Dividends	13.58		11.67	
Unclaimed Matured Deposits and intt. Accrued thereon	1.03	14.61	1.09	12.76
Security deposits	626.79		549.50	
Less : Investments received as security deposit	0.01	626.78	0.01	549.49
Other payables				
Sundry creditors for Capital works		1497.15		1399.56
Other payables		7937.05		5508.41
		12839.53		9066.40

9. SHORT TERM PROVISIONS

(₹ crore)

	As at 31st March, 2014	As at 31st March, 2013
Provisions for Employee Benefits		
- Accrued Leave	190.68	214.51
- Employee Defined Benefit Schemes	146.52	176.38
Others		
- Taxation	77.64	23.46
- Pollution Control & Peripheral Development	106.62	117.62
- Exchange Fluctuation	0.00	8.17
- Proposed Dividend	0.00	165.23
- Tax on Dividend	9.51	42.33
- Wage Revision	1130.39	1472.30
- Mines Afforestation/Overburden Removal	262.59	237.25
- Others	122.43	125.44
Total	**2046.38**	**2582.69**

Note (Forming Part of the Consolidated Balance Sheet)

10A. TANGIBLE FIXED ASSETS

(₹ crore)

Description	GROSS BLOCK (AT COST)				DEPRECIATION / AMORTISATION				NET BLOCK	
	As at 31st March, 2013	Additions / Adjustments	Deductions	**As at 31st March, 2014**	Up to 31st March, 2013	For the Year	Less : On Sales / Adjustments	Up to 31st March, 2014	**As at 31st March' 2014**	As at 31st March, 2013
A. PLANTS, MINES & OTHERS										
Land(including cost of development)										
-Freehold Land	188.96	77.28	0.00	266.24	0.86	0.01	0.00	0.87	**265.37**	188.10
-Leasehold Land	380.98	71.92	0.00	452.90	76.87	16.97	0.01	93.83	**359.07**	304.02
Buildings	2514.04	539.95	-1.32	3055.31	1300.68	69.99	0.07	1370.60	**1684.71**	1213.09
Plant & Machinery										
-Steel Plant	31869.61	10339.94	94.32	42115.23	20760.06	1232.46	87.37	21905.15	**20210.08**	11274.66
-Others	4169.89	104.25	23.32	4250.82	2121.87	196.85	18.42	2300.30	**1950.52**	1891.33
Furniture & Fittings	125.92	21.00	1.23	145.69	86.04	4.90	0.91	90.03	**55.66**	39.88
Vehicles	1164.65	59.50	7.82	1216.33	534.26	50.17	5.91	578.52	**637.81**	630.38
Office Equipments	57.04	1.97	1.21	57.80	34.68	1.88	0.98	35.58	**22.22**	22.21
Miscellaneous Articles	285.26	21.66	4.66	302.26	176.11	10.67	3.45	183.33	**118.93**	99.88
Roads, Bridges & Culverts	222.55	6.97	0.16	229.36	66.09	4.27	0.07	70.29	**159.07**	156.56
Water Supply & Sewerage	433.00	162.20	0.24	594.96	283.99	14.28	0.37	297.90	**297.06**	150.29
EDP Equipments	394.61	18.38	7.66	405.33	265.18	37.16	6.95	295.39	**109.94**	129.42
Railway Lines & Sidings	331.69	161.55	0.12	493.12	197.00	13.00	0.09	209.91	**283.21**	134.69
Sub-total 'A'	42138.20	11586.57	139.42	53585.35	25903.69	1652.61	124.60	27431.70	**26153.65**	16234.51
Figures for the previous year	41148.53	1086.46	96.79	42138.20	24357.32	1613.46	67.09	25903.69	**16234.51**	
B. SOCIAL FACILITIES										
Land(including cost of development)										
-Freehold Land	10.92	0.00	0.00	10.92	-	-	-	-	**10.92**	10.92
-Leasehold Land	6.89	0.00	0.00	6.89	5.54	0.12	0.00	5.66	**1.23**	1.35
Buildings	593.72	20.29	0.48	613.53	247.74	9.91	0.42	257.23	**356.30**	346.02
Plant & Machinery-Others	124.26	6.00	1.26	129.00	78.61	3.41	0.76	81.26	**47.74**	45.65
Furniture & Fittings	26.19	1.59	3.64	24.14	16.80	0.95	1.72	16.03	**8.11**	9.39
Vehicles	11.94	0.11	0.64	11.41	8.57	0.70	0.57	8.70	**2.71**	3.37
Office Equipments	4.16	0.24	0.11	4.29	2.14	0.16	0.05	2.25	**2.04**	2.02
Miscellaneous Articles	190.88	13.70	5.14	199.44	98.87	9.57	2.77	105.67	**93.77**	91.97
Roads, Bridges & Culverts	64.37	13.61	0.01	77.97	24.03	1.15	0.01	25.17	**52.80**	40.34
Water Supply & Sewerage	117.84	0.03	0.20	117.67	104.11	1.17	0.15	105.13	**12.54**	13.73
EDP Equipments	15.00	0.66	3.03	12.63	12.24	0.90	2.64	10.50	**2.13**	2.76
Sub-total 'B'	1166.17	56.23	14.51	1207.89	598.65	28.04	9.09	617.60	**590.29**	567.52
Figures for the previous year	1127.30	45.21	6.34	1166.17	576.78	26.13	4.26	598.65	**567.52**	
C. ASSETS RETIRED FROM ACTIVE USE										
Unserviceable / Obsolete Assets	30.60	6.33	7.73	29.20	-	-	-	-	**29.20**	30.60
Figures for the previous year	30.89	3.00	3.29	30.60	-	-	-	-	**30.60**	
Total ('A'+'B'+C')	43334.97	11649.13	161.66	54822.44	26502.34	1680.65	133.69	28049.30	**26773.14**	16832.63
Figures for the previous year	42306.72	1134.67	106.42	43334.97	24934.10	1639.59	71.35	26502.34	**16832.63**	

Note (Forming Part of the Consolidated Balance Sheet)

10B. INTANGIBLE FIXED ASSETS

(₹ crore)

Description	GROSS BLOCK (AT COST)				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	As at 31st March, 2013	Additions / Adjustments	Deductions	**As at 31st March 2014**	Up to 31st March, 2013	For the Year	Less : On Sales / Adjustments	**Up to 31st March 2014**	**As at 31st March 2014**	As at 31st March, 2013
A. PLANTS, MINES & OTHERS										
Good Will	5.89	0.00	0.00	5.89	0.57	0.00	0.00	0.57	5.32	5.32
Computer Software	108.20	5.13	0.06	113.27	74.31	17.74	0.06	91.99	21.28	33.89
Mining Rights	1684.18	20.43	0.00	1704.61	172.26	36.81	0.00	209.07	1495.54	1511.92
Sub-total 'A'	1798.27	25.56	0.06	1823.77	247.14	54.55	0.06	301.63	1522.14	1551.13
Figures for the previous year	1811.27	13.55	26.55	1798.27	391.26	-99.32	44.80	247.14	1551.13	
B. SOCIAL FACILITIES										
Computer Software	0.64	0.01	0.01	0.64	0.60	-0.01	-0.01	0.60	0.04	0.04
Sub-total 'B'	0.64	0.01	0.01	0.64	0.60	-0.01	-0.01	0.60	0.04	0.04
Figures for the previous year	0.65	-0.01	0.00	0.64	0.58	0.02	0.00	0.60	0.04	
Total ('A'+'B')	1798.91	25.57	0.07	1824.41	247.74	54.54	0.05	302.23	1522.18	1551.17
Figures for the previous year	1811.92	13.54	26.55	1798.91	391.84	-99.30	44.80	247.74	1551.17	

Note : Allocation of depreciation

(₹ crore)

		Current Year	**Previous Year**
(a)	Charged to Profit & Loss Account	1841.94	1526.61
(b)	Charged to expenditure during construction	7.12	7.33
(c)	Adjustments pertaining to earlier years	-115.49	3.64
(d)	Charged to Others	1.62	2.71
	Total	1735.19	1540.29

Note (Forming Part of the Consolidated Balance Sheet)

11. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS

(₹ crore)

		As at 31st March, 2014		As at 31st March, 2013
Expenditure during construction pending allocation **(Note 11.1)**		4.73		3.09
Capital Work-in-progress				
Steel Plants & Units	33634.29		35819.94	
Township	138.66		101.66	
Ore Mines and Quarries	272.53		244.45	
	34045.48		36166.05	
Less: Provisions	132.43	33913.05	63.34	36102.71
Construction Stores and Spares	42.44		57.05	
Less: Provision for non-moving items	1.71	40.73	1.74	55.31
		33958.51		36161.11

11.1. EXPENDITURE DURING CONSTRUCTION

(pending allocation)

(₹ crore)

			As at 31st March, 2014		As at 31st March, 2013
Opening balance	(a)		3.09		1.12
Expenditure incurred during the year					
Employees' Remuneration & Benefits					
Salaries & Wages		128.73		134.99	
Company's contribution to Provident fund		10.94		11.98	
Travel Concession		3.04		3.05	
Welfare Expenses		0.19		0.64	
Gratuity		7.65	150.55	6.40	157.06
Technical Consultants' fees & know-how			8.81		18.22
Power & Fuel			99.68		85.83
Other expenses			96.72		37.84
Interest & Finance charges			844.55		799.84
Depreciation			7.12		7.33
			1207.43		1106.12
Less: Recoveries					
Interest Earned		1.66		0.75	
Liquidated Damages		4.55		5.35	
Hire Charges		0.50		0.90	
Sundries		1.44	8.15	4.43	11.43
Net expenditure during the year	(b)		1199.28		1094.69
	Total (a)+(b)		1202.37		1095.81
Less : Amount allocated to Fixed Assets/ Capital Work-in-progress			1197.64		1092.72
Balance carried forward			4.73		3.09

Note (Forming Part of the Consolidated Balance Sheet)

12. NON CURRENT INVESTMENTS (AT COST)

(₹ crore)

	Number of Fully Paid up equity shares	Face Value Per Share (₹)	As at 31st March, 2014		As at 31st March, 2013	
(A) Unquoted						
Trade Investments						
Subsidiary Companies						
IISCO Ujjain Pipe & Foundary Company Limited (under liquidation)	30,00,000 (30,00,000)	10	3.00	**3.00**	3.00	3.00
Joint Venture Companies						
UEC SAIL Information Technology Limited	1,80,000 (1,80,000)	10	0.18		0.18	
North Bengal Dolomite Limited	97,900 (97,900)	100	0.98		0.98	
SAIL- Bansal Service Centre Limited	32,00,000 (32,00,000)	10	3.20		3.20	
Romelt SAIL (India) Limited	63,000 (63,000)	10	0.06	**4.42**	0.06	4.42
Others						
TRL Krozaki Refractories Limited	22,03,150 (22,03,150)	10	11.35		11.35	
Almora Magnesite Limited	40,000 (40,000)	100	0.37		0.76	
Indian Potash Limited	3,60,000 (3,60,000)	10	0.18		0.18	
Cement & Allied Products (Bihar) Limited	2 (2)	10	0.00 *		0.00 *	
Chemical & Fertilizer Corporation (Bihar) Limited	1 (1)	10	0.00 *		0.00 *	
Bhilai Power Supply Company Limited	5 (5)	10	0.00 *		0.00 *	
MSTC Limited	80,000 (80,000)	10	0.01		0.01	
Bihar State Finance Corporation	500 (500)	100	0.01		0.01	
Investment in Mutual Funds			0.00		2.00	
ICVL Global PTE Ltd.			0.03		0.03	
Shares in Co.-operative Societies (Note No. 12.1)			0.18	**12.13**	0.18	14.52
Total (A)				**19.55**		21.94
(B) Quoted						
HDFC Limited	60,000 (60,000)	2	0.01		0.01	
HDFC Bank Limited	2500 (2,500)	2	0.00		0.00 *	
ICICI Bank Limited	28600 (28,600)	10	0.05	**0.06**	0.05	0.06
Total (B)				**0.06** @		0.06
Total (A+B)				**19.61**		22.00
Less : Provision for diminution in value of investments				**7.48**		7.48
				12.13		14.52
@ Market value of quoted investments				**8.27**		8.10

* Cost being less than ₹ 50,000/-, figures not given.

12.1 : SHARES IN CO-OPERATIVE SOCIETIES

(₹)

	Number of Fully Paid up Shares	Face Value Per Share (₹)	As at 31st March, 2014	As at 31st March, 2013
Bokaro Steel Employees' Co.-operative Credit Society Limited	116500 (116500)	10	**1165000**	1165000
Bokaro Steel City Central Consumers' Co.-operative Stores Limited	250 (250)	10	**2500**	2500
NMDC Meghahatuburu Employees' Consumers Co-operative Society Limited	25 (25)	100	**2500**	2500
DSP Employees' Co-operative Society Limited	1377 (1377)	100	**137700**	137700
Bolani Ores Employees' Consumer Co.-operative Society Limited	200 (200)	25	**5000**	5000
IISCO Employees Primary Co-operative Stores Limited	23000 (23000)	20	**460000**	460000
			1772700	1772700

Note (Forming Part of the Consolidated Balance Sheet)

13. LONG TERM LOANS AND ADVANCES

(₹ crore)

	As at 31st March, 2014		As at 31st March, 2013	
Capital Advances	145.53		219.95	
Less: Provision for doubtful capital advances	1.00	144.53	7.12	212.83
Security Deposits		61.72		86.56
Loans and advances to related parties	6.66		10.53	
Less: Provision for doubtful related party advances	2.53	4.13	2.53	8.00
Other loans and advances				
Loans				
Employees	331.68		403.33	
Others	1.14	332.82	4.65	407.98
Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received				
Contractors & suppliers	203.99		224.67	
Employees	2.55		1.20	
Income tax paid in advance / recoverable	595.94		758.97	
MAT Credit	606.31		0.00	
Others	4.74	1413.53	4.69	989.53
Deposits				
Port trust, Excise authorities, Railways etc.	58.52		72.38	
Others	2127.28	2185.80	1742.29	1814.67
		4142.53		3519.57
Less : Provision for other Loans & advances		47.74		63.24
		4094.79		3456.33
Particulars of long term loans and advances				
Secured, Considered Good		262.60		305.04
Unsecured, Considered Good		3832.19		3151.29
Doubtful		51.27		72.89
		4146.06		3529.22
Amount due from				
-Directors		0.00		0.00
-Officers		0.01		0.08

14. OTHER NON CURRENT ASSETS

(₹ crore)

	As at 31st March, 2014		As at 31st March, 2013	
Long Term Trade Receivables	50.46		39.03	
Less : Provision	28.55	21.91	27.07	11.96
Particulars				
Secured, considered good		0.00		0.00
Unsecured, considered good		21.91		11.96
Doubtful		28.55		27.07
		50.46		39.03
Long Term Claims recoverable		111.00		35.23
Interest Receivable/Accrued				
Employees		2.52		3.61
OTHERS				
-- Pre operative expenses		0.54		0.14
-- Preliminary expenses		0.42		
		136.39		50.94

Note (Forming Part of the Consolidated Balance Sheet)

15. INVENTORIES*

(₹ crore)

	As at 31st March, 2014		As at 31st March, 2013	
Stores & spares				
-- Production	2639.87		2406.21	
-- Fuel Stores	125.05		173.68	
-- Others	67.09		25.41	
	2832.01		2605.30	
Add: In-transit	151.31		182.01	
	2983.32		2787.31	
Less: Provision for Non Moving/Obsolete items	195.20	2788.12	176.29	2611.02
Raw materials	2577.11		2274.26	
Add: In-transit	1012.00		1324.80	
	3589.11		3599.06	
Less: Provision for unusable materials	8.47	3580.64	8.20	3590.86
Finished / Semi-finished products				
-- Finished Goods	6389.18		7895.78	
-- Work-in-Progress	2441.55		1851.95	
-- Stock in Trade	0.17		0.10	
	8830.90		9747.83	
Add: In-transit	165.83	8996.73	216.21	9964.04
		15365.49		16165.92

* Valued as per aAccounting Policy (G)

16: TRADE RECEIVABLES- CURRENT

(₹ crore)

	As at 31st March, 2014		As at 31st March, 2013	
Trade Receviables over six months	572.55		490.60	
Less : Provision	135.43	437.12	129.04	361.56
Trade Receivables less than six months	5063.85		4189.62	
Less : Provision	0.35	5063.50	0.63	4188.99
		5500.62		4550.55
Particulars				
Secured,considered good		0.00		27.26
Unsecured, considered good		5500.62		4523.29
Doubtful		135.78		129.67
		5636.40		4680.22

17. CASH & BANK BALANCES

(₹ crore)

	As at 31st March, 2014		As at 31st March, 2013	
(i) Cash and Cash Equivalents				
Balance with Banks *				
Current account	58.81		88.26	
Term Deposit with maturity upto 3 months	22.16		81.64	
Term Deposit under Bank Lien / pledge against loan	0.14		0.16	
Term Deposit as per court orders with maturity upto 3 months	0.42		0.48	
Term Deposit - PM Trophy with maturity upto 3 months	17.65		37.16	
Unpaid Dividend Account	13.58	112.76	11.67	219.37
Cheques on hand		194.90		244.22
Cash and Stamps on hand		1.10		1.41
Sub total		308.76		465.00
(ii) Other Bank Balances *				
Term Deposit with maturity more than 3 months	2695.06		3541.15	
Term Deposit as per court orders	96.43		128.86	
Earmarked Term Deposit	57.72	2849.21	42.20	3712.21
Total		3157.97		4177.21
*** Includes**				
- Maturity period less than 12 months	2876.07		3827.91	
- Maturity period more than 12 months	13.51	2889.58	3.74	3831.65

Note (Forming Part of the Consolidated Balance Sheet)

18. SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(₹ crore)

		As at 31st March, 2014		As at 31st March, 2013
Loans and advances to related parties	66.82		117.15	
Less: Provision for doubtful related party advances	1.39	65.43	1.39	115.76
Other loans and advances				
Loans				
Employees	93.76		103.42	
Others	3.56	97.32	5.42	108.84
Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received				
Contractors & suppliers	229.67		222.79	
Employees	8.43		8.19	
Income tax paid in advance / recoverable	66.22		58.44	
For purchase of shares	7.31		7.50	
Others	650.61	962.24	497.28	794.20
Security Deposits		7.84		3.74
Deposits				
Port trust, Excise authorities, Railways etc.	0.90		0.69	
Others	93.54	94.44	69.88	70.57
		1227.27		1093.11
Less : Provision for other Loans & advances		56.49		33.05
		1170.78		1060.06
Particulars of short term loans and advances				
Secured, Considered Good		41.94		39.45
Unsecured, Considered Good		1128.84		1020.61
Doubtful		57.88		34.44
		1228.66		1094.50

19. OTHER CURRENT ASSETS

(₹ crore)

		As at 31st March, 2014		As at 31st March, 2013
Gold Coins on hand		0.26		0.26
Interest Receivable/Accrued				
Loans to subsidiary company	0.00		0.00	
Loans to other companies	0.00		0.00	
Term Deposits	12.58		9.91	
Employees	4.35		4.76	
Others	123.28		42.15	
	140.21		56.82	
Less Provision for doubtful interest	3.39	136.82	3.39	53.43
Others				
Receivables other than Trade	102.42		174.11	
Claims recoverable	2112.49		2241.43	
Export Incentive	23.18		19.41	
	2238.09		2434.95	
Less Provision	86.62	2151.47	62.77	2372.18
		2288.55		2425.87

टिप्पणी (जो लाभ एवं हानि लेखे का ही अंश है)

20. प्रचालनों से आय

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री			
घरेलू		50860.78	48644.40
ऊर्जा और भाप		0.00	44.72
निर्यात		1497.01	1158.23
निर्यात प्रोत्साहन		29.69	29.33
उप योग	(क)	52387.48	49876.68
सेवाओं की बिक्री			
सेवा प्रभार (सकल)		38.59	55.97
उप योग	(ख)	38.59	55.97
अन्य प्रचालन राजस्व			
सामाजिक सुविधाएं–वसूलियां		250.00	234.55
खाली सामान आदि की बिक्री		39.82	40.93
विविध		196.20	221.73
उप योग	(ग)	486.02	497.21
कुल	**(क+ख+ग)**	52912.09	50429.86

21. अन्य आय

(₹ करोड़)

			31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय					
ग्राहकों			159.12		142.88
कर्मचारी			25.41		30.84
सावधि जमा			383.48		653.35
अन्य			48.88		26.32
उप योग	(क)		616.89		853.39
लाभांश आय					
निवेशों से लाभांश			3.39		4.79
उप योग	(ख)		3.39		4.79
अन्य गैर–प्रचालन आय					
सहायता, अनुदान एवं छूट			16.51		19.31
अन्य सहायता अनुदान			0.00		0.02
अन्य गैर–प्रचालन आय			12.81		13.51
स्थाई परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)			6.26		23.12
परिसमापित क्षति			23.40		30.51
देनदारियों को बट्टे खाते डालना			73.35		75.19
			132.33		161.66
घटायाः गैर–प्रचालन आय हेतु व्यय		1.17		1.94	
उप योग	(ग)		131.16		159.72
प्रावधान जिनके अपलेखन की आवश्यकता नहीं है					
ऋण एवं अग्रिम			14.59		3.78
विविध देनदार			13.14		8.23
भंडार और कलपुर्जे			8.45		5.19
अन्य		12.92		15.91	
उप योग	घ)		49.10		33.11
कुल	**(क+ख+ग)**		800.54		1051.01

टिप्पणी (जो लाभ एवं हानि लेखे का ही अंश है)

22. कच्चे माल की खपत

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष
लौह अयस्क	3238.63	3279.85
कोयला	15065.19	13969.31
कोक	644.34	2977.51
चूनापत्थर	1109.24	887.20
डोलोमाइट	431.47	406.80
फैरो मैंगनीज़	547.10	510.33
फैरो सिलिकन	168.50	157.97
सिलिको मैंगनीज	744.34	745.98
मध्यवर्ती उत्पाद	2.70	0.52
ज़िक	97.09	75.86
एल्यूमीनियम	247.06	242.41
अन्य	1488.31	1762.30
	23783.97	25016.04
Less : Inter account adjustment for raw material	3776.80	3053.60
	20007.17	21962.44

23. तैयार माल, चालू कार्य की मांगसूची में परिवर्तन

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक स्टॉक				
—तैयार माल	7996.97		5655.12	
— चालू कार्य	1966.97		2014.76	
— विक्रेय स्टाक	0.10	9964.04	0.02	7669.90
घटाया : समाप्ति माल				
—तैयार माल	6553.10		8043.83	
— चालू कार्य	2443.45		1920.11	
— विक्रेय स्टाक	0.17	8996.72	0.10	9964.04
		967.32		-2294.14
घटाया : स्टॉक में निवल अभिवृद्धि(–)/कमी पर उत्पाद शुल्क		70.83		-274.74
स्टॉक में निवल अभिवृद्धि (–)/कमी		896.49		-2019.4

24. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं मजदूरी	7498.23	6233.03
छुट्टी नकदीकरण	241.57	779.99
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में कंपनी का अंशदान	876.18	563.83
यात्रा रियायत	128.41	34.13
कल्याण व्यय	63.14	498.16
ग्रेच्यूटि	902.87	646.85
	9710.40	8755.99
घटाया : कर्नाटक सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	0.15	0.26
	9710.25	8755.73

टिप्पणी (जो लाभ एवं हानि लेखे का ही अंश है)

25. वित्त लागत

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष
ब्याज लागत				
— विदेशी मुद्रा ऋण		130.48		124.81
— अपरिवर्तनीय बॉण्ड		145.61		108.25
— बैंक उधारी – सक्रिय पूंजी		83.56		39.33
— इस्पात विकास निधि ऋण		3.33		3.85
— अन्य		243.54		277.82
—आय कर अधिनियम के अंतर्गत ब्याज		2.67		0.02
— अन्य ऋण लागत		448.08		292.00
		1057.27		846.08
टिप्पणी :				
ब्याज एवं वित्त प्रभार पर व्यय जो ऊपर शामिल नहीं है और निम्नलिखित पर प्रभारितः				
निर्माण के दौरान व्यय				
ब्याज लागत				
विदेशी मुद्रा ऋण		220.63		184.34
अपरिवर्तनीय बॉण्ड		619.07		568.74
इस्पात विकास निधि ऋण–ब्याज		4.85		4.31
अन्य	0.00	9.28		
अन्य ऋण लागत		0.00		33.17
		844.55		799.84

26. अन्य व्यय

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष
सामान एवं कलपुर्जे की खपत		2377.00		2178.39
विद्युत एवं ईंधन		3730.69		3669.48
मरम्मत एवं अनुरक्षण				
भवन	218.95		180.21	
संयंत्र एवं मशीनरी	611.40		552.47	
अन्य	187.53	1017.88	169.65	902.33
जावक भाड़ा		1015.11		1028.54
रखरखाव व्यय				
– कच्चा माल	264.26		209.12	
– स्क्रैतप रिकवरी	224.85	489.11	163.63	372.75
रॉयल्टी एवं उपकर		916.51		976.63
संपरिवर्तन प्रभार		278.16		329.12
अंतर–संयंत्र अंतरण/आंतरिक उपभोग पर उत्पाद		461.94		385.47
संपरिवर्तन प्रभार		93.72		55.99
जल प्रदूषण पर जल प्रभार एवं उपकर		117.29		105.74
बीमा	19.57		18.80	
डाक, टेलीग्राफ और टेलीफोन		22.24		20.70
मुद्रण एवं लेखन–सामग्री		9.77		10.54
दरें एवं कर		72.17		68.51
किराया		27.12		15.84
प्रतिभूति व्यय		356.05		321.48
यात्रा व्यय		190.29		216.80
प्रशिक्षण व्यय *		39.55		26.36
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक				
– लेखापरीक्षा शुल्क	1.53		1.42	
– कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.44		0.45	
– अन्य सेवाओं में	0.92		0.96	
– फुटकर व्यय	0.82	3.71	0.70	3.53
लागत लेखापरीक्षा शुल्क एवं प्रतिपूर्ति व्यय		0.15		0.14
प्रावधान				
– संदिग्ध देनदारी, ऋण एवं अग्रिम	63.55		29.21	
– सामान, कलपुर्जे एवं विविध	137.43	200.98	26.70	55.91
बट्टे खाते– विविध		8.28		0.62
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवज़ा		0.01		0.23
रखरखाव व्यय –तैयार माल		125.79		122.68
नकद छूट (निवल)		94.32		83.05
बिक्री एजेंट को कमीशन		24.07		9.34
निर्यात बिक्री व्यय		25.36		18.37
संपत्ति कर का प्रावधान		0.01		0.01
बिक्री व्यय		0.00		12.34
विविध		415.82		287.79
		12132.67		11297.48
* प्रशिक्षण व्यंय को ऊपर शामिल नहीं किया गया है और खाते के मुख्य शीर्ष में प्रभारित		58.83		63.04

Note (Forming Part of the Statement of Profit and Loss)

27 : ADJUSTMENTS PERTAINING TO EARLIER YEARS

(₹ in crore)

	Year ended 31st March, 2014	Year ended 31st March, 2013
Sales	**-7.01**	-28.70
Other revenues	**0.00**	1.03
Raw materials consumed	**-4.76**	-6.99
Stores & spares consumed	**-1.98**	-2.02
Power & fuel	**-1.43**	0.00
Employee Remuneration and Benefits	**0.00**	0.00
Repair & Maintenance	**1.13**	-1.47
Excise duty	**0.00**	2.20
Other expenses	**0.92**	-8.62
Depreciation	**-115.49**	3.64
Interest	**-21.19**	0.00
Net Debit	**-149.81**	-40.93

(-) indicate credit

Other Notes to Financial Statements

28.1 : The Subsidiary company, Joint Venture Companies and Associate Company, all incorporated in India, considered in the consolidated financial statements, are as follows:

(₹ crore)

Sl No.	Name of the Company	Proportion (%) of Company's ownership interest	
		As on 31st March, 2014	As on 31st March, 2013
A.	**Subsidiary Company**		
	SAIL Refractory Company Limited (SRCL)	100	100
	SAIL-Jagdishpur Power Plant Limited (SJPPL)	100	100
	SAIL Sindri Projects Limited (SSPL)	100	100
B.	**Joint Venture Companies**		
	NTPC SAIL Power Company Private Limited (NSPCL)	50	50
	Bokaro Power Supply Company Private Limited (BPSCL)	50	50
	Mjunction Services Limited (MSL)	50	50
	Bhilai Jaypee Cement Limited	26	26
	Bokaro Jaypee Cement Limited	26	26
	S & T Mining Company Private Limited	50	50
	SAIL & MOIL Ferro Alloys Private Limited	50	50
	International Coal Ventures Private Limited	28.57	28.57
	SAIL-SCI Shipping Private Limited	50	50
	Steel SCL Kerala Limited	48.36	48.36
	SAIL-RITES Bengal Wagon Industry Private Limited (SRBWIPL)	50	50
	SAIL Kobe Iron India Private Limited	50	50
	SAL SAIL JVC Limited	26	26
	TMTSAL SAIL JV Limited	26	26
	Sail-Bengal Alloy Castings Private Limited	50	-
	Prime Gold-SAIL JVC Limited	26	-
	VSL SAIL JVC Limited	26	-
	Abhinav SAIL JVC Limited	26	-
C.	**Associate Company**		
	Almora Magnesite Limited (AML)	20	20

28.2 Subsidiary Companies are engaged in the business of :

i) SRCL in manufacture of Refractories;

ii) SJPPL in Power generation; and

iii) SSPL in manufacture of Fertilisers.

28.3 The accounts of UEC SAIL Information Technology Limited (USIT), Romelt SAIL (India) Limited, N.E. Steel & Galvanising Private Limited, North Bengal Dolomite Limited and SAIL Bansal Service Centre Limited (SBSCL), joint venture companies of SAIL have not been consolidated as the same have not been prepared yet.

29. Principles of consolidation of Financial Statements

29.1 The consolidated financial statements of Steel Authority of IndiaLtd. (SAIL) and its Subsidiary, Joint Ventures and Associate Companies are prepared in accordance with Accounting Standard (AS)-21 on "Consolidated financial statements", AS-23 on "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" and AS-27 on "Financial reporting of interest in Joint Ventures" as notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 and are presented to the extent possible in the same manner as the Company's separate financial statement.

29.2 The financial statements of SAIL and Subsidiary Companies (SRCL, SJPPL and SSPL) are consolidated as per AS - 21 issued by Ministry of

Corporate Affairs on line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenditure, after fully eliminating intra group balances / transactions and any unrealised profit/loss included therein. However, materials lying in stock against intra-group transfers and profit margins included therein, the quantum whereof is insignificant, have been accounted for based on the management certificates.

29.3 The interest in the Joint Venture Companies has been accounted by using the proportionate consolidation method as per AS-27, issued by Ministry of Corporate Affairs.

29.4 Investment in Associate Company has been accounted for using "equity method" as prescribed by AS–23 issued by Ministry of Corporate Affairs whereby investment is initially recorded at cost and the carrying amount is adjusted thereafter for post-acquisition change in the Company's share of net assets of the Associate.

The carrying amount of investment in Associate Company includes Capital Reserve of ₹ 0.56 crore, arising out of acquisition.

29.5 The excess of cost to SAIL, of its investment in its Subsidiary, Associate Company and Joint Ventures, over its portion of equity is recognised in the financial statements as Goodwill. The excess of SAIL portion of equity of the Subsidiary, Associate Companies and Joint Ventures over cost of its investment is treated as Capital Reserve. This has been calculated, presuming such acquisitions to be on the last date of the respective years, irrespective of the actual date of such acquisition.

29.6 The accounts of IISCO-Ujjain Pipe & Foundry Company Limited, a wholly owned subsidiary company of SAIL have not been consolidated, being under liquidation.

30.1 CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in crore)

		As at 31st March, 2014	As at 31st March, 2013
(i)	Claims against the Group pending appellate/judicial decisions against which the Group has counter claims of ₹26.85 crores (₹18.41 crores) * includes sales tax on inter-state stock transfers from SAIL plants to stockyards - ₹743.12 crores (₹740.94 crores) for which no liability is expected to arise, as sales tax has been paid on eventual sales	12484.92	7443.39
(ii)	Other claims against the Group not acknowledged as debts against which the Group has counter-claims of ₹103.95 crores (₹62.42 crores)	7534.78	5809.01
(iii)	Disputed income tax/service tax/ other demand on joint venture company for which company may be contingently liable under the joint venture agreement	30.39	29.33
(iv)	Bills drawn on customers and discounted with banks	47.94	66.89
(v)	Price escalation claims by contractors/suppliers and claims by certain employees, extent whereof is not ascertainable	-	-

30.2 In respect of SAIL :

a) Pending final decision by the Hon'ble Supreme Court of India in Special Leave Petition against order by the Hon'ble High Court of Allahabad dismissing the writ petition of the Company, on levy of entry tax in the state of Uttar Pradesh, the entry tax amount included in Note No. 30.1(i), includes disputed demand of ₹91.55 crore (₹81.64 crore). The Company has deposited ₹81.88 crore (₹70.57 crore) against the said demand which has been shown as deposit and disclosed under Long term Loans and Advances.

Pending final decision by the Hon'ble Supreme Court of India in SLP against order by the respective Hon'ble High Courts dismissing the writ petitions of the Company, the entry tax amount in Note No. 30.1(i) includes disputed demands of ₹1071.28 Crore (₹888.46 crore) in Chhattisgarh State and ₹214.81 crore (₹170.32 crore) in Odisha State respectively. In case of NSPCL, the entry tax amount in Note No. 30(1)(i) includes disputed demand of ₹0.80 crore (₹0.68 crore) in the state of Odisha.

In respect of the case pertaining to Chattisgarh State, liability of ₹1071.15 crore (₹891.04 crore), based on legal opinion, has been provided in the books towards entry tax @3% against the demand @6%. The Company has deposited ₹1071.15 crore (₹891.04 crore) and ₹78.12 crore (₹53.74 crore) in Chhattisgarh and Odisha State respectively against the said demand which has been treated as Deposit and disclosed under Long term Loans and Advances.

b) Pending decision by the Hon'ble Supreme Court of India in SLP against order by the Honorable High Court of Jharkhand dismissing the writ petition of the Company, claim of ₹291.76 crore (₹217.40 crore) made by Damodar Valley Corporation (DVC) in respect of electricity supplied to Bokaro Steel Plant of the Company, has been disclosed as contingent liability included in Note No. 30.1(i). Against the said claim, the entire amount has been paid to DVC against bills raised by them, and disclosed under short term loans and advances.

c) Pending decision by 'Appellate Tribunal For Electricity', the claims of ₹ 79.30 crore (₹ 50.06 crore) made by Damodar Valley Corporation in respect of electricity supplied to Durgapur Steel Plant and Alloy Steels Plant of the Company, has been disclosed as contingent liability included in Note No. 30.1(i).

d) Rourkela Steel Plant of the Company has proposed to the Government Odisha for an out of court settlement of the matter relating to levy of water tax under the provisions of Odisha Irrigation Act, 1959 and rules thereunder, keeping in view of overall interest of the Company. If the settlement is accepted, the Company may have to pay an amount which shall be mutually agreed to with the State Government of Odisha.

e) BCCL has claimed an amount of ₹60.21 crore towards MADA Cess @1% on the invoices raised by it. The Company has not paid the said amount and disclosed as contingent liability as the matter is sub-judice. BCCL has confirmed that Cess is not being paid for other buyers also, though collected.

f) The Contingent Liabilities stated in para 30.1 also include court/arbitration cases where the Company has lost the cases in first or subsequent appeals and has gone to appeal in the higher forums.

31. FIXED ASSETS

31.1 Land:

(i) Includes 66484.91 acres (67178.24 acres) and 54.30 acres (54.30 acres) in respect of SAIL and SAIL & MOIL Ferro Alloys Private Limited respectively, owned/ possessed / taken on lease by the Company, in respect of which title/lease deeds are pending for registration.

(ii) Includes 35902.82 acres (35903.35 acres) in respect of which title is under dispute.

(iii) 8200.76 acres (10881.28 acres) transferred/agreed to be transferred or made available for settlement to various Central/ State/Semi-Government authorities, in respect of which conveyance deeds remain to be executed/registered.

(iv) 6345.43 acres (6156.20 acres) given on lease to various agencies/employees/ex-employees.

(v) Includes 4066.88 acres (4262.42 acres) acres under unauthorised occupation.

(vi) 824.86 acres (824.86 acres) of Land shown as deemed possession which is not in actual possession.

(vii) ₹59.88 crore is lying under deposits (in respect of land already acquired) with the District & Sessions Judge, Bokaro during the year 2007 towards compensation payable to land losers.

(viii) Vide Notification of Acquisition in the Gazette of India (Extraordinary) bearing No S.O. 1309(E) dated 08.06.2012 and No. S.O. 2484 E dated 13.10.2012, National Highway Authority of India Ltd (NHAI) has acquired 6.486 acres of Land of the Plant. The compensation for the land is under determination by NHAI and will be accounted for on final determination.

31.2 In case of SAIL, Buildings include net block of ₹22.58 crore (₹25.26 crore) and in case of SRCL, Land and Building includes ₹6.78 crore (₹6.78 crore) respectively for which conveyance deed is yet to be registered in the name of the Companies.

31.3 In case of SAIL, assets retired from active use and waiting for disposal amounting to ₹ 29.10 crore has been shown under note 10 (a) " Tangible Fixed Assets", the net realizable value of which in the opinion of the management will not be less than the amount shown and does not require any provision.

In case of SRCL, in respect of Immovable Property, Revenue records, continue to remain in the name of Burn Standard Company Limited

31.4 a) Capital work in Progress includes ₹38.07crore (₹107.17 crore) (Consultancy charges) in respect of some deferred capital schemes, which are to be implemented in the near future. Therefore, no provision is required at this stage.

b) Capital Work in Progress includes ₹115.38 crore (₹103.95 crore) crore in respect of Steel Processing Unit at Bettiah comprising of various processing units for producing a range of products, which is awaiting commissioning. The unit will be capitalized after integrated commissioning and put to use for commercial production.

c) Capital Work in Progress includes ₹122.03 crore (₹121.80 crore) in respect of 20 Hi Sendzemir Mill which could not be completed due to accident in the trailer carrying Mill Housing. The case filed by M/s. Waterbury Farrel, original supplier, was dismissed by Hon'ble District Court of Salem by their order dated 13.08.2013 and retendering process is going on to complete the balance portion of work on risk purchase basis.

31.5 SAIL has opted for accounting the exchange difference arising on reporting of long term foreign currency monetary items in line with Notification dated 31st March, 2009 issued by Ministry of Corporate Affairs on Accounting Standard 11-`The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates'. During the year ended 31st March, 2014, the net foreign exchange variations of ₹340.44 crore (net debit) [₹134.53 crore (net debit)] on foreign currency loans have been adjusted in the carrying amount of fixed assets/capital work-in-progress. Out of the exchange differences adjusted from 1st April, 2008 to 31st March, 2014, an amount of ₹433.70 crore (net debit) [₹220.08 crore (net debit)] is yet to be depreciated/amortised as at 31st March, 2014.

31.6 Estimated amount of contracts remaining to be executed and not provided for (net of advances) on capital account are ₹13811.91 crore (₹17835.84 crore) and on revenue account, are ₹1459.72 crore (₹1085.96 crore).

32.1 As part of its Modernization and Expansion Plan / other Capital Schemes in IISCO Steel Plant, Burnpur of SAIL, in the opinion of the Management, the following Assets have become usable and have been capitalized after installation, trial run, removal of all defects, issue of acceptance certificate and having become ready for commercial production during the year:

(₹ crore)

Sl. No.	Name of Package	Amount Capitalized	Date of Capitalization as taken by the Management	Depreciation charged for the year
1.	Coke Oven Battery & Related Facilities	1791.05	28/10/2013	37.66
2.	Sinter Plant & Related Facilities	2142.66	02/03/2014	8.69
3.	Wire Rod Mill & Related Facilities	681.97	14/10/2013	15.23
4.	Power Blowing Station	639.16	03/10/2013	15.81
5.	Others (including AMR schemes)	202.64		8.08
	Total	**5457.48**		**85.47**

32.2 As part of its Modernization and Expansion Plan / other Capital Schemes in Rourkela Steel Plant of SAIL, in the opinion of the Management, the following Assets have become usable and have been capitalized after installation, trial run, removal of all defects, issue of acceptance certificate and having become ready for commercial production during the year:

(₹ crore)

Sl. No.	Name of Package	Amount Capitalized	Date of Capitalization as taken by the Management	Depreciation charged for the year
1.	Coal Handling Plant under 4.2 MTPA Expansion	341.67	01/03/2014	1.50
2.	RMHC New OBBP	630.71	01/03/2014	2.78
3.	New 7 Mtr COB-6 and related facilities	894.84	01/03/2014	3.94
4.	Set up of 1X300 Sqm Sinter Plant (PKG 020)	871.12	01/03/2014	3.83
5.	New Slab Caster	798.57	14/10/2013	21.08
6.	Set up of Boiler, Steam Turbine Generator, Back Pressure Turbine Generator and Balance of Plant (PKG 011)	488.40	15/03/2014	2.15
7.	Installation of New MSDS – IV, V, VI (PKG-087)	118.20	01/03/2014	0.52
8.	Others (including AMR Schemes)	705.45		73.05
	Total	**4848.96**		**108.85**

32.3 Further, an amount of ₹15502.02 crore, detailed below, is kept under Capital Work-in-Progress representing capital expenditure on various Packages/Schemes installed/under installation and in the opinion of the Management, not yet ready for operation. The same will be capitalized after completion of installation, trial run, removal of all defects and getting ready for commercial production:

(₹ crore)

Sl. No.	Name of the Plant	Amount
1.	IISCO Steel Plant (ISP)	9182.93
2.	Rourkela Steel Plant (RSP)	6319.09

32.4 In respect of SAIL/ISP, Boiler 3 (appearing in Note No. 11- Capital Work in Progress at a value of ₹37.00 crore) was damaged on 12th March, 2013 due to explosion. Insurance claim was lodged by the Contractor working on the project for the damages caused due to explosion. The insurance claim was refuted twice by the Insurer. However, the Contractor has been further pursuing the claim with the Insurer. In the meantime, a contract has been awarded to the same Contractor for repairing of the Boiler at a value of ₹22.00 crore, net of Cenvat. The amount on the repair job will be charged to Statement of Profit & Loss as and when it is incurred.

33. INVESTMENT, CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES AND CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS.

33.1 The Central Board of Direct Taxes vide its Notification dated 25th September 2001 revised the rules for computation of certain perquisites. The Employees' Union/Association filed writ petitions with the Hon'ble High Court at Kolkata challenging the above Notification. In pursuance of the Hon'ble Court's orders, the term deposits (including interest earned thereon) amounting to ₹95.48 crore (₹130.51 crore), in respect of tax deducted at source (TDS), have been kept separately with bank(s). Such deductions and deposits after 31st March 2005 have been made in accordance with amended law/judicial decisions. The writ petition filed by Steel Workers Federation of India is still pending before the Hon'ble Court. However, there is no impact on accounts of SAIL as the additional tax, if required, shall be recoverable from the employees.

33.2 The amount due to Micro and Small Enterprises as defined in the `The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006', (as disclosed in Note No. 7- Trade Payables) has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with SAIL. The disclosures relating to Micro and Small Enterprises as at 31st March 2014 are as under: (₹in crore)

No.	Description	As at 31st March' 2014	As at 31st March' 2013
i.	The principal amount remaining unpaid to supplier as at the end of the year.	21.44	15.30
ii.	The amount of interest accrued during the year and remaining unpaid at the end of the year.	-	-
iii.	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23.	-	-
iv.	The interest due thereon remaining unpaid to supplier as at the end of the year	-	-
		For the year ended	
		31st March 2014	31st March 2013
v.	The amount of interest paid in terms of section 16, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year	-	-
vi.	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act.	-	-

33.3 Balances of Trade Receivables and Recoverables shown under 'Current Assets' and Trade and Other Payables shown under `Current Liabilities', include balances subject to confirmation/reconciliation and consequential adjustment, if any. Reconciliations are carried out on on-going basis. Provisions, wherever considered necessary, have been made.

33.4 During the year, additional liability of ₹22.30 crore has been provided towards supply of electricity by BPSCL, on account of completion of reconciliation of accounts pertaining to earlier years.

33.5 SAIL has stock of iron ore fines of 41.12 million tonnes (41.15 million

tonnes) at various mines of the Company. Since the usage/sale of such iron ore fines, involves elements of uncertainties, as a matter of prudence, no valuation of such fines has been made in the accounts. However, the revenue earned from actual disposal thereof during the year has been recognised in the books of accounts.

33.6 In case of SAIL-SCI Shipping Private Limited, the paid-up capital of the company as per memorandum and articles of association on its incorporation is ₹1,00,00,000/- consisting of 10,00,000 equity shares of ₹10/- each subscribed equally by Joint Venture partners viz. Steel Authority Of India Limited and Shipping Corporation of India Limited. However, till date the joint venture partners have paid ₹20,00,000/-in total (₹10,00,000/-by each partner) towards subscription money and balance subscription money receivables will be infused as and when the company starts its business activity. These subscription monies are yet to be received as the Company has not started its operation.

33.7 The long term lease against land of 15.43 acres has not been executed between SAIL and SRBWIPL as per the Joint Venture Agreement entered on 14.09.2010 between SAIL and SRBWIPL as of now. The company has taken loan from DENA Bank against Building, Plant & Machinery nad Furniture & Fixtures on pre-disbursement condition that long term lease between SAIl and the Company to be executed within 36 months from the date of sanction i.e. 25th July, 2012.

34. STATEMENT OF PROFIT & LOSS

34.1 In respect of SAIL, Net Sales include sales to Government agencies recognised on provisional contract prices during the year ended 31st March 2014: ₹3257.40 crore (Previous year: ₹3617.90 crore) and cumulatively upto 31st March, 2014: ₹6900.19 crore (Previous year: ₹18288.38 crore). During the year, the provisional rates of supplies to Indian Railways have been finalised upto 31st March, 2012, resulting in decrease in net sales of ₹925.06 crore for the period from 1st January, 2008 to 30th June, 2010 and increase in net sales by ₹678.96 crore for the period from 1st July, 2010 to 31st March, 2012. As a result, the net sales and profit for the year are lower by ₹246.10 crore and ₹277.27 crore respectively.

34.2 Sales include Railway Receipts (RR) made upto 31st March, 2014 and endorsed in favour of the customers and retired upto the cut-off date i.e. 21st April, 2014.

34.3 In case of SAIL, Prior Period income includes :

a) ₹120.94 crore towards write back of depreciation on fixed assets depreciated at 100% in earlier years as against 95% of the cost of fixed assets.

b) ₹20.67 crore towards interest income on deposits made by Bokaro Steel Plant in the name of 'District & Sessions Judge – A/c Land' and utilised fully for payment to land owners in respect of land acquired by the Bokaro Steel Plant.

34.4 Power & Fuel does not include expenses for generation of power and consumption of certain fuel elements produced by the Plants which have been included under the primary heads of account.

34.5 In respect of SAIL, the research and development expenditure charged to Statement of Profit & Loss and allocated to fixed assets, during the year, amount to ₹106.05 crore (₹145.07 crore) and ₹4.38 crore (₹2.56 crore) respectively. The aggregate amount of revenue expenditure incurred on research and development is shown in the respective head of accounts. The break-up of the amount is as under:

(₹ crore)

Head of Account	For the year ended	
	31st March, 2014	31st March, 2013
Employee Benefits Expenses	65.48	100.90
Cost of Materials Consumed	4.81	0.29
Stores & Spares Consumed	2.95	9.86
Power & Fuel	1.81	1.64
Repairs & Maintenance	2.62	2.42
Other Expenses & Provisions	26.18	26.28
Finance Cost	0.08	0.26
Depreciation	3.73	3.58
Sub-total	**107.66**	**145.23**
Less : Transferred to Inter Account Adjustments	1.61	0.16
Total	**106.05**	**145.07**

34.6 SAIL reviews the carrying amount of its fixed assets on each balance sheet date for the purpose of ascertaining impairment, if any, by considering assets of entire one plant as Cash Generating Unit (CGU). If any such indication exists, the assets recoverable amount is estimated, as higher of the net selling price and the value in use. An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The net selling price of the CGU is determined once in every three years. On such review as on 31st March 2014, no provision for the loss making units is required to be made, as the net realisable value thereof, assessed by an independent agencies, as on 31st March, 2014 for IISCO Steel Plant, Alloy Steels Plant and Visvesvaraya Iron & Steel Plant, and as on 31st March, 2012, for Salem Steel Plant, is more than the carrying amount of respective CGU.

In the opinion of the management, there is no impairment of assets in the Polisher unit in Salem amounting to ₹8.51 crore as the net realisable value is higher than the book value. Similarly, the net realizable value of Pipe Coating Plant at RSP is higher than the book value at ₹ 40.30 crore.

34.7 During the year, the unspent carried forward amount of ₹17.19 crore on account of Corporate Social Responsibility (CSR) activities of SAIL, pertaining to the year 2012-13, was incurred in full. Against the approved budgeted amount of ₹40.00 crore towards the CSR activities for the year 2013-14, the Company spent ₹44.87 crore during the year.

34.8 The SAIL Refractory Unit (SRU), Bhilai continues to charge depreciation at the rate other than the rate prescribed in the Schedule XIV of the Companies Act,1956 for assets acquired prior to 01-04-1993 as per the option exercised by the Company provided in the circular no.1/12/92-CL5 circular 14/93 dated 20.12.1993 issued by the Ministry of Law & Justice and Company Affairs, the additional depreciation amount on such assets at the rates prescribed in Schedule XIV is ₹6.40 crore.

34.9 In respect of SAIL, Information on leases as per Accounting Standard 19 on `Leases':

(a) The Company has granted lease of properties to the employees and third parties for varying periods. The lease premium received up-front, after adjusting against book value, is booked to other revenues in the year of lease. Renewal premium, ground rent and service charges of properties, pending for renewal, given on lease are treated as income in the year of receipt.

(b) In respect of assets taken on lease/rent : The Company has various operating leases for, office facilities, guest houses and residential premises for employees that are renewable on a periodic basis. Rental expenses for these leases recognised in the Statement of Profit and Loss during the year is ₹ 11.98 crore (₹11.18 crore).

34.10 After the expiry of long term wage agreements with non-executives on 31st December, 2011, SAIL entered into a Memorandum of Understanding with the Unions, for implementation of wage revision of non-executives w.e.f. 1st January, 2012. Accordingly, Employee Benefits Expense charged to the Statement of Profit & Loss and Expenditure During Construction (EDC) for the year ended 31st March, 2014 are inclusive of wage revision arrears of non-executives upto 31st March, 2013, amounting to ₹431.30 crore and ₹1.92 crore respectively. In case of SRCL,the wage revision for non-executives is due from 16th December, 2013. As per agreement, an amount of ₹0.40 crore and ₹2.67 crore has been provided towards Salary & Wages and additional Provision for Gratuity respectively.

34.11 As per the Department of Public Enterprises (DPE)'s Guidelines, the Company is required contribute 30% of salary (Basic Pay+ Dearness Allowance) in respect of executive employees as superannuation benefits, which may include Contributory Provident Fund (CPF), Gratuity, Pension and Post-Superannuation Benefits. From 1.1.2007 to 31.3.2013, the Company had been providing for Superannuation Benefits, as per details given in the table below. During the year, contribution rate to Post-retirement Medical Benefit (PRMB) Schemes for executive employees has been actuarially computed and as per the Actuary's Report dated 5th May, 2014, the cost of PRMB Schemes as a proportion of salary for the executive employees is 4.26%. To comply with the DPE's Guidelines relating to contribution to Superannuation Benefits within overall limit of 30% of salary of executive employees, the provision for pension benefit has been reduced from 12% to 9% (rounded-off) during the year, as per details given below:

Sl. No.	Superannuation Benefit	Percentage of Salary Provided by the Company	
		From 1.1.2007 to 31.3.2013	From 1.4.2013 to 31.3.2014
1.	Contribution to Provident Fund	12.00%	12.00%
2.	Gratuity	4.81%	4.81%
3.	Post-retirement Medical Benefits	1.19%	4.26%
4.	Pension (balance portion of Superannuation Benefits)	12.00%	8.93%

Further, as per Memorandum of Understanding entered on dated 25th January, 2014 between SAIL Management and the Unions of non-executives employees, pension benefit for non-executives has been agreed @6% of salary w.e.f. 1st January, 2012.

Keeping in view the above, an excess provision of other benefits for executive employees upto 31st March 2013, of ₹201.21 crore in Employee

Benefits Expense (EBE) and ₹9.63 crore in Expenditure During Construction (EDC), has been written back during the year, as per details given below:

(₹ crore)

Name of Plant/Unit	Write back of Provision for Other Benefits	
	Employee Benefit Expense	Expenditure during Construction
Bhilai Steel Plant	42.46	5.96
Durgapur Steel Plant	23.31	
Rourkela Steel Plant	28.32	2.36
Bokaro Steel Plant	40.13	1.31
IISCO Steel Plant	11.57	
Alloy Steels Plant	5.06	
Salem Steel Plant	4.78	
Visvesvaraya Iron & Steel Plant	3.77	
Raw Materials Divison	7.96	
SAIL Refractory Unit	1.72	
Central Marketing Organisation	12.03	
Research & Development Centre	10.95	
Corporate Office	6.60	
Growth Division & Kulti Works	0.85	
Chandrapur Ferro Alloy Plant	1.7	
Total	**201.21**	**9.63**

34.12 In case of SRCL, the 1992 pay revision of the officers of Burn Standard Co. Ltd. was implemented on 1.1.2000 prospectively. No provision was created for the arrear amount.

35. GENERAL

35.1 Disclosures as required under Accounting Standard (AS) – 15 (revised) on 'Employee Benefits' and AS – 29 on 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets' in respect of SAIL are given in Note No. 33.1 and 33.6 respectively of 'Other Notes to Financial Statements' forming part of the independent Financial Statements of SAIL.

35.2 Segment Reporting

i) Business Segments: The five integrated steel plants and three alloy steel plants of SAIL, two power joint venture companies being NTPC-SAIL Power Company Pvt. Ltd. and Bokaro Power Supply Co. Pvt. Ltd., one power subsidiary being SAIL-Jagdishpur Power Plant Limited (SJPPL) have been considered as primary business segments for reporting under `Accounting Standard-17 - Segment Reporting' issued by the Ministry of Corporate Affairs.

ii) Geographical segments have been considered for Secondary Segment Reporting, by treating sales revenue in India and foreign countries as separate geographical segments.

iii) In respect of SAIL, in the opinion of the management, the captive mines are not a reportable business segment of the Company as per Para 27 of Accounting Standard-17 - `Segment Reporting', issued by Ministry of Corporate Affairs. As captive mines are supplying raw materials to various plants, the Mines have been treated as cost centre for accounting purpose.

The disclosure of segment-wise information is given at **Annexure-I**.

35.3 Related Party

As per Accounting Standard - 18 - `Related Party Disclosures' issued by the Ministry of Corporate Affairs, the names of the related parties, excluding Government controlled enterprises, are given below: -

A. Nature of Relationship	Name of the related party
Joint Venture	SAIL Bansal Service Centre Limited Mjunction Services Limited UEC-SAIL Information Technology Limited Romelt SAIL (India) Limited N.E Steel & Galvanising Pvt. Limited Bhilai Jaypee Cement Limited Bokaro Jaypee Cement Limited S & T Mining Co. Pvt. Limited SAIL Kobe Iron India Pvt. Limited TMTSAL SAIL JV Limited SAL SAIL JVC Limited Prime Gold-SAIL JVC Limited VSL SAIL JVC Limited Abhinav SAIL JVC Ltd
Nature of Relationship	**Name of the related party**
Key Management Personnel	Shri C.S.Verma Shri Shuman Mukherjee (upto 1st May, 2013) Shri Anil Kumar Chaudhary Shri S.S. Mohanty Shri H.S. Pati Shri T.S.Suresh Shri Kalyan Maity Shri Binod Kumar (w.e.f. 3rd December 2013) Shri N.K. Kothari Shri A. Maitra Shri P.K. Singh Shri S. Chandrasekaran Shri G.S. Prasad Shri P.S. Bhadauria Shri S.S. Verma Shri A. Bandopadhyay Shri S. Hanumantha Rao Shri M.N. Rai Shri M.R. Panda Shri S. Varadarajan Shri Raman Shri Somdev Das Shri K.K. Singh Shri A.J. Malhotra (upto 12th August, 2013) Shri Randev Mitra (w.e.f. 13th August, 2013) Shri Rahul Kumar Shri R.K. Singh Shri J.K. Arora Shri Sahil Arora Shri S.K. Dey Shri Viresh Oberoi Shri Harsh vardhan Sachdev

B. Details of transactions between the Company and the Related Parties during the Year

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	Associate/ Joint Ventures	Key Management Personnel	Total	Note No. and account head
i)	Other Loans and Advances	-	- (0.04)	- (0.04)	13 : Long term Loans and Advances
ii)	Services rendered	4.34 (0.90)	-	4.34 (0.90)	21:Other income
iii)	Rental Income	0.19 (0.02)	- -	0.19 (0.02)	
iv)	Interest Income	- (0.02)	-	- (0.02)	
v)	Sale of Goods	70.78 (56.88)	- -	70.78 (56.88)	20 : Revenue from Operations
vi)	Services received	41.38 (33.48)	- -	41.38 (33.48)	26 : Other Expenses
		1.80 (1.26)	-	1.80 (1.26)	11 : Capital WIP
vii)	Managerial Remuneration	-	7.76 (7.98)	7.76 (7.98)	24: Employees' Benefits Expenses

C. Balances with Related Parties as at the end of the year

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	Associate/ Joint Ventures	Note No. and Account Head
i)	Other Loans and Advances	1.39 (1.39)	13 : Long term Loans and Advances
ii)	Provision for Loans and Advances	1.39 (1.39)	
iii)	Advance for Purchase of shares	0.14 (0.27)	18 : Short Term Loans and Advances
iv)	Trade Receivable	2.88 (2.19)	16 : Trade Receivables
v)	Trade Payable	5.03 (2.71)	7 : Trade Payables
vi)	Security Deposit	0.33 (0.32)	4 : Other long Term Liabilities

D. Disclosure of Material Transactions with Related Parties

(₹ crore)

	For the year ended 31st March, 2014	For the year ended 31st March, 2013	Note No. and account head
Sale of Goods			
Bhilai Jaypee Cement Limited Bokaro Jaypee Cement Limited	25.76 45.02	26.12 30.76	20 : Revenue from Operations
Services Rendered			
Bhilai Jaypee Cement Limited Bokaro Jaypee Cement Limited Mjunction Services Limited	4.34 0.17 0.02	0.90 0.02 -	21 : Other income
Auction Services			
Mjunction Services Limited	38.38 1.80	29.12 1.26	26 : Other Expenses 11 : Capital WIP
Consultancy Received			
S & T Mining Co. Pvt. Limited	1.22	1.90	11 : Capital WIP
Conversion Charges			
SAIL-Bansal Services Centre Ltd.	1.78	2.46	26 : Other Expenses

35.4 In accordance with AS-22 on `Accounting for Taxes on Income' issued by the Ministry of Corporate Affairs, net deferred tax , has been accounted for, as detailed below:

SAIL

(₹ crore)

	As on 31st March 2014	As on 31st March 2013
Deferred Tax Liability		
Difference between book and tax depreciation	3527.79	2947.63
Total	3527.79	2947.63
Deferred Tax Assets		
Retirement Benefits	164.76	101.53
Others	1322.57	1117.57
Total	1487.33	1219.10
Net Deferred Tax Liability	**2040.46**	**1728.53**

SRCL

	As on 31st March, 2014	As on 31st March, 2013
Deferred Tax Liability		
Difference of Book and tax depreciation	0.15	0.20
Deferred Tax Assets		
Retirement Benefits	0.87	0.21
Others	0.00	0.00
Total Deferred Tax Assets	0.87	0.21
Net Deferred Tax Assets	**0.72**	**0.01**

NSPCL

Deferred Tax Liability	**2013-14**	**2012-13**
Difference of Book depreciation and tax depreciation	195.72	211.71
Less : Deferred Tax Assets		
Provisions & Other Disallowances for tax purpose	5.32 190.40	9.52 202.19
Less : Recoverable from customer	-	17.05
Net Deferred Tax Liability	**190.40**	**185.14**

MSL

Particulars	Deferred tax assets/ (liabilities) as at 01.04.2013	Current year Charge / (Credit)	Deferred tax assets/ (Liabilities) as at 31.03.2014
Deferred Tax Liabilities			
Difference between book and tax depreciation	(1.63)	**0.32**	(1.95)
Total Deferred Tax Liability	(1.63)	**0.32**	(1.95)
Deferred Tax Assets			
Difference between book and tax depreciation			
Provision for Compensated Absences	0.27	0.03	0.24
Provision for doubtful debts	0.11	0.04	0.07
Provision for Gratuity	0.07	0.01	0.06
Others	0.25	0.02	0.23
Total Deferred Tax Assets	**0.70**	**0.10**	**0.60**
Net Deferred Tax Assets/(Liabilities)	**(0.93)**	**0.42**	**(1.35)**

BJCL

Sl. No.	Particulars	2013-14	2012-13
1.	Deferred Tax liability on account of - Timing difference in WDV of Fixed Assets	**24.21**	**(22.48)**
2.	Deferred Tax Assets on account of : - Employees' Benefits - Unabsorbed Business Loss - Unabsorbed Depreciation - Others	 **0.18** **8.17** **31.37** **-**	 **0.22** **0.22** **26.05** **-**
	Net Deferred Tax Liabilities/(Assets)	**(15.51)**	**11.99**

BOJCL

Sl. No.	Particulars	2013-14	2012-13
1.	Deferred Tax liability on account of - Timing difference in WDV of Fixed Assets	15.32	12.53
2.	Deferred Tax Assets on account of : - Employees' Benefits - Others	 0.09 0.00 0.09	 0.06 9.42 9.48
	Net Deferred Tax Liability/(Assets)	**15.23**	**3.05**

BPSCL

Deferred Tax Asset / Liability included in Balance Sheet comprises of	**2013-14**	**2012-13**
Deferred Tax Assets:		
Gratuity	(1.58)	(1.78)
Leave Salary	(1.39)	(1.62)
Post Retirement Medical Benefits	(0.25)	(0.39)
Settlement Benefit	(0.03)	(0.03)
Long Term Service Award	(0.01) 3.26	(0.01) (3.83)
Deferred Tax Asset/Liability :		
Depreciation	(5.11)	(1.44)
Net Deferred Tax Assets	**(8.37)**	**(5.27)**

35.5 Since there was no transaction during the year 2012-13, in case of SAIL-Bengal Alloy Castings Private Limited and Abhinav SAIL JVC Limited, previous year figures have not been consolidated. The previous year figures considered this year are not same as those of the figures considered in the consolidated financial statements for the year 2012-13 due to unaudited financial statements of certain joint venture companies being audited during the year. Figures for the previous year have been considered based on audited/unaudited financial statements received for the Financial Year 2013-14. Since the accounts of SAIL Bansal Service Centre Limited for the current year have not been consolidated, the previous year figures for the same have also not been considered for comparative purpose.

35.6 The previous year's figures have been re-arranged/re-grouped/re-cast, wherever necessary. Figures in brackets pertain to previous year.

AUDITORS' REPORT TO THE BOARD OF DIRECTORS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED AND ITS SUBSIDIARY, ASSOCIATE AND JOINT VENTURE COMPANIES.

We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED, and its Subsidiary Companies, Associate and Joint Venture Companies (together referred to as SAIL group) as on 31st March, 2014 and the annexed Consolidated Statement of Profit & Loss and Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

We report that:

1. The audit of the financial statements of the following entities in the SAIL group has been carried out by the other auditors whose report has been furnished to us by the management, and our opinion, in so far as it relates to the assets and revenues of these entities included in the consolidated financial statements, is based solely on the reports of the other auditors.

(₹ Crore)

Name of the Subsidiary Company	Assets	Revenues
SAIL Refractory Company Limited	127.15	143.08
SAIL Sindri Projects Limited	0.05	0.00
SAIL Jagdishpur Power Plant Limited	0.04	0.00

(₹ Crore)

Name of the Joint Venture Company	Assets	Revenues
NTPC SAIL Power Company Private Limited	1707.89	883.50
Mjunction Services Limited	118.25	68.40
Bhilai Jaypee Cement Limited	232.03	181.43
Bokaro Jaypee Cement Limited	193.24	193.31
S & T Mining Company Private Limited	3.77	1.38
SAIL-RITES Bengal wagon Industry Private Limited	31.26	0.06
SAIL-BENGAL Alloy Castings Private Limited	0.45	0.00
Prime Gold-SAIL JVC Limited	0.37	0.00
SAIL SCI Shipping Pvt. Ltd.	0.07	0.01

2. In respect of the following companies, we did not carry out the audit. Our opinion, in so far as it relates to the assets and revenues included in respect of these Subsidiary and Joint Ventures, is based solely on the provisional financial statements as furnished to us by the management as mentioned against each. Since the financial statements of these Subsidiary and Joint Ventures for the year ended 31st March, 2014 for which audited statements were not made available to us, any subsequent adjustment to the balances in the course of audit could have consequential effects on the attached consolidated financial statements.

(₹ Crore)

Name of the Associate Company	Share of Profit
Almora Magnesite Limited	(-) 0.39

(₹ Crore)

Name of the Joint Venture Company	Assets	Revenues
Bokaro Power Supply Company Private Limited	529.84	395.29
SAIL & MOIL Ferro Alloys Pvt. Ltd.	6.92	0.07
International Coal Ventures Private Limited	6.85	0.00
SAIL SCL Kerala Limited	26.33	10.82
SAIL Kobe Iron India Private Limited	0.25	0.00
SAL SAIL JVC Limited	0.07	0.00
TMTSAL SAIL JV Limited	0.01	0.00
VSL-SAIL JVC Limited	0.25	0.00
Abhinav SAIL JVC Limited	0.02	0.00

3. The Accounts of IISCO-Ujjain Pipe & Foundry Company Limited, another Subsidiary Company of SAIL have not been consolidated as the said company is under liquidation.

4. The Accounts of UEC SAIL Information Technology Limited (USIT), Romelt SAIL (India) Limited, N.E. Steel & Galvanising Private Limited, North Bengal Dolomite Limited and SAIL Bansal Service Centre Limited, joint venture companies of SAIL have not been consolidated as the same have not been prepared yet.

5. **Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements**

   Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the SAIL group in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 ("the Act") read with the General Circular 15/2013 dated 13th September 2013 of the Ministry of Corporate Affairs in respect of section 133 of the Companies Act, 2013. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   The consolidated financial statements have been prepared by the Company in accordance with the requirements of Accounting Standard (AS) 21, "Consolidated Financial Statements", AS-23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" and AS-27, "Financial reporting of interest in Joint Ventures" as notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 and on the basis of the

separate financial statements of Steel Authority of India Limited and its Subsidiaries, Joint Ventures and Associate included in the consolidated financial statements.

6. **Auditors' Responsibility**

We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit also includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

7. **Basis for Qualified Opinion**

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

1. The Company has not provided for;

a) entry tax amounting to ₹91.55 crore(current year ₹9.91 crore) in the state of Uttar Pradesh, ₹1071.28 crore (current year ₹182.82 crore) in the state of Chhattisgarh and ₹214.81 crore (current year ₹44.49 crore) in the state of Odisha (refer note no.30.2(a));

b) claims of ₹291.76 crore (current year ₹74.36 crore) by DVC for supply of Power (refer note no. 30.2(b));

2. In respect of Rourkela Steel Plant (RSP), depreciation and interest has been short provided by ₹104.92 crore and ₹28.74 crore respectively (refer note no. (32.2)). resulting in overstatement of profit by ₹133.66 crore and fixed assets by similar amount

The total impact of para (1) to (2) has resulted in overstatement of profit for the year by ₹445.24 crore, cumulative Profit by ₹1803.06 crore, understatement of Liability by ₹ 1669.40 crore, overstatement of fixed assets by ₹ 133.66 crore (including interest during construction ₹28.74 crore).

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the financial statements, give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

(a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the SAIL Group as at March 31 , 2014;

(b) in the case of the Statement of Profit and Loss, of the profit of the SAIL Group for the year ended on that date; and

(c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows of the SAIL Group for the year ended on that date.

8. **Emphasis of Matter**

We draw attention to:

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

i. Claims/demands against the Company where the Company has lost in the first or subsequent appeals and has made further appeals before higher courts / forums (refer note no.30.2 (f));

ii. Sales to Government agencies recognised on provisional contract prices (refer note no.34.1);

iii. Capitalisation at IISCO Steel Plant (valuing ₹ 5457.48 crore) during the financial year (refer note no.32.1);

iv. Capital work-in-progress includes ₹ 115.38 crore in respect of Steel processing Unit at Bettiah not yet capitalised (refer note no.31.4(b));

v. Balance confirmation, reconciliation and consequential adjustments, if any (refer note no. 33.3);

vi. Reversal of pension component of employee benefit expenses of ₹ 201.21 crores and expenditure during construction ₹ 9.63 crores (refer note no. (34.11));

vii. Prior period income includes ₹ 120.94 crores towards write back of depreciation on certain fixed assets, erroneously depreciated earlier at 100% instead of 95% required as per the Company's policy and Schedule XIV of the Companies Act, 1956 read with section 205 and 350 of the Companies Act, 1956. (refer note no. (34.3(a)) ;

viii. prior period income includes interest of ₹ 20.67 crore received on short term deposits held in the name of District & Session Judge A/c land, for payment to land oustees (refer note no.(34.3(b)) ;

ix. Net realisable value of assets retired from active use (refer note no.31.3) ;

x. Explosion of Boiler No.3, lying in capital work-in-progress valuing ₹37.00 crore at IISCO Steel Plant. Loss due to damage, if any, is not yet determined (refer note no.32.4);

NTPC SAIL Power Company Private Limited

Capital expenditure on assets not owned by the company is written off in four years.

SAIL SCI Shipping Private Limited

Refer Note No.33.6 to the financial statements with respect to Paid-up Share Capital of the Company.

SAIL-RITES Bengal Wagon Industry Private Limited

Refer to Note No. 33.7 to the financial statements with respect to long term lease as per Joint Venture Agreement.

Our opinion is not qualified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. *except for the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement comply with the accounting standards referred to in sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956;*

For S.K. Mittal & Co.	**For O.P. Totla & Co.**	**For B.N. Misra & Co.**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
Firm Regn No.: 001135N	Firm Regn No.: 000734C	Firm Regn No.:321095E
sd/-	sd/-	sd/-
[M.K. Juneja]	**[S.K. Acharya]**	**[S.C. Dash]**
Partner	Partner	Partner
(M. No. 013117)	(M. No. 078371)	(M. No. 050020)

Place : New Delhi

Dated : 6th August, 2014

PRINCIPAL EXECUTIVES AS ON 01.08.2014

CORPORATE OFFICE

NEW DELHI
Chairman
C. S. Verma

Directors
Finance
Anil Kumar Chaudhary
Technical
S. S. Mohanty
Personnel
H. S. Pati
Commercial
Binod Kumar
Projects & Business Planning
T. S. Suresh
Raw Materials & Logistics
Kalyan Maity

Executive Directors
Vigilance
D. Bartaria
Power, Elec. & SAILCON
Tejveer Singh
Coal Import Group
Ms. Arti Luniya
Personnel & Administration
Atul Srivastava
Operations & I/c EMD
N. Bhattacharya
CMMG
S. K. Garg
Chairman's Sectt.
P. S. Srivastava
Law & PLO
Jagmohan Sharma
Finance & Accounts
O. P. Arora
M&HS
Dr. S. K. Gupta – Dir.
Logistic & Infra.
D. K. Sama
ICVL
A. K. Mathur
O.S.D.
S. Mukherjee

Chief of Corporate Affairs
R.K. Singhal

Secretary, SAIL
M.C. Jain

Safety
Executive Director
B. B. Mishra

Growth Division
General Manager
A. K. Dutta

Management Training Institute
Executive Director (HRD)
M. R. Panda

STEEL PLANTS / UNITS

STEEL PLANTS/UNITS
Bhilai Steel Plant
Chief Executive Officer
S. Chandrasekaran
Executive Directors
Personnel & Administration
L. T. Sherpa
Works
Y. K. Degan
Projects
S. B. Jagdale I/c
S. K. Pradhan
M&HS
Dr. Subodh Hiran – Dir I/c
Materials Management
R. K. Nehru
Mines
S. K. Saha
P. K. Sinha
Finance & Accounts
N. K. Kapila
Durgapur Steel Plant
Chief Executive Officer
P. K. Singh
Executive Directors
Personnel & Administration
S. K. Mishra
Finance & Accounts
R. K. Sarda
Projects
Amit Kumar Ray
Works
Madhusudan
Materials Management
Shantanu Chakravarty
Rourkela Steel Plant
Chief Executive Officer
G. S. Prasad
Executive Directors
Personnel & Administration
M. Misra
Works
A. Kumar
Materials Management
Umesh Kumar
Projects
Shishir Kr. Acharya
M. K. Das
M&HS
Dr. A. K. Singh – Dir I/c
Bokaro Steel Plant
Chief Executive Officer
A. Maitra
Executive Directors
Personnel & Administration
S. Prasad
Finance & Accounts
A. Kumar
Projects
M. Ravi Varma
Works
A. Bandyopadhyay
Materials Management
S. Dasgupta

BPSCL
R. Bhargava
M&HS
Dr. M. Anant Kekre – Dir. I/c
IISCO Steel Plant
Executive Directors
I. C. Sahu I/c
Works
R. K. Rathi
Personnel & Administration
Dr. N. Mohapatra
Finance & Accounts
Sudhir Kumar
Projects
R. N. Das I/c
A. K. Rath
Materials Management
H. Bhattacharjee
Alloy Steels Plant
Executive Director
S. Das
Salem Steel Plant
Executive Director
Raman
Visvesvaraya Iron & Steel Plant
Executive Director
M. Ravi
UNITS
Research & Development Centre for Iron & Steel
Executive Director
Dr. B. K. Jha
Raw Materials Division
Executive Director
Alok Shrivastava
Personnel & Administration
R. K. Sharma
Projects
K. K. Jain
Centre for Engineering & Technology
Executive Director
Neeraj Mathur
Central Marketing Organisation
Executive Directors
Finance & Accounts
Amitava Sarkar
Marketing – Long Product
S. R. Rai
Marketing – Flat Product
P. K. Mishra
Marketing – Commercial
Alok Sahay
Marketing – ITD
T. K. Sahu
Transport & Shipping
Executive Director
P. Raychaudhary
SAIL Refractory Unit
Executive Director
S. Kaul
Chandrapur Ferro Alloy Plant.
Executive Director
P. S. Bhadauria
Collieries
Executive Director
U. K. De

नोटिस
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय– इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली– 110003
CIN:L 27109DL1973GOI006454

एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड की 42वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2014 को एन डी एम सी इनडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001 में निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी–

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का लेखा परीक्षित हानि एवं लाभ लेखा, उक्त तारीख तक का तुलना पत्र तथा निदेशकों एवं लेखा परीक्षकों की तत्संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करना।
2. श्री एस. एस महांती (DIN: 02918061), जो चक्रीय आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना।
3. श्री एच. एस. पति (DIN:05283445), जो चक्रीय आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना।
4. भारत के महालेखा परीक्षक नियंत्रक द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए नियुक्त कंपनी के लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।
5. वित्त वर्ष 2013–14 के लिए फरवरी, 2014 माह में कम्पनी द्वारा चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 20.20% की दर से अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना।

विशेष कार्य

6. श्री बिनोद कुमार (DIN: 06379761) को एक पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित समझा गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित या उसके बिना एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना–

   "**यह संकल्प किया जाता है कि** श्री बिनोद कुमार, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कम्पनी के अंतर्नियम के अन्तर्गत निदेशक मण्डल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने हैं और जिनके संबंध में कंपनी को लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अन्तर्गत निदेशक पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया गया है, को एतदद्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है और वे चक्रीय आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।"

7. श्री आर. एस. शर्मा (DIN: 00013208) को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित समझा गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित या उसके बिना एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना–

   "**यह संकल्प किया जाता है कि** श्री आर. एस. शर्मा (DIN: 00013208), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 152 तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों के अनुसरण में और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 तथा कम्पनी के अंतर्नियम के अन्तर्गत निदेशक मण्डल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने हैं और जिनके संबंध में कंपनी को लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अन्तर्गत निदेशक पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया गया है, को एतदद्वारा कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है और वे लगातार 3 (तीन) वर्ष की अवधि 18 फरवरी, 2017 तक पद पर रहेंगे।"

8. श्री एन. सी. झा (DIN: 00657309) को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित समझा गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित या उसके बिना एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना–

   "**यह संकल्प किया जाता है कि** श्री एन. सी. झा (DIN: 00657309), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 152 तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों के अनुसरण में और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 तथा कम्पनी के अंतर्नियम के अन्तर्गत निदेशक मण्डल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने हैं और जिनके संबंध में कंपनी को लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अन्तर्गत निदेशक पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया गया है, को एतदद्वारा कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है और वे लगातार 3 (तीन) वर्ष की अवधि 18 फरवरी,2017 तक पद पर रहेंगे।"

9. श्री डी. के. मित्तल (DIN: 00040000) को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित समझा गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित या उसके बिना एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना–

   "**यह संकल्प किया जाता है कि** श्री डी. के. मित्तल (DIN: 00040000), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 152 तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों के अनुसरण में और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 तथा कम्पनी के अंतर्नियम के अन्तर्गत निदेशक मण्डल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने हैं और जिनके संबंध में कंपनी को लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अन्तर्गत निदेशक पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया गया है, को एतदद्वारा कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है और वे लगातार 3 (तीन) वर्ष की अवधि 18 फरवरी, 2017 तक पद पर रहेंगे।"

10. श्रीमती परमिंदर एच. माथुर (DIN:00077306) को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित समझा गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित या उसके बिना एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना–

    "**यह संकल्प किया जाता है कि** श्रीमती परमिंदर एच. माथुर (DIN:00077306), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 152 तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों के अनुसरण में और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 तथा कम्पनी के अंतर्नियम के अन्तर्गत निदेशक मण्डल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने हैं और जिनके संबंध में कंपनी को लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अन्तर्गत निदेशक पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया गया है, को एतदद्वारा कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है और वे लगातार 3 (तीन) वर्ष की अवधि 18 फरवरी,2017 तक पद पर रहेंगे।"

11. प्राइवेट प्लेसमेण्ट आधार पर बॉण्ड/डिबेंचर जारी करके 5000/– करोड ₹ के फण्ड जुटाना और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित समझा गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित या उसके बिना एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना–

    "**यह संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी (प्रतिभूतियों की विवरणिका और आवंटन) नियमावली, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य किसी भी लागू प्रावधान के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी के निदेशक–मण्डल को अपने पूरे विवेकानुसार निदेशक–मण्डल या उसकी यथानुमोदित और अधिकृत समिति या निदेशक–मण्डल/या इस तरह की समिति द्वारा यथानुमोदित कम्पनी के ऐसे किसी अन्य फंक्शनरी द्वारा अंतिम रूप से निर्णित निबंधनों एवं शर्तों पर रक्षित गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर/बॉण्ड के प्राइवेट प्लेसमेण्ट के ज़रिये 5000/– करोड ₹ तक के फण्ड जुटाने तथा प्रस्ताव देने और आमंत्रण देने के लिए अधिकृत किया जाए और एतदद्वारा किया जाता है कि ऐसा एक या अधिक ट्रांचेज़ में इस तरह के व्यक्ति या व्यक्तियों, जिनमें पात्र निवेशक (चाहे वे निवासी और/या अनिवासी और/या संस्थान/निगमित निकाय और/या व्यक्ति और/या ट्रस्टीज़ और/या बैंक या अन्यथा, घरेलू और/या एक या उससे अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हो), अनिवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), वेंचर कैपिटल फण्ड्स, विदेशी वेंचर पूंजीगत निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, इंश्योरेंस कम्पनियां, प्रोविडेण्ट फण्ड्स, पेंशन फण्ड्स, विकास वित्तीय निगम, निकाय निगम, कम्पनियां, प्राइवेट या सरकारी, या अन्य प्रतिष्ठान, प्राधिकरण और ऐसे अन्य व्यक्ति शामिल हैं जिनके पास ग्रीन शू ऑप्शन (ऊपर बताए अनुसार 5000/– करोड ₹ की समग्र सीमा के अंतर्गत) सहित उसके एक या अधिक कॉम्बिनेशन में कम्पनी के बॉण्ड/डिबेंचर हों या न हों।"

    "**यह भी संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी के निदेशक–मण्डल को इस निर्गम की शर्तों का निर्धारण करने के लिए निदेशक–मण्डल समिति को अधिकृत करने

के लिए अधिकृत किया जाए और एतदद्वारा किया जाता है, जिसमें निवेशकों की वह श्रेणी जिन्हें डिबेंचर/बॉण्ड आवंटित किया जाना है, प्रत्येक ट्रांचे में आवंटित किए जाने वाले डिबेंचर/बॉण्ड की संख्या, निर्गम कीमत, टेनोर, ब्याज दर, तत्कालीन मौजूदा बाज़ार कीमत पर प्रीमियम/डिस्काउण्ट, निर्गम की राशि, डिबेंचर/बॉण्ड धारियों की एक श्रेणी को निर्गम कीमत पर डिस्काउण्ट, लिस्टिंग, कोई अन्य घोषणा/अण्डरटेकिंग, इत्यादि जो कि प्राइवेट प्लेसमेण्ट ऑफर लेटर में शामिल की जानी अपेक्षित हो और प्रचलित समय के लिए अन्य कोई भी विनियामक आवश्यकता शामिल है।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी के निदेशक–मण्डल या उसकी मण्डल द्वारा यथा अनुमोदित और अधिकृत समिति, यदि कोई हो, को इस संकल्प को प्रभाव देने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने, विलेख करने, कार्य करने और यथा अपेक्षित और आवश्यकता के अनुसार इस तरह के समस्त कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाए और एतदद्वारा जाता है।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी के निदेशक–मण्डल को निदेशकों की समिति या कम्पनी के किसी एक या उससे अधिक निदेशक को इसके अंतर्गत प्रदत्त सभी या किसी अधिकार को डेलिगेट करने के लिए अधिकृत किया जाए और एतदद्वारा जाता है।"

12. कम्पनी की चल और अचल परिसम्पत्तियों पर मॉर्टगेज और/या चार्ज क्रियेट करना और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित समझा गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित या उसके बिना एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना–

"**यह संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (जिसमें समय समय पर प्रचलित उसके सभी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, तथा अन्य लागू कानूनों और कम्पनी के अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के निदेशक–मण्डल (अर्थात "मण्डल") या उसकी किसी भी समिति को, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अंदर आवधिक ऋणों, बाह्य वाणिज्यिक ऋणों, डिबेंचर/बॉण्ड निर्गम इत्यादि के ज़रिये समय समय पर प्राप्य या प्राप्य होने वाली ऋण निधियों को प्राप्त करने के लिए मण्डल या उसकी समिति उपयुक्त निबंधनों और शर्तों पर, किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थानों, हायर पर्चेज़/लीज़ कम्पनियों, निकाय निगम, ट्रस्टीज़ जो डिबेंचरों/बॉण्ड्स/अन्य लिखतों/प्रतिभूतियों के धारक हों या अन्य किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी पूर्ण या पर्याप्त वचनबद्धता पर वर्तमान या भावी कम्पनी की कहीं भी स्थित किसी भी चल और/या अचल परिसम्पत्तियों पर क्रिएट किए गए वर्तमान चार्जेस, मॉर्टगेज और हाइपोथेकेशनों के अतिरिक्त चार्ज, हाइपोथेकेशन, मॉर्टगेज, प्लेज क्रिएट करने के लिए कम्पनी की स्वीकृति प्रदान की जाए और एतदद्वारा प्रदान की जाती है।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी के निदेशक–मण्डल (जिसमें निदेशक–मण्डल द्वारा विधिवत गठित और अनुमोदित कोई भी समिति शामिल है) को ऋणदाताओं के साथ अपेक्षित करारों, दस्तावेजों, विलेखों और ऋण आहरण और/या उक्त मॉर्टगेज और चार्जेस क्रिएट करने संबंधी लिखत–पढत को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्य, विलेख और चीजें करने और उक्त संकल्प को प्रभाव देने के लिए यथा अपेक्षित या आवश्यक या प्रासंगिक माने गए इस तरह के समस्त कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाए और एतदद्वारा किया जाता है, और उसे इसके लिए सदा इस तरह से अधिकृत किया गया माना जाएगा।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी के निदेशक–मण्डल को निदेशकों की समिति या कम्पनी के किसी एक या उससे अधिक निदेशक को इसके अंतर्गत प्रदत्त सभी या किसी अधिकार को डेलिगेट करने के लिए अधिकृत किया जाए और एतदद्वारा किया जाता है।"

13. वित्त वर्ष 2014–15 के लिए कम्पनी के लेखा अंकेक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित समझा गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित या उसके बिना एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना–

"**संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, और कम्पनी (अंकेक्षण और अंकेक्षक) नियमावली, 2014 (जिसमें इस समय प्रचलित कोई भी वैधानिक संशोधन या उसका पुनः अधिनियमन शामिल है) के अनुसार लागत अंकेक्षकों अर्थात मै. संजय गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली (बोकारो इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए) मै. के. सी. कोहली एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली (भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और इस्को इस्पात संयंत्र के लिए) और मै. आर. जे. गोयल एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली (एलॉय इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र और विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र के लिए) के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के, निदेशक–मण्डल द्वारा यथा अनुमोदित 9,50,000/– ₹ के पारिश्रमिक एवं यथा लागू सेवा कर और लेखा अंकेक्षकों को अदा किये जाने दैनिक भत्ते, यात्रा व्यय तथा आउट ऑफ पॉकेट व्यय को अभिपुष्ट किया जाए और एतदद्वारा जाता है।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** कम्पनी के निदेशक–मण्डल को इस संकल्प को प्रभाव देने के लिए अपेक्षित आवश्यक, समुचित या युक्तिसंगत समस्त कार्रवाई करने और इस तरह के समस्त कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाए और एतदद्वारा किया जाता है।"

निदेशक–मण्डल के आदेश से

(एम.सी. जैन)
सचिव

नई दिल्ली
दिनांकः 16 अगस्त, 2014
पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003.
CIN: L27109DL1973GOI006454

टिप्पणियां–

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में उपर्युक्त कार्य मद सं. 6 से 13 से संबंधित प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य को स्वयं के स्थान पर भाग लेने तथा मतदान करने के लिए अपना प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। बैठक प्रारंभ होने के कम–से–कम 48 घंटे पूर्व प्राप्त होने पर ही प्रॉक्सियां वैध होंगी। प्रॉक्सी प्रपत्र संलग्न है।

   कोई व्यक्ति सदस्यों की ओर से एक प्रॉक्सी के रूप में पचास से अधिक के लिए प्रॉक्सी नहीं हो सकता और उसके पास वोटिंग का अधिकार युक्त कम्पनी के कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। एक सदस्य जिसके पास वोटिंग का अधिकार युक्त कम्पनी के कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक की होल्डिंग हो वह प्रॉक्सी के रूप में एकल व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयर धारी के लिए प्रॉक्सी के रूप में काम नहीं करेगा।

3. उपस्थिति पर्ची तथा कम्पनी के पास पंजीकृत विधिमान्य प्रॉक्सीपत्र धारक सदस्यों को ही बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। यदि शेयर संयुक्त नाम में धारित हैं अथवा शेयर ऐसे विभिन्न पंजीकृत फोलियो में हैं जिनमें एकल धारक/प्रथम संयुक्त धारक का नाम एक समान है तो सिर्फ प्रथम संयुक्त धारक/एकल धारक अथवा ऐसे धारक द्वारा नियुक्त किसी प्रॉक्सी प्रतिनिधि, जैसी स्थिति हो, को ही बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

4. बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों से वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लाने का अनुरोध किया जाता है क्योंकि अतिरिक्त प्रतियां नहीं दी जाएंगी।

5. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर **12 अगस्त, 2014 से 29 अगस्त, 2014 (दोनों दिवस शामिल) तक बंद रहेगा।**

6. मेसर्स एम सी एस लिमिटेड रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेण्ट (आर एण्ड टी ए) के रूप में कार्य कर रही है और कंपनी के शेयरों से संबंधित समस्त कार्यों अर्थात अंतरण/पारेषण/क्रम परिवर्तन/डिमेटरियलाइजेशन/रिमेटरियलाइजेशन/विभाजन/ शेयरों का समेकन, पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन, लाभांश भुगतान तथा अन्य ऐसे ही कार्यों का निष्पादन करेंगी। शेयरधारको से अनुरोध है कि वे भविष्य में शेयर अंतरण तथा ऐसे कार्यों से संबंधित सभी पत्राचार इस एजेन्सी द्वारा केवल निम्नलिखित पते पर करें–

   मेसर्स एम सी एस लिमिटेड
   एफ–65, प्रथम तल, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज–I
   नई दिल्ली– 110020
   फोन न. 011–41406149 ई मेल dmin@mcsdel-com

7 **डिमेटरियलाइजेशन**

(i) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियमों में यह प्रावधान है कि व्यापारिक उद्देश्य से सेल के इक्विटी शेयरों का वितरण अनिवार्यतः डिमेटरियलाइज्ड फार्म में ही किया जाना है। हालांकि ज्यादातर शेयरधारकों ने अपने शेयर डिमेट फार्म में परिवर्तित कर लिए हैं तथापि यह पाया गया है कि कुछेक शेयरधारक अभी भी अपने शेयर पेपर फार्म (भौतिक) में ही रखे हुए हैं। इस संबंध में उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि वे या तो नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लि. अथवा सेण्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज लि. द्वारा अधिकृत किसी डिपोजिटरी पार्टिसिपेण्ट के पास अपना डिमेट एकाउण्ट खोल लें तथा अपने शेयरों को डिमेटरिलाइज कर लें।

(ii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, की सूचना आर एण्ड टी ए को देनी चाहिए और अपने पोस्ट ऑफिस के पिन कोड सहित अपने पूरे पते का स्पष्ट अक्षरों में उल्लेख करना चाहिए। पिन कोड देना अनिवार्य है। इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को पते में परिवर्तन की अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेण्ट को देनी चाहिए।

(iii) **ई सी एस अधिदेश**

   भौतिक रूप में या डिमेट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को भविष्य में कंपनी से कोई भुगतान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सर्विसिज का विकल्प देने की सलाह दी जाती है। ई सी एस के अन्तर्गत बैंकर (दाता के बैंकर) द्वारा भुगतान का अनुदेश इलेक्ट्रानिक रूप से समाशोधन प्राधिकरण (आर बी आई या एस बी आई) को भेजा जाता है। समाशोधन प्राधिकरण आदाता के बैंक को क्रेडिट रिपोर्ट देता है और रकम संबंधित खाते में जमा कर दी जाती है। यह अत्यानिवार्य है कि ई सी एस का विकल्प देने वाले शेयरधारक अपने बैंक के नाम, खाता, खाते का प्रकार, शाखा के नाम, 9 अंकों के एम आई सी आर कोड के ब्योरे के साथ–साथ अपना नाम एवं फोलियो संख्या (डी पी–आई डी/ग्राहक आई डी) की जानकारी दें। यदि शेयरधारकों के शेयर भौतिक रूप में हैं तो उक्त जानकारी कंपनी को तथा यदि उनके शेयर डिमेट फार्म में हैं तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेण्ट को यह जानकारी दी जाए।

8. एक से अधिक फोलियो में नामों के समान क्रम में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से कंपनी के शेयर विभाग/आर एण्ड टी ए को लिखने तथा उसके साथ अपना शेयर प्रमाण–पत्र संलग्न करने का अनुरोध किया जाता है ताकि कंपनी उनके शेयरों को एक फोलियो में समेकित कर सके।

9. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2006–07 (अंतरिम) का अदावित लाभांश निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष को अंतरित कर दिया है। उसके बाद कंपनी ने निम्नलिखित लाभांश के भुगतानध्की घोषणा की है:

वर्ष	अंतरिम लाभांश (%)	अंतिम लाभांश(%)
2006–2007	–	15.00
2007–2008	19.00	18.00
2008–2009	13.00	13.00
2009–2010	16.00	17.00
2010–2011	12.00	12.00
2011–2012	12.00	8.00
2012–2013	16.00	4.00
2013–2014	20.20	–

   जिन शेयरधारकों ने उपरोक्त के अनुसार अपने लाभांश अधिकार–पत्र का भुगतान नहीं लिया है उनसे अपना दावा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

10. लेखे या इस नोटिस में वर्णित किसी अन्य मुद्दे के संबंध में अधिक जानकारी के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस बारे में कंपनी को बैठक की तारीख से कम–से–कम 7 दिन पहले लिखें ताकि संबंधित जानकारी बैठक में प्रस्तुत की जा सके।

11. लिस्टिंग करार के अनुच्छेद 35 ख के प्रावधानों तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में, यह कम्पनी इस वार्षिक आम बैठक में संव्यवहार की जाने वाली मदों के संबंध में कम्पनी के समस्त शेयरधारकों को ई–वोटिंग सुविधा का प्रस्ताव कर रही है। यूज़र आई डी तथा पासवर्ड सहित ई–वोटिंग के लिए निर्देश इस नोटिस में दिए गए हैं। अपने ई–वोट डालने से पूर्व सभी सदस्यों से अनुरोध है कि उन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। एक बार रिज़ोल्यूशन पर वोट डाल देने के बाद किसी सद्स्य को उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल लेने वाले सदस्यों को दुबारा से बैठक में वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट नही डाला होगा वे वार्षिक आम बैठक के स्थल पर अपना वोट डाल सकते हैं।

12. **कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के कॉरपोर्ट अभिशासन में हरित पहल कॉरपोरेट कार्य** मंत्रालय ने "कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल" की शुरूआत की है और कंपनियों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से कागज रहित अनुपालन की स्वीकृति दी है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार अब कंपनियां अपने शेयरधारकों को भिन्न–भिन्न प्रकार के नोटिस दस्तावेज (जिसमें आम बैठकों के लिए नोटिस, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदि शामिल हैं) शेयरधारकों के पंजीकृत ई–मेल पते पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेज सकती है।

   सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त नोटिस/दस्तावेज इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्राप्त करने का विकल्प दें। उनसे इस प्रयोजनार्थ अपना ई–मेल आई डी संबंधित डिपोजिटरी पार्टिसिपेण्ट या कंपनी के रजिस्ट्रार एवं पंजीकरण एजेण्ट अर्थात मेसर्स एम सी एस लिमिटेड के पास उपर्युक्त पते पर या ई–मेल gogreensail@mcsdel.com पर पंजीकृत कराने का अनुरोध किया जाता है।

   कृपया नोट करें कि ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाईट www.sail.co.in पर भी उपलब्ध होंगे और निरीक्षण हेतु भौतिक रूप में इनकी प्रतियां कार्यालय समय में यहां वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी उपलब्ध रहेंगी।

13. ऑडिटोरियम में प्रवेश सिर्फ बैठक स्थल पर उपस्थिति पर्ची के बदले दिए जाने वाली प्रवेश पर्ची के जरिए ही होगा।

14. ऑडिटोरियम में ब्रीफ केस या बैग अथवा मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

नोटिस का अनुलग्नक
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या–6

भारत सरकार की अधिसूचना सं. 6(2)/2013–सेल–पीसी–वाल्यु-II दिनांक 2 दिसम्बर, 2013 के ज़रिये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकन के बाद, श्री बिनोद कुमार को (DIN: 06379761) 2 दिसम्बर 2013 से कम्पनी के अपर निदेशक के रूप में इस शर्त के अधीन नियुक्त किया गया था कि वार्षिक आम बैठक में शेयरधारियों द्वारा उनकी पुनर्नियुक्ति की जाएगी। निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 2.12.2013 से पांच वर्ष की अवधि या उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक है। वे कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो सकते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कम्पनी के अंतर्नियम के अनुसार वे आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहेंगे। कथित अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत एक सदस्य से नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें कम्पनी के निदेशक पद के उम्मीदवार के रूप में श्री बिनोद कुमार का नाम प्रस्तावित किया गया है।

श्री बिनोद कुमार, आयु 57 वर्ष, आईआईटी/कानपुर से मैटालर्जी में बी.टेक हैं। श्री कुमार सेल की विपणन टीम में 1980 में शामिल हुए। सेल में अपनी 33 वर्ष से अधिक की सेवा के दौरान श्री कुमार कम्पनी के केंद्रीय विपणन संगठन, जो कि देश के सबसे बडे विपणन नेटवर्क की प्रबंध–व्यवस्था करता है, में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने विशिष्ट सामरिक अनुप्रयोगों के लिए वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य अनेक श्रेणी के स्टील के विकास हेतु सेल के संयंत्रों और अनुसंधान एवं विकास केंद्र में भी गहनता से कार्य किया है।

श्री बिनोद कुमार कथित अधिनियम की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हैं और उन्होंने निदेशक के रूप में काम करने के लिए अपनी सहमति दी है।

श्री विनोद कुमार और उनके रिश्तेदारों के सिवाय और उनके अलावा, शेयरधारिता के उनके हित तक, अगर कोई अन्य, कंपनी में, दूसरे किसी भी निदेशकों में कोई नहीं/कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदार का किसी भी प्रकार से संबद्ध या वित्तीय हित या दूसरे किसी भी अन्य प्रकार से संबद्ध है तो उसे प्रस्तावित नोटिस के आइटम नं. 6 में रखा जाता है।

निदेशक मंडल को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि कंपनी को निदेशक के रूप में उनकी सेवाएं प्राप्त करनी चाहिए और इस संकल्प को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किए जाने की अनुशंसा करनी चाहिए।

मद संख्या-7

भारत सरकार की अधिसूचना सं. 6(5)ध्2013–सेल–पीसी–वाल्यु. II दिनांक 18 फरवरी, 2014 के ज़रिये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकन के बाद, श्री आर. एस. शर्मा (DIN: 00013208) को 19 फरवरी, 2014 से कम्पनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 19 फरवरी, 2014 से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार वे आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहेंगे। कथित अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत एक सदस्य से लिखित में नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें कम्पनी के निदेशक पद के उम्मीदवार के रूप में श्री आर. एस. शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया है।

श्री आर.एस. शर्मा, आयु 63 वर्ष, भारत की मुख्य राष्ट्रीय तेल कंपनी–ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के पूर्व अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक हैं। इसके साथ ही वे मई, 2006 से जनवरी, 2011 की 56 महीने की अवधि में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), मैंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) तथा ओएनजीसी समूह की पांच अन्य कंपनियों के अध्यक्ष भी रहे।

श्री आर.एस. शर्मा इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (पूर्व इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया) के फैलो सदस्य तथा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स के एसोसिएट सदस्य हैं और उन्होंने भारत तथा विदेशों में विभिन्न प्रबंधन कार्यक्रमों में भाग लिया है। ओएनजीसी में प्रबंधन के मध्यम स्तर पर शामिल होने से पहले उन्होंने अन्य पीएसयू के विदेश प्रचालन के लिए वित्त विभाग के क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। श्री शर्मा के पास क्रेडिट अप्रेजल में विशिष्ट अनुभव के साथ–साथ 10 वर्ष से ज्यादा का बैंकिंग अनुभव भी है। श्री आर.एस. शर्मा ने ओ एन जी सी तथा ग्रुप कम्पनियों का नेतृत्व करते हुए उसे उत्कृष्टता की प्रशंसनीय बुलंदियों तक पहुंचाया।

वर्तमान में उनके पास निम्नानुसार विभिन्न असाइनमेंट हैं तथा वे निदेशकमंडल में विभिन्न पदों पर हैं–

- अध्यक्ष – लॉयड्स रजिस्टर–दक्षिण पश्चिम एशिया
- अध्यक्ष – हाइड्रोकॉर्बन समिति, फिक्की
- अध्यक्ष – क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
- प्रोमोटर निदेशक – कोरवैल्यूज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
- निदेशक – एवेंडस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
- निदेशक – जूबिलेंट एनर्जी एनवी
- अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक – डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक – रेल विकास निगम लिमिटेड
- निदेशक – स्टैग ओएण्डएम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- स्वतंत्र निदेशक – स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
- अपर निदेशक – हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड

श्री शर्मा ने न केवल ओएनजीसी को अपनी विभिन्न गतिविधियों के लिए अनेक पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त करने में खास भूमिका निभाई, बल्कि स्वयं उन्हें भी विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान किए गए। उन्हें मिले व्यक्तिगत सम्मानों में से कुछ उल्लेखनीय हैं, जैसे 2005, 2006 तथा 2007 में सीएनबीसी टीवी 18 सीएफओ अवार्ड, 2009 में एमिटी कॉरपोरेट लीडरशिप अवार्ड, 2010 में सीआईआई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड, 2010 में आईसीओएनओसीएलएएसटी सीईओ अवार्ड तथा फरवरी, 2011 में एचआर लीडरशिप में स्टार लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड।

श्री आर. एस. शर्मा कथित अधिनियम की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हैं और उन्होंने निदेशक के रूप में काम करने के लिए अपनी सहमति दी है। कम्पनी को श्री आर. एस. शर्मा से इस आशय की घोषणा प्राप्त हुई है कि वे कथित अधिनियम की धारा 149 की उप–धारा 6 के अंतर्गत स्वतंत्रता के मानदण्ड को पूरा करते हैं।

श्री आर. एस. शर्मा और उनके रिश्तेदारों के सिवाय और उनके अलावा, शेयरधारिता के उनके हित तक, अगर कोई अन्य, कंपनी में, दूसरे किसी भी निदेशकों में कोई नहीं/कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदार का किसी भी प्रकार से संबद्ध या वित्तीय हित या दूसरे किसी भी अन्य प्रकार से संबद्ध है तो उसे प्रस्तावित नोटिस के आइटम नं. 6 में रखा जाता है।

श्री आर. एस. शर्मा की व्यापक विशेषज्ञता और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि कंपनी को निदेशक के रूप में उनकी सेवाएं प्राप्त करते रहनी चाहिए और इस संकल्प को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किए जाने की अनुशंसा करनी चाहिए।

मद संख्या-8

भारत सरकार की अधिसूचना सं. 6(5)/2013–सेल–पीसी दिनांक 18 फरवरी, 2014 के ज़रिये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकन के बाद, श्री एन. सी. झा (DIN: 00657309) को 19 फरवरी, 2014 से कम्पनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 19 फरवरी, 2014 से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा

161(1) के अनुसार वे आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहेंगे। कथित अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत एक सदस्य से लिखित में नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें कम्पनी के निदेशक पद के उम्मीदवार के रूप में श्री एन. सी. झा का नाम प्रस्तावित किया गया है।

श्री एन. सी. झा, आयु 62 वर्ष, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कोल इण्डिया लिमिटेड से निदेशक (तकनीकी) तथा सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में जनवरी, 2012 में सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके पास इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से खनन अभियांत्रिकी में बी.टेक. तथा एम.टेक. की उपाधि और डीजीएमएस से कोयला खदानों के प्रबंधन के लिए प्रथम वर्ग प्रबंधक का प्रमाणपत्र है। कोल इंडिया लिमिटेड में अपने 37 वर्ष के करिअर के दौरान उन्होंने भूमिगत तथा ओपन कास्ट माइन्स के नियोजन तथा डिजाइन, कोयले की आपूर्ति के गुणवत्ता नियंत्रण तथा कोयला स्रोतों के विकास के क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त की। खनन उद्योग में उनके विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति से 'खनन प्रौद्योगिकी में नेशनल जिओ–साइंस अवार्ड 2009', माइनिंग जिओलॉजिकल एण्ड मैटालर्जिकल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एमजीएमआई) से '2011 का डी.डी. ठक्कर अवार्ड' और इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) से '2011 का एमिनेंट इंजीनियरिंग पर्सनेलिटी अवार्ड' प्राप्त हुआ। वे एमजीएमआई के पूर्व अध्यक्ष तथा इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के फैलो हैं।

श्री झा कोल इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड, मॉनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड, एमपी मॉनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड तथा अर्टन नॉर्थ माइनिंग कंपनी लिमिटेड के निदेशक मण्डल में रहे हैं। वर्तमान में, वे मेटल्स तथा स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के निदेशक मण्डल में भी हैं और आईएसएम, धनबाद में चेयर प्रोफेसर (सांदविक चेयर) के रूप में अध्यापन तथा शोध परियोजनाओं के मार्गदर्शन में व्यस्त हैं।

श्री एन. सी. झा कथित अधिनियम की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हैं और उन्होंने निदेशक के रूप में काम करने के लिए अपनी सहमति दी है। कम्पनी को श्री एन. सी. झा से इस आशय की घोषणा प्राप्त हुई है कि वे कथित अधिनियम की धारा 149 की उप–धारा 6 के अंतर्गत स्वतंत्रता के मानदण्ड को पूरा करते हैं।

श्री एन. सी. झा और उनके रिश्तेदारों के सिवाय और उनके अलावा, शेयरधारिता के उनके हित तक, अगर कोई अन्य, कंपनी में, दूसरे किसी भी निदेशकों में कोई नहीं कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक उनके रिश्तेदार का किसी भी प्रकार से संबद्ध या वित्तीय हित या दूसरे किसी भी अन्य प्रकार से संबद्ध है तो उसे प्रस्तावित नोटिस के आइटम नं. 6 में रखा जाता है।

श्री एन. सी. झा की व्यापक विशेषज्ञता और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि कंपनी को निदेशक के रूप में उनकी सेवाएं प्राप्त करते रहनी चाहिए और इस संकल्प को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किए जाने की अनुशंसा करनी चाहिए।

मद संख्या 9

भारत सरकार की अधिसूचना सं. 6(5) 2013–सेल–पीसी दिनांक 18 फरवरी, 2014 के ज़रिये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकन के बाद, श्री डी. के. मित्तल (DIN : 00040000) को 19 फरवरी, 2014 से कम्पनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 19 फरवरी, 2014 से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार वे आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहेंगे। कथित अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत एक सदस्य से लिखित में नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें कम्पनी के निदेशक पद के उम्मीदवार के रूप में श्री डी. के. मित्तल का नाम प्रस्तावित किया गया है।

श्री दिनेश कुमार मित्तल, आयु 61 वर्ष, उत्तर प्रदेश काडर के 1977 बैच के पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी.एससी. तथा एम.एससी. (भौतिक विज्ञान) हैं। जन सेवाओं में अपनी 36 वर्ष की सेवाओं के दौरान उन्हें निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, शहरी विकास, अक्षय ऊर्जा, कृषि विकास तथा माइक्रो–क्रेडिट, निगमित अभिशासन, बैंकिंग, बीमा, पेंशन तथा वित्त क्षेत्रों का व्यावहारिक अनुभव रहा है। वे निगमित मामले मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव रहे हैं और वित्त मंत्रालय तथा वित्तीय सेवाएं विभाग में भी भारत सरकार के सचिव के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। वे विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों तथा निजी संगठनों जैसे आईएल एवं एफएस इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन, भारतीय रिजर्व बैंक, एस बी आई, भारतीय जीवन बीमा निगम, एक्जिम बैंक ऑफ इण्डिया, आईआईएफसीएल तथा आईआईएफसीएल (यूके) में निदेशक के पद पर रहे हैं। वर्तमान में वे निम्नानुसार अनेक कम्पनियों में निदेशक का पद धारण कर रहे हैः बिजनेस स्ट्रेट्जीअडवाइज़री सर्विसेज प्रा.लि., मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, शिवालिक मर्कैण्टाइल को–ऑपरेटिव बैंक, एच एस बी सी एसेट मैनेज़मेण्ट (इण्डिया) प्रा.लि., भारती एयरटेल लिमिटेड और ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कम्पनी लिमिटेड।

श्री डी. के. मित्तल कथित अधिनियम की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हैं और उन्होंने निदेशक के रूप में काम करने के लिए अपनी सहमति दी है। कम्पनी को श्री एन. सी. झा से इस आशय की घोषणा प्राप्त हुई है कि वे कथित अधिनियम की धारा 149 की उप–धारा 6 के अंतर्गत स्वतंत्रता के मानदण्ड को पूरा करते हैं।

श्री डी. के. मित्तल और उनके रिश्तेदारों के सिवाय और उनके अलावा, शेयरधारिता के उनके हित तक, अगर कोई अन्य, कंपनी में, दूसरे किसी भी निदेशकों में कोई नही/कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदार का किसी भी प्रकार से संबंद्ध या वित्तीय हित या दूसरे किसी भी अन्य प्रकार से संबंद्ध है तो उसे प्रस्तावित नोटिस के आइटम नं. 6 में रखा जाता है।

श्री डी. के. मित्तल की व्यापक विशेषज्ञता और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि कंपनी को निदेशक के रूप में उनकी सेवाएं प्राप्त करते रहनी चाहिए और इस संकल्प को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किए जाने की अनुशंसा करनी चाहिए।

मद संख्या 10

भारत सरकार की अधिसूचना सं. 6(5)/2013–सेल–पीसी दिनांक 18 फरवरी, 2014 के ज़रिये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकन के बाद, श्रीमती परमिंदर हीरा माथुर (DIN:00077306) को 19 फरवरी, 2014 से कम्पनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 19 फरवरी, 2014 से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार वे आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बनी रहेंगीं। कथित अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत एक सदस्य से लिखित में नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें कम्पनी के निदेशक पद के उम्मीदवार के रूप में श्रीमती परमिंदर हीरा माथुर का नाम प्रस्तावित किया गया है।

श्रीमती परमिंदर हीरा माथुर हिमाचल प्रदेश काडर की 1974 बैच की पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं और अगस्त, 2009 में हिमाचल प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव (पीसीएस एवं सीए) के रूप में सेवानिवृत्त हुई हैं। वे राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं। जन सेवा में अपने 35 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्होंने उद्योग, श्रम एवं रोजगार, परिवहन, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण, भू–राजस्व प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास, खाद्य एवं सिविल आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, आपदा प्रबंधन, ग्रामीण विकास आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया है। मानव संसाधन विकास, कार्मिक प्रबंधन, वित्त प्रबंधन, सतर्कता प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं सामर्थ्य आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी उन्हें व्यापक अनुभव है। वे हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम की प्रबंध निदेशक तथा हिमाचल प्रदेश वित्त निगम एवं हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम की निदेशक के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जुड़ी रही हैं। दो केंद्रीय नवरत्न पीएसयू, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा विदेश संचार निगम लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में निदेशक स्तर के पदों पर रही हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेडमें निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। 3 दिसंबर, 2010 से लेकर तीन वर्ष तक वे एनएमडीसी लिमिटेड की स्वतंत्र निदेशक भी रही हैं।

श्रीमती परमिंदर एच माथुर, आयु 64 साल, 1974 बैच की हिमाचल प्रदेश कैडर की पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुईं हैं। उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और लीड्स विश्वविद्यालय, ब्रिटेन से एमबीए किया है।

अपने 35 वर्षों के कार्यकाल के दौरान एक लोक सेवक के रूप में उन्होंने इंडस्ट्रीज, श्रम एवं रोजगार, परिवहन, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राहत एवं पुनर्वास, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास आदि जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम किया है। उन्हें मानव संसाधन विकास, कार्मिक प्रबंधन, सतर्कता प्रबंधन, लिंग संवेदीकरण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।

वें हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में जुड़ी रहीं तथा कई राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बतौर निदेशक कार्य किया जैसे हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम और एचपी स्टेट सिविल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उन्होंने दो नवरत्न सीपीएसई यथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड में निदेशक स्तर के पदों पर कार्य किया।

श्रीमती परमिंदर हीरा माथुर कथित अधिनियम की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हैं और उन्होंने निदेशक के रूप में काम करने के लिए अपनी सहमति दी है। कम्पनी को श्रीमती परमिंदर हीरा माथुर से इस आशय की घोषणा प्राप्त हुई है कि वे कथित अधिनियम की धारा 149 की उप–धारा 6 के अंतर्गत स्वतंत्रता के मानदण्ड को पूरा करती हैं।

श्रीमती परमिंदर हीरा माथुर और उनके रिश्तेदारों के सिवाय और उनके अलावा, शेयरधारिता के उनके हित तक, अगर कोई अन्य, कंपनी में, दूसरे किसी भी निदेशकों में कोई नहीं/ कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदार का किसी भी प्रकार से संबद्ध या वित्तीय हित या दूसरे किसी भी अन्य प्रकार से संबद्ध है तो उसे प्रस्तावित नोटिस के आइटम नं. 6 में रखा जाता है।

श्रीमती परमिंदर हीरा माथुर की व्यापक विशेषज्ञता और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि कंपनी को निदेशक के रूप में उनकी सेवाएं प्राप्त करते रहनी चाहिए और इस संकल्प को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किए जाने की अनुशंसा करनी चाहिए।

मद संख्या 11

आपकी कंपनी अपने प्लांट के लिए काफी बड़े स्तर पर आधुनिकीकरण व विस्तार कार्यक्रम चला रही है और अपनी खदान से कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए तत्पर है। इस विस्तार कार्यक्रम को ऋण और शेयर के जरिए फंड करने का फैसला किया गया है। 31.03.2014 तक कंपनी अपने विस्तार कार्यक्रम के मद में 53,270 करोड़ ₹ पहले ही खर्च कर चुकी है। चालू वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान 9,000 करोड़ ₹ खर्च करने की योजना है। इस व्यय के कुछ भाग की पूर्ति के लिए आपकी कंपनी ने साल के दौरान 5000 करोड़ ₹ कर्ज लेने की योजना बनाई है। कर्ज लेने के लिए घरेलू और विदेशी बाजार में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की समीक्षा के बाद निदेशक बोर्ड ने यह फैसला किया है कि इस साल के दौरान कंपनी सुरक्षित अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉड्स के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 5000 करोड़ ₹ की उगाही करेगी।

सुरक्षित अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉड्स के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए फंड उगाही के लिए कंपनी को विशेष प्रस्ताव के तहत शेयरधारकों से इजाजत लेना अनिवार्य है। कंपनी कानून 2013 के सेक्शन 42 के प्रावधान और कंपनी कंपनी रूल्स 2014 के रूल 14 के तहत इस प्रकार की अनुमति को अनिवार्य बनाया गया है। इसके मुताबिक 5000 करोड़ के सुरक्षित अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉड्स की पेशकश करने से पहले आइटम नं.11 में रखे गए प्रस्ताव पर शेयरधारकों की अनुमति ली जा रही है। यह प्रस्ताव एजीएम की तारीख से एक साल के लिए वैध माना जाएगा। सुरक्षित अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बॉड्स की शर्तों को जरूरत के मुताबिक निदेशक मंडल/उनकी समिति या उनमें से किसी एक या दो निदेशक द्वारा तय किया जाएगा।

बोर्ड इस प्रस्ताव को आपकी मंजूरी के लिए विशेष प्रस्ताव के रूप में मंजूरी देती है।

इस प्रस्ताव से आपके किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार या अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक का कोई संबंध नहीं है या इससे उनका वित्तीय या अन्य हित नहीं सधता है।

आइटम नं.12

आपकी कंपनी अपने प्लांट के लिए काफी बड़े स्तर पर आधुनिकीकरण व विस्तार कार्यक्रम चला रही है और अपनी खदान से कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए तत्पर है। इस विस्तार कार्यक्रम को ऋण और शेयर के जरिए फंड करने का फैसला किया गया है।

सामान्य तौर पर कंपनी जब कर्ज लेती है तो उसे गिरवी/प्रभार/उपप्राधीयन या ऋणभार के जरिए सभी या किसी भी प्रकार के चल व अचल संपत्ति के प्रतिभूत की जरूरत होती है। कंपनी कानून, 2013 के सेक्शन 180(1) के तहत कंपनी को अपनी किसी भी चल या अचल संपत्ति को लेकर वर्तमान में या भविष्य में प्रभार उपप्राधीयन गिरवी रखने के मामले में मंजूरी प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा जाता है। उपरोक्त चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके निदेशक सदस्यों को विशेष प्रस्ताव को मंजूरी देने की संस्तुति करते हैं। यह संस्तुति कंपनी कानून, 2013 के 180(1) के प्रावधानों के तहत की जाती है ताकि निदेशक मंडल जरूरत पड़ने पर ऋण सुरक्षित करने के लिए गिरवी या प्रभार का सृजन कर सके।

इस प्रस्ताव में किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके किसी रिश्तेदार का कोई हित नहीं है।

आइटम नं 13

लेखा परीक्षण समिति की सिफारिश पर 11 अगस्त, 2014 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में कंपनी ने एम एस संजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली (बोकारो स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट के लिए), एम एस के.सी. कोहली एंड कंपनी नई दिल्ली (भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और आईआईएससीओ स्टील प्लांट के लिए) और एम एस आर.जे. गोयल एंड कंपनी नई दिल्ली (एलॉय स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए) को वित्त वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी का कास्ट ऑडिटर नियुक्त किया गया है जिन्हें पारिश्रमिक के रूप में 9,50,000 ₹ दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें लागू होने वाले सेवा कर, डीए का भुगतान, आने–जाने के खर्च भी दिए जाएंगे।

कंपनी कानून, 2013 के सेक्शन 148(3) के प्रावधान व कंपनी रूल्स 2014 के रूल 14 के तहत निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षण समिति की सिफारिश पर मंजूर किए गए पारिश्रमिक को सदस्यों द्वारा भी मंजूर किया जाना जरूरी है। इसलिए कास्ट ऑडिटर की फीस की शेयरधारकों की मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को आइटम नं 13 में रखा जाता है। इस प्रस्ताव में किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके किसी रिश्तेदार का कोई हित नहीं है।

बोर्ड इस प्रस्ताव पर आपकी मंजूरी की सिफारिश करता है।

बोर्ड निदेशकों के आदेशानुसार

(एम.जी. जैन)
सचिव

नई दिल्ली
तिथिः 16 अगस्त, 2014

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 सीआईएनः एल27109डीएल1973जीओआई006454

आने वाले वार्षिक आमसभा में सूचीबद्ध समझौते के दफा 49 तहत नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विस्तृत विवरणः

निदेशक का नाम	श्री एस.एस. मोहंती	श्री एच.एस. पति
जन्म तिथि	14–6–1956	2–3–1955
नियुक्ति की तिथि	15–3–2012	1–5–2012
कार्यक्षेत्र की विशेषताएं	उत्पादन, योजना, और स्टील प्लांट का प्रबंधन	मानव संसाधन प्रबंधन
योग्यता	एमएससी. इंजीनियरिंग (मैक) एंड पीजी डिप्लोमा इन इनडल मैनेजमैंट	एमए (अर्थशास्त्र) एवं डीएसडब्ल्यू
कंपनियों की सूची जहां निदेशक रहे	• एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्रा. लि. – निदेशक • इंटरनेशनल कोल वेंचर प्रा. लि. – निदेशक • इंडियन आयरन एंड स्टील सेक्टर स्कील काउंसिल – अतिरिक्त निदेशक	–
कंपनी बोर्ड की समित के चेयरमैन सदस्य जहां वे निदेशक रहे	–	<u>सेल</u> • स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी सदस्य

इलेक्ट्रो निकली इ वोटिंग करने वाले सदस्यों के लिए निर्देशः–

यदि सदस्या ई–मेल प्राप्त करना चाहते हों तोः

(i) ई–वोटिंग के तैयार किये गए वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग इन करें।

(ii) उसमें 'शेयर होल्डर्स' टैब पर क्लिक करें।

(iii) अब आप बना यूजर आईडी डालें–

   a) सीएसडीएल के लिएः 16 अंकों का बेनिफिशियरी आईडी डालें,

   b) एनएसडीएल के लिए 8 अंकों का डीपी आईडी और 8 अंकों का क्लाइंट आईडी डालें।

   c) जिन के पास फिजीकल फार्म में शेयर हों, वह कंपनी का रजिस्टर्ड फोलियो नंबर डालें।

(iv) इसके बाद, इमेज वेरिफिकेशन के लिए जैसा दर्शाया गया है, वह डालें और लॉग इन पर क्लिक करें।

(v) यदि आपके पास डीमेट फार्म में शेयर है, और आपने www.evotingindia.com पर लॉग इन कर किसी भी कंपनी के लिए वोट डाला हुआ है तो आप वर्तमान पासवर्ड का ही उपयोग कर सकते हैं।

(vi) यदि आप पहली बार इसका उपयोग कर रहे हैं तो नीचे दिए गए कदमों का पालन करेंः

डीमैट फार्म और फिजीकल फार्म में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए–

पैन नंबर आय कर विभाग द्वारा जारी 10 अंकों का अल्फा–न्यूमेरिक पैन संख्या डालें (डीमैट और फिजीकल, दोनों तरह के सदस्यों के लिए)

- वैसे फिजीकल शेयरहोल्डेर, जिन्होंने अब तक कंपनी के पास अपना पैन नंबर नहीं दिया है, से अनुरोध है कि वो पैन नंबर भरने वाले स्थान पर अपने नाम के पहले दो अक्षर कैपिटल लेटर में भरें और उसके बाद 8 अंक फोलियो नंबर का भरें। यदि फोलियो नंबर 8 अंक से कम का हो तो फोलियो नंबर टाइप करने से पहले इतने शून्य लगायें कि 8 अंक पूरा जो जाए। उदाहरण के लिए यदि आपका नाम रमेश कुमार है और आपका फोलियो नंबर 1234 है तो आप पैन नंबर वाले जगह पर RA00001234 भरेंगे।
- डीमैट शेयरहोल्डर जिन्होंने अभी तक अपने डिपोजिटरी को अभी तक पैन नंबर नहीं दिया है, वह अपने नाम के शुरूआती दो अक्षर और बाद में 8 अंक सीडीएसएल/एनएसडीएल का क्लाइंट आईडी भरें। उदाहरण के लिए यदि शेयरहोल्डर का नाम राहुल मिश्रा है और उनका डीमैट खाता संख्या 12058700 00001234 है तो उनका डिफाल्ट पैन संख्या RA00001234 होगा।

जन्म तिथि आपके डीमैट खाता में या कंपनी के रिकार्ड में जो जन्म तिथि है, उसे dd/mm/yyyy तरीके से डालें।

लाभांश के बैंकखाता की सूचना

आपके डीमैट खाता या कंपनी के रिकार्ड में जो खाता संख्या है, वह डालें।

- कृपया जन्म तिथि या लाभांश बैंक खाता विवरण लॉग इन के बाद आर्डर में डालें। यदि यह विवरण डिपाजिटरी या कंपनी के पास रिकार्ड में नहीं है तो कृपया आप लाभांश बैंक खाता विवरण वाले खाने में डालें कि 11 अगस्त 2014 तक आपके कितने शेयर थे।

(i) इन सब विवरणों को भरने के बाद आप सबमिट टैब पर क्लिक करें।

(ii) जिन सदस्यों के पास फिजीकल फार्म में शेयर हैं, तो वह कंपनी के सेलेक्शन स्क्रीन पर सीधे आ जाएंगे। हालांकि जिनके पास डीमैट फार्म में शेयर हैं, वह पासवर्ड क्रिएशन मेनू के पास पहुंचेंगे। वहां उन्हें आवश्यक रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया इसे नोट कर लें कि शेयरहोल्डर इसी पासवर्ड का उपयोग अन्य कंपनियों के ई–वोटिंग के लिए भी करेंगे। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि इस पासवर्ड को किसी अन्य के साथ नहीं बांटे क्योंकि आपका पासवर्ड गोपनीय है।

(iii) जिन सदस्यों के पास फिजीकल फार्म में शेयर हैं, वह विवरण का उपयोग सिर्फ इसी नोटिस के रिजोल्यूशन से संबंधित ई–वोटिंग में ही कर सकते हैं।

(iv) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के लिए आप ईवीएसएन पर क्लिक कीजिए, जिस पर आप वोट के लिए चयन कर सकते हैं।

(v) वोटिंग पेज पर, आप देखेंगे "RESOLUTION DESCRIPTION" और उसी आप्शन पर आपको YES or NO का आप्शन दिखेगा। यदि आप YES का चयन करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने प्रस्ताव का समर्थन किया और यदि NO का चयन करते हैं तो इसका मतबल है कि आपने प्रस्ताव का विरोध किया।

(vi) यदि आप प्रस्ताव का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो आपको "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करना होगा।

(vii) प्रस्ताव के चयन के बाद आपके "SUBMIT" दबाना होगा। इसके बाद कंफर्मेशन बाक्स दिखेगा। यदि आप अपने वोट को कंफर्म करना चाहते हैं तो आपको "OK" दबाना होगा और यदि आपको वोट बदलना है तो "CANCEL" दबायें। इसके बाद आपके वोट में बदलाव हो जाएगा।

(viii) एक बार यदि आप प्रस्ताव पर कंफर्म कर देते हैं तो आपको वोट में तब्दीली का अधिकार नहीं होगा।

(ix) आप वोट डाल देने के बाद उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको वोटिंग वाले पेज पर "Click here to print" दबाना होगा।

(x) यदि डीमैट खाताधारी अपना बदले हुए पासवर्ड को भूल गए हैं तो वह अपना यूजर आईडी और इमेज वेरीफिकेशन कोड डाल कर फोरगोट पासवर्ड पर क्लिक करें और सिस्टम जो सूचना मांगे , वह प्रदान करें।

- संस्थानिक शेयर धारक (जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को https://www.evotingindia.com पर लॉग इन कर कारपोरेट के रूप में रजिस्टर करना होगा।
- उन्हें स्टांप और सिगनेचर के साथ रजिस्ट्रेशन फार्म helpdesk.evoting@cdslindia.com पर जमा करना होगा।
- लॉग इन विवरण मिलने के बाद उन्हें एक यूजर बनाना होगा ताकि वह वोट डाल सकें।
- उन्हें खाता की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करना होगा और वहां से अनुमोदन मिलने के बाद ही वह अपना वोट डाल सकेंगे।
- उन्हें बोर्ड रिजोल्यूशन और पावर ऑफ अटार्नी (पीओए) की एक स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी जिसमें उसना कस्टोनडियन के रूप में उल्लेख हो।

जिन सदस्यों के पास फिजिकल फार्म में शेयर सर्टिफिकेट हों*

(*) वोट डालने के लिए कृपया क्रम संख्या (i) से क्रम संख्या (xvi) का पालन करें।

- वोटिंग की अवधि 15 सितंबर, 2014 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और यह 17 सितंबर, 2014 को शाम 06.00 बजे तक चलेगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, चाहे उनके पास फिजीकल फार्म में शेयर हों या डीमैट में, अपना वोट इलेक्ट्रोनिकली डाल सकते हैं। इसके लिए रिकार्ड तिथि 11 अगस्त 2014 है। वोटिंग की अवधि बीतने के बाद सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग मोड्यूल को डिसेबल कर दिया जाएगा।
- ई–वोटिंग के संबंध में आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप फ्रीक्वेंटली आस्क (एफएक्यू) और ई–वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं जो कि www.evotingindia.com पर उपलब्ध है। किसी अन्य प्रकार की सहायता के लिए हमें helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिख सकते हैं या फिर श्री वेंसेसलुएस फुर्तादो से टोल फ्री नंबर 1800 200 5533 पर संपर्क कर सकते हैं।

अन्य सूचना

1. श्री सचिन अग्रवाल, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव को पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग की स्क्रूटिनी के लिए स्क्रूटनाइजर नियुक्त किया गया है।
2. ई–वोटिंग की अवधि समाप्त होने के तीन कार्य दिवस के बाद स्क्रूटनाइजर कम से कम दो साक्षी की उपस्थिति में वोट को अनब्लॉक करेंगे। ये साक्षी कंपनी के कर्मचारी नहीं होने चाहिए। इसके बाद स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट बना कर अध्यक्ष के पास भेजेंगे।
3. सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट आफ तिथि (11 अगस्ती 2014) को उनके पास रहे कुल शेयर मूल्य के आधार पर तय होगा।
4. प्रस्ताव का परिणाम कंपनी की वार्षिक आम बैठक के दौरान या फिर उसके बाद घोषित किया जाएगा और इस प्रस्ताव को आम बैठक में पारित माना जाएगा (प्रस्ताव के पक्ष में पड़े अपेक्षित वोट के आधार पर)।
5. प्रस्ताव पारित होने के दो दिन के अंदर परिणाम, स्क्रूटनाइजर के परिणाम के साथ कंपनी की बेबसाइट (www.sail.co.in) और मेसर्स सीडीएसएल की वेबसाइट

सेल SAIL

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

CIN: L27109DL1973GOI006454

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोदी रोड,नई दिल्ली–110003

दूरभाषः +91 11 24367481, **फैक्सः** +91 11 24367015, **ई–मेलः** investor.relation@sailex.com, **वेबसाइटः** www.sail.co.in

उपस्थिति पर्ची

23 सितम्बर, 2014, मंगलवार को 10.30 बजे आयोजित की जाने वाली कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक

उपस्थित होने वाले सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
फोलियों संख्या	
डीपी आईडी सं. क्लाइंट सं.	
धारित शेयरों की सं	
प्रतिनिधि का नाम (स्पष्ट अक्षरों में सदस्य के बजाए उपस्थित होने वाले प्रतिनिधि द्वारा भरा जाएगा)	

भौतिक रूप में मैं एतद्वारा 23 सितम्बर, 2014 मंगलवार को एनडीएमसी इनडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001 में आयोजित की जाने वाली कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।
धारित शेयरों के मामले में लागू

सदस्य / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ________________________________

टिप्पणीः

1. उपस्थिति पर्ची पर उसी प्रकार हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जैसा कि आर एण्ड टीएडिपॉजिटरी पार्टिसिपेण्ट (डीपी) के पास पंजीकृत है। इस प्रकार विधिवत सम्पूर्ण एवं हस्ताक्षरित पर्ची आर एण्ड टी ए काउण्टरों पर सुपुर्द की जानी चाहिए और आर एण्ड टी ए इसके एवज में प्रवेश कार्ड देगा।
2. हॉल में प्रवेश केवल आर एण्ड टी ए द्वारा प्रदत्त प्रवेश कार्ड के जरिए ही होगा।
3. सदस्यों / प्रतिपत्र धारकों से अपने पास तस्वीरयुक्त परिचय पत्र रखने का अनुरोध किया जाता है ताकि पहचान / सत्यापन संभव हो सके।
4. केवल स्वयं या पंजीकृत प्रतिपत्र के माध्यम से उपस्थित होने वाले शेयरधारक (कों) पर ही विचार किया जाएगा।
5. सुरक्षा प्रयोजनार्थ बैठक वाले स्थान पर ब्रीफकेस, मोबाइल फोन, बैग, खाद्य पदार्थ, हेलमेट एवं अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और शेयरधारकों (कों) / प्रतिपत्र धारकों (कों) को अपने सामान की देख–रेख स्वयं करनी होगी।
6. वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार नहीं दिया जाएगा।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

CIN: L27109DL1973GOI006454

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोदी रोड,नई दिल्ली–110003

दूरभाषः +91 11 24367481, **फैक्सः** +91 11 24367015, **ई–मेलः** investor.relation@sailex.com, **वेबसाइटः** www.sail.co.in

प्रतिपत्र का प्रपत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनियों (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली की 2014 के नियम 19 (3) के अनुसरण में,

सदस्य (यों) का नाम	
पंजीकृत पता	
फोलियों संख्या/ डीपी आईडी सं. क्लाइंट सं.	
ई–मेल	

मैं / हम लोग...उपरोक्त कंपनी के.............................धारित शेयरों के सदस्य होने नाते.............................

1.नामः...पताः...
ई–मेलः...हस्ताक्षरः..., अथवा उनकी अनुपस्थिति में

2. नामः...पताः...
ई–मेलः...हस्ताक्षरः..., अथवा उनकी अनुपस्थिति में

3. नामः...पताः...
ई–मेलः...हस्ताक्षरः...

को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता हूँ / करते हैं, जो एनडीएमसी इनडोर स्टेडियम में 23 सितंबर, 2014 को प्रातः 10.30 बजे या उसके स्थगन के बाद किसी अन्य समय आयोजित की जाने वाली कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों के संबंध में मेरी / हमारी ओर से मतदान (किसी मत पर) करेंगेः

क्र.सं.	**प्रस्ताव**
	सामान्य व्यवसाय
1.	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का लेखा परीक्षित हानि एवं लाभ लेखा, उक्त तारीख तक का तुलना पत्र तथा निदेशकों एवं लेखा परीक्षकों की तत्संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करना।
2.	श्री एस. एस महांती (DIN: 02918061), जो चक्रीय आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना।
3.	श्री एच. एस. पति (DIN:05283445), जो चक्रीय आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना।
4.	भारत के महालेखा परीक्षक नियंत्रक द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए नियुक्त कंपनी के लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।
5.	वित्त वर्ष 2013-14 के लिए फरवरी, 2014 माह में कम्पनी द्वारा चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 20-20% की दर से अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना।
	विशेष व्यवसाय
6.	श्री बिनोद कुमार (DIN: 06379761) को एक पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करना।
7.	श्री आर. एस. शर्मा (DIN: 00013208) को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करना।
8.	श्री एन. सी. झा (DIN: 00657309) को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करना।
9.	श्री डी. के. मित्तल (DIN: 00040000) को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करना।
10.	श्रीमती परमिंदर एच. माथुर (DIN:00077306) को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करना।
11.	प्राइवेट प्लेसमेण्ट आधार पर बॉण्ड / डिबेंचर जारी करके 5000 / – करोड ₹ के फण्ड जुटाना और इस संबंध में विचार करना।
12.	कम्पनी की चल और / या अचल परिसम्पत्तियों पर मॉर्टगेज और / या चार्ज क्रियेट करना।
13.	वित्त वर्ष 2014–15 के लिए कम्पनी के लेखा अंकेक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना।

कृपया 1 ₹ का रेवेन्यू टिकट लगाएं

आज दिनांक..............................2014 को हस्ताक्षरित

सदस्य (यों) के हस्ताक्षर

प्रतिनिधि (यों) के हस्ताक्षर

टिप्पणीः

प्रभावी होने के लिए विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित प्रतिपत्र प्रपत्र को वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय के कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत, इस्पात भवन, लोदी रोड,नई दिल्ली–110003 में भेज दिया जाना चाहिए।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

CIN: L27109DL1973GOI006454

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोदी रोड,नई दिल्ली–110003

दूरभाषः +91 11 24367481, **फैक्सः** +91 11 24367015, **ई–मेलः** investor.relation@sailex.com, **वेबसाइटः** www.sail.co.in

Ref No : SAIL/B&CA/AR/2014 Date : 01.08.2014

Dear Shareholder:

RE : Green Initiative in Corporate Governance: Go Paperless

The Ministry of Corporate Affairs (" Ministry") has taken a "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies through electronic mode. In accordance with circulars bearing no. 17/2011 dated 21.04.2011 and 18/2011 dated 29.04.2011 issued by the Ministry, companies can send various notices/ documents (including notice calling Annual General Meeting, Audited Financial Statements, Directors' Report, Auditors' Report etc) to their shareholders through electronic mode, to the registered e-mail addresses of the shareholders.

It is a welcome move for the society at large, as this will reduce paper consumption to a extent and allow public at large to contribute towards a greener environment.

This is also a golden opportunity for every shareholder of Steel Authority of India Limited (the Company) to contribute to the Corporate Social Responsibility initiative of the Company. All you have to do is to register your e-mail id with the Company to receive communication through electronic mode.

ADVANTAGES OF REGISTERING FOR E-COMMUNICATION :

• Receive communication promptly. Reduce paper consumption and save trees. Eliminate wastage of paper. Avoid loss of document in postal transit. Save costs on paper and postage.

We, therefore, invite you to contribute to the cause by filling up the form given alongwith for registering your e-mail id and send it back to us.

Kindly note that, if you still wish to get a hard copy/physical copy of all the communications, the Company undertakes to provide the same at no extra cost to you. In case you desire to receive the above mentioned documents in physical form, you are requested to send an e-mail to investor.relation@sailex.com or send a letter at the following address.

MCS Limited, Unit : SAIL, F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase -1, New Delhi- 110020

OR COMPANY ADDRESS as mentioned above.

You can also download the registration form our website : www.sail.co.in

Best Regards,

For Steel Authority of India Ltd.
Sd/-
(M.C. JAIN)
Secretary

E-COMMUNICATION REGISTRATION FORM

To
MCS Limited
Unit : SAIL
F-65, Okhla Industrial Area, Phase-1
New Delhi- 110020

Dear Sir/Madam

RE: Green Initiative in Corporate Governance

I agree to receive all communication from the Company in electronic mode. Please register my e-mail ID in your records for sending communication through e-mail.

Folio No./ DP ID & Client ID :...

Name of 1st Registered Holder ....

Name of Joint Holder (s) ....

Registered Address :...

....

E-mail ID :...

Date : .... Signature of the first holder...

Important Notes :

1) On registration, all the communication will be sent to the e-mail ID registered in the folio / DP ID & Client ID.
2) The form is also available on the website of the Company www.sail.co.in
3) Shareholders are requested to keep Company informed as and when there is any change in the e-mail address. Unless the e-mail Id given hereunder is changed by you by sending another communication in writing the Company will continue to send the notices /documents to you the above mentioned e-mail ID
4) If shares held in electronic mode , kindly register your e-mail id with your DP.